दशम माला, खण्ड 15, अंक 27

बुधवार, 12 अगस्त, 1992
21 श्रावण, 1914 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

## चौथा सत्र
( दसवीं लोक सभा )



( खंड 15 में अंक 21 से 31 तक हैं )

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

( अँग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अँग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा । )

# विषय–सूची

दशम माला, खंड 15, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 27, बुधवार, 12 अगस्त, 1992/21 श्रावण, 1914 (शक)


| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| उज्बेकिस्तान के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत | .... | 1 |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | .... | 2—26 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 511 से 515 | .... | 2—23 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | .... | 27—217 |
| तारांकित प्रश्न संख्या 516 से 531 | .... | 27—39 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 5341 से 5581 | .... | 39—217 |
| शेयर घोटाले के बारे में | .... | 217—222 |
| सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति | .... | 240 |
| प्राक्कलन समिति | .... | 241 |
| अठारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश–प्रस्तुत | .... | 241 |
| कृषि समिति | .... | 241 |
| तीसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश-प्रस्तुत | .... | 241 |
| मंत्री द्वारा वक्तव्य | .... | 241—252 |
| (एक) गेहूं का निर्यात और आयात | | |
| श्री कमालुद्दीन अहमद | .... | 241 |
| (दो) इन्सेट-2 ए उपग्रह | | |
| श्री रंगराजन कुमारमंगलम | .... | 243 |
| (तीन) पश्चिम बिहार, नई दिल्ली में 11 अगस्त, 1992 को पुलिस और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ | | |
| श्री एम०एम० जैकब | .... | 252 |
| सभा का कार्य | .... | 244 |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| सभा पटल पर रखे गए पत्र | .... | 247—251 |
| अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1988-89 और अनुपूरक व्यय (सामान्य) 1992-93 का विवरण | .... | 253—272 |
| डा० परशुराम गंगवार | .... | 254 |
| श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही | .... | 255 |
| श्री राम पूजन पटेल | .... | 258 |
| श्री तरित वरण तोपदार | .... | 260 |
| श्री भोगेन्द्र झा | .... | 263 |
| प्रो० रासा सिंह रावत | | 265 |
| श्री तेज नारायण सिंह | .... | 267 |
| डा० जयन्त रंगपी | .... | 268 |
| श्री थाइमा सिंह युमनाम | | 269 |
| श्री शांताराम पोतदुखे | .... | 271 |
| विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक | .... | 272—273 |
| पुरः स्थापित करने के लिए प्रस्ताव | | |
| श्री शांताराम पोतदुखे | .... | 272 |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | | |
| श्री शांताराम पोतदुखे | .... | 272 |
| खंडवार विचार पारित करने के लिए प्रस्ताव | | |
| श्री शांताराम पोतदुखे | .... | 272 |
| विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक | .... | 273—275 |
| पुरः स्थापित करने के लिए प्रस्ताव | | |
| श्री शांताराम पोतदुखे | .... | 273 |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | | |
| श्री शांताराम पोतदुखे | .... | 274 |
| खंडवार विचार पारित करने के लिए प्रस्ताव | | |
| श्री शांताराम पोतदुखे | .... | 274 |

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अध्यादेश, 1992 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) विधेयक** | | 275–285, 287–291 |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | | |
| श्री मनमोहन सिंह | .... | 275 |
| प्रो० रासा सिंह रावत | .... | 277 |
| श्री सैयद मसूदल हुसैन | .... | 279 |
| श्री पवन कुमार बंसल | | 280 |
| श्री सोमनाथ चटर्जी | .... | 283 |
| श्री तेज नारायण सिंह | .... | 284 |
| श्री सत्य नारायण जटिया | .... | 285 |
| श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे | .... | 287 |
| खंडवार विचार पारित करने के लिए प्रस्ताव | | |
| श्री मनमोहन सिंह | .... | 289 |
| **प्रधानमन्त्री द्वारा वक्तव्य** | .... | 286—287 |
| स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि | .... | 286 |
| श्री पी० वी० नरसिंह राव | .... | 286 |
| **नागालैंड के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प** | .... | 291—303 |
| श्री गुलाम नबी आजाद | .... | 291 |
| श्री उद्धव बर्मन | .... | 292 |
| प्रो० रासा सिंह रावत | .... | 293 |
| श्री हरि किशोर सिंह | .... | 295 |
| श्री तेज नारायण सिंह | .... | 296 |
| श्री याइमा सिंह युमनाम | .... | 297 |
| डा० जयन्त रंगपी | .... | 297 |
| श्री गिरधारी लाल भार्गव | .... | 298 |
| श्री एम०एम० जैकब | .... | 299 |
| **कार्य-मंत्रणा समिति** | .... | 299 |
| बारहवां प्रतिवेदन-प्रस्तुत | | |

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| आधे घण्टे की चर्चा | .... | 303—319 |
| आवश्यक वस्तुओं के मूल्य और उनकी उपलब्धता के बारे में | | |
| प्रो० के०वी० थामस | .... | 303 |
| डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय | .... | 306 |
| श्री राम नाईक | .... | 309 |
| श्री चित्त बसु | .... | 310 |
| श्री कमालुद्दीन अहमद | .... | 312 |

# लोक सभा

बुधवार, 12 अगस्त, 1992/21 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

## उज्बेकिस्तान के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यगण, सर्व प्रथम मुझे एक घोषणा करनी है ।

अपनी ओर से तथा इस माननीय सदन के सदस्यों की ओर से मैं उज्बेकिस्तान गणराज्य की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन, महामहिम श्री एस. एम. युन्दाशेव, तथा उज्बेकिस्तान के संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं जो कि इस समय भारत की यात्रा पर हैं तथा हमारे सम्माननीय अतिथि हैं ।

शिष्टमंडल के अन्य सदस्य हैं :

1. श्री उब्बीनियाज आशिरबेकोव
2. सुश्री हलीमा उस्मानोवा
3. श्री अब्दुल्ला तुरदिकलोव
4. श्री कखरेमन इकरामोव
5. श्री सैद उस्मानोव तथा

शिष्टमण्डल के नेता की पत्नी ।

शिष्टमंडल 11 अगस्त, 1992 की शाम को दिल्ली पहुंचा । वे अब विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं । हम अपने देश में उनके सुखद तथा लाभकारी प्रवास की कामना करते हैं । उनके माध्यम से हम उज्बेकिस्तान गणराज्य के महामहिम प्रेजीडैंट प्रधानमंत्री, संसद, सरकार तथा लोगों को शुभ-कामनायें प्रेषित करते हैं ।

11.02 म० प०

# प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

## कोयला खनन परियोजनाएं

*511. **श्री प्रफुल्ल पटेल :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला खनन परियोजनाओं में फ्रांस से सहयोग लेने का है ?

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता किया गया है । और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० भ्यामगौड़) :** (क) से (ग) इस संबंध में एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

### विवरण

(क) से (ग) निम्नलिखित कोयला परियोजनाएँ वर्तमान में फ्रांस की सहायता से क्रियान्वयन अधीन हैं :—

1. कोटाडीह (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०)
2. राजोरा (वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०)
3. ईस्ट कतरास सब-लेवल केविंग (भारत कोकिंग कोल लि०)
4. जी. डी. के.--10 और जी. डी. के.--8 इन्क्लाइन परियोजना ( सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०)
5. बुरधिमो में प्रशिक्षण केन्द्र (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०)

पेरिस में जून, 1992 में सम्पन्न कोयले पर इंडो-फ्रांस कार्यकारी दल की ग्यारहवीं बैठक के दौरान भारतीय पक्ष ने फ्रांस पक्ष से एक एकीकृत कोयला परियोजना, जिसमें एक भूमिगत खान, एक वाशरी और उड़ीसा में (महानदी कोलफील्ड्स लि०) अनंता के स्थान पर एक ग्रहीत विद्युत संयंत्र शामिल है, की स्थापना किए जाने में भारत को सहायता दिए जाने की संभावनाओं पर विचार किए जाने का अनुरोध किया था । अन्य कोयला परियोजनाएं, जो कि भविष्य में संभावित सहयोग के लिए प्रस्तुत की गई, उनमें आर. के. न्यूटैक (सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०), धूसिक भूमिगत (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०) और मनोरा वेस्ट-भूमिगत शामिल हैं । इन प्रस्तावों के तौर-तरीकों तथा ब्यौरों पर फ्रांस पक्ष द्वारा उपर्युक्त प्रस्तावों पर सैद्धान्तिक रूप में सहमति व्यक्त किए जाने के बाद ही क्रियान्वयन किया जाएगा ।

**श्री प्रफुल्ल पटेल :** अध्यक्ष महोदय, भारत कोयला उत्पादन करने वाला विश्व का एक प्रमुख देश है । कुछ एक गिने चुने देश कुल कोयला उत्पादन का 90 प्रतिशत उत्पादन करते हैं । 1972-73 में सभी कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात्, भारत सरकार ने उत्पादन बढ़ाने तथा आर्थिक लाभ की दृष्टि से खनन की तकनीक में सुधार का निरन्तर प्रयास किया है । मैं

कोयला मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने पर्यावरण सम्बन्धी पक्ष का भी उल्लेख किया है, तथा राष्ट्रीयकरण के पश्चात् पर्यावरण की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जैसा कि कोयला मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है, भारत ने सोवियत संघ पोलैण्ड, तथा फ्रांस के साथ सहयोग किया है।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री प्रफुल, कृपया प्रश्न पर आइए.....

**श्री प्रफुल पटेल :** अन्य देश हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, तथा विश्व बैंक के सहयोग से भी कुछ परियोजनायें आरम्भ की गई हैं। राष्ट्रीयकरण के इतने सालों बाद, विदेशी सहयोग के लिए इतने समझौते करने के पश्चात्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम अपनी कोई तकनीक विकसित कर पाये हैं? जैसा कि जबाब में दिया गया है, फ्रांस की सरकार ने कुछ परियोजनाओं के लिए सहायता का प्रस्ताव किया है। मैं **'इकॉनामिक्स टाइम्स'** में छपे एक समाचार को उद्धत करना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया ऐसे मत कीजिए। आप प्रश्न पूछिए। कृपया इस बात को समझिए कि बहुत से प्रश्न अभी बाकी हैं तथा कई सदस्यों ने पूरक प्रश्न पूछने हैं। कृपया प्रश्न पूछिए। आपको समाचार पत्रों से समाचार पढ़ने की आवश्यकता नहीं।

**श्री प्रफुल्ल पटेल :** मैं केवल एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। पहली बार भारत निर्यातोन्मुख कोयला परियोजनाओं को विदेशी सहयोग से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव कर रहा है, जैसा कि कोल इंडिया के अध्यक्ष तथा भारतीय शिष्ट मंडल के नेता, कोल मंत्रालय के सचिव द्वारा कहा गया है। उत्तर में केवल इतना ही कहा गया है कि कुछ परियोजनाओं का प्रस्ताव फ्रांसीसी सरकार को सहायता के लिए भेजा गया है। क्या निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं के लिए विदेशी सहयोग लिया गया है, तो इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। क्या इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट जानकारी देने योग्य है?

**अध्यक्ष महोदय :** हां, निर्यात के क्षेत्र में सहयोग हो रहा है।

**कोयला मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा श्रम मंत्रालय के राज्यमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) :** भारत फ्रांस कार्यकारी दल की पैरिस में जून, 1992 में बैठक हुई थी? उस बैठक के दौरान उन परियोजनाओं पर विचार किया गया, जिनमें सहयोग की संभावनायें हैं। यह बातचीत के चरण में है। जिन परियोजनाओं का मैंने मूल उत्तर में उल्लेख किया है, उन सब पर बातचीत चल रही है। हम सिद्धान्त रूप में सहमत हो गये हैं, परन्तु कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

एक संयुक्त तकनीकी दल गठित किया गया है, तथा वे इस सम्बन्ध में अन्तिम फैसला करेंगे। यह सत्य है कि अनन्ता परियोजना के सम्बन्ध में फ्रांस को कोयले का निर्यात करने पर भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि इस समय फ्रांस बाहर से 2 करोड़ टन कोयला आयात करता है। इसी लिए हम इस परियोजना को इससे जोड़ रहे हैं जो कि एक निर्यातोन्मुख प्रयास होगा।

**श्री प्रफुल पटेल :** माननीय गृहमन्त्री के कथन की सराहना के साथ-साथ मैं एक और विषय में अपनी चिंता अभिव्यक्त करना चाहता हूं। कल ही एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें

यह कहा गया है कि 1350 करोड़ रुपये मूल्य के कोकिंग कोयले का निर्यात किया जा रहा है। जबकि झरिया की हमारी अपनी खानों में जहां कि कोयले के विशाल भंडार विद्यमान होने की संभावना है, कई वर्षों से धरती के भीतर आग सुलग रही है, रिपोर्ट में इसकी भी चर्चा की गई है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भारत कोकिंग कोल की झरिया कोयला खानों में कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई तकनीक लाने का गंभीरता से प्रयास कर रही है। ताकि जो 1350 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा जो कि हम अन्यथा इस वस्तु के आयात पर खर्च करेंगे, उसे बचाया जा सके ? क्या सरकार की बी. सी. सी. एल. की उत्पादकता बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

**श्री पी. ए. संगमा :** 1350 करोड़ रुपये के आयात बिल के सम्बन्ध में मैं निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता। जहां तक मेरी जानकारी है। वर्तमान विनिमय दर के अनुसार कोकिंग कोयले के आयात पर कुल 700 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यह वास्तविकता है कि कोकिंग कोयले के उत्पादन में हम आत्म निर्भर नहीं हैं। हम कोयले का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वर्तमान समय में विदेशी सहयोग से आठ परियोजनायें चल रही हैं। एक और परियोजना भी हमारे हाथ में है जिसे हाल ही में मन्त्रिमण्डल ने मंजूरी दे दी है। झारखंड परियोजना नाम की एक नई परियोजना पर भी हम विचार कर रहे हैं।

माननीय सदस्य का यह कथन ठीक है कि हमारे कोकिंग कोयला भण्डार का एक बड़ा हिस्सा बिहार में झरिया नामक स्थान पर उपलब्ध है, जहां कि पिछले एक सौ सालों से धरती के भीतर आग सुलग रही है। इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। जब तक हम इस भूमिगत अग्नि का समाधान नहीं खोज लेते, तब तक देश कोयला के उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर नहीं हो सकता।

झरिया में भूमिगत अग्नि के विषय पर आधे घण्टे की चर्चा सदन के विचाराधीन है। परन्तु मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इस आग को बुझाने के लिए ठोस और प्रभावशाली कदम ही नहीं उठा रही है, बल्कि विश्व बैंक तथा अन्य बैंकों की सहायता से हम जल्दी ही इस समस्या का समाधान खोज निकालने की आशा रखते हैं। मुझे आशा है कि पांच-सात वर्षों में इस समस्या पर काबू पा लिया जायेगा।

**श्री वसुदेव आचार्य :** बी. सी. सी. एल. में पोलैण्ड की सहायता से मुकुण्डा—ओ. सो. पी. नाम की एक परियोजना चल रही है। इस परियोजना को 20 करोड़ रुपए की हानि हुई है। क्या मैं माननीय मन्त्री जी से जान सकता हूं कि इस परियोजना को 20 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी हानि क्यों उठानी पड़ी ?

**अध्यक्ष महोदय :** श्री आचार्य, क्या यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बद्ध है ?

**श्री वसुदेव आचार्य :** जी हां, यह विदेशी सहयोग का मामला है।

**अध्यक्ष महोदय :** परन्तु मूल प्रश्न फ्रांसीसी सहयोग के बारे में है।

**श्री वसुदेव आचार्य :** महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण मामला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस परियोजना को छोड़ दिया गया है ? मेरे प्रश्न का (ख) भाग इसी सम्बन्ध में है।

विवरण में यह कहा गया है कि फ्रांसीसी सहयोग से पांच परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें पांचवीं बुराधेमो में प्रशिक्षण केन्द्र के बारे में है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या इन परियोजनाओं के लिए सारा धन फ्रांस से मिल रहा है तथा इन प्रशिक्षण केन्द्रों का उद्देश्य क्या है ?

**श्री पी. ए. संगमा :** प्रत्येक विदेशी सहयोग के मामले से दो बातें जुड़ी होती हैं। एक है वित्तीय निवेश, वित्तीय सहायता तथा दूसरी भारत के लिए अनुकूल तकनीक का हस्तांतरण। हमने विभिन्न देशों में प्रचलित विभिन्न तकनीकों पर गौर किया है। इसलिए हम जब कोई द्विपक्षीय समझौता करते हैं, तो तकनीक के हस्तांतरण का पक्ष काफी महत्वपूर्ण रहता है। तकनीक प्राप्त कर लेने के पश्चात् उसका अपनी तकनीक से समन्वय स्थापित करना आसान बात नहीं होती। इसलिए हमें अपने लोगों को प्रशिक्षण देना पड़ता है, ताकि दीर्घावधि में इस तकनीक से समन्वय स्थापित करने में आसानी रहे। इसलिए प्रत्येक समझौते में हम प्रशिक्षण के पक्ष पर भी विचार करते हैं। हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसके तीन तरीके हैं। एक है अपने लोगों को उस देश में प्रशिक्षण दिलवाना जहां से तकनीक आयात करनी हो, दूसरा है अपने ही देश में प्रशिक्षण दिलवाना और तीसरा है इन दोनों का मिला-जुला रूप--कुछ लोगों को अपने ही देश में प्रशिक्षण देना और कुछ को प्रशिक्षण के लिए अन्य देश भेजना।

जहां तक फ्रांसीसी सहायता और तकनीक का सम्बन्ध है, हम में यह सहमति हुई है कि सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे ही देश में होंगे तथा इसीलिए फ्रांसीसी सहायता से प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। वर्तमान विनिमय दर पर कुल 191.11 करोड़ रुपए की ऋण के रूप में फ्रांसीसी सहायता प्राप्त हुई है, तथा 2.85 करोड़ रुपए का अनुदान भी हमारे पास है। कुल राशि इतनी है। परियोजना वार ऋण तथा अनुदान के सम्बन्ध में मैं निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता। परन्तु मेरे पास कुल राशि की जानकारी है। अगर माननीय सदस्य कोई विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं उन्हें उपलब्ध करवा सकता हूं।

**श्री वसुदेव आचार्य :** आपने मुकुण्डा परियोजना के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दिया।

**श्री पी. ए. संगमा :** जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, मुकुण्डा परियोजना पोलैण्ड की सहायता से कार्यान्वित होने वाली परियोजना है। मूल प्रश्न फ्रांसीसी सहयोग से चलने वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में है। इसलिए मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

**भेषज उद्योग**

+

*512. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

**श्री फूलचन्द वर्मा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भेषज क्षेत्र में आधारभूत अनुसंधान और विकास संबंधी वर्तमान नीति की मुख्य बातें क्या हैं।

(ख) भारत में भेषज उद्योग में अनुसंधान तथा विकास कार्य कर रही कम्पनियों के नाम क्या हैं ।

(ग) अनुसंधान और विकास पर हुये व्यय के अनुपात में लाभ सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ।

(घ) क्या कुछ औषध निर्माता कम्पनियों ने हाल में अपने अनुसंधान तथा विकास एककों को बन्द कर दिया है ।

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं । और

(च) इस संबंध में क्या उपराचात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन)** : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

(क) औषध नीति, 1986 के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ किफायती साइजों से औषधों के लागत-प्रभावी उत्पादन को बढ़ावा देना । नई प्रौद्योगिकियां और नए औषध व्यवहार में लाना और औषधों के उत्पादन हेतु स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत बनाना शामिल है । भेषज उद्योग में मूल अनुसंधान एवं विकास संबंधी नीति इन उद्देश्यों से मार्गदर्शन प्राप्त करती है ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के आधार पर विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त उन कम्पनियों, जिनके पास इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास एकक हैं, के नाम अनुबन्ध में दिए जाते हैं ।

(ग) अनु. एवं विकास पर किए गए खर्च पर पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रावधान मौजूद हैं :—

(1) कीमत नियंत्रण के अधीन प्रपुंज औषधों के उत्पादन की लागत निर्धारित करते समय अनुसंधान एवं विकास पर खर्च को गणना में लिया जाता है ।

(2) किसी कम्पनी को अनु० एवं विकास प्रयासों द्वारा प्राप्त किसी प्रपुंज औषध की कीमत में कमी के 50% तक अपने पास रखने की अनुमति है ।

(3) यदि कोई कम्पनी स्वयं अपने अनु० एवं विकास प्रयासों या राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से मूल अवस्था से किसी प्रपुंज औषध के लिए एक प्रक्रिया का विकास करती है और जो विद्यमान प्रक्रियाओं से काफी भिन्न है और जिसके परिणामस्वरूप लागत प्रभावी उत्पादन होता है तो वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख से अधिकतम जांच वर्ष तक की अवधि के लिए कीमत नियंत्रण से छूट उपलब्ध होती ।

(4) नए औषधों से संबंधित स्वीकृत अनुसंधान और विकास कार्य में लगे एककों के लिए उच्च लाभदेयता की अधिकतम सीमा ।

(5) उद्योग के अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास की तरह भेषज क्षेत्र को भी प्रोत्साहन और सहायता जैसे आयकर में छूट, परिवर्द्धित मूल्य ह्रास लाभ, आयात सुविधा आदि मिलती है ।

(घ) सरकार को किसी भेषज कम्पनी के किसी अनु० एवं विकास एकक को हाल ही में बन्द कर दिए जाने की जानकारी नहीं है। किन्तु, कुछ वर्ष पूर्व मै० हिन्दुस्तान सीबा गाइगी ने नई औषध खोज में मूल अनुसंसान क्रियाकलाप बन्द कर दिए हैं।

(ङ) यह काफी लाभकारी नहीं था।

(च) किसी गैस-सरकारी निजी क्षेत्र की कम्पनी के किसी अनु० एवं विकास एकक का कार्य उसकी कारपोरेट योजनाओं और नीतियों पर निर्भर करता है। भेषज क्षेत्र में अनु० एवं विकास गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए औषध नीति की पुनरीक्षा के भाग के रूप में अनेक सुझावों की जांच की जा रही है।

**भेषज क्षेत्र में डी. एच. आई आर. द्वारा मान्यता प्राप्त इन-हाउस अनुसंधान तथा विकास एककों की सूची**

| क्र.सं. | फर्म का नाम |
|---|---|
| 1. | आचार्य केमिकल्स |
| 2. | एलेम्बिक केमिकल्स वर्क्स कम्पनी |
| 3. | एलकेम लेबोरेटरीज लि० |
| 4. | एल्फा ड्रग्स |
| 5. | एलवेद बायोलोजिकल्स प्रा० लि० |
| 6. | एम्बालाल साराभाई एंटरप्राइजिज |
| 7. | अमेरिकन रेमेडीज लि० |
| 8. | अमृतांजन लि० |
| 9. | एंगलो फ्रेंच ड्रग्स कम्पनी |
| 10. | अरमोर केमिकल्स लि. |
| 11. | एसियन केमिकल्स वर्क्स |
| 12. | एसोसिएटिड लेबोरेटरीज प्रा० लि० |
| 13. | असट्रा आई डी एल लि० |
| 14. | अतुल प्रोडक्टस लि० |
| 15. | बी. डी. एच. फार्मास्युटिकल्स लि० |
| 16. | बंगाल इम्युनिटी लि० |
| 17. | बायोकेन इण्डिया प्राइवेट लि० |
| 18. | बायोजेनिक्स इण्डिया |
| 19. | बायोलोजिकल ई. लि. |
| 20. | बायोहिंगर क्नोल लि. |
| 21. | बूट्स कं. लि. |

क्र.सं. फर्म का नाम

22. बी टी एक्स केमिकल्स प्रा. लि.
23. बोरोज बेलकम (इण्डिया) लि.
24. केडिला लेबोरेटरीज लि.
25. केमिनोर ड्रग्स लि.
26. सीबाटुल लि.
27. सिप्ला लि.
28. सिट्रगिया बायोकेमिकल्स लि.
29. कोन्दसेप्ट फार्मास्युटिकल्स लि.
30. साइनामिड इंडिया लि.
31. डेन्टल प्रोडक्टस ऑफ इण्डिया लि.
32. डेज मेडिकल स्टोर्स (मेनु.)
33. डीबीस रिसर्च सेंटर
34. डा. रेड्डीस लेबोरेटरीज लि.
35. डूफर इंटर फ्रांन लि.
36. इयरनेस्ट हेल्थकेयर लि.
37. ईस्ट इण्डिया फार्मास्यूटिकल्स
38. इल्डर फार्मास्युटिकल्स लि.
39. इन्जो-केम लेबोरेटरीज प्रा. लि.
40. एस्केफ लि.
41. ई. मेंरक (इण्डिया) लि.
42. एफ. डी. सी. लि.
43. फ्रान्स—इण्डियन फार्मास्युटिकल्स
44. ग्लैक्सो इंडिया लि.
45. ग्लोब आर्गेनिक्स लि.
46. गुफिक लि.
47. हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स
48. हिन्दुस्तान एंटिबाय्योटिक्स लि.
49. हिन्दुस्तान सीवा-गिगी लि.
50. हिरमेथी केमिकल्स लि.
51. हि-मेडिया लेबोरेटरीज प्रा. लि.
52. हैक्स्ट इण्डिया लि.

क्र.सं. फर्म का नाम

53. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
54. इण्डियन हर्बस रिसर्च
55. इंडो-फार्मा फार्मास्युटिकल्स.
56. इंफार (इंडिया) लि.
57. आई पी सी ए लेबोरेटरीज प्रा. लि.
58. जगसन पाल फार्मास्युटिकल्स लि.
59. जयन्त विटामिन्स लि.
60. जॉनसन एण्ड जॉनसन लि.
61. जे. मितरा एण्ड ब्रा. प्रा. लि.
62. कानफा लेब्स.
63. केरल स्टेट ड्रग्स
64. खण्डेलवाल लेबोरेटरीज
65. कोडी मेडिकल इलेक्ट्रोनिक्स लि.
66. कोपरान लि.
67. कोरस (इंडिया) लि.
68. लेकमी लि.
69. लेंज लेब्स.
70. लि टाका फार्मास्युटिकल्स लि.
71. लूपिन लेबोरेटरीज लि.
72. लायका लैब्स प्राइवेट लि.
73. महाऋषि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स
74. मालाडी. ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स
75. मैक्सा इण्डिया लि.
76. मेडले लेबोरेटरीज प्रा. लि.
77. मेहता फार्मा. प्रा. लि.
78. मेरिडियन फार्मास्युटिकल्स.
79. मेरिण्ड लि.
80. मेट्रोनी ड्रग्स प्रा. लि.
81. माइल्स इण्डिया लि.
82. एम. जे. इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च

क्र.सं. फर्म का नाम

83. नन्दी केमिकल्स प्रा. लि.
84. नेटको फाइन फार्मा.
85. नेशनल एविन हेल्थ लेब्स.
86. नियोलेण्ड लेबो. लि.
87. निटसोन लेबोरेटरी
88. निवेदिता केमिकल्स प्रा. लि.
89. एन. आर. नेट एंटरप्राइजिज लि.
90. ओरियन्टल केमिकल्स वर्क्स (प्रा.) लि.
91. पार्क-डेविस (इण्डिया) लि.
92. प्ररसेम ड्रग्स एन्ड फार्मा.
93. फिमेक्स इंटरनेशनल लि.
94. फाइजर लि.
95. प्लांट फार्मा प्रा. लि.
96. पोलीफार्मा प्रा. लि.
97. प्रोक्टर एण्ड गेम्बल इण्डिया लि.
98. रालीस इण्डिया लि.
99. रेनबैक्सी लेबोरेटरीज लि.
100. रेप्टाकोस ब्रेट. एण्ड कं. लि.
101. आर. सी. ए. फार्मा. लि.
102. रेकिड एण्ड कॉलकन ऑफ इण्डिया लि.
103. रोहने दोलेन्क (इंडिया) लि.
104. रोस प्रोडक्टस लि.
105. रसल इंडिया लि.
106. एस. ए. एफ. यीस्ट कम्पनी लि.
107. सेन्डोज (इन्डिया) लि.
108. साराभाई एम. केमिकल्स रिसर्च
109. सियरले (इंडिया) लि.
110. सेखसराया केमिकल्स प्रा. लि.
111. शाहसुन केमिकल्स (मद्रास) लि.
112. श्री धूतापापेश्वर लि.
113. श्री शमा पराइन केमिकल्स × प्रा. लि.

क्र.सं. फर्म का नाम

114. श्रीस लि.
115. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट
116. तोल फार्मास्युटिकल्स लि.
117. साउथ इन्डिया रिसर्च इंस्टि.
118. स्टेन्डर्ड ओर्गेनिक्स लि.
119. स्टेन्डर्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
120. स्टेन्डर्ड रिसर्च सेन्टर
121. स्टेनगेर इमुनो डाइग्नोस्टिक्स
122. स्टेलर केमिकल्स लेब्स. प्रा. लि.
123. सन फार्मास्युटिकल्स इन्डस्ट्रीज
124. सानबायोटिक्स लि.
125. एस. डी. फाइन केमि. प्रा. लि.
126. टेब्लेटस (इन्डिया) लि.
127. तमिलनाडु ढाढा फार्मास्युटिकल्स
128. थेमिस केमिकल्स लि.
129. टी. टी. के. फार्मा. प्रा. लि.
130. यूनिकेम लेबोरेट्रीज लि:
131. यूनिक केमिकल्स (डिवी. ऑफ जे. बी.)
132. यूनिक फार्मास्युटिकल्स
133. यूनि-सायंको लि.
134. यू. एस. विटामिन्स (इन्डिया) लि.
135. वालेस फार्मास्युटिकल्स लि.
136. वैंडर लि.
137. वॉक्हार्ट लि.
138. वैथ लेबोरेटरीज लि.
139. झन्डू फार्मास्युटिकल्स वर्क्स ।

**श्री धर्मपालसिंह मलिक :** भेषज विकास के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बोलबाला है, जिसके कारण विदेशी अनुसंधान पर निर्भरता बढ़ गई है। (व्यवधान) इसीलिए जीवन रक्षक दवाईयों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि देश की लगभग 80 प्रतिशत आबादी विशेषकर मजदूरों और किसानों की पहुँच से बाहर हो गई है। इसलिए क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह जान सकता हूँ कि भेषज उद्योग में मौलिक अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोई नीति बनाई

है, ताकि जीवन रक्षक दवाईयों की कीमतें कम हो सकें तथा दवाईयां बाजार में हर समय उपलब्ध हों गरीबी को रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले रोगियों को जीवन रक्षक दवाइयां मुफ्त मिलती है।

**डा० चिन्ता मोहन** : महोदय, दवाइयों की कीमतें तथा अनुसंधान दो समानान्तर बातें हैं। हमारे देश में और अधिक अनुसंधान कार्य जारी है। आज हम अपनी कुल बिक्री का दो प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। 1948 में औषधि उद्योग की कुल बिक्री लगभग दस करोड़ रुपये थी। आज यह 4,200 करोड़ रुपये है, इस उद्योग ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की है और अब यह काफी अच्छा चल रहा है।

जहां तक इन दवाइयों के मूल्यों का सम्बन्ध है सभी कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं। प्रधानमन्त्री बहुत दयालु हैं। वह गरीबों की समस्याएँ जानते हैं। वह पीड़ित लोगों की समस्यायें भी जानते हैं। वह दवाइयों की कीमतें नियन्त्रित रखने में सक्षम हैं। अन्यथा, छः महीने पहले से, दवाइयों के मूल्य बढ़ चुके होते। हम एक नीति तय करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आने वाले कुछ दिनों में औषध उद्योग के बारे में एक पूर्व पीठिका टिप्पणी पर चर्चा करेंगे। इस बारे में हम सभा के विचार लेना चाहेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि क्या आपका मूल अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का विचार है। मेरे विचार से, आप प्रोत्साहन दे रहे है।

**डा० चिन्ता मोहन** : हम अनेक सुविधाए दे रहे हैं। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे विज्ञान मंत्रालय से यह जानकारी मिली है।

**डा० चिन्ता मोहन** : आज सरकार अनेक प्रोत्साहन दे रही है।

**अध्यक्ष महोदय** : आयकर में छूट सम्बन्धी भी।

**डा० चिन्ता मोहन** : नवीनतम अनुसंधान और विकास के माध्यम से उत्पादन लागत में छूट के लिए हम निर्माताओं को लाभ में से 50 प्रतिशत दे रहे हैं। हमने दवाइयों की अधिकतम सीमा को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत कर दिया है। दवाई मूल्यों के लिए मूल्य प्रक्रिया है। हम नीति को उदार बना रहे हैं। हम इसे पांच वर्षों से मुक्त दे रहे हैं। वित्त मंत्रालय आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध करा रहा है। वह बहुत सी कर रियायतें भी दे रहा है। हम अनुसंधान और विकास को बहुत सी सुविधाएं दे रहे हैं।

**श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : मेरे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में, माननीय मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि सरकार को भेषज कम्पनी की किसी अनुसंधान और विकास इकाई के बन्द होने की जानकारी नहीं है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की जानकारी है कि अधिकतर फैक्टरियों बन्द हो गई हैं। सरकार के पास मैसर्स सारा भाई के बारे में भी रिपोर्ट है।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं नहीं कृपया किसी एक विशेष उद्योग के बारे में प्रश्न न पूछिये यह मूल अनुसंधान के बारे में प्रश्न है।

**श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : महोदय, जी हां, यह बहुत व्यापक प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय :** सामान्य से विशिष्ट की ओर या विशिष्ट से सामान्य की तरफ न जाइये।

**श्री धर्मपालसिंह मलिक :** मेरे प्रश्न का भाग (ख) का माननीय मन्त्री पहले ही उत्तर दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कोई फैक्टरी बन्द नहीं हुई है। लेकिन ऐसी बहुत सी इकाइयां है जो बन्द हो चुकी है।

मेरे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मन्त्री जी ने निम्नलिखित उत्तर दिया है।

"भेषज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए औषध नीति की पुनरीक्षा के भाग के रूप में अनेक सुझावों की जाँच की जा रही है।"

क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि वे कौन से सुझाव हैं। क्या वे कुछ जन प्रतिनिधियों इस उद्योग के कुछ प्रतिनिधियों और कुछ अधिकारियों की कोई एक ऐसी समिति बनाने का विचार रखते हैं, जो इन सुझावों की जांच कर सके, ताकि जीवन रक्षक दवाइयों के मूल्य कम रखे जा सकें और यह उद्योग बन्द न हो जाए।

**डा० चिन्ता मोहन :** हमें जानकारी मिली है कि एक कम्पनी सीबा गेजी है। इस कम्पनी ने हाल में नहीं, बल्कि 1986 में अपने मूल अनुसंधान को बन्द कर दिया था।

साराभाई केमिकल्स जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं इसमें साझेदारी की समस्या है। यह एक लिमिटिड कम्पनी है इसमें दो या तीन लोगों के बीच झगड़ा है। वे सब अलग हो गये हैं और कम्पनी अब बन्द होने के कगार पर है। इसमें सरकार की नीतियों का कुछ लेना-देना नहीं है।

माननीय सदस्य ने समितियों के बारें में पूछा है। हम शीघ्र ही संसद के विचार प्राप्त करने वाले हैं और इस बारे में हमने संसद के सभी पक्षों के सभी सदस्यों को अपने सुझाव देने के लिए बुलाया है। यदि सुझाव महत्वपूर्ण और अच्छे हुए तो हम उनके सुझावों को अपनी नीति में शामिल कर लेंगे।

**श्री राम नाईक :** महोदय, उत्तर के भाग (घ) में तथा अभी-अभी मंत्री ने कहा है कि हिन्दुस्तान सीबा गेजी ने अपना अनुसंधान कार्य बन्द कर दिया है। बम्बई में गोरे गाँव मेरे घर से केवल आधा किलोमीटर दूर है। उन्होंने सभी फायदे उठाने के लिए सरकार से भूमि लेली है। उन्होंने आय कर छूट के माध्यम से बहुत सी रियायतें ले ली हैं और अब उन्होंने इसे बन्द कर दिया है तथा वैज्ञानिकों को नौकरी से निकाल दिया है अतः मेरा प्रश्न उन वैज्ञानिकों के पुनर्वास और कम्पनी को प्राप्त भूमि के बारे में भी है। उनकी विभिन्न सम्पत्तियों को कम से कम उन वैज्ञानिकों को दिया जाना चाहिए और विशेषतया भूमि सरकार को वापिस ले लेनी चाहिए। कम से कम इतना जरूर किया जाना चाहिए कि उन वैज्ञानिकों को, जो वहाँ काम करते थे, वह भूमि अपने घर बनाने के लिए दे दी जाये। कम से कम ऐसा करने से उनको भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। क्या सरकार कुछ करने के लिए पहल करेगी।

**डा० चिन्ता मोहन :** सीबा गेजी एक प्राइवेट कम्पनी है। इस समय इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है।

**श्री राम नाईक :** सरकार ने उनके लिए भूमि का अधिग्रहण किया है और यह उन्हें दे दी है।

**डा० चिन्ता मोहन** : गुजरात सरकार इन बातों पर विचार कर रही है ।

**श्री राम नाईक** : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने यह कहते हुए उत्तर दिया कि यह एक प्राइवेट कम्पनी है और वह गारन्टी नहीं दे सकते हैं ।

**श्री राम नाईक** : जी नहीं, महोदय यह एक प्राइवेट कम्पनी नहीं है । यह एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है.....(**व्यवधान**).....प्रश्न का गलत अर्थ न लगाइए। उन्हें सरकार से रियायतें मिली हैं । उन्होंने सरकार से भूमि प्राप्त की है ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह अलग बात है ।

**श्री राम नाईक** : जब उन्होंने अपना अनुसंधान कार्य बन्द कर दिया है तो वास्तव में सम्पति किसको मिलनी चाहिए ? वास्तविक सम्पत्ति कम से कम श्रमिकों को दी जानी चाहिए जो वहां काम करते थे और सरकार को इसकी जाँच करनी चाहिए। इसी बात पर मैं जोर दे रहा हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैं प्राइवेट कम्पनी से भूमि लेकर श्रमिकों को देने के प्रश्न की अनुमति नही दे रहा हूं यह बात अनुसंधान एवं विकास संबंधी विषय से हटकर है ।

(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : आप कृपया मंत्री जी से मिलिए । इस तरह नहीं ।

**श्री राम नाईक** : महोदय, सरकार ने भूमि का अधिग्रहण किया था ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह अनुसंधान और विकास से सम्बंधित नहीं है । यह भूमि से संबंधित है ।

**श्री राम नाईक** : यह भूमि अनुसंधान और विकास के लिए दी गई है ।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया इस तरह तर्क-वितर्क न कीजिए, श्रीमती गीता मुखर्जी ।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : चूंकि मूल अनुसंधान का उद्देश्य एक ऐसा नया रसायन बनाना है, जिसका उपयोग रोगों के प्रभावी उपचार के लिए किया जा सके, तो क्या सरकार इस अनुसंधान कार्य को अपने हाथ में लेने के विषय पर विचार कर रही है और क्या ऐसे प्रतिष्ठानों को राज-सहायता दी जाएगी- जो औषधियों के मूल्य को बढ़ाये बिना यह मूल अनुसंधान-कार्य करेंगे ।

**डा० चिन्ता मोहन** : हमारे देश में बहुत सी अनुसंधान प्रयोगशालाऐं हैं ; लखनऊ में राष्ट्रीय औषध संस्थान है, पुणे में एक अन्य संस्थान है । दिल्ली में भी एक संस्थान है, वे सभी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं । इस समय, यह उद्योग, जो अपनी बिक्री का केवल दो प्रतिशत खर्च कर रहा है और देश के बाहर बिक्री का लगभग 15 प्रतिशत खर्च हो रहा है । बाहर से एक अणु को प्राप्त करने के लिए, लोग लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं । वे चिन्ता नहीं करते और वे निवेश करते जा रहे हैं लेकिन वे काफी काम कर रहे हैं । वास्तव में हमारे देश की 25 प्रतिशत जनता आज एलोपैथिक दवाइयों पर निर्भर है तथा 75 प्रतिशत जनता भारतीय देसी दवाइयों जैसी युनानी आयुर्वेदिक, सिद्ध तथा अन्य पद्धतियों पर निर्भर करती है । आपकी अनुमति से मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं । पीलिया जैसे रोग के लिए लोग इलाज कराने साधारण आदमी

के पास जाते हैं वह एक छोटी सी पत्ती दे देता है और वे ठीक हो जाते हैं। जब वे एलोपैथिक दवाइयों से इलाज कराते हैं तो उन्हें काफी धन खर्च करना पड़ता है। इसी तरह सांप काटने के मामले में भी होता है। सांप काटने के तुरन्त बाद लोग गांव के किसी झाड़ फूंक करने वाले आदमी के पास इलाज के लिए ले जाते हैं। वह एक छोटी नीम की पत्ती लेते हैं और इससे कुछ करते हैं और रोगी ठीक हो जाता है। हमारे देश में इस प्रकार की देसी दवाइयां मिलती हैं। लोग इन देसी तकनीक का विदेशों में निर्यात कर रहे हैं।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या देसी दवाइयों के लिए भी, बुनियादी अनुसंधान हो रहे हैं ?

**डा० चिन्ता मोहन** : विदेशी लोग हमारे देश से परम्परागत तकनीक को ले रहे हैं और इसे अणु रूप में रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज लोग कम मूल्य पर दवाइयां लेना चाहते हैं ; निर्माता अधिक लाभ कमाना चाहते हैं ; और सरकार दोनों के बीच संतुलन बनाये रखने का प्रयास करती है। आगामी नीति में हम संसद के और सरकार के विचारों को भी शामिल करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम अगले प्रश्न को लेंगे।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य मंत्री जी से और अधिक जानकारी चाहते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया यह है कि आधे घंटे की चर्चा के लिए नोटिस दिया जाए और-फिर चर्चा की जाए। आपको महसूस करना चाहिए कि हमने केवल दो प्रश्नों पर 25 मिनट खर्च कर दिये हैं। हम मुश्किल से चार प्रश्न ले पायेंगे और अन्य प्रश्न भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

**डा० असीम बाला** : महोदय, यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइये। आप किसी को इस तरह बाध्य नहीं कर सकते। मैंने बताया है कि हमने केवल दो प्रश्नों पर ही 25 मिनट लगा दिये हैं। आप इस तरह इसे नहीं उठा सकते। आप एक नोटिस दीजिए और फिर मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाइये।

**परामर्श-सेवा विकास केन्द्र**

*513. **श्री नवल किशोर राय** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी०एस०आई०आर० के अन्तर्गत गठित परामर्श-सेवा विकास केन्द्र (कॉनसलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर) के सदस्य कौन कौन हैं और इसके विचारणीय विषय क्या क्या हैं;

(ख) इस केन्द्र के लिए अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इसने कितनी धनराशि खर्च की है तथा यदि कोई लाभ हुआ है तो कितना हुआ है;

(ग) क्या यह केन्द्र रिक्त पदों पर नियुक्तियों और भर्ती सम्बन्धी परिपत्रों को डी०एस०टी० विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा अनुसंधान और विकास जैसे अन्य संस्थानों में व्यापक रूप से परिचालित करता है;

(घ) क्या इस केन्द्र के कार्यकरण की जांच के लिए तथ्यों का पता लगाने वाली एक समिति का गठन करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संम्बधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिक्स तथा महासागर विकास विभाग) में राज्यमन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम)** :(क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

**विवरण**

(क) परामर्श-सेवा विकास केन्द्र (कंसलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर) (सी०डी०सी०) सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत 1986 में पंजीकृत एक सोसाइटी है । इसका मुख्य उद्देश्य देश में परामर्श सेवा को बढ़ाना और मजबूत करना है ।

(ख) वर्ष 1986 में इसके प्रारम्भ से, इसको कुल राशि लगभग 2 करोड़ रुपए दी गई है, जिसमें पूंजी, आवर्ती और कार्यक्रम समर्थन (सपोर्ट) शामिल हैं । विगत तीन वर्षों के दौरान सी०डी०सी० के राजस्व व्यय के लिए वार्षिक आवंटन ( नियतन ) की राशि वर्ष 1989-90 में 11.22 लाख रुपए, वर्ष 1990-91 में 13 लाख रुपए और वर्ष1991-92 में 15 लाख रुपए हैं । केन्द्र ( सी० डी० सी० ) द्वारा आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर हुए लाभ का हाल ही में विश्लेषण किया गया और बहुत ही सन्तोषजनक पाया गया । लाभ की आंतरिक दर (मूल्य) 25 प्रतिशत से अधिक है ।

(ग) सी०डी०सी० के समस्त तकनीकी पदों को आमतौर पर देश के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाता है । डी० एस० टी०, डी० जी० टी० डी०, डी० ओ० टी०, अन्य आर० एण्ड डी० और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने अतीत में ऐसे रिक्त पदों के लिए आवेदन किया है ।

(घ) से (च) चूंकि, केन्द्र ( सी०डी०सी० ) जनशक्ति, स्थान (स्पेस) और निधियों के बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और केन्द्र ( सी०डी०सी० ) ने अपने अस्तित्व के अल्प समय में ही अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, इसलिए वहां कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है । यह देश में अपनी तरह का एक मात्र केन्द्र है और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय विकास विशेषकर ई. एस. सी. ए. पी. क्षेत्र के लिए मॉडल के रूप में इसे मान्यता प्रदान की गई है । जहां प्रतियोगिता, गुणवत्ता और निर्यात जैसे कुंजी शब्द ( की वर्डस ) हैं, वहां भारतीय अर्थ व्यवस्था के प्रारम्भ करने के सन्दर्भ में हमारी औद्योगिक गतिविधियों में अधिकाधिक व्यवसायिक निवेश की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमारे सम्मुख प्रौद्योगिकीय रूपान्तरण (संरचनान्तरण) में परामर्श सेवा की बहुत ही अहम् भूमिका है। चूंकि, इस प्रक्रिया में सी०डी०सी० की प्रमुख भूमिका अदा करने की आशा की जा रही है, इसलिए इसको सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है और आठवीं पचवर्षीय योजना के दौरान इस एक मात्र (अनूठे) संगठन को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग ( डी० एस० आइ० आर० ) द्वारा हर प्रकार का समर्थन प्रदान किया जायेगा ।

[हिन्दी]

**श्री नवल किशोर राय** : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है, जिसमें सी.डी.सी. के सदस्यों के बारे में उत्तर नहीं दिया गया है । माननीय प्रधानमन्त्री जी भी बैठे हैं, मैं अपनी

चिंता जताना चाहता हूं कि साइंस एण्ड टेक्नालाजी विभाग में 760 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और सी०डी०सी० के कार्य में 260 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन आप प्रश्न नहीं पूछते हैं। आप प्रश्न पर आइए।

**श्री नवल किशोर राय** : अध्यक्ष महोदय, मेरी चिंता इस बात के लिए है कि सी०डी०सी० जो कार्य कर रहा है, वही कार्य अन्य लेबोरेटरीज में भी हो रहा है। पूरे देश में 50 के लगभग लेबोरेटरीज हैं, जो पचासों वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। वही काम लेबोरेटरीज में किया जाता है, वही काम एन०आर०डी०सी० द्वारा किया जाता है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपका प्रश्न यही है न कि जो डुप्लीकेशन आफ वर्क है, उसको दूर किया जायेगा ?

**श्री नवल किशोर राय** : मेरा प्रश्न यह है कि सी०डी०सी० के सदस्यों द्वारा जो विदेशों में घूमने का काम किया जाता है, क्या उसको बन्द कर अपव्यय रोका जायेगा और लेबोरेटरीज के जरिए इस काम को कराया जायेगा ? या नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कारपोरेशन से इस कार्य को लेकर इस अपव्यय को रोका जायेगा यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ?

• [अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप इसमें आने वाली द्विरावृत्ति से बच रहे हैं।

**श्री रंगराजन कुमारमंगलम** : महोदय, मैं समझता हूं कि वास्तव में माननीय सदस्य यह नहीं समझ पाए हैं परामर्श-सेवा विकास केन्द्र का सृजन क्यों किया गया है। मैं समझता हूं कि उन्हें इसके बारे में बताना मेरा कर्तव्य है। भारत सरकार का प्रौद्योगिकी नीति संबंधी वक्तवय और तदन्तर प्रौद्योगिकी नीति कार्यान्वयन समिति ने भारत में परामर्श संबंधी क्षमताओं का समर्थन करने एवं सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक उपायों एवं तन्त्रों को विकसित करने पर बल दिया। यह शोध क्षमता नहीं है ; यह परामर्श क्षमता है और इन सिफारिशों के अनुशरण में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग अप्रैल 1985 से परामर्श सेवा के संवर्धन और समर्थन से संबंधित एक योजना लागू कर रहा है। 1986 में परामर्श-सेवा विकास केन्द्र का सृजन हुआ और अब तक इस प्रयोजन पर केवल 2 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। वास्तव में ! मुझे यह बताते हुए गर्व है कि इस संगठन को एशियन और प्रशान्त आर्थिक तथा सामाजिक आयोग ने अपने हाथ में ले लिया है और इतनी अल्प अवधि में एशिया और प्रशान्त से संबंधित तकनीकी परामर्श और विकास कार्यक्रम के लिए इस संस्था की एक शीर्ष निकाय के रूप में सिफारिश की गई है। इसका अनुसंधान और द्विरावृत्ति से कोई लेना-देना नहीं है।

राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम एक ऐसा संगठन है जो प्रयोगशाला और कार्यक्षेत्र अथवा कारखाने के बीच एक सम्पर्क स्थापित करता है। वे सृजित की गई प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला में ले जाते हैं। वाणिज्यीकरण के लिए वे उद्यमियों की सहायता करते हैं ताकि उक्त प्रौद्योगिकी को खपाया जा सके। यह देश में परामर्श क्षमता विकसित करने वाले परामर्श संगठन से अलग है।

[हिन्दी]

**श्री नवल किशोर राय** : अध्यक्ष महोदय, सी. डी. सी. के संबंध में माननीय मंत्री जी ने पुनः बताने का कार्य किया । हम आपके जरिए बताना चाह रहे थे कि सी. डी. सी. का जो कंसल्टैंसी का काम है, उन्होंने पांच-छः वर्ष पूर्व सोसाइटी एक्ट के तहत् संगठन गठित किए, इन संगठनों ने देश-विदेश में भ्रमण के सिवाए कुछ काम नहीं किया, जो अपव्यय है । लेकिन माननीय मंत्री जी सी. डी. सी. की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं । हम चिन्ता जताते रहे हैं और आज भी जताना चाहते हैं कि इसमें जो भी कार्य हुआ है वह नाममात्र का हुआ है, अपव्यय हुआ है ।

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि नियुक्ति के सवाल पर जो माननीय मंत्री जी ने बताया वह स्पष्ट नहीं है । केवल तकनीकी पदाधिकारियों की नियुक्ति के बारे में इन्होंने बताया । हम विस्तार से नीचे से ऊपर तक सी. डी. सी. में जितनी नियुक्तियां की गयी हैं उनके बारे में, नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं । आपके जरिए यह भी जानना चाहते हैं कि पिछले 5-6 वर्षों में कितने लोगों को अखबारों में विज्ञापन देकर इस प्रक्रिया के तहत् नियुक्त किया गया ? एस. सी. और एस. टी. के लिए क्या रिजर्वेशन का पालन किया गया ? यदि किया गया है तो कितने प्रतिशत नीचे से ऊपर तक एस. सी. और एस. टी. के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है ?

[अनुवाद]

**श्री रंगराजन कुमार मंगलम्** : महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य को यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि सभी नियमित नियुक्तियां समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा की जाती हैं जिनकी चयन समिति द्वारा सत्य जांच की जाती है । लगभग एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबन्ध आधार पर लिए जाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में अल्पकालीन तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं । लेकिन यदि नियुक्ति एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए हो तो इसका विज्ञापन समाचार पत्रों में दिया जाता है और नियमित नियुक्ति के लिए तदर्थ नियुक्ति वाले अधिकारियों को भी उक्त विज्ञापन के माध्यम से ही आवेदन करना होता है । अतः इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है ।

हमारे पास एक अवैतानिक महानिदेशक होता है । उसके बाद हम नियमित महानिदेशक की नियुक्ति करते हैं । इसकी नियुक्ति विज्ञापन के माध्यम से की गई है । केवल एक कार्यक्रम में सचिवालीय सहायता दी जाती है इस संगठन में हमारे पास इतने अधिक कर्मचारी नहीं हैं । वास्तव में यह एक ऐसी संस्था है जिसका प्रशासन लम्बा चौड़ा नहीं है हमारी एक छोटी सी संस्था है और इसी से हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है । **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आपको इस तरह की पद्धति नहीं अपनानी चाहिये ।

**श्री रमेश चेन्निथला** : अल्पावधि में ही परामर्श सेवा विकास केन्द्र ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित करली है । क्या यह बात सही है कि इस संगठन को धनराशि के अभाव का सामना करना पड़ रहा है । इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस संगठन के कार्यकरण को सरल और कारगर बनाने तथा इसके समुचित संचालन के लिए और अधिक धनराशि देने हेतु कोई कदम उठाए हैं ?

**श्री रंगराजन कुमारमंगलम** : महोदय, यहां माननीय सदस्य से मेरा मतभेद है । वास्तव में

1988-89 में हमने कार्यक्रम सहायता, आवर्ती सहायता और पूंजीगत सहायता के लिए लगभग 50 लाख रुपए दिये थे। इसके उपरान्त 1990-91 में हमने पूंजीगत सहायता के लिए 40 लाख रुपए आवर्ती सहायता के लिए 13 लाख रुपए और अन्य सहायता राशि के रूप में 8-9 लाख रुपए दिये। 1991-92 में हमने 15 लाख रुपए कार्यक्रम सहायता और 15 लाख रुपए आवर्ती सहायता के लिए दिए। हम इसके प्रति पूरी तरह सचेत हैं। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि परामर्श-सेवा विकास केन्द्र को धनराशि की कोई कमी नहीं होगी।

[हिन्दी]

**श्री मोहन सिंह** : अध्यक्ष महोदय, भारत जैसे विकासशील देश के लिए इस तरह के परामर्श सेवा विकास केन्द्रों की विशेष आवश्यकता है और ऐसी हालत में मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें इस संगठन को केवल 11 लाख, 13 लाख और 15 लाख की हर साल की सहायता होती है। इतनी अल्प अपनी आय के स्रोत से कोई संस्था अच्छे ढंग से कैसे काम कर सकती है। मन्त्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में अन्त में लिखा है "डिपार्टमेंट आफ साइंस एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च," इसके लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष सहायता देने की एक योजना का प्रारूप बनाया हुआ है, मैं मन्त्री जी से साफ तौर पर जानना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में परामर्श सेवा केन्द्रों का विस्तृत करना तो क्या इसके संगठन को जो प्रदेश की सभी राजधानियां हैं जो औद्योगिक दृष्टि से जो विकसित नगर हैं उन सभी नगरों में इस परामर्श सेवा केन्द्र को फैलाने और विकसित करने के बारे में आठवीं पंचवर्षीय योजना में विस्तृत ऐसी कोई योजना है तो उस पर कितना व्यय करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

**श्री रंगराजन कुमारमंगलम** : महोदय, परामर्श-सेवा विकास केन्द्र ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मैं नहीं समझता कि इसमें कभी धनराशि का अभाव रहा है। परामर्श सेवा विकास केन्द्र की धारणा केवल परामर्श देने की ही नहीं है, बल्कि परामर्श की अवधारणा को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना भी है, और यह सुनिश्चित करना भी है कि लघु उद्योगों और अन्य प्रयोजनों के लिए अधिक से अधिक परामर्शदाता लोग उपलब्ध हों, ताकि प्रौद्योगिकी रूपान्तरण उत्पादन के रूप होता रहे।

महोदय, हमने लगभग 2000 परामर्शदाताओं के लिए एक कम्प्यूटरीकृत 'डाटा बेस' स्थापित किया है। हमने विशेष विषयों और संगठनों के सम्बन्ध में 28 सम्पर्क कार्यक्रम, 19 क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, 8 अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, 15 विशेष व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित करवाए हैं। हमने इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया है। हमने परामर्श पुरस्कारों की व्यवस्था की है। हमने 20 से अधिक अध्ययन तैयार कराए हैं। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी और परामर्श सेवाओं के वाणिज्यीकरण के बारे में भावी कार्यकलापों, मौजूदा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापना हेतु परामर्श सेवा और नियात बाजार शुरू किया जाएगा। सूचना प्रणाली को विस्तृत एवं सुदृढ़ किया जायेगा। अन्य स्थानों की शाखाओं में ऐसा होने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि, हम ऐसा नहीं समझते कि वास्तव में वहां इसकी आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता तो इस बात की है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि परामर्शदाताओं के बारे में जानकारी के सम्बन्ध में

अधिकाधिक परामर्श सेवाएं उपलब्ध हो और जिन्हें परामर्श की आवश्यकता है, उन्हें इस बात की जानकारी मिल सके कि अमुक क्षेत्र में कौन सा परामर्शदाता उपलब्ध है।

आठवीं पंच वर्षीय योजना में निवेश का जहां तक सम्बन्ध है, इसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है। जब भी मेरे पास इस सम्बन्ध में आकड़े उपलब्ध होंगे, मैं आपको बता दूंगा।

[हिन्दी]

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने कानसलटेंशी के बारे में जिक्र किया है। जो कंसल्ट करने वाले हैं वे इस चीज को जानते थे, मैं जानना चाहता हूं कि अपने देश के अन्दर जो इंडस्ट्रीज एस्टेबलिश हो रही हैं और उनमें जो कंसलटेंशी की जरूरत है तो इसमें कितनी परसेंट बाहर की कंपनियां यहां कंसलटेंशी का काम कर रही हैं। इन्होंने जिक्र किया कि हिन्दुस्तान से बाहर जो कंसलटेंशी का काम मिल रहा है तो इंटरनेशनल पैमाने पर जो बड़ी कंसलटेंशी फर्म हैं उसके मुकाबले में हमारी जो कंसलटेंशी फर्म्स हैं उनकी क्या पोजीशन है

[अनुवाद]

**श्री रंगराजन कुमार मंगलम** : जैसा कि मैंने बताया, परामर्श सेवा विकास केन्द्र मुख्यः देश में परामर्श सेवा को प्रोत्साहन देने वाली संस्था है। यह ऐसा संगठन नहीं है जो वाणिज्यिक रूप से लोगों को परामर्श सेवा देता हो। लेकिन वास्तव में मुझे इस बात का गर्व है। कि भारत में बहुराष्ट्रीय परामर्श सेवा फर्मों से तुलना करने पर, कई फर्में इस प्रतिस्पर्द्धा में आ सकती हैं और वास्तव में अच्छी परामर्श सेवा उपलब्ध करा सकती हैं और यही कारण है कि एशिया और प्रशान्त आर्थिक तथा सामाजिक आयोग ने हमारे कार्यक्रम को काफी आकर्षक कार्यक्रम माना है।

[हिन्दी]

**श्री सत्य नारायण जटिया** : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने सी. डी. सी. को परामर्श सेवा विकास केन्द्र कहा है। यह पिछले पांच वर्षों से परामर्श का काम करती चली आ रही है। इससे जो उपलब्धियां हुई हैं उनके परिणाम प्राप्त हुए हैं, उसकी तुलना में इसका विकास करने का उद्देश्य से जो आगामी योजना है उसके बारे में कहा है कि हम उसका प्लान करने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं यह जो उपलब्धियां हैं या जो परिणाम हैं क्या ये संतोषजनक हैं और यदि हैं तो इनका लाभ कितने लोगों को प्राप्त हुआ है ?

[अनुवाद]

**श्री रंगराजन कुमार मंगलम** : मैं ऐसी कई परामर्श सेवाओं के बारे में बता चुका हूं जिन्हें 'डाटा बेस' में समाविष्ट कर दिया गया है और जिन परामर्शदाताओं के नाम 'डाटा बेस' में अंकित हैं उनसे परामर्श सेवाएं प्राप्त करने के इच्छुक उद्यमी सम्पर्क करते हैं और उनके परामर्श से लाभ उठाते हैं।

हमने विकास केन्द्रों के कार्यकलापों का आंतरिक मूल्यांकन किया है, और इनमें निवेश पर प्राप्त प्रतिफल का मूल्यांकन बड़ी विस्तृत पद्धति से किया गया है जो लगभग 25 प्रतिशत बैठता है। वाणिज्यिक कार्यकलापों के रूप में यह प्रतिफल काफी अच्छा है।

**आठवीं योजना के लिए धन**

*514. **डा. आर. मल्लू** : क्या योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता बहुत हद तक अनिवासी भारतीयों के निवेश सहित, बड़े पैमाने पर धन उपलब्ध कराने पर निर्भर करेगी,

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इस तरह का कोई आंकलन किया है कि आठवीं योजना के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा कितना पूंजी निवेश किये जाने की संभावना है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) जी, हाँ ।

**(ख) और (ग)** आठवीं योजना अवधि के दौरान कुल सकल घरेलू निवेश 1991-92 की कीमतों पर 798,000 करोड़ रुपए का होगा जिसमें से बाह्य स्रोतों से 55,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है । अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों से निवल प्राप्तियों के रूप में 3000 करोड़ रुपए तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा अन्य पूंजी प्रवाह के रूप में 21300 करोड़ रुपए मिलने की आशा है । अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश प्रत्यक्ष निवेश, पोर्ट फोलियो निवेश, तथा जमा राशियों के रूप में होगा ।

**[अनुवाद]**

**डा० आर. मल्लू** : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अब तक हुए अनिवासी भारतीय निवेश का उद्योग-वार और राज्य-वार ब्यौरा तथा इसके परिणाम स्वरूप अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए उत्पन्न रोजगार के अवसरों सहित कुल रोजगार का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी ?

**श्री सुख राम** : हमारी अर्थव्यवस्था में अनिवासी भारतीयों द्वारा किया गया निवेश दो प्रकार का है, (1) वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि, 1985-86 से 1991-92 तक यह जमा राशि 6,470 करोड़ रुपए थी ? और इक्विटी शेयर तथा पोर्टफोलियो निवेश, 1986 से आगे प्रतिवर्ष 250 से 300 करोड़ रुपए की परियोजना निवेश की मंजूरी दी गई है ।

जहां तक राज्य-वार तथा उद्योग-वार रोजगार एवं अन्य बातों का सम्बन्ध है, यह जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है । यदि यह जानकारी उद्योग मंत्रालय के पास उपलब्ध हुई तो मैं वहां से प्राप्त करके माननीय सदस्य को बता दूंगा ।

**डा० आर. मल्लू** : क्या भविष्य में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने सहित उद्योग-वार और राज्य-वार अनिवासी भारतीय निवेश का कोई अनुमान लगाया गया है ।

क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अनिवासी भारतीय निवेश आयात प्रतिस्थापन के रूप में अनिवार्य, भारी अथवा हल्के प्रमुख उद्योगों के लिए किया जाये, न कि सामान्य आकर्षक उपभोक्ता वस्तुओं के लिए, जिनका यह देश विकास के इस मोड़ पर वहन नहीं कर सकता ।

**श्री सुखराम** : योजना आयोग ने यह सब वर्गीकरण नहीं किया है । लेकिन उद्योग-वार और राज्य-वार अनिवासी भारतीय निवेश का विवरण उपलब्ध नहीं है । लेकिन जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है इस देश में 21,300 करोड़ रुपए विदेशी निवेश के रूप में आएगा ।

अनिवासी भारतीय निवेश की भागीदारी का ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है । एक प्रोत्साहन योजना है जिसके अन्तर्गत वे अपनी पूंजी शतप्रतिशत को स्वदेश भेज सकते हैं, यदि वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और रुग्ण उद्योगों में पूंजी लगाएं । इस प्रकार कई अन्य प्रोत्साहन दिए गए हैं । इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे उन क्षेत्रों मे ही निवेश करेंगे जहां पहले ही काफी निवेश किया जा चुका है ।

जहां तक रोजगार के अवसरों का सवाल है आठवीं पंचवर्षीय योजनायें कुल अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का लक्ष्य 4 करोड़ 30 लाख रखा गया है । इसमें अनिवासी भारतीय निवेश की भागीदारी कितनी होगी इसकी रूपरेखा नहीं बनाई गई है ।

**[हिन्दी]**

**श्री वीरेन्द्र सिंह** : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि अनिवासी भारतीयों की जमा राशि को देश के विकास के निमित्त प्रयोग किया जायेगा । मैं जानना चाहता हूँ कि देश का विकास गाँवों के विकास से संभव है और गांवों का विकास तब होगा जब कृषि का विकास होगा, लोक संस्कृति का विकास होगा, इस संदर्भ में कितनी धनराशि व्यय की जाती है ? इसके साथ ही जो गंगा का मैदान है, उसका बहुत बड़ा भाग असिंचित पड़ा हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि इस क्षेत्र का विकास हो तो पांच पंजाब के बराबर उत्पादन देने वाला प्रदेश हो सकता है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या अनिवासी भारतीयों की जमा राशि का इस गंगा के असिंचित मैदान के विकास के लिए प्रयोग किया जायेगा या इस संबंध में भारत सरकार के पास कोई योजना है, और उसमें क्या कर रही ।

**श्री सुख राम** : अध्यक्ष जी, जहां तक प्रवासी भारतीयों के डिपॉजिट का प्रश्न है, वह तो हमारी एकॉनमी में नहीं, कामर्शियल बैंक्स में आता है और सरकार उसको किस किस सैक्टर में खर्च करना चाहती है, यह तो सरकार के ऊपर निर्भर है मगर जहां तक उनकी इन्वैस्टमेंट का सवाल है, हमारी जो औद्योगिक नीति है, उस नीति के मुताबिक ऐसा कम्प्लेशन नहीं है कि फलां सैक्टर में खर्च करें ।

**अध्यक्ष महोदय** : पानी, बिजली रास्ते में जाता ही है.... ...

**श्री सुख राम** : मगर उसमें, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि उनकी इन्वैस्टमेंट के लिए हमने इन्सैंटिव दिया है और उसी इन्सैंटिव के मुताबिक जो हाई प्रायर्टीज एरियाज हैं, जो हमारे इन्फास्ट्रक्चर के एरियाज हैं, उनमें इन्वैस्टमेंट करें जहां तक एग्रीकल्चर का कितना प्रतिशत है, उसमें खर्च हुआ है, यह ब्यौरा मेरे पास नहीं है ।

**[अनुवाद]**

**श्री एम. आर. कावल्लूर जनार्दनन** : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आज के 'कम्यनेक्शन एक्सप्रेस' समाचार पत्र की सुर्खियों के अनुसार अनिवासी भारतीय धनराशि का बहिर्गमन किस प्रकार जारी है ।

क्या यह सही है कि अप्रैल-जून 1992 की अवधि की कुल विदेशी सहायता अप्रैल-जून 1991 की विदेशी सहायता से 19.7 प्रतिशत कम है ? मोटे तौर पर यह 46 प्रतिशत से कम है । यदि यह सत्य है तो क्या यह आठवीं पंचवर्षीय योजना को प्रभावित करेगा ?

**श्री सुख राम :** इसी कारण हम धन संग्रह को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं । इसके बजाए हम अनिवासी भारतीयों को औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसी कारण 3000 करोड़ रुपये की जमा राशि के लक्ष्य की बजाए हमने 21300 करोड़ रुपये के विदेशी धन की प्राप्ति की परिकल्पना की है और इसका एक हिस्सा अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश किया गया धन भी होगा ।

भविष्य में हमारी नीति अनिवासी भारतीयों द्वारा उद्योग में अधिकाधिक निवेश को प्रोत्साहित करने की होगी ।

**स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों का मूल्य**

*515. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अपने शेयरों में से कुछ बेच दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों के मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गये हैं ;

(घ) क्या इस प्रकार निर्धारित किया गया शेयर का मूल्य इसके बाजार मूल्य से कम था ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जायेगी ?

**उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :** (क) से (च) विवरण सभा-पटल पर रखा है ।

**विवरण**

(क) और (ख) जी, हां । वर्ष 1991-92 के दौरान सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) में अपनी शेयरधारिता के 5% शेयर सरकारी क्षेत्र के वित्तीय/पूंजीनिवेश संबंधी संस्थानों, सांझा कोषों तथा व्यापारिक बैंकों को बेच दिये हैं । भारतीय इस्पात प्राधिकरण के शेयर सरकारी क्षेत्र के अन्य 29 उपक्रमों के साथ बेचे गये थे और प्रत्येक समूह (बण्डल) में सरकारी क्षेत्र के नौ उपक्रमों के शेयर थे ।

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के शेयरों का संदर्भ-मूल्य पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा जारी किये गये मार्गनिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया गया था ।

(घ) बिक्री की तारीख को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के शेयरों का कोई बाजार मूल्य प्रचलित नहीं था क्योंकि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के 100% शेयर भारत सरकार के स्वामित्व में थे और ये शेयर बाजारों में सूचीबद्ध नहीं किये गये थे ।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : सभापटल पर जो विवरण रखा गया है वह कम से कम हैरान करने वाला तो है। विवरण के भाग (घ) में कहा गया है कि बिक्री की तारीख को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के शेयरों का कोई बाजार मूल्य प्रचलित नहीं था क्योंकि यह शेयर सरकार के स्वामित्व में थे। अब जानकीरमन समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन से पता चलता है कि भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों म्यूचअल फन्डस इत्यादि को फरवरी 92 में पत्र लिखकर उनसे सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों के लिए दावे आमंत्रित किये थे। लेकिन प्रतिवेदन से ही यह पता चलता है कि इन कम्पनियों के स्टाक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन से पहले और यहां तक कि निविदायें जमा कराने से भी पूर्व कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों जिन्होंने इसके लिए बोली लगाई थी, को शेयर दलालों से इन शेयरों की पुनः बिक्री के लिए उनकी दरों के विवरण प्राप्त हुए। अतः यह कहना कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का कोई प्रचलित बाजार मूल्य नहीं था स्पष्ट रूप से सच्चाई को छुपाना है। (व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : अब मैं अपना प्रश्न करती हूं।

प्रश्न यह है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की प्रदत्त पूंजी 3965.89 करोड़ रुपये मूल्य की है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण की परिसम्पत्तियों का प्रतिस्थापन मूल्य इससे कहीं अधिक है। यह 30,000 करोड़ रुपये के लगभग है। इसमें से पांच प्रतिशत शेयर बेच दिए गये है। अब मैं यह जानना चाहती हूं कि वास्तव में कितने शेयर बेचे गये हैं और दस रुपये मूल्य का शेयर किस मूल्य पर बेचा गया है।

मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या 26 मई को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के शेयरों की बिक्री खुली थी—26 मई के पश्चात् 200 रुपये प्रति शेयर पर यह बिक्री खुली थी और अगले दिन की समाप्ति तक 10 रुपये मूल्य की वास्तविक राशि के शेयर को 210 रुपये से 501.53 रुपये मूल्य तक बेचा गया था और इस प्रकार 5000 शेयरों का लेन देन हुआ था।

**श्री पी०के० चुंगन** : मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम झूंठ नहीं बोल रहे है। जो कुछ मैंने कहा है वह ही सत्य है।

**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : यह बात को छुपाना है।

**श्री पी० के० चुंगन** : दूसरी बात भारतीय इस्पात प्राधिकरण के शेयरों के प्रचलित बाजार मूल्य न होने की बात का उल्लेख मैंने इस कारण किया था कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के ये शेयर कभी भी शेयर बाजार में नहीं आये थे। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्व की कम्पनी थी और इसके सभी शेयर सरकार के स्वामित्व में थे। अब वित्त मन्त्री द्वारा अपने पिछले बजट भाषण में 20 प्रतिशत निवेश की जो घोषणा की गई थी उसी के सन्दर्भ में हम पहली बार अपनियोजन और शेयरों के मूल्य निर्धारित कर रहे हैं। अतः हमने ऐसी प्रक्रिया अपनाई जो सबसे बेहतर थी और पूंजी निर्गम नियन्त्रक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण हेतु सबसे उपयुक्त थी और इसके लिए जो तरीका हमने अपनाया वह इस प्रकार था।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : शेयर दलाल इसके लिए बोली किस प्रकार लगा सकते हैं ?

**श्री पी. के. चुंगन** : क्योंकि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के शेयरों का कोई बाजार मूल्य नहीं था, अतः हमें शेयर मूल्य का आकलन उसके अंकित मूल्य पर करना पड़ा। अतः हमने इन तरीकों का इस्तेमाल किया। निवल परिसम्पति मूल्य और फिर लाभ प्राप्ति क्षमता मूल्य का तरीका नकद प्राप्ति छूट मूल्य तरीका और हमने आई. सी. आई. सी. आई. जो कि इन्डस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंनवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया है, के साथ भी सलाह की है। जितना हो सकता था उतनी हमने सलाह लेने की कोशिश की है। और ऐसा करके भारत के पूंजी नियंत्रक के निर्देशों के अनुसार हम एक निर्णय ले सके। यदि हम पूर्णतया: भारत के पूंजी नियंत्रक के अनुदेशानुसार चलते तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के एक शेयर का मूल्य केवल 8 रुपये 38 पैसे ही बैठता। और इसी को आधार बना कर हमने इसका बाजार मूल्य निकाला है। इसके अलावा हमें विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरो को मिलाकर इसका आकलन करना पड़ा। (**व्यवधान**)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : व्यर्थ के कार्य करना।

**श्री पी. के. चुंगन** : इसके आधार पर हमने 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को चुना, हमने इन 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को तीन श्रेणियो में बांट दिया। (**व्यवधान**) महोदय, मैं बताने का प्रयास र रहा हूं। (**व्यवधान**)

**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : मेरा प्रश्न बहुत सीधा सा है। 10 रुपये मूल्य का शेयर किस मूल्य पर बेचा गया ? (**व्यवधान**)

**श्री पी. के. चुंगन** : महोदय, मैं इसे उचित ठहराने का प्रयास कर रहा हूं साथ ही मैं इस शंका को भी दूर करने का प्रयास कर रहा हूं कि हमने शेयरों को बहुत सस्ते भाव पर बेच दिया है। यह आरोप लगाये गये है कि हमने शेयरों को बहुत सस्ते भाव में बेच दिया है। इसी कारण मैं इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमने 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को तीन श्रेणियों में विभाजित कर दिया। बहुत अच्छी कंपनी, अच्छी कंपनी, और साधारण कंपनी।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया संक्षेप में बताइये।

**श्री पी. के. चुंगन** : इन कंपनियों से हमने शेयर मूल्य निर्धारित करने का प्रयास किया। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड बहुत अच्छी कंपनी नहीं थी श्रेणी में आयी। (**व्यवधान**)

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : महोदय, वह उत्तर देने से इंकार कर रहे हैं और समय बर्बाद कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को समाप्त कर दिया है।....(**व्यवधान**)

**श्री पी. के. चुंगन** : महोदय, माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते हैं। उन्होंने न सुनने का मन बना लिया है। (**व्यवधान**)

**श्री वसुदेव आचार्य** : महोदय, प्रधानमंत्री को उत्तर देना चाहिए।....(**व्यवधान**)

**श्री हरिकिशोर सिंह** : दलाल कौन था ?....(**व्यवधान**)

**श्री पी. के. थुंगन** : मैं इन आरोपों को दूर करना चाहता हूँ कि शेयर बहुत ही कम मूल्य या दर पर बेचे गये। मैं यही करने का प्रयास कर रहा हूँ। माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि हमने इन्हें बहुत ही कम मूल्य पर बेच दिया है, इसी कारण मैं यह कह रहा हूँ कि हमने इन्हें कम मूल्य पर नहीं बेचा है।....(**व्यवधान**)

**श्री वसुदेव आचार्य** : आपने इन्हें किसको बेचा है ?....(**व्यवधान**)

**श्री पी. के. थुंगन** : 10 रुपये अंकित मूल्य का शेयर औसतन 40 प्रतिशत ऊंची दर पर बेचा गया। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय, आप व्यवधानों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं। आप मुख्य पूरक प्रश्न का उत्तर दीजिए व्यवधानों का नहीं।

**श्री पी. के. थुंगन** : हम यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका कोई मूल्य नहीं था और हमें एक उचित मूल्य निर्धारित करना पड़ा....(**व्यवधान**)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मूल्य क्या था (**व्यवधान**)

**श्री पी. के. थुंगन** : इस आधार पर वित्तीय संस्थानों और म्यूचुअलफंडों से दावे आमंत्रित करें और हमें निर्धारित अंकित मूल्य से ज्यादा के ही दावे प्राप्त हुए। अंकित मूल्य के आधार पर पहले ही दावे में अंकित मूल्य से 15 प्रतिशत ज्यादा मूल्य निर्धारित किया गया और दूसरे दावे में अंकित मूल्य से 25 प्रतिशत ज्यादा वसूल किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य आप अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछ सकती हैं। कृपया स्पष्ट प्रश्न पूछिये क्योंकि समय बहुत ही कम है।

**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : महोदय, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, फिर भी जैसा कि मैंने पहले कहा है, फरवरी 1992 के पश्चात् जब दावे आमंत्रित किये गये थे, उस समय कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों, जिन्होंने दावे प्रस्तुत किये थे, को कुछ दलालों से शेयरों की पुनः बिक्री के लिए निवेदित भाव प्राप्त हुए। जानकीरमन समिति के प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया था कि इलाहाबाद बैंक और एस. बी. आई कैप कुछ विदेशी बैंकों—सिटी बैंक और बैंक आफ अमरीका के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि जैसा कि जानकीरमन समिति के प्रतिवेदन में संकेत दिया गया है कि क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कुछ शेयर इस प्रकार भी हस्तान्तरित हुये हैं।

**श्री पी. के. थुंगन** : महोदय, जहां तक जानकीरमन समिति के प्रतिवेदन का संबंध है मैं यह स्वीकार करना चाहूँगा कि मैंने इसे नहीं देखा है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है शेयरों की खरीदारी के समय जो शर्तें रखी गयी थी और जो निर्देश दिये गये थे उसमें कुछ अनियमितताओं की ओर जानकीरमन समिति के प्रतिवेदन ने ध्यान दिलाया है (**व्यवधान**) हर चीज की जांच की जा रही है और उसका अध्ययन किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जायेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

## बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

*516. श्री संदीपान भगवान घोरात :
श्री राम नारायण कैरवा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालक श्रम (अतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 बच्चों के जोखिम भरे कार्यों में नियोजन पर रोक लगाने में प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां तो क्या अब सरकार का विचार बच्चों को ऐसे कार्यों में लगाने पर रोक लगाने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ) : बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अनुसूची में शामिल कतिपय व्यवसायों/संक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है । अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत बनाई गई बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति की सलाह पर अनुसूची में अन्य व्यवसायों/संक्रियाओं को शामिल किया जा सकता है ।

बाल श्रम से संबंधित सांविधिक उपबंधों के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है । पिछले तीन वर्षों के दौरान, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम और कारखाना अधिनियम के अंतर्गत दायर किए अभियोजन मामलों और उल्लंघनों के लिए न्यायालय में दोषसिद्ध हुए मामलों की संख्या निम्नानुसार है :—

| वर्ष | अभियोजनों की संख्या | दोषसिद्धियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1989-90 | 2291 | 1468 |
| 1990-91 | 1566 | 456 |
| 1991-92 | 1291 | 774 |

## समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों के लिये पेंशन योजनाएं

*517. श्री लाल कृष्ण अडवाणी :
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ देने हेतु कोई पेंशन योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार को समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों से इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कोयला मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा)** : (क) से (घ) : कर्मचारी भविष्य निधि से केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने समाचार-पत्र तथा समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों सहित भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए एक उपयुक्त पेंशन योजना शुरू करने की सिफारिश की है। बोर्ड की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। प्रस्तावित पेंशन योजना में, अधिवर्षिता, सेवा निवृत्ति, मृत्यु, स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता आदि के मामले में मासिक पेंशन का भुगतान करने का प्रावधान है।

दिल्ली राज्य समाचार-पत्र कर्मचारी फैडरेशन श्रमजीवी पत्रकारों के भारतीय परिसंघ आदि ने एक तीसरे लाभ के रूप में पेंशन की मांग की है। सरकार उनकी मांग स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है।

## टायरों के मूल्य

*518. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** :
**श्री साईमन मरान्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने प्रमुख टायर निर्माता कम्पनियों पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने टायरों के मूल्यों में अनुचित वृद्धि की है जैसाकि दिनांक 16 जुलाई, 1992 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने इस संबंध में क्या मुख्य टिप्पणियां की हैं ?

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान और 1991-92 में जुलाई 1992 तक टायरों के क्या-क्या मूल्य रहे हैं, और

(ङ) टायरों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) और (ख) : औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो (बी० आई० सी० पी०) ने मोटरगाड़ी टायरों की लागत व मूल्य के बारे में जुलाई, 1992 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बी० आई० सी० पी० ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि अगस्त-सितम्बर, 1991 में टायर निर्माताओं द्वारा घोषित मूल्य वृद्धि के हिस्से को टाला जा सकता था।

(ग) रिपोर्ट की अभी जांच की जानी है, क्योंकि यह हाल में ही प्राप्त हुई है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) टायरों के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। इनके मूल्य बाजार तंत्र के जरिए नियंत्रित होते हैं।

विवरण

टायरों के मूल्य ( प्रमुख श्रेणियां )

बाजार मूल्य.....( रु० में )

| वर्ष | मा० | ट्रक/बस टायर (10.00-20 16 पी. आर.) नायलोन लग | ट्रक/बस टायर (9.00-20 नायलोन लग | एल. सी. बी. टायर | यात्री कार टायर (अम्बैसडर) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1990-91 | अप्रैल 90 | 6250 | 5375 | 2030 | 920 |
| | मई 90 | 6313 | 5400 | 2025 | 930 |
| | जून 90 | 6250 | 5400 | 1949 | 925 |
| | जुलाई 90 | 6225 | 5400 | 1920 | 925 |
| | अगस्त 90 | 6200 | 5375 | 1920 | 925 |
| | सितम्बर 90 | 6250 | 5350 | 1910 | 935 |
| | अक्टूबर 90 | 6300 | 5375 | 1900 | 940 |
| | नवम्बर 90 | 6600 | 5650 | 1975 | 940 |
| | दिसम्बर 90 | 6800 | 5625 | 1910 | 940 |
| | जनवरी 91 | 6775 | 5700 | 1940 | 930 |
| | फरवरी 91 | 6700 | 5650 | 1875 | 935 |
| | मार्च 91 | 6625 | 5700 | 1940 | 935 |
| 1991-92 | अप्रैल 91 | 6650 | 5750 | 1940 | 940 |
| | मई 91 | 6750 | 5800 | 1945 | 970 |
| | जून 91 | 6750 | 5800 | 1950 | 950 |
| | जुलाई 91 | 6700 | 5750 | 2025 | 950 |
| | अगस्त 91 | 6700 | 5850 | 2050 | 1020 |
| | सितम्बर 91 | 7125 | 6025 | 2250 | 1120 |
| | अक्टूबर 91 | 7460 | 6275 | 2265 | 1140 |
| | नवम्बर 91 | 7400 | 6225 | 2300 | 1150 |
| | दिसम्बर 91 | 7375 | 6250 | 2310 | 1150 |
| | जनवरी 92 | 7353 | 6351 | 2325 | 1150 |
| | फरवरी 92 | 7503 | 6451 | 2425 | 1150 |
| | मार्च 92 | 7539 | 6587 | 2450 | 1175 |
| | अप्रैल 92 | 7539 | 6587 | 2475 | 1175 |
| | मई 92 | 7539 | 6587 | 2500 | 1175 |
| | जून 92 | 7512 | 6566 | 2600 | 1190 |
| | जुलाई 92 | 7497 | 6575 | 2575 | 1200 |

**राष्ट्रीय नवीकरण कोष**

*519. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
**श्रीमती विमू कुमारी देवी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने कमजोर आर्थिक स्थिति वाली कंपनियों के परिसमापन की पृष्ठ-भूमि तैयार करने हेतु राष्ट्रीय नवीकरण कोष का अविलंब उपयोग करने और कानूनी तथा प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन लाने का अनुरोध किया है जैसाकि 19 मई, 1992 के "टाइम्स आफ इंडिया में समाचार छपा है ।

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा इस संबंध में की गयी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं, और

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री ( श्रीमती कृष्णा साही ) :** (क) **और (ख)** विश्व बैंक ने औद्योगिक पुनः संरचना हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि के संचालन के तरीकों को शीघ्र अन्तिम रूप देने पर बल दिया है ।

(ग) राष्ट्रीय नवीकरण के संचालन के तरीकों का पता लगाने के बारे में संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों आदि से विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

**औद्योगिक एककों को बन्द किया जाना**

*520. **मोहम्मद अली असरफ फातमी :**
**श्री राम टहल चौधरी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ तकनीकी और श्रम संबंधी समस्याओं के कारण कई औद्योगिक एककों को बंद कर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे एककों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें पुनः चालू करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा ग्राम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) :** (क) और (ख) अद्यतन सूचना के आधार पर, 1991 और 1992 के दौरान मशीनरी के बंडाउन, विद्युत की कमी और श्रम समस्याओं जैसे तकनीकी कारणों से "बंद" घोषित इकाइयों के नाम और इसके कारण प्रभावित कर्मकारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में दिया गया है ।

(ग) सरकार ने बंद औद्योगिक उपक्रमों के पुनर्वास के लिए समुचित पुनर्वास पैकेजों के अन्तर्गत अनेक कदम उठाए हैं जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा सहायता, छूट और राहत के रूप में वित्तीय सहायता, देना शामिल है । जहाँ तक रुग्ण औद्योगिक कंपनियाँ (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की परिधि में आने वाली इकाइयों का सम्बन्ध है रुग्ण इकाइयों के संबंध में उपचार और अन्य उपाय निर्धारित करने और उनका प्रवर्तन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की शक्तियाँ औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को प्राप्त हैं ।

सशक्त रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिए पुनर्वास पैकेजों का निर्धारण संबद्ध बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-

निर्देशों के अनुसरण में लिया जाता है। बैंक और वित्तीय संस्थान रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधन द्वारा पुनर्वास पैकेजों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करते हैं और जहां आवश्यक होता है सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं।

विवरण

वर्ष 1991 और 1992 के दौरान श्रम समस्याओं, मशीनरी ब्रेक डाउन और विद्युत की कमी के कारण स्थाई रूप से बन्द की गई इकाइयों और इससे प्रभावित कर्मकारों की राज्य-वार संख्या।

| क्रमांक | राज्य | इकाई का नाम और स्थिति | प्रभावित कर्मकारों की सं० | बंदी की तारीख | कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | वर्ष 1991 | | | |
| 1. | असम | मै० एवरेस्ट प्लाईवुड, चोट्टाहप टाका डाकघर-वाशपथ टान (प्रा.) | 54 | 25-5-91 | मजदूरियां और भत्ते |
| 2. | गोवा | मै० जेनिश कम्प्यूटर्स प्रा. लि., सनका अलि | 22 | 3-9-91 | बर्खास्त किया गया |
| 3. | गुजरात | मै० एम. के. सिंडल मैन्युफैक्चरर्स प्रा. लि., अहमदाबाद | 3 | 7-3-91 | मशीनरी ब्रेक डाउन |
| 4. | महाराष्ट्र | मै० विमल ड्रेसेज, 211, हिन्द राजस्थान बिल्डिंग, दादर (सी आर) | 8 | 22-6-91 | मांगपत्र (चार्टर आफ डिमांड) |
| 5. | पंजाब | मै० वशिष्ठ स्टील प्रा. लि., खन्ना | 80 | 17-6-91 | विद्युत की कमी |
| 6. | राजस्थान | मै० दुर्गा एन्टर प्राईजेज, जयपुर | 4 | 16-7-91 | मांगपत्र (चार्टर आफ डिमांड) |
| 7. | दिल्ली | मै० बेल्टेक इलेक्ट्रानिक्स लि., बी.-65, मायापुरी, ए-37, मायापुरी, नई दिल्ली | 219 | 31-5-91 | कामबन्दी |
| | | वर्ष 1992 | | | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | मै० रवि इलैक्ट्रानिक्स प्रा. लि., आई. डी. ए., कुकटपल्ली | 17 | 15-4-92 | धीमे काम करना |
| 2. | महाराष्ट्र | राउको सिने लेल्स, 208, उद्योग मन्दिर 11, पीलाम्बर लेन, महिम, बम्बई | 32 | 24-1-92 | कर्मकारों द्वारा अनियमित रूप से कार्य करना |
| 3. | महाराष्ट्र | मै० सुरेश ब्रदर्स, अध्यान औ० प्र०, यूनिट नं० 208, सन मिल कम्पाउन्ड, लोअर परेल (पश्चिम) बम्बई। | 46 | 28-3-92 | हिंसा |

स्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला।

[अनुवाद]

**सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम**

*521. **श्री सुदर्शन राव चौधरी :**
**श्री तरित बरण तोपदार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के और अधिक उपक्रमों को रुग्ण एककों की सूची में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के किसी एकक को "रुग्ण एकक" मानने के मानदण्ड क्या हैं ?

**उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :** (क) से (ग) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 में दी गई परिभाषा के आधार पर किसी कम्पनी को रुग्ण माना जाता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों की सूची उद्यमों के वित्तीय निष्पादन के आधार पर प्रति वर्ष अलग-अलग होगी। वर्ष 1990-91 तक के कार्य-निष्पादन के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की 54 औद्योगिक कंपनियों को रुग्णता की परिभाषा के दायरे में शामिल किया गया है।

**औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य**

*522. **डा. परशुराम गंगवार :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन में प्राप्त किये गये 8.5 प्रतिशत वृद्धि दर के लक्ष्य की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मात्र 7.5 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) आठवीं योजना में "सकल संबंधित मूल्य" के संबंध में विनिर्माण क्षेत्रक के लिए अनुमानित विकास दर 7.3 प्रतिशत वार्षिक है जबकि सातवीं योजना में प्राप्त औसत विकास दर 6.7 प्रतिशत थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

**राजस्थान में पेयजल की समस्या**

*523. **श्री रामसिंह काश्वा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में पेयजल की समस्या हल करने के लिये हाल ही में केन्द्रीय सरकार को एक योजना भेजी है, जिसे जर्मनी की सरकार के सहयोग से क्रियान्वित किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उससे कितने गांवों को लाभ प्राप्त होगा;

(ग) इस योजना को स्वीकृत कब तक दे दी जायेगी;

(घ) इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ङ) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल)** : (क) जी हां।

(ख) राजस्थान की राज्य सरकार ने श्री गंगानगर, चुरू तथा झुनझुनू जिलों के खारेपन से प्रभावित क्षेत्रों के लिये ग्रामीण समन्वित जल सप्लाई, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम हेतु एक परियोजना प्रस्ताव भेजा था। परियोजना क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल है :—

— चुरू जिले की तारानगर, रामगढ़, सरदार शहर, चुरू, रतनगढ़ तथा सुजानगढ़ तहसीलें।

— श्री गंगानगर जिले की नोहर तहसील का कुछ भाग।

— झुनझुनू जिले की झुनझुनू तहसील का कुछ भाग।

परियोजना क्षेत्र में आने वाले गांवों की कुल संख्या 956 है तथा कस्बों की संख्या 10 है जो कि निम्न प्रकार से है :—

| जिले का नाम | गांवों की संख्या | कस्बों की संख्या |
|---|---|---|
| चुरू | 747 | 10 |
| झुनझुनू | 96 | शून्य |
| श्री गंगानगर | 113 | शून्य |
| कुल | 956 | 10 |

(ग) योजना के 1993-94 के वित्तीय वर्ष में अनुमोदित हो जाने की सम्भावना है।

(घ) तीन चरणों वाली परियोजना की अनुमानित लागत निम्नलिखित अनुसार है :—

| चरण | अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| 1 | 200.00 |
| 2 | 225.00 |
| 3 | 255.00 |
| | 680.00 |

(ङ) परियोजना का प्रथम चरण 5 वर्षों के भीतर पूरा हो जाने की संभावना है। शेष चरणों के पूरा होने के बारे में परियोजना प्रस्ताव में किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

**स्वयंसेवी संगठन**

*524. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं योजनावधि के दौरान स्वयंसेवी संगठनों की गतिविधियों में तेजी लाने का निर्णय लिया है ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या इन संगठनों के क्रियाकलापों के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : **(क) और (ख)** जी हां । उपयुक्त संगठनों तथा आपूर्ति प्रणाली का निर्माण/सुदृढ़ीकरण करना आठवीं योजना का एक उद्देश्य है ताकि सामाजिक क्षेत्रकों में किए जाने वाले निवेश का लाभ अभीष्ट लाभ ग्राहियों तक पहुंच सके । इस धारणा को प्रचालित करने के लिए एकीकृत विकास हेतु स्व-प्रबंधति संस्थाओं संबंधी एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है ।

**रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें हैं :**

(1) बिना किसी राजनीतिक रंग के विकास के उद्देश्य के लिए ग्राम विकास संगम की स्थापना करना ।

(2) स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ावा देने हेतु थोड़ी-सी प्रारम्भिक पूंजी से उनकी मदद करने के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना करना ।

(3) सहकारिता समिति अधिनियम तथा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम को सरल बनाना, तथा

(4) विकास उद्देश्यों के लिए स्वयंसेवी संगठनों के प्रबंधन हेतु सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित करना । टास्क फोर्स की सिफारिशें कार्यान्वयन के अधीन हैं । उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक स्वयंसेवी कार्रवाई परामर्शदात्री परिषद की स्थापना की गई है । भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों के लिए स्कीमों की एक डाइरेक्टरी तैयार की जा रही है । विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों तथा गैर-सरकारी संगठनों से आदान प्राप्त करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के विकास की गति तेज करने हेतु राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के सम्बन्ध में एक कार्यशाला दि० 29 अप्रैल, 1992 को योजना आयोग में आयोजित की गई । आठवीं योजना के पहले साल के दौरान 150 ब्लॉकों में लोगों तथा जन संस्थाओं की पूर्ण सहभागिता से माइक्रो स्तरीय सहभागिता आधारित आयोजना का प्रयोग शुरू करने का प्रस्ताव है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

## सोनार सिमुलेटर

*525. **श्री शंकरसिंह वाघेला :**

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक विभाग ने नौसेना को 'सोनार सिमुलेटरों' की सप्लाई नहीं की है ;

(ख) क्या इस परियोजना को इस बीच बन्द कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह विभाग अब किसी दूसरी परियोजना पर काम कर रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) से (ग) भारतीय नौ सेना के विशिष्ट अनुरोध पर, इलेक्ट्रानिकी विभाग ने प्रोटोटाइप सोनार सिमुलेटरों का विकास किया। किन्तु, क्षेत्रीय परीक्षण के लिए, कुछ विशिष्ट तकनीकी जानकारी तथा सहायता की आवश्यकता थी, जो उपलब्ध नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, चूंकि जिन सोनारों के लिए सिमुलेटरों की आवश्यकता थी, वे अप्रचलित होने जा रहे थे, तथा उनका स्थान अन्य सोनार ले रहे थे, अत: नौ सेना मुख्यालय ने परियोजना को बन्द कर देने का सुझाव दिया था।

(घ) इलेक्टानिकी विभाग इस समय सोनार सिमुलेटर की किसी भी परियोजना पर कार्य नहीं कर रहा है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

## मेघालय में यूरेनियम की खोज

*526. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**

**श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मेघालय में यूरेनियम भंडारों की खोज करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस कार्य से फैलने वाले विकिरण के कुप्रभाव को रोकने के लिये क्या उपाय किये जायेंगे ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु खनिज प्रभाग मेघालय के कुछ हिस्सों में यूरेनियम निक्षेपों की खोज के लिए अन्वेषण कर रहा है और इसने मेघालय के पश्चिम खासी पहाड़ी जिले में होमियासियात नामक स्थान पर काफी बड़ी मात्रा में यूरेनियम निक्षेप का पता लगाया है।

(ख) परमाणु खनिज प्रभाग ने तीन परियोजनाओं नामत: होमियासियात यूरेनियम खनन

परियोजना; परियोजना महाडैक्स; और गारो हिल्स के जांच-कार्यों को सूत्रबद्ध करके मेघालय में अन्वेषण कार्यों को तेज कर दिया है। डोमियासियात यूरेनियम निक्षेप का उपयोग वाणिज्यिक रूप से करने के संबंध में यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड एक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

(ग) मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परमाणु खनिज प्रभाग भी डोमियासियात में और उसके आसपास के क्षेत्र में हवा और पानी के नमूनों का नियमित रूप से मानीटरन करता है। वातावरण में प्राकृतिक रूप से विद्यमान विकिरण का भी मानीटरन भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग करता है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का यह दायित्व है कि वह विकिरण के स्तरों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानदन्डों के अनुसार परिभाषित और नियंत्रित करें।

[हिन्दी]

**श्रमिकों को होने वाले जोखिम**

*527. **श्री राजेश कुमार :**

**श्रीमती शीला गौतम :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक दल ने भारत में श्रमिकों को होने वाले जोखिमों के निवारणार्थ एक व्यापक योजना तैयार करने की सलाह दी है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इस संबंध में दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में कौन-सी सिफारिशों को स्वीकार किया है ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :** (क) से (ग) भारत में एक प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण पद्धति की स्थापना करने के लिये प्राथमिकताओं का पता लगाने में सरकार को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक मिशन ने अप्रैल, 1985 में भारत का दौरा किया था। मिशन की सिफारिशों का संबंध अन्य बातों के साथ-साथ खतरनाक रसायनों एवं ज्वलनशील गैसों के प्रयोग तथा भंडारण की सुविधाओं से विनियमित करने के लिये प्रावधान करना, कम्प्यूटर सुसज्जित एक प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण सलाहकार प्रभाग की स्थापना करना, प्रमुख जोखिम इकाइयों की तालिका तैयार करने के उद्देश्य से जोखिमपूर्ण उद्योगों का पता लगाने के लिये खतरनाक रसायनों एवं ज्वलनशील गैसों की सीमांत मात्रा निर्धारित करना, घटना स्थल पर और घटना स्थल से दूर आपात् योजनाएं तैयार करना, प्रमुख दुर्घटना होने पर तत्काल सहायता प्रदान करने में सक्षम राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों एवं संगठनों का आंकड़ा आधार स्थापित करने से है। मिशन द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर, श्रम मंत्रालय द्वारा "भारत में एक प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण पद्धति की स्थापना तथा आरम्भिक प्रचालन" नामक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना कार्यान्वित की गयी थी। यह परियोजना दिसम्बर, 1990 में पूरी हो गई थी।

[अनुवाद]

"इनसैट-2ए"

*528. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इनसैट-2ए के प्रक्षेपण पर अनुमानत: कितना खर्च हुआ है ;

(ख) क्या इसमें प्रयुक्त सभी उपकरणों का निर्माण अपने देश में ही किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसमें प्रयुक्त किये गये उपकरणों में से कितने प्रतिशत स्वदेशी हैं तथा कितने प्रतिशत आयातित हैं; और

(घ) अमरीकी सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के कारण भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के भावी कार्यक्रमों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) प्रमोचन सेवाओं को छोड़कर इन्सैट-2ए और इन्सैट-2बी के लिए स्वीकृत परिव्यय 329.94 करोड़ रुपये है, जिसमें से 63.20 करोड़ रुपये की धनराशि इन्सैट-2ए, 2बी और 2सी के सम्पूर्ण जोखिम बीमा प्रीमियम के लिए और 110.83 करोड़ रुपये की धनराशि सुविधा संस्थापना (कार्यक्रम अवयव) के लिए नियत की गई है। इन्सैट-2ए और इन्सैट-2बी की प्रमोचन सेवाओं के लिए स्वीकृत परिव्यय की धनराशि 198.30 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) एक संबेग चक्र और कुछ छोटे ग्रस्टरों को छोड़कर, शेष सभी समुच्चयन/उप-समुच्चयन पूर्णत: स्वदेशी रूप में डिजाइन और निर्मित किए गए हैं। फिर भी, उप-समुच्चयन, समुच्चयन के संविरचन के लिए पुर्जों के कुछ अंश जैसे मूल अर्ध-चालक युक्तियों, समाकलित परिपथों, सौर सेलों और कुछ सामग्री इत्यादि का आयात किया गया, क्योंकि इस तरह की मदों के अन्तरिक्ष अर्हक रूपान्तरण देश में उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) उपग्रहों के लिए अपेक्षित कई पुर्जों और सामग्री जैसे कार्बन यौगिक, केप्टॉन फिल्में इत्यादि को भी स्वदेशीकृत किया गया। अन्तरिक्ष अर्हक इलेक्ट्रानिक उपकरणों के स्वदेशीकरण के प्रयास भी जारी हैं। इसी बीच यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन्सैट-2 शृंखला के उपग्रहों के प्रमोचन के साथ-साथ राष्ट्रीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम प्रभावित न हो और राष्ट्र को मुहैया की जाने वाली अपेक्षित सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहें, वैकल्पिक स्रोतों की पहचान की गई है।

शहद का उत्पादन

*529. श्री एन. डेनिस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष अनुमानत: कितने मूल्य के और कितनी मात्रा में शहद का उत्पादन होता है ;

(ख) हाल ही में देश के अनेक भागों में मधुमक्खियों में फैले संक्रामक रोग से उसकी रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) सरकार ने देश में शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

*उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन)* : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान के. वी. आई. क्षेत्र में 83,25,971 कि. ग्रा. शहद का उत्पादन हुआ था, जो 25.82 करोड़ रु. मूल्य का था।

(ख) के. वी. आई. के अधीन केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुणे ने मधुमक्खी रोग का पता लगाने व नियंत्रण करने के उपाय किए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी दक्षिण भारत में इस अज्ञात रोग की जांच आरम्भ कर दी है। इस रोग का "थाई सैक ब्रूड डिजीज" अर्थात एक वायरल रोग के रूप में पता लगा है। के. वी. आई. सी. ने दक्षिणी राज्यों अर्थात् कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में इस रोग का पता लगाने तथा साथ ही इस पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अपने अनुसंधान व तकनीकी कर्मचारी भेजे हैं। इसने तत्काल उपाय किए हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(1) रोग का पता लगाना ;

(2) जीवाणु कुप्रभाव के विरुद्ध जीवाणुनाशक उपचार के उपचारी व निरोधक उपाय ;

(3) मधुमक्खी पालकों को समाचार पत्र रेडियो जैसे स्थानीय प्रचार माध्यमों से मधुमक्खी रोग की जानकारी देना ;

(4) मधुमक्खी पालकों के साथ बैठकें करना।

इस रोग से प्रभावित क्षेत्रों के मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण दिया गया है। बची हुई रोग निरोधक कालोनियों आदि की सुरक्षा एवं वृद्धि के उपाय भी प्रदर्शित किए गए हैं।

(ग) के. वी. आई. सी. का देश के अनेक भागों में धीरे-धीरे एपिस-मैलीफेरा आरम्भ करने का प्रस्ताव है। देश के कुछ भागों में खासतौर पर पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में एपिस-मैलीफेरा आरम्भ हो जाने से शहद के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा, प्रबंध कार्य बेहतर हो जाने से एपिस सीराना का शहद उत्पादन भी बढ़ गया है। के. वी. आई. सी. शहद की अधिक प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण, मानक मधुमक्खी बक्से खरीदने के लिए गरीब मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहित करने हेतु सहायता प्राप्त दरों पर उन्नत उपकरणों की आपूर्ति जैसी बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराता है।

### पश्चिम बंगाल में कोयले का उत्पादन

*530. **श्री रवि राय** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कोयले के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**कोयला मंत्रालय के राज्यमन्त्री तथा श्रम मंत्रालय के राज्यमन्त्री** (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में पिछले 2 वर्षों के दौरान हुए कोयले के उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :—

| वर्ष | कोयले का उत्पादन |
|---|---|
| 1990-91 | 17.00 मिलियन टन |
| 1991-92 | 18.12 मिलियन टन |

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

**राकेट प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी**

*531. **श्री अवतार सिंह भड़ाना** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राकेट प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी देने के सम्बन्ध में फ्रांस द्वारा भारत पर लगाई गयी शर्तों का देश के अन्तरिक्ष कार्यक्रमों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(ख) क्या रूस और फ्रांस के अतिरिक्त किन्हीं अन्य देशों से भी क्रायोजैनिक इंजन तकनीक प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियन्त्रण समझौते को स्वीकार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्यमन्त्री** (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) चूंकि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ( इसरो ) ने फ्रांस से किसी विशिष्ट राकेट प्रौद्योगिकी के अन्तरण की मांग नहीं की है, इसलिए भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम पर फ्रांस द्वारा लगायी गयी शर्तों का कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

(ख) और (ग) इसरो ने क्रायो प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए, केवल रूस के साथ ही करार किया है, जो कि बिना किसी बाधा के प्रगति में है ।

(घ) और (ङ) सरकार प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रणों के अधीन उन साम्रान्य और पूर्ण निःशस्त्रीकरण के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के प्रति वचनबद्ध है, जो कि विश्वव्यापी व्यापक और भेदभावरहित हैं ।

**विदेशी राजनयिकों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार करना**

5341. **श्री एम० जे० राठवा** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान किन-किन देशों के दूतावासों/उच्चायोगों के राजनयिकों/कर्मचारियों को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) इन राजनयिकों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**विदेश मन्त्रालय में राज्यमन्त्री ( श्री आर० एल० भाटिया )** : (क) पाकिस्तानी हाई कमीशन।

(ग) चूंकि सम्बन्धित कर्मचारी की गतिविधियां सामान्य राजनयिक क्रियाकलापों के अनुसार नहीं थी, अतः पाकिस्तान के नई दिल्ली स्थित हाई कमीशन से उक्त कर्मचारी को यथाशीघ्र वापस भेजने का अनुरोध किया गया था। यह कर्मचारी 25-4-1992 को भारत से चला गया था।

**आगरा के ट्रेपेजियम क्षेत्र में प्रदूषणमुक्त उद्योग**

5342. **श्री भगवानशंकर रावत** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ताजमहल को पर्यावरणीय प्रदूषण से रक्षा करने के लिए प्रदूषणमुक्त उद्योग लगाने की योजना पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) प्रतिबन्ध लगाने के पश्चात अर्थव्यवस्था को सन्तुलित रखने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है; और

(ङ) आगरा के ट्रेपेजियम क्षेत्र में अब तक कितने उद्योग किन-किन स्थानों पर लगाए गए हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग जैसे आगरा में इलैक्ट्रानिक्स उद्योग स्थापित करने के लिए एक योजना तैयार कर रही है।

ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—

(1) आगरा के समलम्ब क्षेत्र में इलैक्ट्रानिक्स नगर के विकास के लिये सम्भाव्यता अध्ययन किया जा रहा है।

(2) प्रदूषण मुक्त उद्योगों के विकास के लिए जिला उद्योग केन्द्र आगरा में उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को इस क्षेत्र में बिजली की कोई कटौती न करने की हिदायत दी गई है।

(4) ताज समलम्ब क्षेत्र को पिछड़े क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है।

(5) इलैक्ट्रानिक्स उद्योग को औद्योगिक नीति के अधीन विशेष क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

**वनस्पति उद्योग द्वारा निर्यात**

5343. **श्री धर्मलिंगम** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उद्योग, इस पर भारी उत्पाद शुल्क लगाए जाने के कारण, संकट से गुजर रहा है;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में उससे पूर्व के वर्ष में कुल कितना निर्यात किया गया तथा किस दर से उत्पाद-शुल्क लगाया गया; और

(ग) इस संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद)** : (क) जी नहीं।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान वनस्पति का कोई निर्यात नहीं हुआ है। वनस्पति पर कोई निर्यात शुल्क नहीं है।

(ग) सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

**हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्ज लिमिटेड द्वारा प्रदूषण**

5344. **श्री पी. सी. थामस** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्ज लिमिटेड द्वारा फैलाये जा रहे ध्वनि तथा वायु-प्रदूषण के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

**रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (डा० चिन्ता मोहन)** : (क) अम्बलामुगल कोचीन में संचित ऊर्जा संयन्त्र से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्ज लिमिटेड ( एच०ओ०सी०एल० ) की अम्बलामुगल कोचीन के निवासियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एक शिकायत को वायु प्रदूषण विभाग को प्रेषित कर दिया है।

(ख) एच. ओ. सी. एल. ने ऊर्जा संयन्त्र को बन्द कर दिया है जिससे केरल राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दिये गये सुझावों के अनुरूप ध्वनि के स्तर में कमी लाई जा सके।

वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने हेतु एच.ओ.सी.एल. ने केरल राज्य वायु प्रदूषण बोर्ड के निर्देशानुसार सभी सम्भव कदम उठाये हैं।

**उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के बारे में कार्यदल की सिफारिशें**

5345. **श्री सनतकुमार मंडल** :

**श्री सत्यदेव सिंह** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को और अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त कार्यदल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उपभोक्ता आन्दोलन को सुदृढ़ करने के लिए क्या प्रयास किये हैं; और

(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में किये जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री कमालुद्दीन अहमद)** : (क) और (ग) पहले सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को अधिक प्रभावी और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 को अधिक प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु उनमें उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त एक कार्यदल गठित किया था। इस रिपोर्ट पर केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 31-3-1992 को हुई 11 वीं बैठक में विचार किया गया था, जिसमें आमतौर पर सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थीं। कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं।

(1) "उपभोक्ता" और 'शिकायत" की परिभाषा का बिस्तार करना ताकि इसके अन्तर्गत स्व-रोजगार हेतु माल खरीदने वाले लोग तथा उपभोक्ताओं को होने वाली संभावित हानि/क्षति से सम्बन्धित मामले शामिल किए जा सकें;

(2) सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में सेवाओं तथा स्थानीय निकायों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली अनिवार्य सेवाओं को इस अधिनियम की परिधि के भीतर लाना;

(3) उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ताओं की ओर से शिकायतें दायर करने की अनुमति देना;

(4) तीन स्तरीय प्रतितोष अभिकरणों को, रोक और जब्ती आदेश जारी करने और त्रुटिपूर्ण तथा असुरक्षित वस्तुओं को वापस कराने इत्यादि जैसी अतिरिक्त शक्तियां देना;

(5) राज्य आयोग और जिला मंचों का मौद्रिक न्यायाधिकार बढ़ाना;

(6) राज्य आयोग और जिला मंच स्थापित करने में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेने की प्रक्रिया को समाप्त करना;

(7) अधिनियम में उपभोक्ता के अधिकारों पर एक अलग अध्याय की व्यवस्था करना।

(8) तीन-स्तरीय प्रतितोष अभिकरणों में वकीलों की भूमिका को नियंत्रित करना;

(9) राष्ट्रीय आयोग/राज्य आयोगों/जिला मंचों के निर्णयों को संविधान के अनुच्छेद 323 ख की परिधि के भीतर लाना, ताकि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता उन पर लागू न हो; और

(10) तीन-स्तरीय प्रतितोष तन्त्र के गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना, आदि।

(ख) सरकार द्वारा उपभोक्ता आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में ये शामिल हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का अधिनियम और प्रवर्तन, उपभोक्ताओं तथा पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों को अदालत में शिकायत दायर करने हेतु शक्ति देने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अनिनियम, 1954 जैसे कानूनों में संशोधन; उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में साहित्य का मुद्रण; संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों का आयोजन; उपभोक्ता संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना; उपभोक्ता संगठनों तथा युवाओं के लिए दो राष्ट्रीय पुरस्कार आरम्भ करना इत्यादि।

**गोल्डन हैन्डशेक स्कीम**

5346. **श्री मोहन रावले :**

**श्री एन०जे० राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की रुग्ण यूनिटों में अनावश्यक जनशक्ति की समस्या से निपटने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के बजाय "गोल्डन हैन्डशेक स्कीम" के प्रति बेहतर रूझान पाया गया है;

(ख) "गोल्डन हैन्डशेक स्कीम" की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) "गोल्डन हैन्डशेक स्कीम" का वित्तपोषा किन स्रोतों से किया जाएगा और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है; और

(घ) "गोल्डन हैन्डशेक स्कीम" का लाभ लगभग कितने कर्मचारियों द्वारा उठाए जाने की सम्भावना है, और कब तक ?

**उद्योग मन्त्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० चुंगन)** : (क) और (ख) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों के लिए कोई स्वर्णिम विदाई योजना नहीं बनायी है। हां, यह अवश्य है कि सरकार ने अक्टूबर, 1988 में एक प्रारूपी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अधिसूचित की थी जिसे अपनी आवश्यकता से अधिक श्रमशक्ति वाले सरकारी उद्यम अपना सकते थे। प्रारूपी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का ब्यौरा दिनांक 29-7-92 को अतारांकित प्रश्न संख्या 381 के उत्तर में सभा-पटल पर रख दिया गया था।

(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अनुग्रह अनुदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान हेतु संसाधनों की व्यवस्था प्रत्येक सरकारों उद्यम को स्वयं ही करनी है। सरकार भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का वित्तीय राष्ट्रीय नवीकरण कोष से करने के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन फरवरी, 1992 में किया गया था ताकि सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन का परिणाम उसके कर्मचारियों के हित में अच्छा हो। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर होने वाला व्यय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प देने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा उनमें से प्रत्येक के आहरित वेतन पर निर्भर करता है।

(घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों की सम्भावित कुल संख्या तथा इसमें लगने वाले समय से सम्बन्धित जानकारी की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि सरकारी उद्यमों के प्रबन्धन जो प्रथमतः अपनी आवश्यकता से अधिक श्रमशक्ति का मूल्यांकन करना और तत्पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाए जाने के सम्बन्ध में निर्णय करना है।

**समझौतों के विफल होने सम्बन्धी रिपोर्टें**

5347. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य क्षेत्र), धनबाद से पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, समझौतों के विफल होने सम्बन्धी कितनी रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं तथा न्यायाधिकरण को भेजी गयी हैं;

(ख) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य क्षेत्र) से प्राप्त उन समझौतों के विफल होने की रिपोर्टों की संख्या कितनी है जो 1 जुलाई, 1992 तक विचाराधीन थीं और वे कब से विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

**श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री ( श्री पवनसिंह घाटोबार )** : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात; 1989, 1990 और 1991 के दौरान क्रमशः 385, 439 तथा 440 समझौता वार्ताओं के विफल होने की रिपोर्ट, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) धनबाद से प्राप्त हुयी थीं। इनमें से क्रमशः 236, 298 और 172 मामले न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरणों को भेजे गये थे।

(ख) 1 जुलाई, 1992 को विचार के लिए लम्बित समझौता वार्ताओं की कुल संख्या 94 थी। इनमें से 39 मामले 1991 के तथा शेष 55 मामले 1992 से सम्बन्धित थे।

(ग) लम्बित मामलों को समुचित समयावधि में निपटाने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

**[हिन्दी]**

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अधिष्ठापित क्षमता**

5348. **श्री बेदी पासवान :**

**श्री राम टहल चौधरी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के वे कौन-कौन से उपक्रम हैं जो अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं ;

(ख) अपनी अधिष्ठापित क्षमताओं का कम उपयोग करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की रुग्णता का एक कारण यह भी है; और

(घ) इन उपक्रमों द्वारा अधिष्ठापित क्षमता के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

**उद्योग मन्त्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन)** : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की क्षमता उपयोग के ब्यौरे सरकारी उद्यम विभाग द्वारा प्रकाशित सरकारी उद्यम सर्वेक्षण 1990-91 के खण्ड-1 में दर्शाए गए हैं जिसे 5 मार्च, 1992 को सदन के पटल पर रखा गया है।

(ख) क्रयादेश की कमजोर स्थिति, कार्यशील पूंजी की कमी अप्रचालित संयंत्र और मशीनें, बिजली की कमी और कच्चे माल की कमी आदि जैसे प्रमुख कारणों से अधिष्ठापित क्षमताओं का कम उपयोग हुआ।

(ग) जी हां।

(घ) इन उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जा रही है ताकि जनशक्ति के युक्तिकरण, वर्धित उत्पादकता, वस्तु सूची में कमी और सन्तुलित निवेशों के माध्यम से जहां कहीं सम्भव हो, सुविधाओं के बेहतर उपयोग के लिए इनके कार्य निष्पादन में सुधार किया जा सके।

[अनुवाद]

**क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, धनबाद के पास औद्योगिक विवाद**

5349. **श्री रामचन्द्र डोम :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) धनबाद द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने औद्योगिक विवाद निपटाये गये ;

(ख) इस समय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के पास, कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) विवादों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

**श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पवनसिंह घाटोबार) :** (क) क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद के अधीन धनबाद क्षेत्र में वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 के दौरान निपटाये गये औद्योगिक विवादों की संख्या क्रमश: 2500, 2247 तथा 2516 थी।

(ख) धनबाद क्षेत्र में 1-7-1992 को 850 मामले लम्बित थे।

(ग) संराधन अधिकारियों को औद्योगिक विवादों को तेजी से निपटाने के लिए समय-समय पर सलाह दी जाती है।

**दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम**

5350. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यकरण की जांच के लिए कोई समिति नियुक्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि ऐसे अध्ययन का औचित्य सिद्ध करने हेतु कोई तथ्य अथवा परिस्थितियां उनके ध्यान में नहीं लाई गई हैं।

**औद्योगिक दुर्घटनाएं**

5351. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या श्रममंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में औद्योगिक दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी औद्योगिक दुर्घटनाएं हुईं ; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवनसिंह घाटोबार) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**कोयले का अन्य कार्यों में उपयोग तथा उसकी पुनर्बिक्री**

5352. **श्री राम नाईक :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आवंटियों द्वारा प्राप्त कोयले का अन्य कार्यों में उपयोग करने तथा उसकी पुनर्बिक्री के संबंध में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसे आवंटियों की संख्या और नाम क्या हैं तथा इसमें कोयले की कितनी मात्रा अन्तर्ग्रस्त है ;

(ग) उक्त आवंटियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त आवंटियों को काली सूची में दर्ज करने का है ?

**कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. बी. न्याम गौड) :** (क) और (ख) विशिष्ट कार्यों के उपभोक्ताओं को आवंटित कोयले को अन्य कार्यों में उपयोग किए जाने के बारे में कोयला कंपनियों को और सरकार को भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसे संगठनों, फैक्ट्रियों अथवा व्यक्तियों का जिन्होंने काफी समय से अपने कोयले के कोटे को अन्य कार्यों में उपयोग के लिए परिवर्तित किया है उनका केन्द्रीयकृत रिकार्ड कोयला मंत्रालय में नहीं रखा गया है। सभी कोयला कंपनियों से इस सूचना को एकत्र करने और सुगठित करने में काफी समय और प्रयत्न लगने की संभावना है, जो कि प्राप्त किए जाने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) और (घ) यदि उपभोक्ता कदाचार में शामिल पाए जाते हैं तो उचित जांच पड़ताल के बाद कोयला कंपनियों द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति रोक दी जाती है/निलंबित कर दी जाती है। कोयले की कालाबाजारी को रोकने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) प्रणाली को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना ताकि केवल वास्तविक उपभोक्ता ही कोयले का आवंटन प्राप्त कर सकें।

(2) गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए कोयले के कोटा की प्रायोजकता को अन्तिम रूप दिए जाने के मामले में राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप में सहयोग।

(3) कोयले के सुपुर्दगी आदेशों की हस्तांतरणता किए जाने के प्रचालित कार्य को रोकना।

(4) कोयला मंत्रालय ने अभी हाल ही में कोलियरी नियंत्रण आदेश से संबंधित तीन आदेश/अधिसूचनाएं जारी की हैं। जहां तक कोयला उपभोक्ताओं का संबंध है, कोयला प्राप्त करने की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। किन्तु यदि उन्होंने वास्तविक उपभोक्ताओं के रूप में कोयला प्राप्त किया गया है तो उन्हें अब अन्य कार्यों के लिए उपयोग अथवा उसकी पुनर्बिक्री के लिए कोयला नियंत्रक से पूर्व अनुमति लेनी होगी। कोलियरी नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है।

**[हिन्दी]**

**मध्य प्रदेश की औद्योगिक योजनायें**

5353. **श्री बारेलाल जाटव :** क्या प्रधानमन्त्री 6 मई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9245 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय, औद्योगिक विकास विभाग में राज्यमन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) गैर-सरकारी औद्योगिक एककों के विकास सम्बन्धी सूचना मध्य प्रदेश के उद्योग निदेशालय द्वारा एकत्र नहीं की जा रही है और इस प्रश्न का उत्तर "शून्य" समझा जाए ।

**[अनुवाद]**

**छुट्टी यात्रा रियायत योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को हवाई यात्रा**

5354. **श्री बी. एल. शर्मा प्रेम** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छुट्टी यात्रा रियायत के अन्तर्गत कर्मचारियों को निकटतम स्थान से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए हवाई यात्रा की अनुमति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री ( श्रीमती मार्गरेट अल्वा )** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**सिविल सेवा परीक्षा का साक्षात्कार**

5355. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न साक्षात्कार बोर्डों, विशेष रूप से सिविल सेवा परीक्षा के साक्षात्कार बोर्ड, में व्यक्तियों को नियुक्त करने हेतु अपनाए जाने वाले मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या इन साक्षात्कार बोर्डों में देश के विभिन्न भागों से प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किए जाते हैं और,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री ( श्रीमती मार्गरेट अल्वा )** : (क) संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा सहित विभिन्न साक्षात्कार बोर्डों में ऐसे क्षेत्रों के, जिनमें चयन किया जाता है, प्रख्यात व्यक्तियों को आयोग सहायता के लिए आमंत्रित करता है जिन्हें संयत क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान तथा सुविज्ञता प्राप्त होती है ।

(ख) और (ग) देश भर के परामर्शदाताओं को साक्षात्कार बोर्डों में लिया जाता है । उन्हें उनके क्षेत्र में प्राप्त ख्याति के आधार पर चुना जाता है और सुविधा के अनुसार उन्हें बुलाया जाता है ।

[हिन्दी]

**रोहतास उद्योग लिमिटेड**

5356. **श्री रामशरण यादव :** क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतास उद्योग लिमिटेड, डालमिया नगर (रोहतास), बिहार को संघ सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 में अधिग्रहण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कम्पनी में सीमेंट का उत्पादन कब से शुरू हो जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या सीमेंट की आपूर्ति के लिए पांच हजार डीलरों की धरोहर राशि के रूप में करोड़ों रुपये रोहतास उद्योग के पास जमा हैं, और

(ङ) इन डीलरों को कब तक सीमेंट की आपूर्ति कर दी जाएगी ?

**उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्यमन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) :** (क) जी, नहीं।

(ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बिहार राज्य सरकार रोहतास उद्योग लि० को पुनः स्थापित करें।

(ग) सीमेंट का वाणिज्यिक उत्पादन 16-7-1992 को शुरू हुआ है।

(घ) और (ङ) कुछ पार्टियों ने रोहतास उद्योग लि० तथा उसके सम्बद्ध प्रतिष्ठानों को सीमेंट सप्लाई के लिए अग्रिम धन दिया था। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार रोहतास उद्योग लि० के विरुद्ध दावों की समीक्षा करने के लिए एक दावा समिति गठित की गई। उक्त समिति ने उच्चतम न्यायालय को उसके आदेशों के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

[अनुवाद]

**सिक्किम में खादी और कुटीर उद्योग**

5357. **श्रीमती विमलकुमारी भंडारी :** क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में खादी और कुटीर उद्योग के विकास हेतु बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन योजनाओं हेतु कितनी वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है;

(ग) सिक्किम के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और कुटीर उद्योग की विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन योजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सिक्किम के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खादी और कुटीर उद्योग के विकास हेतु नई योजनाएं प्रारम्भ करने का है, और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो. पी.जे. कुरियन)** : (क) से (घ) खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही होते हैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, सिक्किम राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने से लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बनाए गए वित्तीय सहायता ढांचे के अनुसार खादी तथा ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए अनुदान तथा ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसने पहाड़ी, सीमावर्ती, आदिवासी तथा कमजोर वर्ग क्षेत्रों के लिए भी सहायता का उदार ढांचा तैयार किया है। सहायता का उक्त ढांचा सिक्किम सहित देश भर में लागू है। 1990-91 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने इन कार्यक्रमों के विकास के लिए 51.42 लाख रु० की धनराशि वितरित की है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1991-92 के लिए सिक्किम राज्य खादी तथा ग्राम्य उद्योग बोर्ड को 69.38 लाख रु० की धनराशि आबंटित की है।

(ङ) और (च) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का सिक्किम राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योगों दोनों के अधीन वर्ष 1992-93 के दौरान उपलब्ध बजट सहायता से नई योजनाएं आरम्भ करने का विचार है।

## न्यूनतम वेतन में संशोधन

5358. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों द्वारा न्यूनतम वेतन में इससे पूर्व संशोधन कब किये गये थे;

(ख) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इससे पूर्व मंहगाई भत्ता कब स्वीकृत किया गया था; और

(ग) श्रमिकों के न्यूनतम वेतन निर्धारित करने हेतु अपनाये गये मानदंड क्या हैं ?

**श्रम मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पवनसिंह घाटोबार)** : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल रख दी जायेगी।

## मध्य प्रदेश में लघु और अति लघु जल-विद्युत परियोजनायें

5359. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में वर्ष 1992-93 में लघु और अति लघु जल-विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) से (ग) माइक्रो तथा मिनी जल-विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का कार्य राज्य सरकारों के अधिकार के अन्तर्गत आता है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है जो प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**पदोन्नति के नियम**

5360. **श्री पाला के. एम. मैथ्यू** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग में समूह 'ख' के समूह 'क' में पदोन्नति के मामले में पात्रता का मूल्यांकन करने तथा पदोन्नति देने में सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियम बनाए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्यमंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) और (ख) चूंकि इस विभाग को अपने कार्मिक मामलों के सम्बन्ध में स्वायत्तता मिली हुई है इसलिए विभाग ने स्वतन्त्र रूप से भर्ती नियम बनाए हुए हैं। तथापि, पात्रता संबन्धी मानदन्ड तथा चयन सम्बन्धी प्रक्रियाएं कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं और इस विभाग में उन्हें आवश्यक परिवर्तनों के साथ अपनाया जाता है।

**गरीबी उन्मूलन**

5361. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से गरीबी दूर करने के संबंध में कोई योजना भेजी है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके लिए कितनी सहायता की मांग की गई है और इस सम्बन्ध में विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली**

5362. **श्री भेरूलाल मीणा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्कूटर्स इण्डियां लिमिटेड की दिल्ली यूनिट में प्रबन्धन द्वारा बरती गई कुछ अनियमितताओं की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली के कर्मचारी संघ से इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मन्त्री श्री पी० के० थुंगन)** : (क) से (ङ) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड (एस. आई. एल.) के दिल्ली एकक के प्रबंधन द्वारा अनियमितताओं के बारे में कुछ आरोप लगाए गए थे जो डेढ़ वर्ष से कुछ अधिक पहले प्राप्त हुए थे। ये आरोप विविध देनदारों से बकायों की वसूली, एस. आई. एल. के उत्पादों को भुगतान अथवा बैंक-गारंटी प्राप्त किए बिना निजी व्यक्तियों को भेजने, धोखाधड़ी, कमीशन-ठगी की मौजूदगी आदि के सम्बन्ध में थे और इनकी जांच की गई थी। यह पाया गया कि बकायों की वसूली के आरोप को छोड़कर, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी। कम्पनी ने बताया कि बकायों की वसूली के लिए वह आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

**अधिसंख्य पद**

5363. **श्री हरचन्द सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन मानदण्डों तथा परिस्थितियों के अन्तर्गत अधिसंख्य पदों का सृजन किया जाता है ;

(ख) क्या ऐसे पदों के सृजन की कोई सीमा है;

(ग) क्या ऐसे पदों की संख्या विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूलरूप से विचार किए गए पदों की संख्या से अधिक हो सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा)** : (क) और (ख) अधिसंख्य पद का सृजन सामान्यतः ऐसे अधिकारी को समायोजित करने के लिए किया जाता है जो किसी स्थायी पद पर धारणाधिकार बनाए रखने का हकदार होता है, परन्तु नियमित स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण पद प्राप्त नहीं कर सकता। यह संरक्षणात्मक पद होता है। स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रिक्त किसी अन्य पद की उपलब्धता की स्थिति में ही इस पद का सृजन किया जा सकता है। यह पद उस अधिकारी विशेष के लिए ही होता है जिसके लिए यह सृजित किया जाता है तथा ऐसे पदों के सृजन में कोई अतिरिक्त वित्तीय खर्च नहीं आता है।

कभी-कभी उपर्युक्त मानदण्ड में शिथिलता प्रदान करनी अपेक्षित होती है। आपवादिक परिस्थितियों में अधिसंख्य पदों का सृजन उस स्थिति में भी किया जाता है जब उच्चतम न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को क्रियान्वित करने के किए किसी अधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक हो जाता है तथा कोई स्थायी या अस्थायी रिक्ति उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसा पद पूर्णतया संबंधित अधिकारी के लिए ही होता है और इसे तब तक ही बनाए रखा जाता है जब तक कि अधिकारी इसे धारण किए हुए हों अथवा समान ग्रेड एवं संवर्ग में अन्य रिक्ति उपलब्ध न हो जाये।

(ग) और (घ) जी, हां। कभी-कभार अपवादिक परिस्थितियों में अधिकारियों को समायोजित करने के आशय से इन पदों के सृजन से, ऐसे पदों की संख्या अस्थायी तौर पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचारित मूल पदों की संख्या से अधिक भी हो सकती है।

**मारूति वाहनों में जापानी प्रौद्योगिकी का उपयोग**

5364. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारूति कारों/वैनों में अपनायी गई जापानी प्रौद्योगिकी भारतीय सड़कों के अनुकूल है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या मारूति वाहनों की अधिकांश दुर्घटनायें इसी कारण होती हैं;

(ग) क्या सरकार ने मारूति वाहनों के लिए जापानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय भारतीय सड़कों की जांच की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय ( भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग ) में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० घुंगन)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) मारूति वाहन, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों में बताए गए मार्ग-योग्यता मानदण्ड पूरा करते हैं और सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण एजेन्सियों ने उनकी जांच की है तथा उनकी मार्ग-योग्यता प्रमाणित की है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**मारूति उद्योग लिमिटेड की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच**

5365. **श्री मदन लाल खुराना** :

**श्री मोहन रावले** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा की गई अनेक अनियमितताओं की जांच कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो इन अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मारूति उद्योग लिमिटेड के कुछ अधिकारियों को कुछ मामलों में दोषी पाया है और उनके विरुद्ध मामले दर्ज करने की सिफारिश की है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अनेक पत्रों के माध्यम से सरकार से दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा अन्य लम्बित मामलों से सहायता करने का अनुरोध किया हैं,

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं,

(छ) क्या मूल कम्पनी सुजुकी ने वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, जिसके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है, को पुनः प्रबन्ध निदेशक नामांकित किया है, और

(ज) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उद्योग मन्त्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मन्त्री ( श्री पी० के० चुंगन)** : (क) से ( च ) मारूति उद्योग लिमिटेड में अनियमितताओं के सम्बन्ध में, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से कुछ सन्दर्भ प्राप्त हुए हैं। यह विभाग केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा रहा है। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने नीचे वर्णित विशिष्ट आरोपों की जाँच की है :—

(1) कांडला पत्तन से गुड़गाँव तक एस०के०डी० तथा सी०के०डी० उपकरणों के परिवहन के लिए संविदा देने में अनियमितता।

(2) वातानुकूलनों की खरीद के लिए संविदा देने में अनियमितता।

(3) अनधिकृत उपभोक्ताओं को 13 वाहनों का बजट पूर्व कीमतों पर आबंटन, जबकि बजट में 30,000 रुपये प्रति वाहन कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई थी।

(4) एक आपूर्ति आदेश में अनियमित रूप से संशोधन करके कीमत निर्धारण समिति की सिफारिशों का उल्लंघन करते हुए फर्म को 30 लाख रुपये की अनधिकृत अग्रिम राशि की अनुमति देना।

प्रथम मामले में, मारूति उद्योग लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध एक नियमित मामले के पंजीयन के लिए अनुमति माँगी गई है। दूसरे मामले में, प्रारम्भिक जाँच करने के लिए सरकार की अनुमति माँगी गई है। मामले पर सरकार द्वारा सक्रियता पूर्वक विचार किया जा रहा है तीसरा मामला मारूति उद्योग लि० के मंडलीय प्रबन्धक और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों से सम्बन्धित है। इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच पड़ताल की जा रही है। चौथे मामले में, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत, मारूति उद्योग लि० के एक वरिष्ठ प्रबन्ध के विरुद्ध एक नियमित मामला पंजीकृत किया गया है।

(छ) और (ज) सुजुकी मोटर कारपोरेशन (एस०एम०सी०) ने, 2-6-92 को हस्ताक्षरित संयुक्त उद्यम करार के अनुसरण में, वर्तमान अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक को मारूति उद्योग लि० का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया है। इस करार के अनुसार, सरकार और सुजुकी को बारी-बारी से कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक और अध्यक्ष नामित करने का अधिकार है। जबकि सरकार कम्पनी के पहले अंशकालिक अध्यक्ष को नामित करेगी, सुजुकी को पहला प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करना है।

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों की बाजार में बिक्री**

5366. **श्री जीवन शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूँ और मिट्टी के तेल को काला बाजारी की जाती है और राशनकार्ड धारियों को घटिया गेहूँ/चावल सप्लाई किया जाता है तथा उन्हें ये वस्तुएं खुले बाजार में बहुत ऊंचे मूल्यों पर खरीदनी पड़ती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद)** : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनका खाद्य,

आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग उचित दर दुकानों/मिट्टी के तेल के डिपुओ पर माल को अन्यत्र भेजे जाने से रोकने हेतु कड़ी नजर रखता है। दिल्ली प्रशासन अनुमोदित गुणता विशिष्टियों हेतु खाद्यान्नों को जाँच करने तथा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उचित दर दुकानों तक उनकी सही-सही सुपुर्दगी के लिए व्यवस्था करता है।

**बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 में संशोधन**

5367. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत में सरकारी एजेंसियों द्वारा कुछ उद्योगों के कुछ लागत अध्ययन किए गए जिनके दौरान सीमेंट, टायर, दवा, साबुन, टुथपेस्ट, शैम्पू इत्यादि जैसे क्षेत्रों में असामान्य मुनाफा लिए जाने के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार के पास लागत लेखा-परीक्षा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग और उपभोक्ता संरक्षण परिषद जैसी एजेंसियाँ होने के बावजूद अनुचित मुनाफा लेने वाली कम्पनियों/निर्माताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है,

(घ) यदि नहीं, तो पिछले 12 महीनों के दौरान प्रत्येक माह, अनुचित मुनाफा कमाने के कारण कितने निर्माताओं/कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ताकि डिब्बा बन्द वस्तुओं पर अधिकतम 'बिक्री मूल्य' सहित 'उत्पादन लागत' लिखने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :** (क) कम्पनी कार्य विभाग ने सूचित किया है कि वे कुछ उद्योगों के लिए लागत लेखा-परीक्षा करते हैं। इन रिपोर्टों की समीक्षा इस विभाग की लागत लेखा-परीक्षा शाखा द्वारा की जाती है। जहाँ भी अनियमितताओं अथवा अत्यधिक लाभ उठाने के मामले जानकारी में आते हैं तो रिपोर्टों के परिणाम संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे जाते हैं।

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने थोक दवाओं (बल्क ड्रग्स) के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के बारे में हाल में कोई अध्ययन नहीं किया है। थोक दवाएं रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के तहत आती है। हाल ही में किए गए अध्ययनों में असामान्य लाभ उठाने का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा हाल में किए गए एक अध्ययन में, आटोमोटिव टॉयरों का उत्पादन करने वाली सात प्रमुख कम्पनियों के प्रकाशित तुलन पत्रों के विश्लेषण से यह पता चला है कि इन कम्पनियों की लाभकारिता काफी सन्तोषजनक है तथा वर्ष 1990-91 के दौरान कर की कटौती के बाद निवल सम्पत्ति के प्रतिशत के रूप में लाभ 6·21% से 28·58% के बीच रहा है।

(ख) कम्पनी कार्य विभाग द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण पर दी गई है।

(ग) और (घ) कम्पनी कार्य विभाग की लागत लेखा-परीक्षा शाखा लागत लेखा-परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर अत्यधिक लाभ कमाने के मामले संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को अग्रेषित करती रही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित उपभोक्ता संरक्षण परिषद सरकार को सलाह देने के लिए केवल एक सलाहकार निकाय है और इसके पास अनुचित मुनाफाखोरी के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु कोई शक्ति नहीं है।

(ङ) जी नहीं।

(च) यह विषय बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 की परिधि से बाहर है।

**विवरण**

1991-92 के दौरान लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा तथा उन पर की गई कार्यवाही के आधार पर उन कम्पनियों के नाम दर्शाने वाला विवरण जो संभवतः अनुचित लाभ कमा रही हों या आयात का दुरुपयोग कर रही हों।

| क्र. सं. | कम्पनियों के नाम | उत्पाद | किसे भेजा गया |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **अत्यधिक लाभ के मामले** | | |
| | **क. सीमेंट उद्योग** | | |
| | 1. मै. श्री सीमेंट्स लि. | सीमेंट | उद्योग मंत्रालय |
| | 2. मै. मद्रास सीमेंट्स लि. | | |
| | 3. मै. जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. | | मामले एकाधिकारिक व्यापारिक व्यवहार के बारे में जांच के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को भेजे गए हैं। |
| | 4. मै. सागर सीमेंट्स लि. | | |
| | 5. मै. ए.सी.सी. लि. | | |
| | **ख. रसायन** | | |
| | 1. मै. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि. | 1. बेन्जीन | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग |
| | | 2. टोल्यूईन | |
| | 2. मै. इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि. (आई.पी.सी.एल) | 1. एथोलीन आक्साइड 100% | वही |
| | | 2. एथीलीन ग्लाइकोल | |
| | | 3. एथीलीन डाइक्लोराइड | |
| | | 4. पॉलीविनाइल क्लोराइड | |
| | | 5. लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| ग. रेयन/विस्कोस : | | | |
| 1. | मै. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि. | रेयन/विस्कोस | कपड़ा मंत्रालय |
| 2. | मै. सेन्चुरी टेक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. | रेयन/विस्कोस | कपड़ा मंत्रालय |
| | | | कपड़ा मंत्रालय द्वारा 3.4.92 को दी गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा औद्योगिक लागत व मूल्य ब्यूरो से एक विस्तृत अध्ययन करवाया जा रहा है। |
| 2. | आयातों के दुरुपयोग आदि के मामले पीक दवाइयां | | |
| (1) | मै. लुपिन लेबोरेटरीज लि. | 1. इथाम्बुटोल | राजस्व विभाग |
| | | 2. रीफेम्पिसीन | वाणिज्य मंत्रालय तथा मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात |
| | | 3. केफालेक्सीन | वाणिज्य मंत्रालय ने और कठोर मानक निर्धारित करने के लिए आयात के मानदंडों में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय ने भी संबंधित प्राधिकारियों से मामले को देखने के लिए कहा है। |
| (2) | मै. सैन्डोज इण्डिया लि. | 1. थोयामुलीन | रसायन व उर्वरक मंत्रालय |
| | | 2. सल्फामेथॉक्सा-जोल | वाणिज्य मंत्रालय |
| | | 3. क्लोपॉमाइड | राजस्व विभाग |
| | | 4. लेक्टोबायोनेट | |
| (3) | मै. ई. मर्क इण्डिया लि. | विटामिन ई | राजस्व विभाग महानिदेशक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार |

**बांग्लादेश की महिलाओं को भारत लाकर बेचा जाना**

5368. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी मानवाधिकार संगठन 'एशिया वाच' ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बांग्लादेश की महिलाओं को भारत लाकर बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सरकार कड़ी नजर रखे हुए है तथा गैर कानूनी घुसपैठ तथा महिलाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए उचित उपाय कर रही है।

**रुग्ण औद्योगिक एकक**

5369. **डा० असीम बाला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनकी पुनरीक्षा के लिए उन्हें औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरो को भेजा गया है ;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरो के पास भेजने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में रुग्ण एककों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में भी रुग्ण एककों की पुनरीक्षा की है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

**उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) और (ख नवीनतम उपलब्ध जानकारी के आधार पर संलग्न विवरण के अनुसार अब तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 33 रुग्ण उपक्रमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मन्डल को सौंप दिया गया है। किसी रुग्ण उद्यम को अभिज्ञान करने का मापदन्ड रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 3 (ण) के अन्तर्गत दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 31-3-1990 को 1455 गैर-लघु उद्योग तथा 218828 लघु उद्योग रुग्ण एकक थे। रुग्णता के कारणों की समीक्षा करने के बाद सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण औद्योगिक एककों के साथ-साथ रुग्णता की घटनाओं को रोकने के लिये अनेक उपाय शुरू किये हैं। इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यक मार्ग निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं।

**विवरण**

**औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपे गए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची**

1. भारत पम्प्स एन्ड कम्प्रेशर्स लि०
2. नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लि०
3. टेनरी एन्ड फुटवियर कारपो० ऑफ इन्डिया लि०
4. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०
5. भारी इंजीनियरी निगम लि०
6. माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपो० लि०
7. रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि०
8. भारतीय राष्ट्रीय बाईसाइकिल निगम लि०

9. भारत गोल्ड माइन्स लि०
10. भारतीय साइकिल निगम लि०
11. विग्मयन इंडस्ट्रीज लि०
12. उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमीकल्स लि०
13. भारतीय उर्वरक निगम लि०
14. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपो० लि०
15. मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०
16. बीको लॉरी लि०
17. ब्रिटिश इंडिया कारपो० लि०
18. एल्गिन मिल्स कम्पनी लि०
19. कानपुर टेक्सटाइल लि०
20. भारतीय टायर निगम लि०
21. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि०
22. स्कूटर्स इन्डिया लि०
23. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इण्डिया लि०
24. इण्डियन ड्रग्स एन्ड फार्मास्युटिकल्स लि०
25. भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनीकल इन्जी० लि.
26. उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि.
27. वेबर्ड (इन्डिया) लि.
28. भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लि.
29. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि.
30. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि.
31. ब्रेथवेट एन्ड कम्पनी लि.
32. बंगाल इम्युनिटी लि.
33. बंगाल कैमिकल्स एन्ड फार्मास्युटिकल्स लि.

[हिन्दी]

**कम्बोडिया में भारतीय शान्ति सेना**

5370. **श्री राम बदन** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21-27 जून, 1992 के साप्ताहिक "सन्डे आब्जर्वर" में कम्बोडिया में भारतीय शांति सेना से संबंधित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया)** : (क) जी हां।

(ख) इस लेख से कम्बोडिया में तैनात भारतीय सैन्य-दल को पेश आ रहे जोखिम के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है।

शांति बताए रखने के लिए सैन्य-दल उपलब्ध कराने से संबद्ध भारतीय निर्णय सभी संबद्ध प्राधिकारियों से परामर्श करने के बाद और ऐसे कार्यों में निहित जोखिम भरे तत्वों तथा उनसे निपटने में भारतीय सैनिकों की क्षमताओं को ध्यान में रखने के बाद ही लिया गया था। कम्बोडिया में युद्ध-विराम का उल्लंघन होने के फलस्वरूप अब तक कोई भारतीय हताहत नहीं हुआ है।

**अफगानिस्तान को भारतीय मूल के लोगों को वापसी**

5371. **प्रो. रासासिंह रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अफगानिस्तान से भारतीय मूल के उन व्यक्तियों को जो अफगानिस्तान में हाल ही में हुई गड़बड़ियों के कारण भारत आ गए थे सुरक्षित वापसी के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया)** : सरकार को उम्मीद है कि भारतीय मूल के जो अफगान राष्ट्रिक अस्थायी तौर पर भारत में चले आए हैं वे अफगानिस्तान में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक होते ही वापस लौट जाएंगे। सरकार ऐसे अफगान राष्ट्रिकों की देखभाल कर रही है जो भारत में आ गए हैं और जब तक वे लौट नहीं जाते तब तक यथाशक्ति उसकी सहायता करेगी।

**शारजाह में भारतीयों की गिरफ्तारी**

5372. **श्री गोविन्दराव निकाम** :
**श्री सनतकुमार मंडल** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जुलाई, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में शाहजाह में एक नाटक करने के लिए भारतीयों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले से सम्बन्धित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय मिशन ने उस देश के साथ इस मामले पर चर्चा की थी, और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

**विदेश मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आर. एल. भाटिया)** : (क) जी, हां।

(ख) मई, 1992 के अन्त में शाहजाह आस्थानी केरल आर्ट्स लवर्स एसोसिएशन (काला) ने इण्डियन एसोसिएशन, शारजाह के परिसर में कई कार्यक्रम आयोजित किए थे। 28 मई को सूर्य आर्ट्स सोसाइटी, शारजाह ने एक नाटक का मंचन किया था जिसे स्थानीय अधिकारियों ने इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति निन्दनीय पाया इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों ने 11 भारतीय राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया था और इण्डियन एसोसिएशन, शारजाह के परिसरों को बन्द करके सील कर दिया था।

(ग) जी, हां।

(घ) आबू धाबी और दुबई में हमारे मिशनों द्वारा की गई राजनैतिक कार्यवाही के फलस्वरुप एसोसिएशन के अध्यक्ष को दोषमुक्त करके छोड़ दिया गया था और कोषाध्यक्ष को जमानत पर छोड़ा गया था। अब तक हिरासत में रहे 9 व्यक्तियों में से श्री गोगी फ्रांसिस को 20 जुलाई को छोड़ा गया था परन्तु उन्हें 22 जुलाई, 1992 को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले की अन्तिम सुनवाई 8 अगस्त, 1992 को हुई थी। नवीनतम जानकारी के अनुसार यह मामला अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया है जो 9 सितम्बर, 1992 को होगी। एसोसिएशन के परिसर फिर से खोल दिए गए हैं।

धार्मिक मुद्दा होने के कारण यह मामला कुछ संवेदनशील है। परन्तु हमारे मिशन हिरासत में रह रहे अपने राष्ट्रिकों की शीघ्र रिहाई के लिए इस मामले में गम्भीरता से कार्यवाई कर रहे हैं।

**[अनुवाद]**

**बादली औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली**

5373. **श्री मुमताज अंसारी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सघन औद्योगिक क्षेत्र की सूची में निहित व्यापार प्रतिबन्धों के कारण उद्योग आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय द्वारा बादली औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में भारी पैमाने पर भूखंडों का आवंटन रद्द किया गया है;

(ख) क्या उक्त औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में "मास्टर प्लान" की घोषणा किए जाने से पहले ही विकसित हो गया था और उद्योग आयुक्त, दिल्ली द्वारा कई मामलों में आवंटितियों के पट्टे पर सघन औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापार की अनुमति दे दी गई है, और

(ग) यदि हाँ, तो आवंटितियों को उनके पट्टे के अनुसार उद्योग चलाने देने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कब तक सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

**उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) :** (क) कुछ मामलों में दिल्ली प्रशासन ने पट्टेदारी के करार में उल्लिखित व्यापार में अनाधिकृत परिवर्तन करने के कारण पट्टेदारी के करार रद्द कर दिये हैं।

(ख) और (ग) जो एकक मास्टर प्लान लागू होने से पहले कार्यरत थे उन्हे अपना काम जारी रखने की अनुमति दी जा रही है बशर्ते कि उन्होंने पट्टे में उल्लिखित किसी नियम और शर्त का उल्लंघन न किया हो।

**बादली औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में प्लाटों का आवंटन रद्द करना**

5374. **श्री देवी बक्स सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग आयुक्त, दिल्ली का कार्यालय बादली औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली में ऐसे लघु औद्योगिक एककों के भूखंडों का आवंटन भी रद्द करता है, जिन्होंने भूमि खरीदी है और

उन पर भवनों का निर्माण किया है, किन्तु जो अपने एककों को उचित रूप से नहीं चला पा रहे हैं ;

(ख) यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने भूखंडों के आवंटन रद्द किये गये और उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसी प्रथा को कब से समाप्त करने का है ?

**उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन** : (क) कुछ मामलों में, दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित कारणों से पट्टे रद्द कर दिये हैं :—

(1) पट्टेधारी ने भूखण्ड बेच दिया है, हस्तांतरण कर दिया है, किसी को दे दिया है अथवा भूखण्ड के कब्जे में विभाजन कर दिया है,

(2) पट्टाधारी दी गई अवधि में भवन निर्माण करने में असफल रहा है, और

(3) पट्टाधारी निर्माण कार्य शुरू करने में असफल रहा है अथवा अनधिकृत व्यापार करने लगा है अथवा असंगत क्षेत्र के पुराने परिसरों के अनधिकृत उपयोग को नहीं रोक पाया है ।

(ख) जिन मामलों में पिछले तीन वर्षों में पट्टा रद्द कर दिया गया है, उनका एक विवरण संलग्न है ।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

**विवरण**

**जनवरी 89 से जून, 92 तक, बादली औद्योगिक क्षेत्र में रद्द किये गये प्लाटों की सूची**

| क्र. सं. | प्लाट सं. | नाम | पट्टानामा में अनुमति प्राप्त व्यवसाय | रद्द करने के कारण तथा तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | शेड सं. 7 | मै. बैट ब्रो इंजी. एण्ड जनरल मैन्यू. | हौजरी सामान | (1) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण<br>(2) गैर-उत्पादन<br>(3) सरकारी देय का भुगतान न करना 17.7.89 |
| 2. | एस.-26 | मै. देवेन्दर रेडियो | रेडियो, ट्रांजिस्टर के हिस्से पुर्जे | (1) अनधिकृत शिकमी देना<br>(2) गैर-उत्पादन<br>(3) पिछली ओर का अतिक्रमण 23.9.91 |
| 3. | एस.-67 | मै. रामकुमार त्यागी | आयल एक्सपेलर | गैर-उत्पादन 27.9.91 |
| 4. | एस.-73 | मै. स्टीड इलैक्ट्रानिक्स | रेजिस्टर्स | भवन का निर्माण न करना 13.6.89 |
| 5. | 13/11 | मै. रंगर एण्ड कं. | थिन वाल्व्स एण्ड हेड गैस गास्केट्स, आयल सील | गैर-उत्पादन 27.9.91 |
| 6. | 80/11 | मै. सिग्मा इंड. वर्क्स | इंजन माउंटिंग एण्ड आटो रबड़ पार्ट | भवन का निर्माण न करना 5.3.90 |
| 7. | 55/11 | मै. कैपिटल डाइंग एण्ड निटिंग वर्क्स | नायलॉन की जाँघिया, ब्लाउज, निकर इत्यादि. | एस.एस. रिरोलिंग का अस्वीकृत व्यवसाय 5.6.91 |
| 8. | 77/11 | मै. राज राजीव एण्ड कं. | साइकिल के हिस्से पुर्जे | —वही— 4.4.91. |
| 9. | एस.-43 | मै. दीवान चन्द हरिचन्द | हथकर्घा | —वही— 11.4.91. |
| 10. | एस.-38 | मै. नेशनल एनोडाइजिंग एण्ड इन्जी. कार्पो. | रेडियो/एनोडाइजिंग | —वही— 21.3.91. |
| 11. | एम.-25 | डी.डी. एण्ड कं. | डिकोल्कोमेनिया पेपर | —वही— 29.3.88. |
| 12. | 83/11 | मै. एस्का आटो इंड. | रबर आटो पार्ट्स | —वही— 11.2.91. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | एस.-97 | मै. एच-आर- लोंगनी | फाउंण्ड्री कार्य | —वही— 13.6.91 |
| 14. | एस.-60 | मै. किशन एण्ड कं. | कृषि उपकरण | एस.एस. रिरोलिंग का अस्वीकृत व्यवसाय 9.5.91. |
| 15. | एस.-61 | मै. उत्तम सिंह | आटो पार्टस | —वही— 2.4.91. |
| 16. | 8-9/2 | इंडस्ट्रियल गम्स एंड कैमि. | गवार गोंद तथा डाइ उत्पाद | —वही— 23.4.91. |
| 17. | एस.-33 | मै. सिंघवानी आटो इंजीं. | आटो पार्टस | —वही— 2.5.91 |
| 18. | एम-14 | मै. शम्भू दयाल | टिन कन्टैनर्स | —वही— 23.5.91 |
| 19. | 106/11 | मै. कालस्कर इं.ड. | टाइप रिबन तथा लेखन सामग्री | —वही— 21.5.91 |
| 20. | एस.-98 | मै. मरकंडा इन्जी. | आटो पार्टस | —वही— 27.5.91 |
| 21. | एम.-26 | मै. कल्लू राम जयकुमार जैन | दाल मिल | एस.एस. रिरोलिंग का अस्वीकृत व्यवसाय 13.6.91 |
| 22. | एम.-4 | मै. मतवल चन्द ऐंसीलाल | कुक्कुट चारा | एस.एस. रिरोलिंग का अस्वीकृत व्यवसाय 16.4.91 |
| 23. | एम.-8 | मै. गियासीराम एण्ड संस | तैयारशुदा कपड़े | —वही— 26.4.91 |
| 24. | 47/11 | मै. शैली पेन्ट्स | पेंट, लेकर तथा थिन्नर | —वही— 23.5.91 |
| 25. | एस.-20 | मै. यूनाइटिड फोटो कं. | फोटोग्राफी | —वही— 27.5.91 |
| 26. | 4/11 | मै. चंदोक एग्रो. इं.ड. | कृषि इम्पलीमेंट तथा उपकरण | —वही— 5.6.91 |
| 27. | 46/11 | मै. गौरी गनेश डाइंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स | क्लॉथ डाइंग एण्ड प्रिंटिंग शीट कटिंग तथा घरेलू उपकरण | —वही— 9.5.91 |
| 28. | एस.-105 | मै. जय नारायण | नट, बोल्ट रिवेट्स | —वही— 27.5.91 |
| 29. | 104/11 | मै. अमर सिंह जैन | ट्रैक्टर के हिस्से पुर्जे | —वही— 26.7.91 |

**शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण**

5375. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश अथवा वैज्ञानिक विभागों की नियुक्तियों में और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आरक्षण प्रदान करने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी किये हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विज्ञान विभागों में शिक्षा,अनुसंधान/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या के आंकड़े एकत्रित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा ) :** (क) और (ख) इस विभाग ने ऐसे अनुदेश जारी किए हैं जिनमें भारत सरकार के अधीन समूह "क" (श्रेणी—1) की निम्नतम दर्जे सहित उस स्तर तक के वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों पर की गई नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में, इस विभाग के दिनांक 23-6-75 के का०ज्ञा० सं० 9-2-73-स्था० (अनु.जा.) की एक प्रति संलग्न है। शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश संबंधी सूचना के लिए शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) यह विभाग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान के क्षेत्रों में शिक्षा/अनुसंधान/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की कुल संख्या के बारे में सूचना एकत्र नहीं करता। इस सूचना के लिए शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया है।

**विवरण**

सभी मन्त्रालयों आदि को भेजा गया कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 23 जून, 1975 का का०ज्ञा० संख्या 9-2-73 स्थापना (एस.सी.टी.)

विषय : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण वैज्ञानिक व तकनीकी पदों को इस शर्त से मुक्त करना।

गृह मन्त्रालय के 6 अक्तूबर, 1969 के का० ज्ञा० संख्या 9-4-69 स्थापना (एस.सी.टी.) के साथ पठित 2 नवम्बर; 1963 के का० ज्ञा० संख्या 9-2-63 एस. सी. टी. ( 1 ) और 17 जुलाई, 1964 के का.ज्ञा. संख्या 9-2-63 एस.सी.टी. (1) अनुसार अनुसंधान कार्य करने अथवा अनुसंधान कार्य के संगठन मार्गदर्शन तथा निदेशन करने के लिए उन वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों को, जो उक्त ज्ञापनों में विहित शर्तें पूरी करते हों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने से संबंधित आदेशों के क्षेत्र से छूट दी जा सकती है। उपर्युक्त आदेशों के अनुसार ऐसे राजपत्रित पदों के संबंध में जो उपर्युक्त का.ज्ञा. में विहित शर्तें पूरी करते हों स्वयं मंत्रालयों/विभागों द्वारा संबंधित मंत्री के आदेश प्राप्त करके छूट दी जा सकती है। जबकि

समान प्रकृति के अराजपत्रित पदों के संबंध में छूट देने से पहले कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श करना आवश्यक है। यह प्रश्न इस विभाग के विचाराधीन रहा है कि क्या मौजूदा आदेशों के अधीन जिन वैज्ञानिक व तकनीकी पदों के लिए आरक्षण नहीं हैं, आरक्षण आरंभ किया जाए या नहीं। उपर्युक्त अनुदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए, अब यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण योजना अब संबंधित सेवाओं में श्रेणी-1 के निम्नतम दर्जे तक के (इसमें श्रेणी-1 का निम्नतम दर्जा भी शामिल है।) उन वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर भी लागू होगी जिन पर अब तक आरक्षण संबंधी आदेश इस वजह से लागू नहीं होते थे कि ये पद अनुसंधान कार्य करने/निर्देशन व मार्गदर्शन कार्य करने के लिए है। अब यह निर्णय भी किया गया है कि वैज्ञानिक और तकनीकी पदों में आरक्षित रिक्तियां जो इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण योजना की सीमा में लायी जाएगी, गृह मंत्रालय के 31-7-70 के का.ज्ञा. संख्या 1-1-70 स्थापना (एस.सी.टी.) के अनुसार दो की बजाए केवल एक बार विज्ञापित की जाए। आरक्षित समुदायों के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने पर संबंधित प्रशासनिक मन्त्रालय विभाग द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का अनुमोदन प्राप्त किये बिना आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित समझा जाए ;

2. उपर्युक्त पैरा-1 में उल्लिखित निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए मन्त्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने नियंत्रणाधीन उन वैज्ञानिक और तकनीकी पदों की सूचियों की समीक्षा करें जिन पर इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेश लागू नहीं होते। केवल उन्हीं वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों पर आरक्षण संबंधी आदेश लागू नहीं होंगे जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

(1) दो पद सम्बन्धित सेवा के श्रेणी-1 में निम्नतम ग्रेड से ऊंचे ग्रेडों के पद हों।

(2) उन पदों को मंत्रिमण्डल सचिवालय (मंत्रिमण्डल कार्य विभाग) के अनुसार 28-12-1961 के का०ज्ञा० संख्या 85/11/सी० एफ० 611 )के अनुसार "वैज्ञानिक अथवा तकनीकी" वर्गीकरण किया गया हो और

(3) पद अनुसंधान कार्य करने अथवा अनुसंधान कार्य के संगठन, मार्गदर्शन तथा निदेशन करने के लिए होने चाहिए ;

उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने वाले किसी पद को आरक्षण योजना की सीमा से मुक्त करने से पहले सम्बन्धित मन्त्री के आदेश प्राप्त किये जाएँ।

3. किसी सेवा के श्रेणी—1 के निम्नतम ग्रेड तक के और इस ग्रेड को शामिल करते हुए वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के लिए आरक्षण आदेशों से दी गई मौजूदा छूट यदि कोई हो, तत्काल रद्द मानी जाए और उन पदों में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की तुरन्त व्यवस्था की जाए। उन पदों में आरक्षित रिक्तियों का विज्ञापन इस विभाग के तारीख 31-7-70 के का.ज्ञा. संख्या 1-1-70 स्थापना (एस.सी.टी.) के अनुसार दो बार न देकर केवल एक ही बार दिया जाए। आरक्षित समुदायों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर संबंधित प्रशासनिक मन्त्रालय/विभाग द्वारा ऐसे पदों की रिक्तियों को अनारक्षित समझा जाए और ऐसे अनारक्षण के लिए इस विभाग के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि अनुसूचित जाति

और अनुसूचित जनजाति आयुक्त और इस विभाग को आरक्षण समाप्त करने की सूचना दी जाए और ऐसा करने के कारण भी ब्यौरे वार बताए जाएं ।

4. उपर्युक्त पैरा 1.3 में उल्लिखित निर्णय अन्तरिक्ष विभाग और इलेक्ट्रानिक विभाग के पदों पर तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन प्रशिक्षण विद्यालय के लिए प्रशिक्षार्थियों की भर्ती के बारे में लागू नहीं होंगे । इन विभागों में, अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी पदों पर गृह मन्त्रालय के तारीख 2-11-1963, 17-7-1964 और 6-10-1959 के का.ज्ञा. में दिए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी आदेश लागू नहीं होंगे ।

5. वित्त मन्त्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णयों को उचित कार्रवाई के लिए अपने अधीन सभी प्राधिकारियों की जानकारी में लाएं ।

**सीमेन्ट के स्थानापन्न के रूप में प्लाई ऐश**

5376. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक :**
**श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
**श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम स्थित "इंस्टीट्यूट फार सॉलिड वेस्ट रिसर्च एन्ड इकॉलाजिकल बैलेंस" द्वारा सीमेंट के सस्ते स्थानापन्न के रूप में प्लाई ऐश की विकसित प्रोद्योगिकी की वाणिज्यिक अर्थ-क्षमता का आकलन किया है,

(ख) क्या सरकार ने प्लाई ऐश की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि को देखते हुए उसका भवन निर्माण सामग्री बनाने में बड़े पैमाने पर उपयोग करने की सम्भावना की भी जांच की है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) जी, हां । भवन निर्माण सामग्री बनाने के लिए प्लाई ऐश के इस्तेमाल को बढ़ावा देने एवं इसे लोकप्रिय बनाने हेतु सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं । राष्ट्रीय आवास नीति में प्लाई ऐश पर आधारित कम लागत वाली भवन निर्माण सामग्री को बढ़ावा देने पर पर्याप्त बल दिया गया है । 25% या इससे अधिक प्लाई ऐश का उपयोग करने वाले सभी उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क में छूट की घोषणा की गई है । प्लाई ऐश से भवन निर्माण सामग्री बनाने के लिए मशीनरी और उपकरणों के आयात के लिए आयात शुल्क में छूट दी गई हैं । प्लाई ऐश पर आधारित भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन के लिए औद्योगिक एककों के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता दी गई है ।

**भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र**

5377. **श्री के० राममूर्ती टिंडिवनम** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा परमाणु विज्ञान के क्षेत्रों के अतिरिक्त सशक्त आधारभूत अनुसंधान ग्रुपों को भी विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों का व्यापारिक दृष्टि से विदोहन किया गया है; और

(घ) व्यापारिक प्रयोजनों के लिए अनुसंधान का उपयोग करने हेतु भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्रों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग ) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) और (ख) जी, हां। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने नाभिकीय विज्ञान और अभियांत्रिकी में अनुसंधान करने के अतिरिक्त, भौतिकी, रसायन, जीव-विज्ञान अभियांत्रिकी और पदार्थ विज्ञान में मूलभूत अनुसंधान करने वालों के योग्य वर्ग भी तैयार किए हैं। लेसरों, त्वरकों, उच्च ताप अतिचालकता, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, रोबोटिकी और कम्प्यूटर विज्ञान जैसे विज्ञान के उच्च प्रौद्योगिकी के और अग्रणी क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी का विकास अपने ही देश में किया जा रहा है।

(ग) जी, हां। इन मूलभूत और अनुपयुक्त अनुसंधान गतिविधियों से कई स्पिन-ऑफ प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं जिनका इस्तेमाल अन्य सरकारी अभिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के उद्योग भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, नाभिकीय और इससे सम्बद्ध प्रौद्योगिकियां परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्य वाणिज्यिक संगठनों, जैसे कि न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, भारी पानी बोर्ड, विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड और इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड को अंतरित की जा रही हैं।

(घ) भामा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने केन्द्र में विकसित ऐसी प्रोद्योगिकियों का पता लगाने और उनका मूल्यांकन करने जिनका वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग किया जा सके, के लिए एक प्रौद्योगिकी अन्तरंग वर्ग का गठन किया है जिसमें विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। पिछले आठ वर्षों में, ऐसी लगभग 50 प्रौद्योगिकियां 75 निजी क्षेत्र के उद्योगों को अन्तरित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र सरकार को और सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरणों को उच्च प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी और परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराता आ रहा है।

**फरक्का बांध के विरुद्ध बांग्लादेश की शिकायत**

5378. **श्री चित्त बसु** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में रियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान बंग्लादेश ने अपने देश में बार-बार आने वाली बाढ़ को भारत के फरक्का बांध परियोजना से जोड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. एल. भाटिया)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**महाराष्ट्र में कर्मचारी राज्य बीमा योजना**

5379. **श्री राम कापसे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यकरण की समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध से सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार)** : (क) से (ग) महाराष्ट्र में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा देखरेख का प्रशासन राज्य का सांविधिक उत्तरदायित्व है । तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने अधिकारियों को भेजकर और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके योजना के कार्यकरण की समीक्षा कर रहा है ।

2. सामान्य प्रयोजनों संबंधी उप-समिति जिसमें संसद सदस्य, नियोजक और कर्मचारियों तथा चिकित्सा पेशे के प्रतिनिधि शामिल हैं, हर वर्ष दो या तीन राज्यों का दौरा करती है और निगम को विस्तृत रिपोर्ट पेश करती है । निगम की सिफारिशों के साथ इस रिपोर्ट को आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाई के लिए राज्य सरकारों को भेजा जाता है । इसके बाद इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाई निगम द्वारा अनुवर्ती कार्यवाई की जाती है । उप-समिति ने अंतिम बार 1987 में महाराष्ट्र राज्य का दौरा किया था । अगला दौरा किया जाना अब अपेक्षित हो गया है ।

3. योजना के कार्यकरण की समीक्षा करने और सुधार के लिए उपाय सुझाने के लिए एक क्षेत्रीय बोर्ड का गठन भी किया गया है । बोर्ड के अध्यक्ष श्रम राज्य मंत्री हैं और इसके सदस्यों में नियोक्ताओं, कर्मचारियों तथा चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

4. अस्पतालों, औषधालयों के कामकाज के पुनरीक्षण के लिए स्थानीय समितियां गठित की जाती हैं ।

5. योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों की जांच करने तथा उपचारात्मक उपाय करने के लिए निगम को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निगम द्वारा बम्बई में एक क्षेत्रीय उप-स्वास्थ्य आयुक्त तैनात किया गया है ।

6. सामान्य प्रयोजना संबंधी उप-समिति द्वारा 1987 के दौरान अपने पुनरीक्षण के पश्चात की गयी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(i) पैनल पद्धति के स्थान पर सर्विस पद्धति अपनायी जाय ।

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में मरीजों की कमी के कारण सुविधाओं का कम उपयोग ।

(iii) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में उत्तम प्रकार की सुविधाओं की स्थापना करना ।

(iv) नये क्षेत्रों में योजना का क्रियान्वयन/विस्तार ।

(v) दवाईयों के लिए वितरण केन्द्रों में वृद्धि करना तथा दवाईयों की कमी दूर करने के लिए दवाई अनुसूचियों का संशोधन करना ।

(vi) असंतोषजनक एम्बूलेन्स सेवाएं ।

**खादी और ग्रामोद्योग आयोग में अनियमितताएं**

5380. **श्री प्रतापराव बी. भोंसले :**

**श्री अवतार सिंह भड़ाना :**

**क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग में कथित अनियमितताओं की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुदाल आयोग ने इस संबंध में कोई जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

**उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) :** (क) से (ङ) सरकार को समय-समय पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग में निधियों के दुरुपयोग तथा अन्य अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। जब भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं–तथ्यों को जानने और उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए इनकी जांच की जाती है।

जब कभी खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के विरुद्ध आचार संहिताओं का उल्लंघन करने अथवा निधियों के बारे में सहायता पाने वाले संस्थानों के विरुद्ध प्रमाण पत्र संबंधी नियमों इत्यादि के उल्लंघन के बारे में खादी और ग्रामोद्योग आयोग को विशिष्ट शिकायतें मिलती हैं तो इनकी जांच की जाती है और इन पर उचित कार्रवाई की जाती है ;

**केन्द्रीय जांच ब्यूरो**

5381. **प्रो. (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन :**

**श्री अवतार सिंह भडाना :**

**श्री अनंतराव देशमुख :**

**क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सभी प्रभाग कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन प्रभागों का ब्यौरा क्या है जो इसके प्रशासनिक नियन्त्रण में नहीं हैं और ऐसा होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के इन सभी प्रभागों में कार्यरत अधिकारियों की नियुक्ति और उनके स्थानान्तरण उनके मन्त्रालय द्वारा किए जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा)** : (क) और (ख) इस समय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रभाग हैं–भ्रष्टाचार निवारण, विशेष अपराध, नीति, विधि, तकनीकी, प्रशासन, समन्वय (इन्टर पोल सहित) तथा केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोग शाला। पहले 6 प्रभाग कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है तथा अन्तिम 2 प्रभाग गृह मन्त्रालय के अधीन हैं। सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निवारण मामलों से सम्बन्धित कार्य करने वाले प्रभाग कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पास है और-विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय कार्य के लिए उत्तरदायी प्रभाग गृह मन्त्रालय के साथ हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में अधिकारियों की तैनाती और स्थानांतरण संबंधी निर्णय, निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किए जाते हैं।

**[हिन्दी]**

**पंजीकृत एजेंसियों द्वारा श्रमिकों से धोखा किया जाना**

5382. **श्री रामलखन सिंह यादव** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजीकृत एजेंसियों ने विदेश जाने के इच्छुक श्रमिकों के साथ धोखा किया है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान ऐसे पंजीकृत एजेंटों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं और कितनी शिकायतों पर कार्यवाई की गई है; और

(ग) विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार)** : (क) और (ख) पंजीकृत तथा अपंजीकृत भर्ती एजेन्टों द्वारा कर्मकारों के साथ धोखा धड़ी करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है। वर्ष 1990 और 1991 के दौरान पंजीकृत भर्ती एजेन्टों के विरुद्ध 92 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। सात भर्ती एजेन्टों के पंजीकरण प्रमाण पत्रों का निलम्बन कर दिया गया था।

(ग) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 तथा उसके अन्तर्गत बनाये नियमों में विदेशों में नियोजित भारतीय कर्मकारों के हितों को सुरक्षित रखना अभिप्रेत है। भारतीय दूतावास भी ऐसे कर्मकारों के हितो को सुरक्षित रखने के लिए समुचित उपाय करते हैं।

**[अनुवाद]**

**एन.एल.सी. के कार्बनीकरण संयंत्र में विस्फोट**

5383. **डा. पी. बल्लल पेरुमल** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.एल.सी. का कार्बनीकरण संयंत्र टेंकर 16 जून, 1992 को ट्रेड यूनियन की हड़ताल के कारण फट गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) संयंत्र और मशीनरी को तोड़-फोड़ के कारण कुल कितनी क्षति पहुंची थी ;

(घ) संयंत्र के शटिंग के कारण प्रतिदिन कितनी उत्पादन क्षति हुई ;

(ङ) क्या सरकार का भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु उपायों के सुझाव देने तथा इस बारे में जिम्मेदारी तय करने के लिये इस सम्पूर्ण मामले की जांच कराने का विचार है ; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कोयला मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एस.बी. न्यायमौड)** : (क) और (ख) 16.6.1992 को एक आम हड़ताल के दौरान, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन् लि० के ब्रिकेटिंग और कार्बनीकरण संयंत्र में एक दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 14 कर्मचारी घायल हुए जिनमें से दो की गम्भीर चोटों के कारण बाद में मृत्यु हो गई।

(ग) तोड़-फोड़ की कार्रवाई के कारण ही कुछ छोटी-मोटी क्षति हुई, जैसे कन्वेयर बैल्ट, टेलीफोन, दरवाजों और खिड़कियों आदि को क्षति पहुंची। इन क्षतियों के कारण अनुमानतः 36,000 रुपए की हानि हुई।

(घ) संयंत्र के रुक जाने के कारण प्रतिदिन लगभग 400 टन कोयले के उत्पादन की हानि हुई।

(ङ) और (च) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० से बाहर के विशेषज्ञों को शामिल करके अब जाँच का कार्य शुरू कर दिया गया है। जाँच की रिपोर्टों से किसी अधिकारी अथवा प्रबन्धन के उत्तरदायित्व का असफल होना परिलक्षित नहीं होता। किन्तु, भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अच्छे सुरक्षा उपाय और बैक-अप प्रणाली मुहैया करवाने के लिए रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई हैं :—

अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित सिफारशें की गई हैं :—

(1) ऐसे मामले में जब कि थोड़ी सी भी इस बात की आशंका हो कि हड़ताल आदि की परिस्थितियों के कारण भाप अथवा नाइट्रोजन की आपूर्ति को रोके जाने की संभावना हो तो चल रही यूनिटों को पूर्वी नियोजित ढंग से सभी सावधानियाँ बरतते हुए बन्द किया जाए ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले यूनिट को "कूल" करके इसे सुरक्षित रखा जा सके।

(2) नाइट्रोजन आपूर्ति प्रणाली में सुधार।

(3) संयंत्र में इनर्ट गैस जेनरेटर की स्थापना।

(4) कार्मिकों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना।

(5) इंस्ट्रीमेंशन प्रणाली का आधुनिकीकरण।

(6) यूनिटों के क्रियाकलापों को चलाने और बन्द करने के लिए चैक लिस्ट तैयार करना, आदि।

**वैज्ञानिक विभागों में नौकरियों के आरक्षण के सम्बन्ध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय**

5384. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा वैज्ञानिक विभागों में जाति के आधार पर आरक्षण पर रोक लगाने संबंधी दिए गए निर्णय की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा )** : (क) और (ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1992 की रिट याचिका संख्या 20969 (नरेशचन्द बनाम जिला विद्यालय निरीक्षण, गाजियाबाद) में यह मत दिया बताया जाता है कि वैज्ञानिक क्षेत्र में जाति पर आधारित सभी आरक्षण चाहे यह शैक्षिक संस्थाओं (मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों सहित) में प्रवेश के लिए हों, अथवा वैज्ञानिक क्षेत्र में नियुक्ति के संबंध में हो; मनमानी तथा भारत के संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है। सरकार की प्रक्रिया संबंधित मन्त्रालयों द्वारा, विधि मन्त्रालय के परामर्श के बाद, निर्णय की जांच के बाद ही बताई जा सकती है।

**विदेशी संगठनों द्वारा नियोजन**

5385. **श्री सुदर्शन राय चौधरी :**

**श्री बसुदेव आचार्य :**

**श्री विलास मुत्तेमवार :**

**श्री चन्द्रेश पटेल :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 1992 के "बिजनेश स्टैन्डर्ड" में छपे बड़े अधिकारियों के पुत्रों और पुत्रियों को विदेशी संगठनों में नियोजन मिलने संबंधी समाचार शीर्षक की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमन्त्री ( श्रीमती मार्गरेट अल्वा )** : (क) जी, हां।

(ख) सेवा आचरण नियमों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने पद अथवा प्रभाव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करके अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी कम्पनी अथवा फर्म में रोजगार दिलवाना निषिद्ध है।

**[हिन्दी]**

**उत्तर प्रदेश में "कापार्ट" द्वारा वित्त पोषित योजनायें**

5386. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कापार्ट" ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और खीरी जिलों में कुछ स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाई जा रही जाली योजनाओं को मंजूरी देने के मामलों के बारे में बताया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्रवाई की गई है तथा भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या उपाय किये गए है;

(ग) संसद सदस्यों/विधान सभा के सदस्यों की ओर से पिछले वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन जिलों में ऐसी योजनाओं की मंजूरी हेतु कितने अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं, और

(घ) अब तक कितने अनुरोध पत्रों को मजूरी दे दी गई है और शेष अनुरोधों पर कब तक विचार किया जायेगा ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) कापार्ट द्वारा संसद सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से प्राप्त परियोजनाओं का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है । तथापि, जब कभी ऐसा अनुरोध प्राप्त होता है, उसकी प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाती है । 1991-92 के दौरान कापार्ट द्वारा जिला लखमीपुर खीरी में 5,04,500/- रुपये की लागत से 50 हैंडपम्प लगाने की केवल एक परियोजना स्वीकृत की गई है । जिला लखीमपुर खीरी में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है ।

**[अनुवाद]**

**मानवाधिकार दिवस**

5387. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 10 दिसम्बर के दिन को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय लिया गया है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री आर. एल. भाटिया)** : (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 4 दिसम्बर, 1950 को पारित संकल्प 4235 में सभी राज्यों और इच्छुक संगठनों का आह्वान किया गया था कि वे प्रति वर्ष 10 दिसम्बर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाएं । इस संकल्प को पारित कराने में भारत ने हिस्सा लिया था । भारत में 10 दिसम्बर मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है ।

**गुणवत्ता के प्रति जागरूकता अभियान**

5388. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या दिल्ली में मई, 1992 के दौरान राष्ट्रीय गुणवत्ता के प्रति जागरूकता अभियान शुरू किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभियान के लक्ष्य क्या थे;

(ग) इस अभियान में शामिल किये गये शहरों और कस्बों का क्या ब्यौरा है ; और

(घ) इस अभियान से औद्योगिक क्षेत्र की गुणवत्ता में कितना सुधार होगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) जी, हां ।

(ख) इसका उद्देश्य निर्माण एवं सेवा संबंधी कार्यकलापों के सभी पहलुओं में गुणवत्ता के महत्व के प्रति जागरूकता का बढ़ाना है ।

(ग) शहरों/कस्बों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(घ) उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

विवरण

शामिल किए जाने वाले केन्द्रों की सूची

| उत्तरी क्षेत्र | दक्षिण क्षेत्र |
|---|---|
| 1. मेरठ | 20. विशाखापत्तनम |
| 2. लुधियाना | 21. हैदराबाद |
| 3. जलंधर | 22. विजयवाड़ा |
| 4. नोएडा | 23. रानीपेट |
| 5. ओखला | 24. सलेम |
| 6. गाजियाबाद | 25. कोयम्बटूर |
| 7. कानपुर | 26. |
| 8. फरीदाबाद | 27. मैसूर |
| 9. गुड़गांव | 28. त्रिचूर |
| 10. जम्मू | 29. मदुराई |
| 11. जयपुर | 30. कोचीन |
| 12. जोधपुर | 31. त्रिवेन्द्रम |
| 13. नारायणा | 32. बेलगांव |
| 14. इलाहाबाद | 33. पांडिचेरी |
| 15. यमुनानगर | 34. मद्रास |
| 16. चंडीगढ़ | 35. मंगलोर |
| 17. मोहाली | 36. बंगलोर |
| 18. परवानू | 37. नागपुर |
| 19. बटाला | 38. बड़ौदा |

39. राजकोट
40. भावनगर
41. अहमदाबाद
42. नासिक
43. भिलाई
44. ग्वालियर
45. गोवा
46. सांगली
47. कोल्हापुर
48. औरंगाबाद
49. सतारा
50. थाणे
51. बम्बई
52. इंदौर
53. पुणे
54. भोपाल

**पूर्वी क्षेत्र**

55. हावड़ा
56. गुवाहाटी
57. तिनसुखिया
58. शिलांग
59. दुर्गापुर
60. कलकत्ता
61. जमशेदपुर
62. रांची
63. पटना

**सार्क मंत्रिपरिषद की बैठक**

5389. **श्री मनोरंजन भक्त :**

**श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल में कोलम्बो में आयोजित सार्क मंत्रिपरिषद् की बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया तथा इसके क्या प्रमुख निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा किन विषयों को उठाया गया;

(घ) इस संबंध में सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सदस्य देशों के बीच "अधिमान्य व्यापार की व्यवस्था" करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) :** (क) जी हां।

(ख) इस अवसर पर जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई वे थे, सार्क की बैठकों में अधिक कार्यपरक और कार्यात्मक नजरिया अपनाना तथा इसकी गतिविधियों को युक्तियुक्त बनाना; अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग; सार्क के अन्तर्गत क्षेत्रीय प्रमुख निकायों को मान्यता; पर्यावरण, सार्क वरीयता व्यापार प्रबन्ध; एक दक्षिण एशियाई विकास कोष की संभावनाओं का पता लगाना; और दक्षिण एशिया में बच्चों के सम्बन्ध में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जो जल्दी ही कोलम्बो में होगा।

(ग) जैसा कि सार्क की बैठकों की प्रथा है, विचार-विमर्श एक कार्य सूची के आधार पर हुआ था जो सभी सदस्यों को पहले ही भेज दी गई थी और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था जिसका सार-संक्षेप ऊपर (ख) में बताया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सार्क वरीयता व्यापार प्रबन्ध स्थापित करने के उद्देश्य पर सहमति हो गई है जिसकी प्रमुख बातें सार्क के नवें शिखर सम्मेलन से पहले तय करनी हैं जो दिसम्बर, 1992 में ढाका में होने वाला है,

**डी. पी. सी. ओ. से आवश्यक औषधियों को मुक्त रखना**

5390. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी. पी. सी. ओ. में संशोधन द्वारा नियंत्रित मूल्य की श्रेणी से हटायी गई आवश्यक औषधियों के नाम और ब्रांडों का ब्यौरा क्या है,

(ख) नियंत्रण हटाने की तारीख को उनके मूल्यों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) 30 जून, 1992 को मार्किट में उनके खुदरा मूल्यों का ब्यौरा क्या है और ये औषधियां किन रोगों में दी जाती है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन)** : (क) से (ग) अपेक्षित ब्यौरे जो भी उपलब्ध हैं, संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

विवरण

| क्रम सं. | प्रपुंज औषध का नाम | रोग जिसमें प्रयोग की जाती है | पैक आकार सहित सूत्र योग का नाम | एम. आई. एम. एस. 1989 (नवम्बर) के अनुसार मूल्य (रु०) | एम. आई. एम. एस. 1992 (जून) के अनुसार विद्यमान मूल्य (रु०) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | एमीलोराइड | हाइपरटेन्सन | बिडुरेट गोलिया 10 का | 6.50 | 7.55 |
| 2. | डाएजापाम | एक्यूट और करोनिक एनक्सिटी | कम्पोज 5 मि. ग्राम गोलियां 10 का | 3.89 | 8.00 |
| 3. | फ्लूरा जिपाम | ग्रसोमनिया एनक्सिटी | मिनडरल 15 मि. ग्राम केपसुल 10 का | 8.90 | 12.90 |
| 4. | ग्लीबेनक्लेमाइड | डारबेटिक | डेनियल 5 मि. ग्राम 10 का गोलियाँ | 0.89 (मूल्य 30-12-87 को नियत किया गया) | 2.70 |
| 5. | लोराजोपाम | रेस्पिरेटरी डिपरेशन | लरपाजे 1 मि. ग्राम गोलिया 10 का | 3.61 | 2.94 |
| 6. | मेन्थोल | — | जोडेक्स सिरप 100 मि.ली. बोतल | 13.84 | 14.84 |
| 7. | नाइट्राजीपाम | स्लीप डिस्टरबेन्स | निट्रावेट 5 मि.ग्रा. गोलियां 10 का | 5.22 | 5.43 |
| 8. | ओक्साजीपाम | एनक्सीटी टेन्सन | सिरीपेक्स गोलियां 15 मि.ग्राम 10 का | 2.47 | 2.68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | प्रोक्लोरपिराजीन | नौसिया और वोमिटिंग | इमीडोक्सिन 5 मि.ग्राम गोलियां 90 का | 4.99 | 5.42 |
| 10. | ट्रिफ्लूब्रोमाजीन | | | अनुपलब्ध | |
| 11. | ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट | ओ. आर. एस. | स्पीडोरल पावडर 37.8 ग्राम | 8.15 | 8.19 |
| 12. | बीफिनियम | एलकोपर | —अनु— | — | — |
| 13. | कारबीमाजोल | प्रिपरेशनफार थाइराइडक्टामी | नियो मरकाजोल 5 मि. ग्राम गोलियां 100 का पैक | 47.34 | 53.15 |
| 14. | डिहाइड्रोमीटीन | अमोबियासिस | डिहाइकोमीटीन गोलियां 110 मि. ग्राम 10 का | 6.56 | 6.56 |
| 15. | डोपामाइन | | डोपामाइन | —अनु०— | — |
| 16. | इपीनीफिड्रीन | — | — | —अनु०— | |
| 17. | इथोसुक्सीमाइड | पिपटीमल इपीलोप्सी | इथोक्सुक्सीमाइड सीरप 114 मि.ली. बोतल | 17.04 | 38.95 |
| 18. | इथीओनियामाइड | — | — | —अनु०— | — |
| 19. | इरोगटामाइन | माइग्रेन | वेसोग्रेन गोलियां 10 का | 7.64 | 7.68 |
| 20. | ग्लेसिरिल ट्रिनट्रेट | ट्रीटमेंट आफ एनजीना | एनगीसेड गोलि. 30 का | 8.50 | 9.15 |
| 21. | हेपारिन | एन्टीकोएगुलेंट | वीप्राइन इन्जे० 5 मि. ग्रा. | 12.27 | 12.27 |
| 22. | हेपाटिस-बी वेक्सीन | — | —अनु०— | — | — |
| 23. | आइसोप्रिनेलीन | क्रोनिक ब्रोन्काइटस | आटोहेलर 200 मीटर डोज | 38.00 | 49.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | निट्रोफ्यूरेन्टियन | यूरीनरी इन्फेक्शन | फ्यूरेन्टेनटेन 50 मि. ग्राम गोलियां 10 का | 3.52 | 3.54 |
| 25. | पिरोक्सिकेप | ह्यूमेटोइड आरटरिक्स | पिरोक्स 10 मि. ग्राम केप 10 का | 10.91 | 13.20 |
| 26. | प्रोवेनासिड | गाट ट्रीटमैंट | बेनसिड 500 गोलि. 10 का | 10.40 | 13.15 |
| 27. | प्रोटियोनामाइड | — | —अनु०— | — | — |
| 28. | पेन्टामीडीन | — | —अनु०— | — | — |
| 29. | प्रेमाक्वीन | — | —अनु०— | — | — |
| 30. | प्रोकेनामाइड | प्रिमेच्युर वेन्टरी क्यूलर कनिट्रेक्ट्रोनिक और टेकआरेडिया | प्रोमेस्टाइल गोलियां 250 मि.ग्राम 25 का | | |
| 31. | क्वीनीडीन | एट्रीयल फिब्रिलेशन और फ्लूटर | क्वीनीडीन सल्फेट 200 मि. ग्राम गोलियां 100 का | | |
| 32. | सोडियम स्टीबोग्लुकौनेट | — | —अनु०— | | |
| 33. | सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड | हाइपरटेन्सन | सोनाइड इन्जे. 5 मिलि. | | |
| 34. | सिल्वर नाइट्रेट | — | — | | |
| 35. | टेट्रामिसौल | एसकीरिस | जेटोमिसोल-पी गोलि. 1 का | | |
| 36. | थियाबेन्डाजोल | — | — | | |
| 37. | वारफरेन | थ्रोम्बो इम्बोलिक कन्डीसन | यूनीवारफिम 5 मि. ग्राम. गोलि. 25 का | | |

[हिन्दी]

**भारतीय कृषक उर्वरक निगम द्वारा भूमि को जलमग्न किया जाना**

5391. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषक उर्वरक निगम, फूलपुर द्वारा जल बहाए जाने के कारण जलमग्न होने से कुल कितनी भूमि बेकार हो गई है,

(ख) प्रभावित व्यक्तियों को हुए नुकसान के लिए अब तक कितना मुआवजा दिया गया है,

(ग) क्या कुछ मामलों में किसानों को मुआवजा न देने के बारे में शिकायतें मिली हैं, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

**रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (डा. चिन्ता मोहन)** : (क) इफको ने सूचित किया है कि उनके फूलपुर संयंत्र द्वारा जल बहाये जाने के कारण जलमग्न होने से कोई भूमि बेकार नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

**कल्याण योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन**

5392. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** :

**श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए और अधिक धन आवंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुखराम)** : (क) और (ख) योजना आयोग केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमवार निधि आवंटित नहीं करता है। ऐसी स्कीमों के लिए निधियां संबंधित मंत्रालयों द्वारा उनके ब्लॉक आवंटनों से मुहैया कराई जाती हैं।

[हिन्दी]

**कीटनाशकों का आयात**

5393. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयात किये गये कीटनाशकों का देशवार ब्यौरा क्या है,

(ख) इनके आयात पर प्रत्येक वर्ष, कितनी धनराशि व्यय की गई,

(ग) इन कीटनाशकों के उत्पादन में भारत कब तक आत्म निर्भर होगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन)** : (क) और (ख) कीटनाशकों के आयात के ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित "मन्थली स्टैटिस्टिक्स ऑफ फारेन ट्रेड ऑफ इण्डिया" में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) कीटनाशकों के उत्पादन में देश कुल मिलाकर आत्म निर्भर है। औद्योगिक नीति में हाल के उदारीकरण से इस संबंध में और प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

**[अनुवाद]**

**उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण**

5394. **डा. रमेश चन्द तोमर** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डाकू परिसमापन योजना के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश के डाकू ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्मित सड़कों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच. पटेल)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

**विवरण**

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के डाकू ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर खर्च की गई राशि निम्नानुसार है :—

लाख रुपए में

| वर्ष | खर्च की गई राशि |
|---|---|
| 1989-90 | 780.00 |
| 1990-91 | 1030.00 |
| 1991-92 | 535.00 |

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान पूरी की गई सड़कों और पुलों के नाम निम्नलिखित हैं—

| जिला | सड़क/पुल का नाम |
|---|---|
| 1. इटावा | 1. मिखेपुर-जूहिखा रोड़ |
| | 2. देवोलीघाट पर लखाना संदौस रोड़ पर यमुना नदी के ऊपर पुल |

| जिला | सड़क/पुल का नाम |
|---|---|
| | 3. संदौस में लखाना-संदौस रोड़ पर कुंवारी नदी के ऊपर पुल। |
| | 4. बाबली पर्णघाट रोड़ |
| | 5. कौंच-महेशपुर रोड़ |
| | 6. माणिकपुर-सितौरा रोड़ |
| | 7. बरहपुरा अश्वघाट रोड़ |
| | 8. आस्ता लिंक रोड़ |
| 2. जालौन | 1. इतौरा-बावीना रोड़ |
| | 2. सिकन्दरपुर से भगवानपुर रोड़ |
| | 3. महानिदाबाद-कनाल पटरी |
| | 4. लहरकालन-लोहाई डिबरा रोड़ |
| | 5. ऊंचागांव से ब्यौना रोड़ |
| | 6. बहादुरपुर-पटरोही रोड़ |
| | 7. सरेनी-इंजस रोड़ |
| | 8. काल्पी-मदरीपुर से साहल खुर्द माला रोड़ तक |
| | 9. करौखा मादारी से मकरंदपुर सिहोरिनस डाँडपुर रोड़ तक |
| 3. आगरा | 1. फिरोजाबाद देतावली रोड़ |
| | 2. थाना पिथोर-बियौलीघाट बाया रामपुर |
| | 3. बसौनी से चंबल नदी तक |
| | 4. पुरा हरलाल-नानेगांव कांजरा उमरेठा पिनहट रोड़ |
| | 5. राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नियातमतापुर तक बाया टिकरी धींरपुर |
| | 6. शाहपुर से परना (यमुना नदी तक) |
| | 7. फतेहाबाद-फिरोजाबाद रोड़ पर गंदा नाला के ऊपर जबलपुर तक पुल। |

**सीमेंट उत्पादन में कमी**

6395. **श्री काशीराम राणा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग में अप्रैल-जून 1992 के दौरान उत्पादन कम हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं,

(ग) वर्ष 1992-93 के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं, और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान किये गये निर्यात का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) से (ग) अप्रैल से जून, 1992 को तिमाही के दौरान सीमेंट का उत्पादन इसी अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य से थोड़ा सा कम रहा। उद्योग ने, अपर्याप्त मूलसंचरनात्मक सहयोग, बिजली आपूर्ति में अनियमितता, मांग में मौसमी गिरावट इत्यादि को उत्पादन में कमी आने के कारण बताया है। सरकार इसकी निरन्तर समीक्षा करती रही है तथा सीमेंट उद्योग के लिए प्राथमिकता के आधार पर कोयला लिंकेज, वैगन आपूर्ति इत्यादि सहित मूलसंरचनात्मक सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करती रही है।

(घ) 1990-91 में 2.66 लाख मी० टन सीमेंट का निर्यात किया गया तथा 1991-92 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान 2.23 लाख मी. टन सीमेंट का निर्यात किया गया।

[हिन्दी]

**खाद्य तेलों का उत्पादन और आयात**

5396. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का उत्पादन किया गया,

(ख) क्या वर्तमान उत्पादन देश की आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त है,

(ग) यदि नहीं, तो क्या देश की खाद्य तेलों की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार का खाद्य तेलों का आयात करने का विचार है, और

(घ) यदि हाँ, तो किन-किन देशों से खाद्य तेलों का आयात करने का विचार है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद)** : (क) देश में 1991-92 के दौरान खाद्य तेल की 52.4 लाख मी० टन निवल आपूर्ति होने का अनुमान है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) तेल वर्ष 1991-92 के दौरान 30 जून, 1992 तक आर.बी.डी. पामोलीन को 0.95 लाख मी० टन मात्रा आयात की जा चुकी है। भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिए कुछ और मात्रा का आयात करने का निर्णय किया है और मार्गोकरण एजेन्सी, भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०, उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार तेल का आयात करेगी।

[अनुवाद]

**तीन बीघा गलियारे पर पट्टे का किराया छोड़ना**

5397. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीन बीघा गलियारे पर पट्टे का किराया छोड़ दिया है, और

(ख) यदि हाँ तो उसके क्या कारण हैं।

**विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०एल० भाटिया)** : (क) और (ख) भारत और बंगलादेश के मैत्री सम्बन्धों को देखते हुए एवं पट्टे पर दिए जाने वाले क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता की मान्यता देते हुए सरकार ने तीन बीघा गलियारे पर पट्टे का नाममात्र किराया प्रतिवर्ष एक बंगलादेशी टका नियत किया है। चूंकि यह नाममात्र का किराया था इसलिए सरकार ने इसकी उगाही नहीं करने का फैसला किया है।

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की सूची**

5398. **श्री गुरुदास सामत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों में निवेश को कम करने का है जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) ये शेयर किन संस्थाओं को दिए जाने की सम्भावना है ?

**उद्योग मन्त्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्यमन्त्री (श्री वी०के० चुंगन)** : (क) से (ग) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के और शेयर बेचने हेतु विभिन्न रूपात्मकताएं सुझाने के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति की अंतिम रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा है।

**गुजरात में लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र**

5399. **श्री हरि सिंह चावड़ा** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनिवासी भारतीयों के सहयोग से गुजरात राज्य में एक लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस०बी० न्यामगौड़)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

**अपारंपरिक ऊर्जा-संयंत्र**

5400. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** :

**डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में लगाये गए विभिन्न अपारम्परिक ऊर्जा संयंत्र का ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितनी लागत आई है ;

(ख) इनमें से कितने कार्य कर रहे हैं ;

(ग) प्रत्येक परिचालित संयंत्र का कार्य-निष्पादन कैसा है; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान लगाये जाने वाले संयंत्रों का ब्यौरा क्या है ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की अपारम्परिक ऊर्जा प्रणालियों तथा युक्तियों की स्थापना की स्थिति विवरण-"क" में दी गई है। अपारम्पिक ऊर्जा स्रोतों के विस्तार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त निधियां विवरण-"ख" में दी गई हैं। इसके अलावा, 42.02 करोड़ रुपए, 12.56 करोड़ रुपए, 4.71 करोड़ रुपए और 3.57 करोड़ रुपए क्रमशः पवन ऊर्जा, माइक्रो जल-विद्युत बायोमास गैसीफायरों तथा स्टर्लिंग इंजनों पर आधारित विभिन्न प्रकार की प्रणालियों तथा युक्तियों और ऊर्जा ग्राम कार्यक्रमों पर व्यय किए गए हैं।

(ख) और (ग) लगभग 74.5% बायोगैस संयंत्र लगभग 70% उन्नत चूल्हे, लगभग 80% गैसीफायर प्रणालियां, लगभग 95% पवन विद्युत परियोजनाएं कार्यशील होने की रिपोर्ट मिली है।

(घ) विभिन्न प्रकार की प्रणालियों तथा युक्तियों की स्थापना के लिए प्रस्तावित वास्तविक लक्ष्य विवरण--"ग" में दिए गए हैं।

**विवरण (क)**

**अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों की 31-3-92 की राज्यवार वास्तविक उपलब्धियों की स्थिति**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ अभिकरण | पारवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र | उन्नत चूल्हें | सौर तापीय प्रणालियां | सौर कुकर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 111,682 | 910,580 | 730 | 706 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 89 | 9,060 | 122 | — |
| 3. | असम | 10,734 | 142,743 | 105 | — |
| 4. | बिहार | 68,263 | 173,203 | 51 | — |
| 5. | गोवा | 1,867* | 59,446 | 43 | 794 |
| 6. | गुजरात | 152,531 | 600,458 | 11,650 | 20,532 |
| 7. | हरियाणा | 22,074 | 623,143 | 284 | 8,795 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 28,000 | 407,445 | 912 | 10,392 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 955 | 174,709 | 185 | — |
| 10. | कर्नाटक | 81,154 | 583,898 | 1,237 | — |
| 11. | केरल | 31,607 | 297,983 | 76 | 149 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 45,104 | 1,005,189 | 455 | 71,977 |
| 13. | महाराष्ट्र | 472,131 | 846,166 | 585 | 34 588 |
| 14. | मणिपुर | 532 | 27,938 | 57 | 200 |
| 15. | मेघालय | 269 | 10,200 | 46 | 732 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | मिजोरम | 789 | 11,194 | 1 | 70 |
| 17. | नागालैंड | 124 | 9,500 | 13 | — |
| 18. | उड़ीसा | 69,815 | 439,413 | 495 | 769 |
| 19. | पंजाब | 19,392 | 603,779 | 531 | 6,468 |
| 20. | राजस्थान | 42,551 | 1,273,549 | 218 | 25,389 |
| 21. | सिक्किम | 814 | 22,727 | 33 | 20 |
| 22. | तमिलनाडु | 146,263 | 877,398 | 1,726 | 1,304 |
| 23. | त्रिपुरा | 274 | 7,588 | 29 | — |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 210,283 | 1,501,235 | 1,450 | 21,296 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 56,297 | 399,202 | 156 | 2,271 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 98 | 16,260 | 18 | 38 |
| 27. | चंडीगढ़ | 82 | 10,514 | 149 | 568 |
| 28. | दादर एवं नगर हवेली | 149 | 5982 | 5 | 81 |
| 29. | दमन एवं दीव | — | 30 | — | — |
| 30. | दिल्ली | 617 | 138,175 | 2,988 | 20,344 |
| 31. | लक्षद्वीप | — | 3,660 | — | — |
| 32. | पाण्डिचेरी | 490 | 15,742 | 40 | |
| 33. | अन्य | | 822,774 | 349 | |
| | | 1,575,030 | 12,530,788 | 24,739 | 227,483 |

*इसमें गोवा और दमन दीव दोनों शामिल हैं।

**विवरण (ख)**

**अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों के सम्बन्ध में 31-3-92 तक धन की राज्यवार निर्मुक्ति की स्थिति (लाख रुपए में)**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिकरण | पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र | उन्नत चूल्हे | सौर तापीय प्रणालियां | सौर कुकर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2906.14 | 528.65 | 136.68 | 0.08 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1.13 | 12.25 | 9.07 | 0.45 |
| 3. | असम | 362.22 | 94.14 | 8.29 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 958.24 | 295.11 | 86.64 | 0 28 |
| 5. | गोवा | 39.62 | 40.25 | 13.77* | 0.97* |
| 6. | गुजरात | 3614.99 | 230.12 | 836.75 | 16.77 |
| 7. | हरियाणा | 730 12 | 328.61 | 150 95 | 2.45 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 1138.01 | 312.27 | 91.46 | 13.65 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 41.88 | 125.59 | 50.42 | 1.48 |
| 10. | कर्नाटक | 2034.22 | 436.52 | 205.33 | 0.45 |
| 11. | केरल | 607.08 | 279.62 | 73.95 | 1.26 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 1124.01 | 595.92 | 451.94 | 117.95 |
| 13. | महाराष्ट्र | 12610.72 | 426.80 | 342.45 | 26.30 |
| 14. | मणिपुर | 22.90 | 24.14 | 6.23 | 0.09 |
| 15. | मेघालय | 15.26 | 15.22 | 24.08 | 0.95 |
| 16. | मिजोरम | 40.10 | 13.81 | 1.28 | 0.12 |
| 17. | नागालैंड | 0.59 | 17.70 | 0.50 | 0.09 |
| 18. | उड़ीसा | 3156.07 | 256.86 | 29.26 | 0.32 |
| 19. | पंजाब | 659.90 | 337.62 | 156.91 | 6.75 |
| 20. | राजस्थान | 1290.61 | 570.28 | 126.87 | 34.12 |
| 21. | सिक्किम | 35.54 | 10.83 | 5.36 | 0.09 |
| 22. | तमिलनाडु | 3179.85 | 480.08 | 225.78 | 0.24 |
| 23. | त्रिपुरा | 1.81 | 7.02 | 1.25 | 0.09 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 5195.05 | 913.94 | 407.37 | 17.69 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 1655.84 | 222.72 | 67.97 | 2.79 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 2.47 | 1.46 | 5.83 | 0.09 |
| 27. | चंडीगढ़ | 0.99 | 10.77 | 41.19 | 0.78 |
| 28. | दादर एवं नगर हवेली | 1.82 | 0.70 | 1.29 | 0.09 |
| 29. | दमन एवं दीव | — | 0.08 | — | — |
| 30. | दिल्ली | 8.58 | 82.96 | 279.62 | 24.09 |
| 31. | लक्षद्वीप | — | 6.32 | 0.50 | 0.09 |
| 32. | पाण्डिचेरी | 11.08 | 7.86 | 15.07 | 0.15 |
| 33. | अन्य | | | 72.25 | |
| | | 41446.84 | 6686.22 | 3926.31 | 270.72 |

*गोवा और दमन एवं दीव दोनों शामिल हैं :

विवरण (घ)

देश के लिए 1992-93 हेतु कार्यक्रमवार वास्तविक लक्ष्य

| क्र. सं. | कार्यक्रम | लक्ष्य |
|---|---|---|
| क. | प्रसार/विस्तार कार्यक्रम | |
| 1. | राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (संख्या लाख में) | 1.35 |
| 2. | राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम (संख्या लाख में) | 17.50 |
| 3. | सौर तापीय विस्तार कार्यक्रम ('00 वर्गमीटर में क्षेत्र) | 300 |
| 4. | सौर कुकर कार्यक्रम | |
| | (क) पारिवारिक आकार के सौर कुकर (संख्या '00 में) | 270 |
| | (ख) सामुदायिक आकार के सौर कुकर (संख्या '00 में) | 8 |
| ख. | प्रदर्शन/प्रसार कार्यक्रम | |
| 5. | पवन पम्प (संख्या) | 500 |
| 6. | ऊर्जाग्राम कार्यक्रम | |
| | (क) ऊर्जा ग्राम प्रायोगिक परियोजना (संख्या) | 25 |
| | (ख) ऊर्जा सर्वेक्षण (संख्या) | 100 |
| 7. | ऊर्जा पौधारोपण (हैक्टेअर) | 200 |
| 8. | सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र (संख्या) | 50 |
| 9. | बायोमास गैसीफायर/स्टर्लिंग इंजन (कि.वा. के बराबर) | 400 |
| 10. | पवन बैटरी चार्जर (संख्या) | 50 |
| 11. | पवन विद्युत (मे.वा.) | 10 |
| 12. | मिनी-माइक्रो जल-विद्युत (मे.वा.) | 9 |
| 13. | बायोमास आधारित विद्युत सह-उत्पादन (मे.वा.) | 6 |
| 14. | सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत | |
| | (क) ग्राम स्तरीय विद्युत संयंत्र (कि.वा.) | 100 |
| | (ख) सड़क प्रकाश व्यवस्था प्रणालियां (संख्या) | 500 |
| | (ग) घरेलू प्रकाश व्यवस्था प्रणालियां/लालटेन (संख्या) | 3000 |
| | (घ) सामुदायिक टी.वी./सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था प्रणालियां | 30 |
| 15. | भूतल परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन | |
| | (क) बैटरी से चलने वाले वाहन (संख्या) | 50 |
| | (ख) अल्कोहल से चलने वाले वाहन (संख्या) | 200 |

## उड़ीसा और महाराष्ट्र में बायो-गैस संयंत्र

5401. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**

**श्री बापू हरि चौरे :**

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा और महाराष्ट्र में अब तक जिलावार कितने बायो-गैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं; और

(ख) घरेलू और फार्म की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक संयंत्र में कितनी ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्यों में 1991-92 में वर्ष तक स्थापित बायोगैस संयंत्रों की संख्या सम्बन्धी जिलावार सूचना क्रमश: (विवरण 1 तथा 2 में दी गई है। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने भी कुल 56,000 से अधिक पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित किए हैं।

(ख) 4 घन मीटर क्षमता के सर्वाधिक सामान्य पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र से प्रतिवर्ष औसतन लगभग 1200 घनमीटर गैस का उत्पादन होने का अनुमान है जिसे अधिकाशत: घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाना है। इसी प्रकार, 60 घनमीटर क्षमता के सामुदायिक या संस्थागत बायोगैस संयंत्र से प्रतिवर्ष लगभग 18,000 घनमीटर बायोगैस का उत्पादन होने का अनुमान है जिसे घरेलू उपयोग के लिए और साथ ही जल पम्पन, चारा काटने, सिंचाई, बिजली उत्पादन इत्यादि हेतु दुहरे ईंधन वाला इंजन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना है।

**विवरण—1**

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना और सामुदायिक, संस्थागत तथा विष्टा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में स्थापित बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या

| जिले का नाम | 1981-82 से 1991-92 के दौरान स्थापित पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की संख्या | 1982-83 से 1991-92 के दौरान स्थापित सामुदायिक/संस्थागत/विष्टा आधारित बायोगैस संयंत्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| बालासोर | 3115 | 1 |
| बोलगिर | 4455 | — |
| कटक | 9858 | 3 |
| धनकनाल | 2162 | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| गंजाम | 13028 | — |
| कालाहांडी | 7774 | — |
| क्योंझर | 2947 | — |
| कोरापुट | 3578 | 5 |
| मयूरभंज | 6900 | — |
| फूलबनी | 760 | — |
| पुरी | 2901 | 3 |
| संभलपुर | 8415 | 4 |
| सुन्दरगढ़ | 3922 | — |

**विवरण—2**

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना और सामुदायिक, संस्थागत तथा विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य नोडल विभाग द्वारा महाराष्ट्र राज्य में स्थापित बायोगैस संयंत्रों की जिलावार संख्या

| जिले का नाम | 1981-82 से 1991-92 के दौरान स्थापित पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की संख्या | 1982-83 से 1991-92 के दौरान स्थापित सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| अहमदनगर | 18157 | 15 |
| अकोला | 15889 | 5 |
| अमरावती | 13613 | 13 |
| औरंगाबाद | 8637 | 5 |
| भंडारा | 17067 | 1 |
| बीड़ | 8453 | 3 |
| बुलढाणा | 15537 | 14 |
| चन्द्रपुर | 20354 | 1 |
| धुले | 11068 | 3 |
| गडचिरोली | 11743 | 1 |
| जलगांव | 14196 | 5 |
| जालना | 7343 | 5 |
| कोल्हापुर | 32909 | 5 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| लातूर | 7950 | 7 |
| नागपुर | 11769 | 1 |
| नान्देद | 12075 | 8 |
| नासिक | 15087 | 11 |
| उसमानाबाद | 7602 | — |
| परभानी | 8441 | 5 |
| पुणे | 20381 | 20 |
| रायगढ़ | 9226 | — |
| रत्नगिरि | 10495 | 1 |
| सांगली | 19655 | 10 |
| सतारा | 24885 | 3 |
| सिंधुदुर्ग | 12055 | — |
| शोलापुर | 15190 | 7 |
| थाणे | 16464 | 10 |
| वर्धा | 9441 | 6 |
| युवतमाल | 19262 | 2 |

**एन. सी. ई. एस. द्वारा विद्युत उत्पादन**

5402. **श्री गुमान मल लोढा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयंत्र भार गुणक और पारेषण तथा वितरण घाटे को ध्यान में रखते हुए कुल कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया गया और कितनी विद्युत उपलब्ध करायी गई;

(ख) फसल से पहले और इसके बाद, परिवहन तथा अन्य प्रयोजनों के लिए वर्ष 2000 में डी. ए. पी. की खपत कितनी होगी;

(ग) क्या 1987 में आयोजित "पशु उत्पादकता सेमीनार" में एक वक्तव्य दिया गया है जिसमें डी.ए.पी. के द्वारा वर्ष 2000 के लिए विद्युत की माँग का अनुमान 60,000 मेगावाट लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यक्रम शुरू किए गये हैं और अनुमानित मांग कितनी है ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री सुखराम) :** (क) कुल विद्युत उत्पादन में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान इस समय बहुत कम है। पारम्परिक विद्युत संयंत्रों की तुलना में अधिकांश अपारम्परिक ऊर्जा प्रणालियों की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है और उन्हें विकेन्द्रीकृत रूप से लगाया जाता है। सौर प्रकाशवोल्टीय प्राणलियों में कोई पारेषण ह्रास नहीं होता और पवन विद्युत परियोजनाओं के

मामले में, पवन फार्म से ग्रिड तक पारेषण ह्रास साधारणतः नगण्य होता है। पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए क्षमता उपयोग गुणांक 20-25% के क्रम में होता है। मार्च, 1992 तक, पवन ऊर्जा, मिनी-माइक्रो जल-विद्युत, सौर प्रकाशवोल्टीय, बायोमास आधारित सह-उत्पादन तथा बायोमास गैसीफायरों/स्टर्लिंग इंजनों पर आधारित लगभग कुल 147 मे०वा० क्षमता की अपारम्परिक विद्युत उत्पादन परियोजनाएं/प्रणालियां स्थापित की गई हैं। जुलाई, 1992 तक लगभग 134 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन पवन फार्म के जरिए किया गया है।

(ख) और (ग) जनवरी, 1987 में भोपाल स्थित केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान में पशु ऊर्जा उपयोग की स्थिति के सम्बन्ध में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान प्रस्तुत कागजातों में से एक कागजात में यह उल्लेख किया गया था कि वर्ष 2000 ई० तक देश में 88.5 मिलियन भारवाही पशुओं की संभावित संख्या से बिजली की कुल अनुमानित उपलब्धता 44·25 मिलियन अश्वशक्ति होगी।

(घ) यह मन्त्रालय मनुष्य तथा पशु चालित मशीनों के विकास तथा प्रदर्शन हेतु परियोजनाओं को धन दे रहा है ताकि इन मशीनों की कार्यकुशलता में सुधार किया जा सके और श्रमसाध्य नीरसकार्य को कम किया जा सके। विभिन्न कृषि कार्यों तथा ग्रामीण परिवहन के लिए इस्तेमाल में आने वाले एक बहु-प्रयोजनीय ट्रेलर ट्रापीकल्चर का विकास अर्ध-ऊष्ण कटिबन्धों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है और उसका प्रदर्शन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में किया गया है। प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में क्षेत्रीय फीडबैक प्राप्त की गई और उसमें आगे सुधार के लिए उसे अनुसंधान संगठन को भेज दिया गया है।

कार्टमैन, बंगलूर और कृषि इंजीनियरी कालेज, त्रिची द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नत बैलगाड़ियां, विकसित की गई हैं जिनका देश के दक्षिणी राज्यों में सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा है। यह मन्त्रालय उन्नत हाथगाड़ियों, पहियेदार हाथगाड़ियों, दौने बनाने वाली मशीनें, सुलभ पम्प, साइकिल ट्रेलर, हथकरघों के सम्बन्ध में विभिन्न परियोजनाओं को भी धन दे रहा है।

[हिन्दी]

**सौर चूल्हों का निर्माण**

5403. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा :**

**श्री गयाप्रसाद कोरी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान देश में सौर चूल्हों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके उत्पादन पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया तथा 1992-93 के दौरान कितने व्यय का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सौर चूल्हों के निर्माण हेतु निजी कम्पनियों को कोई ठेका दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनके उत्पादन तथा इन्हें लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुखराम)** : (क) देश में सौर कुकरों का उत्पादन निजी उद्योग द्वारा किया जा रहा है। सौर कुकरों को लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार उपभोक्ताओं को राज-सहायता के रूप में प्रति कुकर 150/- रुपये दे रही है। वर्ष 1991-92 के दौरान देश में इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में 54,815 सौर कुकर बेचे गए।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत सौर कुकरों पर राज-सहायता के रूप में हुआ व्यय नीचे दिया गया है :

| | | |
|---|---|---|
| 1989-90 | — | 44.10 लाख रुपये |
| 1990-91 | — | 26.02 लाख रुपये |
| 1991-92 | — | 98.74 लाख रुपये |

वर्ष 1992-93 के बजट में इस बाबत राजसहायता के लिए 60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने सौर कुकरों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उन पर उत्पाद शुल्क तथा केन्द्रीय बिक्रीकर की छूट दी है। इसके अलावा, उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए विनिर्माताओं को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था से ऋण सुविधायें भी उपलब्ध हैं, सौर कुकर पर सामने खाना पकाने सम्बन्धी प्रदर्शन करके उपभोक्ताओं तथा शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण कार्य-क्रमों को आयोजित करके और समाचार-पत्रों, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी, इत्यादि के जरिए प्रचार करके सौर कुकर को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो के जरिए गुणवत्ता नियंत्रण के लिए और बाजार में आई. एस. आई. के मार्के वाले कुकर लाने के लिए कार्यवाही की गई है।

**[अनुवाद]**

**भोपाल गैस पीड़ितों को विदेशी सहायता**

5404. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भोपाल गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए विदेशों से कोई सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है;

**विदेश मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आर. एल. भाटिया)** : (क) और (ख) सरकार को मार्च 1989 में मुआवजे के रूप में 4200 लाख अमेरिकी डालर और 450 लाख अमरीकी डालरों के समतुल्य भारतीय रुपये प्राप्त हुए हैं।

**थार मरुस्थल का विस्तार होना**

5405. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में थार मरुस्थल क्षेत्र को बढ़ने से रोकने के लिए कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्रीय योजना किस वर्ष से चलाई गई ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितना कार्य किया गया है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई नई केन्द्रीय योजना बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी)** : (क) मरुभूमि विकास कार्यक्रम राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्रों के 11 जिलों के 84 खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थली क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण पर नियन्त्रण पाना है।

(ख) 1977-78

(ग) मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1991-92 तक 292.98 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है और भूमि, वन और जल संसाधन विकास की विभिन्न मुख्य क्षेत्र गतिविधियों के अन्तर्गत 253771 हैक्टेयर भूमि का विकास किया गया है।

(घ) और (ङ) मरुभूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन को 1992-93 के दौरान जारी रखा जाएगा।

**"मत्स्यपालन क्षेत्र में परती भूमि विकास"**

5406. **श्री जी.एस. विजय राघवन** :

(क) क्या समन्वित परती भूमि विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यक्रम केरल में भी लागू किया जायेगा,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ राज्य को कोई वित्तीय सहायता देने का केन्द्रीय सरकार का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल रामसिंह)** : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित ससेकित परती भूमि विकास परियोजनाओं की स्कीम केरल के पालाक्काड, मालापुरम तथा त्रिस्सूर जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) वर्ष 1991-92 के दौरान उक्त स्कीम के अधीन केरल राज्य को 134.86 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई।

[हिन्दी]

**"काप्रोलेक्टम" के मूल्य में वृद्धि**

5407. **श्री शिबू सोरेन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नायलौन फिलामेंट यार्न' उत्पादकों ने धमकी दी है कि यदि स्वदेशी 'काप्रोलेक्टम' के मूल्य में वृद्धि की गई तो वे अपनी फैक्टरियां बन्द कर देंगे, और

(ख) इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाएंगे ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन)** : (क) और (ख) नाइलोन फिलामेंट यार्न ने उत्पादक न केवल स्वदेशी केप्रोलेक्टम की कीमतों से प्रभावित हैं बल्कि विभिन्न अन्य कारणों जैसे आयातित कैप्रोलेक्टम की कीमतों, आयातित नाइलोन फिलामेंट यार्न की कीमत नाइलोन के कपड़े की स्वदेशी मांग, मुद्रा बाजार आदि से भी प्रभावित हैं। केन्द्रीय बजट में कैप्रोलेक्टम पर आयात शुल्क 80% से घटाकर 50% करने के परिणामस्वरूप स्वदेशी कैप्रोलेक्टम उत्पादकों ने कैप्रोलेक्टम की कीमतें कम कर दी हैं जिससे नाइलोन फिलामेंट यार्न उत्पादकों को कुछ राहत मिलेगी।

[अनुवाद]

**व्यापार सम्बन्धी निर्णयों के लिए बिना कागजी कार्यवाही वाली पद्धति**

5408. **डा. सी. सिलवेरा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि व्यापार संबंधी निर्णयों के लिए देश में हाल ही में बिना कागजी कार्यवाही वाली पद्धति विकसित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का इस पद्धति को अपने कार्यालयों के लिए अपनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) जी, हां।

(ख) कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विशेष रूप से आप्टीकल डिस्क प्रणालियों और स्थानीय एरिया नेटवर्कों में, हाल ही के विकास से निर्णय सम्बन्धी सहायता के लिए बिना कागज की और कम कागज इस्तेमाल किए जाने वाली प्रणालियां सम्भव हो गई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) निर्णय सम्बन्धी सहायता के लिए और प्रशासन में बिना कागज की और कम कागज इस्तेमाल किए जाने वाली प्रणालियां सरकार के कुछ चुने हुए विभागों में पहले ही आरम्भ की जा चुकी हैं। स्थानीय एरिया नेटवर्क अन्य विभागों के साथ-साथ उद्योग मन्त्रालय, आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक, योजना आयोग, इस्पात विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र जैसे कई विभागों

में स्थापित किए गए हैं। फाइल अभिलेख के लिए एक आप्टीकल डिस्क भंडारण प्रणाली पायलट आधार पर संस्थापित की गई है। जब ये प्रणालियाँ पायलट संस्थान में उपयोगी सिद्ध हो जाएंगी तब इन्हें अन्य विभागों में भी आरम्भ किया जाएगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वर्णिम स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना**

5409. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :**

**श्री सी० श्रीनिवासन :**

**श्री सत्य देव सिंह :**

**क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लागू की गई स्वर्णिम स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के मामले में भी लागू की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंत्रालय/विभाग में अधिशेष घोषित कर्मचारियों का अधिशेष एकक के माध्यम से, जब कभी भी रिक्तियां उपलब्ध होती हैं, अन्य मंत्रालयों विभागों में पुर्नियोजन किया जा सकता है।

**उदारीकरण प्रक्रिया में श्रमिकों की भूमिका**

5410. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया में श्रमिकों की भूमिका की सम्भावना का आंकलन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन)** : (क) और (ख) यह पहले ही घोषित कर दिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शेयरधारिता का एक भाग उनके कर्मचारियों/कामगारों को दे दिया जायेगा। सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा विस्तृत रूपात्मकताएँ तैयार की जा रही हैं।

**"स्पेस क्वालिफाइड इलैक्ट्रानिक फिल्टर"**

5411. **श्री रामसिंह कसवां :**

**श्री नरेश कुमार बालियान :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "स्पेस क्वालिफाइड इलैक्ट्रानिक फिल्टरों" का, जो उपग्रह संचार उपकरण का एक महत्वपूर्ण अवयव है, निर्माण करने की क्षमता विकसित कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसका नियमित उत्पादन कब से शुरू किया जायेगा ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम्)** : (क) जी हां ।

(ख) अन्तरिक्षयानों और राकेटों में अनेक प्रकार के इलैक्ट्रानिक फिल्टर प्रयोग में लाए जाते हैं । इनका विस्तृत वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है :

(1) पतली परतयुक्त माइक्रोवेव फिल्टर तथा बहुसंकेतक/विबहुसंकेतक, हल्की भार वाले तरंग निर्देश ।

(2) विविध किस्म के इलेक्ट्रानिक फिल्टर, जिसमें पिंडित ऐलीमेंट जैसे प्रतिरोधक, संधारित्र, ट्रांजिस्टर, समाकलित परिपथ इत्यादि का प्रयोग करते हुए अंकीय फिल्टर सम्मिलित हैं ।

(3) क्रिस्टल फिल्टर, जो कि फिल्टर ऐलीमेंट के रूप में दाब इलैक्ट्रिक क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं ।

उपरोक्त 1 और 2 टाइप के फिल्टरों का डिजाइन, विकास और उत्पादन संस्थापित किया जा चुका है । टाइप 3 के फिल्टरों के लिए विकासात्मक प्रयास सन्तोषप्रद रूप में प्रगति में हैं ।

(ग) टाइप 1 और 2 के फिल्टरों का उत्पादन भारत में किया जा रहा है, तथा इन्हें इसरो उपग्रहों में नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है ।

## कोयला परियोजनाओं का विकास

5412. **श्री के० वी० तंगकाबालू** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न कोयला परियोजनाओं के लिए परियोजनावार मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

**कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड)**: वर्ष 1992-93 के दौरान कोयला परियोजनाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा 2259.00 करोड़ रु० का योजनागत परिव्यय निर्धारित किया गया है । मुख्य कोयला खनन परियोजनाओं के सम्बन्ध में वर्ष 1992-93 के लिए आवंटित की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

| कम्पनी का नाम | | परियोजना | वर्ष 1992-93 के लिए आवंटित निधि (करोड़ रुपए में) |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| **ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड** | | | |
| | 1. | राजमहल ओ. का. | 99.34 |
| | 2. | झांझरा भू. ग. | 13.00 |
| | 3. | सोनेपुर बाजारी ओ. का. | 65.00 |
| | 4. | कोटाडीह भू. ग./ओ. का. | 44.00 |
| | 5. | जामबाद ओ. का. | 5.00 |
| | 6. | सतग्राम भू. ग. | 2.50 |
| | 7. | धेमोमैन भू. ग. | 1.66 |
| | 8. | अमृतनगर भू. ग. | 1.50 |
| | 9. | कालीदासपुर भू. ग. | 2.50 |
| | 10. | सरपी भू. ग. | 1.00 |
| | 11. | लोडोहा भू. ग. | 1.00 |
| | 12. | जे. के. नगर भू. ग. | 9.30 |
| **भारत कोकिंग कोल लिमिटेड** | | | |
| | 1. | ब्लाक-II ओ. सी. | 8.16 |
| | 2. | पुटकी बलिहारी भू. ग. | 6.46 |
| | 3. | कटरा भू. ग. | 3.26 |
| | 4. | नार्थ अमलाबाद भू. ग. | 1.11 |
| | 5. | भालगोरा भू. ग. | 2.96 |
| **सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड** | | | |
| | 1. | अमलो (धोरी वेस्ट) ओ. का. | 1.86 |
| | 2. | पिपरवार ओ. का. | 380.00 |
| | 3. | तरमी ओ. का. | 0.33 |
| | 4. | करमा ओ. का. | 0.60 |
| | 5. | रोहिनी ओ. का. | 1.46 |
| | 6. | सौदा डी भू. ग. | 1.42 |
| | 7. | हिन्देगिर ओ. का. | 1.46 |
| | 8. | राय बचरा भू. ग. | 2.12 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड** | | |
| | 1. धुधीचुआ ओ. का. | 52.49 |
| | 2. अमलोहरी ओ. का. | 27.85 |
| | 3. निधाई ओ. का. | 44.98 |
| | 4. काकरी ओ. का. | 8.54 |
| | 5. खादिया ओ. का. | 81.05 |
| **वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड** | | |
| | 1. सिलेवारा भू. ग. (निस्तार) (फेज II) | 2.20 |
| | 2. सौनेर भू. ग. | 3.33 |
| | 3. टांडसी भू. ग. | 4.32 |
| | 4. पदमपुर ओ. का. | 6.53 |
| | 5. घुघस ओ. का. | 4.34 |
| | 6. नीलजय ओ. का. | 8.37 |
| | 7. पिम्पलगांव ओ. का. | 1.53 |
| | 8. उकाई ओ. का. | 11.20 |
| | 9. सास्ती ओ. का. | 6.73 |
| **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड** | | |
| | 1. अमलाई ओ. का. | 6.20 |
| | 2. बालगी ओ. का. | 4.17 |
| | 3. बंगवार भू. ग. | 1.94 |
| | 4. चुरचा वेस्ट (पी. एंड पी.) | 2.43 |
| | 5. धनपुरी ओ. का. | 1.76 |
| | 6. दीपका ओ. का. | 4.17 |
| **महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड** | | |
| | 1. वेलपहाड़ ओ. का | 4.13 |
| | 2. भरतपुर ओ. का. | 6.94 |
| | 3. अनन्ता ओ. का. | 16.45 |
| | 4. कलिंगा ओ. का. | 18.67 |
| | 5. लखनपुर ओ. का. | 6.93 |
| | 6. समलेश्वरी ओ. का. | 13.20 |
| | 7. लिंगराज ओ. का. | 23.66 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स** | | |
| | 1. सिमसैंग भू. ग. | 1.60 |
| | 2. लेडो विस्तार भू. ग. | 0.50 |
| | 3. लेखापानी भू. ग. | 0.50 |
| **सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड** | | |
| | 1. रामागुन्डम ओ. का-II | 125.16 |
| | 2. रामागुन्डम ओ. का-III | 110.00 |
| | 3. जीडीके-10-ए इंक्ला. | 40.00 |
| | 4. जीडीके-11ए इंक्ला. | 8.00 |
| | 5. गोलेटी लांगवाल | 9.66 |
| | 6. मानुगुरू ओ. का-II | 29.50 |

**लघु एककों का पंजीकरण**

5413. **डा० लाल बहादुर रावल :**

**श्री वी० एस० विजय राघवन :**

**क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग निदेशालय, दिल्ली किसी भी ऐसे लघु उद्योग एकक के स्थायी अथवा अस्थाई पंजीयन की अनुमति नहीं देता जिसे 40 हार्सपावर औद्योगिक शक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि ऐसा किसी भी अन्य राज्य उद्योग निदेशालय द्वारा नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में घोषित औद्योगिक दिशा निर्देशों के एकदम विरुद्ध है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथा केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप एकरूपता लाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(ङ) दिल्ली के बड़ी संख्या में लघु उद्योगों के एककों के हित में औद्योगिक शक्ति प्रतिबन्ध को कब तक हटाये जाने का विचार है ?

**उद्योग मन्त्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्यमन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री ( प्रो० पी.जे. कुरियन )** : (क) और (ख) दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अनुसार 30 कि.वा. (40 हार्स पावर) से अधिक बिजली की अपेक्षा रखने वाले लघु एककों को दिल्ली में अनुमति नहीं दी जाती हैं और इसीलिए, ये उद्योग आयुक्त के कार्यालय में पंजीकृत नहीं किये जाते है ।

(ग) जी, नहीं । उक्त स्थिति नयी औद्योगिक नीति के मुताबिक है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि औद्योगिक परियोजना सम्बन्धी स्थापना-स्थल केन्द्र अथवा राज्य के

पर्यावरण सम्बन्धी नियमों अथवा विनियमों के अधीन होंगे जिसमें स्थापना-स्थल सम्बन्धी सीमांकन तथा भूमि सम्बन्धी नियम व विनियम भी शामिल हैं। मास्टर प्लान दिल्ली 2001 में संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में उद्योग लगाने के लिए स्थापना स्थल सम्बन्धी मानदन्ड भी निर्धारित हैं और उद्योग आयुक्त का कार्यालय नयी औद्योगिक नीति का अक्षरशः पालन कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए मास्टर प्लान दिल्ली 001 में संशोधन करना होगा।

**स्वीडन की अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां**

5414. **श्री पी.बी.बी.एस. मूर्ति :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन की कुछेक अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों ने भारतीय आटोमोबाइल उद्योग में पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव रखा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) :** (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**"औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश" से दवाइयों को मुक्त रखने के मानदण्ड**

5415. **श्री हरि किशोर सिंह :**

**श्री प्रकाश वी० पाटील :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश" के क्षेत्राधिकार से कुछ दवाइयों को मुक्त रखने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) इस हेतु प्राप्त हुए और लम्बित हुए आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) 14 दवाइयों को मूल्य सम्बन्धी छूट प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं; और

(घ) ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद "औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश" से दवाइयों को छूट प्रदान करने में साधारणतया कितना समय लगता है ?

**रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( डा० चिन्ता मोहन ) :** (क) और (ग) ऐसी प्रपुंज औषधों जो किसी एकक द्वारा अपने अनुसंधान और विकास प्रयासों द्वारा विकसित निर्माण प्रक्रिया से मूल अवस्था से की जाती हैं, के सम्बन्ध में मूल्य नियन्त्रण से छूट वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की तारीख से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए दी जाती है। इस मानदन्ड के आधार पर 14 औषधों के लिए मूल्यों में छूट दी गई थी।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है।

(घ) इस प्रकार के आवेदन प्राप्त होने के बाद डीपीसीओ से औषधों को छूट देने में साधारणतः दो से तीन महीने लगते हैं बशर्ते कि कम्पनी से सभी सम्बन्धित जानकारी/आंकड़े उपलब्ध हो।

**विवरण**

| क्रम सं० | प्रपुंज औषधि का नाम | कम्पनी का नाम | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | इफीड्रीन एच सी एल | मे. इमेलिन बायोटेक फार्मा. लि० | इस आधार पर कं. को अस्वीकृत पत्र जारी किया गया था कि यह प्रस्ताव मूल्य नियंत्रण से छूट के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा नहीं करता है। |
| 2. | डोक्सीसिन हाइक्लेट एच सी एल | मे. रेनबेक्सी लेब्स | लम्बित पड़ा है। |
| 3. | डिक्लोफ्लेक सोडियम | मे. यूनीक्यू केमिकल्स | प्रौद्योगिकी मुद्दों पर |
| 4. | टिमोलोल मेलेसेट | मे. एफ डी सी लि० | विशेषज्ञ ग्रुप के |
| 5. | सिप्लेक्सिन | मे. लुपिन लेब्स | विचाराधीन। |
| 6. | रिफम्पिसिन | —वही— | |

[हिन्दी]

**उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम**

5416. **श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनकी अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग किए जाने के कारण घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ;

(ग) उत्तर प्रदेश में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर कितने उपक्रम स्थापित करने का प्रस्ताव था किन्तु उन्हें स्थापित नहीं किया जा सका ; और

(घ) इन उपक्रमों की स्थापना के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

**उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी.के. चुंगन)** : (क) जी, हां।

(ख) उद्यम, विभिन्न कारणों से घाटा उठाते हैं। उद्यमों के कार्यनिष्पादन को बेहतर

बनाने के लिए उद्यम विशेष के सम्बन्ध में सम्बद्ध उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, उद्यमों के कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने के लिए किए गए कुछ सामान्य उपायों का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1990-91 के खण्ड-1 के पृष्ठ संख्या 165 पर दिया है जिसे दिनांक 5-3-1992 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आने वाले रुग्ण औद्योगिक उद्यमों को, उनके लिए पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन संबंधी योजनाएं बनाने हेतु औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) परियोजनाओं की स्थापना तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के साथ-साथ योजनाबद्ध विकास के लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर अनुमोदित की जाती हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं की संख्या का उल्लेख लोक उद्यम सर्वेक्षण 1990-91 (खण्ड-1) के पृष्ठ संख्या 55 पर किया गया है। इसे दिनांक 5.3.1992 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस ब्यौरे से, सम्बद्ध राज्यों में इन परियोजनाओं के पूरा होने/कार्यान्वित होने की योजनाओं तथा चरणों का पता चलता है।

**जवाहर रोजगार योजना का सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विलय**

5417. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना का देश में कुछ स्थानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विलय कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों पर किया गया है ; और

(ग) इस योजना में अनियमिताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री जी. वेंकटस्वामी)** : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, जवाहर रोजगार योजना के तहत मजदूरी के एक भाग के रूप में खाद्यान्नों के वितरण की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने पर, हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण गरीबों को इसके स्थायी लाभ पहुंचाने की दृष्टि से जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरी के हिस्से के रूप में 2 किलोग्राम खाद्यान्न अनिवार्य रूप से दिए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश सहित 1715 खण्डों में जहां सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यान्वित की गई है, जवाहर रोजगार योजना के तहत खाद्यान्नों का का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा ही किया जायेगा। उत्तर प्रदेश के खण्डों, जहां सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है, की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। देश के शेष खण्डों में खाद्यान्नों का वितरण जैसी भी संबंधित राज्य सरकार को सुविधा होगी, या तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क के माध्यम से या कार्य-स्थलों पर किया जाएगा। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण के बारे में कोई भी अनियमितता अभी तक या तो राज्य सरकार द्वारा अथवा अन्य किसी एजेन्सी द्वारा इस मन्त्रालय के ध्यान में नहीं लाई गई है।

विवरण

उत्तर प्रदेश

| क्रमांक | जिला | क्रमांक | खन्ड | मरुभूमि विकास कार्यक्रम | सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम | समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम | पर्वतीय क्षेत्रों का विकास | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | अल्मोड़ा | 1. | हवलबाग | | | | 1 | 1 |
| | | 2. | भैंसियाचना | | | | 1 | 1 |
| | | 3. | धौलादेवी | | | | 1 | 1 |
| | | 4. | गरुड़ | | | | 1 | 1 |
| | | 5. | बागेश्वर | | | | 1 | 1 |
| | | 7. | चौखुटिया | | | | 1 | 1 |
| | | 7. | तकुला | | 1 | | | 1 |
| | | 8. | तमनोआ | | 1 | | | 1 |
| | | 9. | कपकोटा | | 1 | | | 1 |
| | | 10. | द्वारहाट | | 1 | | | 1 |
| | | 11. | भिकियासैंण | | 1 | | | 1 |
| | | 12. | स्यालदेह | | 1 | | | 1 |
| | | 13. | साल्ट | | 1 | | | 1 |
| | | 14. | तरीखेत | | 1 | | | 1 |
| 2. | इलाहाबाद | 1. | शंकरगढ़ | | 1 | | | 1 |
| 3. | बांदा | 1. | चित्रकूट | | 1 | | | 1 |
| | | 2. | माणिकपुर | | 1 | | | 1 |
| | | 3. | मऊ | | 1 | | | 1 |
| | | 4. | पहाड़ी | | 1 | | | 1 |
| | | 5. | रामनगर | | 1 | | | 1 |
| | | 5. | नरेनी | | 1 | | | 1 |
| | | 7. | छमातिन | | 1 | | | 1 |
| | | 8. | जलपुरा | | 1 | | | 1 |
| | | 9. | सिंदवाड़ी | | 1 | | | 1 |
| | | 10. | बरोजार खुर्द | | 1 | | | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | चमोली | 1. | कर्णप्रयाग | | | | 1 | 1 |
| | | 2. | घंसौली | | | | 1 | 1 |
| | | 3. | देवल | | | | 1 | 1 |
| | | 4. | घाट | | | | 1 | 1 |
| | | 5. | पोखरी | | | | 1 | 1 |
| | | 6. | ऊखीमठ | | | | 1 | 1 |
| | | 7. | अगस्तमुनी | | | | 1 | 1 |
| | | 8. | जोशीमठ | | 1 | | | 1 |
| | | 9. | नारायणगढ़ | | 1 | | | 1 |
| | | 10. | गैरसैंण | | 1 | | | 1 |
| | | 11. | थराली | | 1 | | | 1 |
| 5. | गोंडा | 1. | तुलसीपुर | | 1 | | | 1 |
| | | 2. | पंचपुरवा | | 1 | 1 | | 1 |
| | | 3. | हरियासतपुरवा | | 1 | | | 1 |
| | | 4. | गैणसारी | | 1 | 1 | | 1 |
| 6. | खीरी | 1. | पिजूला | | 1 | | | 1 |
| | | 2. | नाखा | | 1 | | | 1 |
| | | 3. | कालियाकरला | | | 1 | | 1 |
| | | 4. | निघासन | | | 1 | | 1 |
| 7. | बहराइच | 1. | बलहा | | 1 | | | 1 |
| | | 2. | सिरसिया | | 1 | | | 1 |
| | | 3. | शिवपुर | | 1 | | | 1 |
| | | 4. | नवाबगंज | | 1 | | | 1 |
| | | 5. | हरिहररानीपुर | | 1 | | | 1 |
| | | 6. | केसरगंज | | 1 | | | 1 |
| | | 7. | गिलौला | | 1 | | | 1 |
| | | 8. | इकौना | | 1 | | | 1 |
| | | 9. | ताजवापुर | | 1 | | | 1 |
| | | 10. | खरथल | | 1 | | | 1 |
| | | 11. | माहसी | | 1 | | | 1 |
| | | 12. | मरमीहपुरवा | | 1 | | | 1 |
| | | 13. | फखरपुर | | 1 | | | 1 |
| | | 14. | हजूरपुर | | 1 | | | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | जालौन | 1. | डकोर | | 1 | | | 1 |
| | | 2. | महेबा | | 1 | | | 1 |
| | | 3. | कडौरा | | 1 | | | 1 |
| 9. | झांसी | 1. | कौरमीपुर | | 1 | | | 1 |
| | | 2. | गुरसराई | | 1 | | | 1 |
| | | 3. | बमौर | | 1 | | | 1 |
| 10. | हमीरपुर | 1. | चरखेरी | | 1 | | | 1 |
| | | 2. | कवराई (महोवा) | | 1 | | | 1 |
| | | 3. | मोथा | | 1 | | | 1 |
| | | 4. | तरिला | | 1 | | | 1 |
| | | 5. | सुमेरपुर | | 1 | | | 1 |
| 11. | ललितपुर | 1. | बिरधा | | 1 | | | 1 |
| | | 2. | म्हाबरा | | 1 | | | 1 |
| 12. | मिर्जापुर | 1. | छाणे | | 1 | | | 1 |
| | | 2. | हालिया | | 1 | | | 1 |
| 13. | नैनीताल | 1. | खातिमा | | | | 1 | 1 |
| | | 2. | सितारगंज | | | | 1 | 1 |
| | | 3. | बजपुर | | | | 1 | 1 |
| | | 4. | गदरपुर | | | | 1 | 1 |
| | | 5. | रामनगर | | | | 1 | 1 |
| | | 6. | काशीपुर | | | | 1 | 1 |
| | | 7. | ओखलखंड | | | | 1 | 1 |
| | | 8. | धारी | | | | 1 | 1 |
| | | 9. | बेतालघाट | | | | 1 | 1 |
| | | 10. | रामगढ़ | | | | 1 | 1 |
| | | 11. | कोटाबाग | | | | 1 | 1 |
| | | 12. | भीमताल | | | | 1 | 1 |
| 14. | पौड़ी गढ़वाल | 1. | थमकेश्वर | | | | 1 | 1 |
| | | 2. | पोखड़ा | | | | 1 | 1 |
| | | 3. | दुगड्डा | | | | 1 | 1 |
| | | 4. | नैनीडांडा | | | | 1 | 1 |
| | | 5. | रिखणीखाल | | | | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. | पौड़ी | | 1 | | | 1 |
| | | 7. | जयहरीखाल | | 1 | | | 1 |
| | | 8. | पावो | | 1 | | | 1 |
| | | 9. | विरोखल | | 1 | | | 1 |
| | | 10. | कोट | | 1 | | | 1 |
| | | 11. | खिरसू | | 1 | | | 1 |
| | | 12. | कलजीखाल | | 1 | | | 1 |
| | | 13. | अलीसैंण | | 1 | | | 1 |
| | | 14. | पणखेत | | 1 | | | 1 |
| | | 15. | डांगू | | 1 | | | 1 |
| 15. | देहरादून | 1. | चकराता | | | | 1 | 1 |
| | | 2. | कलसी | | | | 1 | 1 |
| | | 3. | डोईवाला | | | | 1 | 1 |
| | | 4. | रायपुर | | | | 1 | 1 |
| | | 5. | साहसपुर | | | | 1 | 1 |
| | | 6. | विकासनगर | | | | 1 | 1 |
| 16. | पिथौरागढ़ | 1. | धारचूला | | | | 1 | 1 |
| | | 2. | मुसयारी | | | | 1 | 1 |
| | | 3. | पिथौरागढ़ | | 1 | | | 1 |
| | | 4. | गंगोलीघाट | | 1 | | | 1 |
| | | 5. | चम्पावत | | 1 | | | 1 |
| | | 6. | खड़ाखोट | | 1 | | | 1 |
| | | 7. | लोहघाट | | 1 | | | 1 |
| | | 8. | मनकोट | | | | 1 | 1 |
| | | 9. | [illegible] | | | | 1 | 1 |
| | | 10. | [illegible] | | | | 1 | 1 |
| | | 11. | [illegible] | | | | 1 | 1 |
| | | 12. | पट्टी | | | | 1 | 1 |
| 17. | सोनभद्र | 1. | बाजनी | | 1 | | | 1 |
| | | 2. | भोपन | | 1 | | | 1 |
| | | 3. | हुदी | | 1 | | | 1 |
| | | 4. | म्योरपुर | | 1 | | | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. | रोबेस्टनगंज | | 1 | | | 1 |
| | | 6. | चतरा | | 1 | | | 1 |
| | | 7. | थोरावल | | 1 | | | 1 |
| | | 8. | नानवा | | 1 | | | 1 |
| 18. | सीतापुर | 1. | रिओसा | | 1 | | | 1 |
| | | 2. | बेहरा | | 1 | | | 1 |
| | | 3. | सकरन | | 1 | | | 1 |
| 19. | टेहरी गढ़वाल | 1. | चांदा | | 1 | | | 1 |
| | | 2. | देवप्रयाग | | 1 | | | 1 |
| | | 3. | कीर्तिनगर | | 1 | | | 1 |
| | | 4. | जौनपुर | | | | 1 | 1 |
| | | 5. | धौलधार | | | | 1 | 1 |
| | | 6. | भिलंगना | | | | 1 | 1 |
| | | 7. | प्रतापनगर | | | | 1 | 1 |
| | | 8. | जखनीधाट | | | | 1 | 1 |
| | | 9. | जखौली | | | | 1 | 1 |
| | | 10. | नरेन्द्रनगर | | | | 1 | 1 |
| 20. | उत्तरकाशी | 1. | भटवारी | | | | 1 | 1 |
| | | 2. | डूंडा | | | | 1 | 1 |
| | | 3. | चिनियाली सोड़ | | | | 1 | 1 |
| | | 4. | नवगांव | | | | 1 | 1 |
| | | 5. | मोरी | | | | 1 | 1 |
| | | 6. | पुरोला | | | | 1 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश का सार खण्डों की संख्या : | मरुभूमि विकास कार्यक्रम | 0 |
| | सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम | 87 |
| | समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम | 4 |
| | पर्वतीय क्षेत्रों का विकास | 56 |
| —व्यापति : | | –2 |
| | योग : | 145 |

[अनुवाद]

**विदेशी कम्पनियों द्वारा संस्थानों की स्थापना**

5418. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

**श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

**श्री गुरुदास कामत :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी कम्पनियों को देश में कम्प्यूटर और सूचना प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) देश में कम्प्यूटर तथा सूचना से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए किसी भी विदेशी कम्पनी से कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

**इलेक्ट्रानिक उपक्रमों का मानकीकरण**

5419. **श्री रतिलाल वर्मा :**

**श्रीमती भावना चिखलिया :**

**श्री महेश कनौडिया :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा अपनाये गये इन्टरनेशनल इलेक्ट्रोनिकल कमीशन क्वालिटी एस्युरेंस सिस्टम के अन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के मानकीकरण से उपकरण निर्माताओं तथा उपभोक्ताओं को बहुत लाभ होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार 'केयोनिक्स' द्वारा बनाये गये प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)**: (क) जी, हां । भारत इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जो के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन इलेक्ट्रो-तकनीकी आयोग (आई. ई. सी. क्यू.) के अन्तर्गत एक सर्टिफाइंग सदस्य है । इस प्रणाली के अन्तर्गत, इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जो का परीक्षण आई. ई. सी. क्यू. मानकों के अनुसार किया जाता है तथा उनको प्रभावित किया जाता है जिसके फलस्वरूप विनिर्माताओं को इन संघटक-पुर्जों को अन्य सदस्य देशों को निर्यात करने में सहायता मिलती है तथा उनके मामले में और आगे परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती है । अतः इससे ग्राहक देशों को न केवल परीक्षण करने पर आने वाली लागत की बचत

होती है, अपितु भारतीय विनिर्माताओं को प्रत्येक बार अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाले बहुमूल्य समय की भी बचत होती है।

(ख) और (ग) इलेक्ट्रानिक विभाग को केयोनिक्स का कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

**जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा सीमेंट उत्पादन**

5420. **श्री पी.पी. कालिया पेरुमल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी. आई. एफ. आर. ने मैसर्स गैलोन डंकरले कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में एक योजना को मंजूर किया है और उन्हें निदेश दिया है कि वे जयपुर उद्योग लिमिटेड सीमेंट इकाई का काम फिर से तत्काल शुरू करें ;

(ख) क्या जी.डी.सी.एल. ने इस सीमेंट इकाई को फिर से शुरू करने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने जयपुर उद्योग लिमिटेड में सीमेंट उत्पादन शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) मै. गैलोन डंकरले एण्ड कम्पनी लि. द्वारा प्रबन्ध अधिग्रहण के आधार पर जयपुर उद्योग लि. को फिर से चालू करने हेतु एक योजना को बी.आई.एफ.आर. द्वारा 21.4.1992 को मंजूरी दी गई थी।

(ख) और (ग) स्वीकृत योजना को बी.आई.एफ.आर. द्वारा 24.6.1992 तथा 20.7.92 को संशोधित किया गया था।

कम्पनी ने पुनः चालू करने की योजना के लिए अभी अपना अंशदान जमा नहीं किया है।

**[हिन्दी]**

**उत्तर प्रदेश को परियोजनाओं के लिए सहायता**

5421. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता-राशि में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुशराम)** : (क) वार्षिक योजना 1992-93 को अन्तिम रूप देते समय उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा मुख्य मन्त्री के बीच हुए विचार-विमर्श के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य को फार्मूला आधारित अपेक्षाकृत अधिक केन्द्रीय सहायता का आवंटन करने की मांग की थी।

(ख) मुख्यमन्त्री द्वारा बताये गये मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(i) उत्तरांचल देश का दूसरा सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है ;

(ii) पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बुन्देलखण्ड पिछड़े हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक क्षेत्रीय असमानताएं हैं ;

(iii) परिव्यय का प्रति व्यक्ति आबंटन सभी राज्यों के औसत से कम है तथा

(iv) तीव्र भूकम्प से तबाह हुए गढ़वाल क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए ।

(ग) योजना आयोग ने राज्य को 1992-93 के लिए फार्मूला आधारित केन्द्रीय सहायता के रूप में 1107.81 करोड़ रु० (निवल) की राशि आबंटित की है । इसमें सामाजिक आधार संरचना विकास के लिए 100 करोड़ रु० शामिल हैं । बशर्ते कि कार्यान्वयन में प्रगति हो ।

[अनुवाद]

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार**

5422. **श्री बी. धनंजय कुमार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्थानीय उम्मीदवारों को नौकरी में आरक्षण देने की कोई नीति है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन)** : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए कोई आरक्षण नहीं है । बहरहाल, इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को यह परामर्श दिया गया है कि ऐसे पदों पर भर्ती जिनका वेतनमान 2500 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, केवल राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से ही की जानी चाहिए । ऐसे पदों के लिए रोजगार के अन्य स्रोतों का आश्रय केवल तभी लिया जा सकता है जब रोजगार कार्यालय अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करे ।

**"यूरोपियन स्पेस मार्किट" में प्रवेश के लिए सहयोग**

5423. **श्री के. प्रधानी** : क्या प्रधान मंत्री कृपा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कुछ यूरोपीय देशों के सहयोग से "यूरोपियन स्पेस मार्किट" में प्रवेश करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्यमन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) और (ख) अन्तरिक्ष विभाग (अं.वि. अनेक अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष संगठनों और कम्पनियों को, अन्तरिक्ष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात की संभावनाओं पर विचार कर रहा है । इस संदर्भ में, कुछ यूरोपियन उद्योगों के साथ विचार विमर्श शुरू किया गया है । इनमें से कुछ उद्योगों को आगे बातचीत के लिए भारत के दौरे पर आमंत्रित किया गया है

**महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड**

5424. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव-निर्मित कोयला कम्पनी, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह कम्पनी कितने कोयला क्षेत्र में कार्यरत है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने कोयला उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस. बी. न्यामगौड** : (क) महानदी कोलफील्ड्स लि. की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 3-4-1992 को की गई और यह उक्त अवधि से कार्यरत है।

(ख) इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उड़ीसा के कोयला क्षेत्र आते हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी स्वीकृति दी जानी है। किन्तु महानदी कोलफील्ड्स लि० के संबंध में वर्ष 1992-93 में उत्पादन लक्ष्य 21.92 मि. टन निर्धारित किया गया है।

(घ) बढ़ा हुआ उत्पादन मुख्यतः पहले से स्वीकृत परियोजनाओं से ही प्राप्त होगा। अप्रैल, 1990 से सरकार ने उड़ीसा की निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृत दी हैं :—

| | नाम | क्षमता |
|---|---|---|
| 1. | लिंगराज | 5 मि. ट. प्रतिवर्ष |
| 2. | अनंता | 4 मि. ट. प्रतिवर्ष |
| 3. | लाखनपुर | 5 मि. ट. प्रतिवर्ष |
| 4. | कलिंगा | 8 मि. ट. प्रतिवर्ष |
| 5. | समलेश्वरी | 3 मि. ट. प्रतिवर्ष |

इन सभी परियोजनाओं से आठवीं योजना के दौरान उत्पादन काफी मात्रा में प्राप्त होगा।

**आन्ध्र प्रदेश में समस्याग्रस्त गाँव**

5425. **श्री जे० चोक्का राव :**

**डा० विश्वनाथम कैनिथी :**

**श्री रतिलाल वर्मा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में जिले-वार ऐसे कितने समस्याग्रस्त गांवों का पता लगाया गया है जहां अभी तक पेयजल सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं;

(ख) क्या उक्त गांवों में पेयजल की सप्लाई बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य के सभी समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल)** : आंध्र प्रदेश में "बिना जल स्रोत" वाला कोई समस्याग्रस्त गांव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा भारत में कच्चे माल की अत्यधिक सप्लाई**

5426. **प्रो० वी० थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में औषधियों/कच्चे माल की अत्यधिक सप्लाई को रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन)** : आयात पर रोक लगाने के लिए सरकार सामान्यतः प्रशुल्क प्रणाली का उचित प्रयोग करती हैं । एक सीमा तक एक्सिम नीति के आयातों की नकारात्मक सूची में मदों को रख कर भी ऐसे आयातों को विनियमित किया जाता है ।

**नागार्जुन सागर में परियोजना क्षेत्र में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना**

5427. **श्री बोल्ला बुल्ली रमैया :**

**श्री दत्तात्रेय बण्डारु :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति ने नागार्जुन सागर परियोजना क्षेत्र के निकट एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या उक्त परियोजना, के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई धनराशि आवंटित की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परमाणु विद्युत संयंत्र के निर्माण का कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग ) में राज्यमन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) जी, हाँ । पिछली स्थल चयन समितियों द्वारा 1970 की दशाब्दी और 1980 की दशाब्दी में सिफारिश किए गए स्थलों की सूची में यह भी एक स्थल था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) ये प्रश्न उठते ही नहीं ।

**गैर-सरकारी क्षेत्र की लघु एवं अति लघु पन-बिजली तथा अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाएं**

5428. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :**

**कुमारी पुष्पा देवी सिंह :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को, लघु तथा अति लघु पन-बिजली तथा अन्य अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) तत्संबंधी, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंजूर किए गए इन प्रस्तावों की संख्या कितनी है तथा इस प्रायोजनार्थ उन्हें कितनी सहायता दी जायेगी ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुखराम)** : (क) और (ख) गैर सरकारी क्षेत्र की कई फर्मों ने इस मंत्रालय से अनुरोध किया है जिसमें उन्होंने मिनी/लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के सम्बन्ध में रुचि दिखाई है। क्योंकि 25.00 करोड़ रुपये तक की लागत वाली विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का कार्य राज्य सरकारों के अधिकार में है, अतः फर्मों को सलाह दी गई है कि वे इस सम्बन्ध में मामला अपने राज्य की राज्य सरकारों के साथ उठाएं तथा उनका अनुमोदन प्राप्त करें।

(ग) माइक्रो/मिनी जल-विद्युत या अन्य अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र राज्य सरकारों के विधिवत अनुमोदन के साथ, कोई प्रस्ताव केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

**बाल श्रमिक**

5429. **डा. सुधीर राय** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गलीचा उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों के मामलों पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ जेनेवा में विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार किए गए प्रारूप का ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पवनसिंह घाटोबार)** : (क) और (ख) इस संबंध में सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

**[हिन्दी]**

**म्यांमार सेना द्वारा घुसपैठ**

5430. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर पूर्वी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में म्यांमार सेना द्वारा बार-बार घुसपैठ की घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में म्यांमार से बात की है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ङ) क्या दोनों देशों द्वारा इन घुसपैठों को रोकने के लिए कोई संयुक्त कार्यवाही की गई थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आर.एल. भाटिया)** : (क) जी, हाँ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार म्यांमार के सैनिक कार्मिकों ने 1991 में दो बार और 1992 में पाँच बार हमारे उत्तर-पूर्वी राज्यों के भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ की। म्यांमार सेना से सम्बन्धित किसी भी घुसपैठिए को पकड़ा नहीं गया है।

(ग) इस मामले को राजनयिक सूत्रों के माध्यम से म्यांमार सरकार के साथ कड़ाई से उठाया गया है।

(घ) इस मामले पर म्यांमार की सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

**[अनुवाद]**

**असम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित उद्योग**

5431. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम के बारपेटा, कामरूप तथा दारांग जिलों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित/संचालित उद्योगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान खादी और ग्रामोद्योग द्वारा इन जिलों में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम के तीन जिलों अर्थात् बारपेटा, कामरूप तथा दारांग में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग खादी तथा ग्रामद्योगों के अन्तर्गत कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया है। इन तीन जिलों में आरम्भ किए गए कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—नीम साबुन, पी सी बी आई, चूना, ग्राम्य तेल, गुड़ तथा खाँडसारी, बेंत तथा बाँस, ग्राम्य चमड़ा, बढ़ईगिरी तथा लोहारगिरी, मधुमक्खी पालन, रेशा, कुम्हारगिरी इत्यादि।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन तीन जिलों में उत्पादन तथा रोजगार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

I. उत्पादन (रु. लाख में)

| | 1988-89 | | 1989-90 | | 1990-91 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | खादी | ग्रामोद्योग | खादी | ग्रामोद्योग | खादी | ग्रामोद्योग |
| बारपेटा | 7·80 | 53·15 | 10·06 | 66·55 | उ.न. | 94·13 |
| कामरूप | 109·54 | 200·57 | 57·04 | 229·79 | 26·69 | 517·67 |
| दारांग | 1·60 | 29·49 | 1·25 | 45·66 | उ.न. | 62·57 |
| II. रोजगार संख्या | | | | | | |
| बारपेटा | 1254 | 1575 | 1979 | 2307 | उ.न. | 2984 |
| कामरूप | 16607 | 7228 | 12705 | 8961 | 3312 | 14862 |
| दारांग | 770 | 3820 | 211 | 4515 | उ.न. | 5318 |

उ.न.=उपलब्ध नहीं।

**प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था**

5432. **श्री अम्मा जोशी :**

**श्री साईमन मरान्डी :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने भारत को राकेट प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने से पूर्व प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियन्त्रण व्यवस्था (एम.टी.सी.आर.) पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**कम्प्यूटरीकरण के बारे में अध्ययन का आयोजन**

5433. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विभागों के कम्प्यूटरीकरण और इसके फलस्वरूप आने वाली विधि प्रचालन तथा प्रशासनिक बाधाओं के बारे में व्यावहारिकता अध्ययन का आयोजन करने में व्यय की गई धनराशि का एजेन्सी-वार तथा विभाग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का विभाग-वार ब्यौरा क्या है ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुखराम)** : (क) और (ख) जानकारी संकलित की जा रही है ।

**राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल को सुफला की सप्लाई**

5434. **श्री जायसाल अडोदिन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल को सुफला उर्वरक की सप्लाई स्थगित कर दी है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) पश्चिम बंगाल को सुफला की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास करने का विचार है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन)** : (क) से (ग) चालू खरीफ मौसम के लिए आर. सी. एफ. को अपने सुफला उर्वरकों की प० बंगाल को आपूर्ति करने के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है । ऐसा आर. सी. एफ. की विपणन लागत को कम करने और उनकी यातायात लागत को मितव्ययी बनाने के लिए किया गया है । पश्चिम बंगाल की कम्पलैक्स उर्वरकों की आवश्यकताओं को आयात सहित अन्य वैकल्पिक माध्यमों से पूरा किया जा रहा है ।

**भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को कोयला धोवनशालाएं सौंपना**

5435. प्रो० (श्रीमती) मालिनी भट्टाचार्य :

**श्री वसुदेव आचार्य :**

**क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला धोवनशालाएं भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को सौंपने के बारे में कोई निर्णय किया है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कोयला मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड)** : (क) और (ख) केन्द्रीय कोयला बाशरी संगठन (सी. सी. डब्ल्यू. ओ. के श्रमिकों और कर्मचारियों की समन्वयन समिति से एक अभ्यावेदन, जिसमें सी सी. डब्ल्यू. ओ. का भारत कोकिंग कोल लि० (बी० सी० सी० एल०) से स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया (एस० ए० आई० एल०) में पुर्न-हस्तांतरण किए जाने का अनुरोध हैं, माननीय सदस्यों द्वारा सरकार को भेजा गया है। सरकार ने बी. सी. सी. एल. के अन्तर्गत आने वाली इन बाशरियों को एस. ए. आई. एल. को सौंपे जाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

**उचित दर की दुकानों और मिट्टी तेल के डिपुओं का आवंटन**

5436. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :

**श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार :**

**क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग के आयुक्त के कार्यालय में मिट्टी तेल के डिपुओं और उचित दर दुकानों के आवंटन के कई मामले विचाराधीन हैं अथवा लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस समय ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) इसका निपटान कब तक किया जाएगा ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद)** : (क)और(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि (10-8-1992 की स्थिति के अनुसार) उचित दर दुकानों के आवंटन सम्बन्धी 17 मामले और मिट्टी के तेल के डिपुओं के आवंटन संबंधी 13 मामले विचार हेतु विभिन्न चरणों पर लम्बित पड़े हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि वे आवंटनों को शीघ्र अंतिम रूप देने का हर सम्भव प्रयास करते हैं। तथापि, इस बारे में कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती क्योंकि कई बार आवेदकों तथा उपभोक्ताओं आदि के अभ्यावेदनों तथा प्रति-अभ्यावेदनों के कारण विलम्ब हो जाता है।

[हिन्दी]

**सांभर साल्ट्स लिमिटेड**

5437. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांभर साल्ट्स लिमिटेड लगातार घाटे में चल रहा है;

(ख) क्या बजट में प्रावधान किए जाने के बावजूद भी कास्टिक सोडा, सोडियम सल्फेट, लवण धोवण और अन्य संयंत्र स्थापित नहीं किये जा सके हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने इस कम्पनी का अधिग्रहण करने की पेशकश की है और;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार सांभर साल्ट्स लिमिटेड को राजस्थान सरकार को सुपुर्द करने का विचार कर रही है ?

**उद्योग मन्त्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्यमन्त्री (श्री पी० के० चुंगन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी हां ।

(ङ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि साम्भर साल्ट्स लिमिटेड के कार्यों को हिन्दुस्तान साल्ट्स के अधीन खरगोदा, मण्डी तथा रामनगर में अन्य नमक स्रोतों के प्रचालनों के साथ एकीकृत तरीके से किया जा रहा है, जिससे कि प्रचालन लागत को न्यूनतम रखने में सहायता मिली है, कम्पनी को इस स्थिति में राजस्थान सरकार को स्थानांतरित किया जाना उचित नहीं समझा गया ।

[अनुवाद]

**संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए धनराशि**

5438. **श्री ताराचंद खण्डेलवाल** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए कितनी धनराशि रखी गई है,

(ख) क्या विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि को खर्च करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है, और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुखराम)** : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) व्यय की प्रगति तथा वास्तविक उपलब्धियों की समीक्षा मासिक आधार

पर दिल्ली प्रशासन के आयोजना कार्यान्वयन विभागों/एजेंसियों द्वारा की जाती है। योजना स्कीमों की प्रगति की समीक्षा भी योजना मूल्यांकन बैठकों में मुख्य सचिव/सचिव (योजना) द्वारा की जा रही है।

**विवरण**

**आठवीं योजना–1992-97 सहमति परिव्यय–दिल्ली**

(लाख रु०)

| | विकास के शीर्ष | सहमत परिव्यय |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| 1. | कृषि व संबद्ध कार्यकलाप | 4750.00 |
| 2. | ग्रामीण विकास | 2475.00 |
| 3. | सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण | 4800.00 |
| 4. | ऊर्जा | 122000.00 |
| 5. | उद्योग एवं खनिज | 3000.00 |
| 6. | परिवहन | 66000.00 |
| 7. | विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण | 250.00 |
| 8. | सामान्य आर्थिक सेवाएं | 1150.00 |
| 9. | सामाजिक सेवाएं | 233450.00 |
| 10. | सामान्य सेवाएं | 12125.00 |
| | कुल जोड़ | 450000.00 |

**भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) में इलैक्ट्रानिक उपकरणों का बदला जाना**

5439. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :**

**डा. रमेश चन्द्र तोमर :**

**क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौसम विज्ञान सम्बन्धी सेवाओं की कार्यकुशलता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में प्रमुख इलैक्ट्रानिक उपकरणों को बदलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) जी, हाँ।

(ख) निकट भविष्य में जिन प्रमुख उपकरणों को बदलने की योजना है वे हैं–दो अप्रचलित कंप्यूटर, तीन पुराने तूफान संसूचन रडार, पाँच पुराने रेडियो-थियोडोलाइट, चार मल्टीमेट रडार, दो पुराने चक्रवात संसूचन रडार और उपरितन वायु यन्त्र के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक अप्रचलित अंशांकन कक्ष ।

(ग) उपकरणों को प्राप्त करने की कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है और इनमें से कुछ अब जल्द ही पहुँचने वाले हैं ।

**पश्चिम बंगाल में सहायक उद्योग स्थापित करना**

5440. **श्री हाराधन राय** : क्या **कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पश्चिम बंगाल में बड़े अथवा मझोले स्तर पर सहायक उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन हेतु विशेषज्ञों के एक दल से सर्वेक्षण कराकर ठोस कार्यवाही करने का है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कोयला मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एस. जी. न्यामगौड)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(घ) वर्तमान स्थिति के अनुसार कोयला क्षेत्र की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने वाले अनुषंगी उद्योगों की सरकार द्वारा स्थापना नहीं की जाती है ।

**बायोमास का प्रयोग करने वाली ताप ऊर्जा प्रणाली का विकास करने सम्बन्धी उपसमिति**

5441. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायोमास का ईंधन के रूप में प्रयोग करके ग्रामीण उद्योगों के लिए ताप ऊर्जा प्रणाली का विकास करने के लिए कृतिक बल ने कोई उपसमिति गठित की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जाएगी ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) जी हां । अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग (अब यह मंत्रालय है) द्वारा ग्रामीण उद्योगों के लिए जहाँ पर्याप्त बायोमास ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्नत तापीय ऊर्जा प्रणालियों के विकास हेतु फरवरी, 1992 में एक कार्यदल का गठन किया गया । वर्तमान ऊर्जा प्रणालियों/प्रौद्योगिकियों के विश्लेषण और संशोधनों को सुझाने के लिए जहाँ तक संभव हो, न्यूनतम बायोमास ईंधन के उपभोग से ऊर्जा प्रतिप्राप्ति को इष्टतम करने के लिए इस कार्यदल ने विभिन्न ग्रुपों द्वारा विशिष्ट श्रेणी के ग्रामीण उद्योगों (जैसे खाद्य और

कृषि संसाधन भवन निर्माण सामग्री, रेशम उत्पादन, सड़क तारकोल बिछाकर पक्की करना आदि) के अध्ययन की सिफारिश की है ।

(ख) से (घ) उप-दलों का गठन किया जा रहा है और इनको अभी विस्तृत अध्ययन करने हैं । उप-दलों/संबंधित संस्थाओं से कहा जा रहा है कि वे अपनी रिपोर्ट 30-6-93 तक भेज दें ।

[हिन्दी]

**लाख का उत्पादन**

5442. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रतिवर्ष राज्य-वार लाख का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार को इससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ ;

(ग) क्या सरकार का विचार लाख का उत्पादन बढ़ाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

**उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लाख का राज्य-वार उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(मी. टन में)

| राज्य | वर्ष के दौरान लाख का उत्पादन | | |
|---|---|---|---|
| | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 |
| बिहार | 10,580 | 10,105 | 6,075 |
| मध्य प्रदेश | 3,615 | 2,885 | 2,950 |
| पश्चिम बंगाल | 2,295 | 1,030 | 1,020 |
| महाराष्ट्र | 80 | 100 | 95 |
| उत्तर प्रदेश | 420 | 355 | 460 |
| अन्य राज्य (उड़ीसा, गुजरात, असम इत्यादि) | 355 | 310 | 210 |
| योग | 17,345 | 14,785 | 10,810 |

(ख) सरकार द्वारा राज्य-वार अर्जित राजस्व नीचे दर्शाया गया है :—

| वर्ष | राजस्व (करोड़ रु० में) |
|---|---|
| 1989-90 | 17.76 |
| 1990-91 | 17.17 |
| 1991-92 | 27.90 |

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधीन लाख उद्योग को कर शुल्कों से छूट दे दी गई है ।

(ग) और (घ) जहां तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग का संबंध है, इसने लाख उद्योग के संबंध में सात सम्भावित योजनाएं शुरू की हैं क्योंकि लाख/लाख पर आधारित वस्तुओं का उत्पादन समाज के कमजोर वर्गों के लिए सहायक आय है। राज्य खादी ओर ग्रामोद्योग बोर्ड, जो खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का मुख्य कार्यान्वयन अभिकरण हैं, देश में एकक स्थापित करके लाख उद्योग के विस्तार में रुचि ले रहे हैं जिनकी संख्या बढ़ रही है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने रुचि लेने वाले लाभार्थियों के लाभ के लिए लाख उद्योग के बारे में पुस्तक प्रकाशित की है और यह आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए इस उद्योग के प्रभावी विस्तार हेतु बैंक वित्त सुविधा देने के लिए राज्य वन विकास निगम और अन्य निकायों के साथ सम्पर्क स्थापित करने की योजना भी बना रहा है।

[अनुवाद]

**भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी**

5443. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारियों को निलम्बित किया गया ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों से कितने मामलों में उक्त अधिकारियों की सेवाओं को बहाल करने को कहा है ;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इन अनुदेशों का पालन किया है और उन अधिकारियों की सेवाओं को बहाल किया है ; और

(घ) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के ईमानदार अधिकारियों की सेवाओं की रक्षा करने के लिए नए नियम और विनियमों को बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है, और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**रूसी दूतावास के कर्मचारियों की ओर से अभ्यावेदन**

5444. **श्री विजय कुमार यादव** :

**श्री विश्वनाथ शास्त्री** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूसी दूतावास के सांस्कृतिक विभाग के भारतीय कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया)** : (क) यह प्रतीत होता है कि माननीय विदेश मन्त्री को सम्बोधित दिनांक 23-6-92 का पत्र मन्त्री के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि रूस के दूतावास के सांस्कृतिक विभाग के कर्मचारियों के एक गुट से उक्त पत्र की एक अग्रिम प्रति विदेश मन्त्रालय को प्राप्त हुई थी।

(ख) यह शिकायत विदेशी मिशनों के स्थानीय कर्मचारियों के नियोजन से संबंधित आदर्श संविदा प्रपत्र में निर्धारित न्यूनतम मानदण्डों को रूस संघ के दूतावास द्वारा कार्यान्वित नहीं किए जाने से संबंधित है।

इस अग्रिम प्रति के आधार पर इस मन्त्रालय ने मौखिक तथा लिखित रूप से मामले को रूस संघ के दूतावास के साथ उठाया है।

**दिल्ली औद्योगिक विकास निगम द्वारा उच्च प्रौद्योगिक एकक**

5445. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली औद्योगिक विकास निगम का विचार कुछ उच्च प्रौद्योगिकी एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने एकक स्थापित किये जायेंगे और प्रत्येक एकक पर कितनी लागत आयेगी, और

(ग) इन एककों को स्थापित करने में कितना समय लगेगा और यह कब तक स्थापित किये जायेंगे।

**उद्योग मन्त्रालय ( लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग ) तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी. जे. कुरियन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

**कोयले पर उपकर लगाना**

5446. **प्रो० रीता वर्मा** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने नवम्बर, 1990 से लेकर अप्रैल, 1991 तक बेचे गए उस कोयले पर उपकर पुनः लगा दिया है जिस पर फरवरी, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के अन्तर्गत उपकर नहीं लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी धनराशि वसूल होगी;

(ग) क्या बिहार सरकार ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड उक्त अवधि के दौरान बेचे गए कोयले पर उपकर लगाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस०बी० त्यागीगौड)** : (क) उपकर अधिनियम, 1880 (1880 का बंगाल अधिनियम 9), जोकि बिहार राज्य पर भी लागू है; एक ऐसा कानून है जोकि उपकर तथा खनिज (वैद्य) अधिनियम, 1992 पर अन्य कर के उपबन्धों के अन्तर्गत अप्रैल, 1991 के चौथे दिन तक वैध रहे। इसके परिणामस्वरूप भारत कोकिंग कोल लि० के कोयले के खरीददारों को पूरक बिल भेज रही है जिसमें वैध तारीख तक उपकर की बकाया राशि की अदायगी की मांग की जा रही है।

(ख) इस सम्बन्ध में वसूल की जाने वाली देय राशि लगभग 102.50 करोड़ है।

(ग) जी, हां।

(घ) बकाया देय राशि की मांग करते हुए पूरक बिल भेजे जा रहे हैं। किन्तु, कोयले के खरीददार अदायगी किए जाने का विरोध कर रहे हैं। कुछ खरीददार इस वैधता के विरुद्ध न्यायालयों में गए हैं। न्यायालय के निर्णयों की प्रतीक्षा की जा रही है।

**इस्राइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध**

5447. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्राइल में भारतीय मिशन खोलने और उक्त देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद वहां राजनयिक नियुक्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्यमन्त्री ( श्री आर०एल० भाटिया )** : (क) और (ख) जी, हां। तेल अवीव में भारत का राजदूतावास अप्रैल, 1992 में खोला गया था। इस समय यह कार्यदूत के अधीन कार्य कर रहा है। एक अन्य राजनयिक की भी नियुक्ति की गई है। उम्मीद है राजदूत शीघ्र पदग्रहण कर लेंगे।

**हज यात्रियों की मृत्यु**

5448: **श्री यशवंतराव पाटिल** :

**श्री गुरुदास कामत** :

क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय हज यात्री सउदी अरब में मर गए थे;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या मृतकों के शव भारत लाये गए थे,

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे,

(ङ) सरकार द्वारा तीर्थ यात्रियों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है,

(च) क्या सरकार का विचार भारतीय हज यात्रियों के लिए सउदी अरब में यात्री निवास बनाने का है,

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**विदेश मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आर० एल० भाटिया)** : (क) जी हां।

(ख) हज 1991 के दौरान, कुल चौरासी हज यात्री मरे थे जिनमें से अट्ठावन की हृदय श्वास यन्त्र के रुकने से आठ की हृदय-गति रुकने से, सात की लू लगने से और अन्य नौ की विभिन्न पुरानी बीमारियों के कारण मृत्यु हुई थी। दो हज यात्री सड़क दुर्घटना में मारे गए थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) नजदीकी रिश्तेदार उन्हें मक्का और मदीना में दफनाना चाहते थे।

(ङ) भारतीय हज यात्रियों को चिकित्सा सहायता देने के प्रबन्ध भारतीय राजदूतावास द्वारा किए जाते है। यात्रियों के बन्दरगाह और हवाई-अड्डे पर पहुंचने और वहाँ से वापसी के समय चिकित्सालय कैम्प कार्य करते है। मक्का में एक स्थायी भारतीय चिकित्सालय के अलावा, जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी और दो भारतीय फार्मासिस्ट कार्य करते हैं, हज के दौरान भारतीय हज यात्रियों के बहुलता वाले क्षेत्रों में तीन शाखा चिकित्सालय और भी खोल दिए जाते है। मदीना में एक चिकित्सालय पूरे हज के दौरान कार्य करता रहता है। यह सभी चिकित्सालय हज के दौरान भारत से नियुक्त भारतीय डाक्टरों तथा पैरा मैडिकल कार्मिकों द्वारा चलाए जाते हैं। चिकित्सा निःशुल्क की जाती है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) सऊदी नियमों के अन्तर्गत ऐसा करना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

**सीमेंट इकाइयों को पुनः चलाना**

5449. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी सीमेंट इकाइयाँ बन्द हुई है,

(ख) क्या औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा मंजूर की गई पुनर्निर्माण योजना के बावजूद उनको पुनः चालू करने के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ग) इन इकाइयों के बन्द होने से कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं,

(घ) सरकार ने इन इकाइयों को पुनः चलाने के लिए क्या कदम उठाए हैं, और

(ङ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा स्वीकृत इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्यमन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) :** (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

**पेंशन के रूपान्तरित मूल्य में संशोधन करना**

5450. **श्री महेश कनोडिया :**

**श्रीमती भावना चिखलिया :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के मूल्य में भारी परिवर्तन को देखते हुए सरकार का पेंशन के रूपांतरित वर्तमान मूल्य में संशोधन करने का विचार है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या रुपये का मूल्य घटने के कारण रूपांतरण की वर्तमान दर पर सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपेक्षाकृत हानि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पेंशन के रूपांतरित भाग को पेंशन में परिवर्तित करने की अवधि 15 वर्ष से घटा कर 10 वर्ष कर देने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा)** : (क) से (घ) विद्यमान संराशिकरण-सारणि, जो 1971 से लागू है। अन्य बातों के साथ-साथ 4.75% की ब्याज दर पर आधारित है। यदि संराशिकरण सारणि में रुपये के मूल्य में कमी के कारण ब्याज की ऊंची दर के आधार पर संशोधन किया जाता है तो इससे संराशिकृत मूल्य में कमी आएगी और ऐसा सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए अहितकर होगा। अतः सरकार ने कर्मचारियों के हित में यथापूर्व स्थिति बनाये रखने का निर्णय किया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) संराशिकरण की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने पर पेंशन के संराशिकृत हिस्से की बहाली से संबंधित मौजूदा प्रावधान उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रियान्वयन में लागू किए गए हैं और इस संगणना पर आधारित हैं कि उक्त एक-मुश्त रूप में अदा की गई संराशिकृत राशि तथा उस पर काल्पनिक ब्याज उस अवधि तक आम तौर पर पूरी तरह से समायोजित हो जाती है।

**राजसहायता प्रदत्त खाद्यान्नों के प्रयोक्ताओं के लिए मानदण्ड**

5451. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**

**श्री गोपीनाथ गणपति :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परामर्शदात्री परिषद ने केन्द्र सरकार से राज सहायता प्रदत्त खाद्यान्नों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेचने के लिए प्रयोक्ताओं हेतु मानदण्ड निर्धारित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो परिषद द्वारा की गई अन्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद)** : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद की 27 जुलाई, 1992 को हुई चौदहवीं बैठक में लगभग सभी राज्यों ने विचार प्रकट किया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ आबादी के केवल जरूरतमंद तथा पात्र वर्गों को ही उपलब्ध होने चाहिए और अनुरोध किया था कि एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। राज्य सरकारों ने मिट्टी के तेल के आबंटनों में वृद्धि करने; खुदरा विक्रेताओं के लिए लेवी चीनी के मार्जिनों में वृद्धि करने, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता मूल्य प्रति किलोग्राम 6.90 रु. से 7.00 रु. हो जाएंगे; और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के अन्तिम खुदरा मूल्यों को भविष्य में निकटतम पांच पैसे पर पूर्णांकित करने; जिससे उपभोक्ताओं को असुविधा न हो, का अनुरोध किया था।

सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार एक क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण शुरू किया गया है, ताकि मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, कुछ निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों और समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उपलब्धता और सुलभता को बेहतर बनाया जा सके। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए 1700 से अधिक ब्लाकों को चुना गया है।

**पंजाब में उपभोक्ता सहकारी भण्डार**

5452. **श्री कमल चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पंजाब में कार्यरत अपने कर्मचारियों के लाभ हेतु केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार स्थापित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पंजाब में ये भण्डार कहां-कहां स्थापित किए गए हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**भारत आप्टैलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर की मूल्य-निर्धारण नीति**

5453. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मैसर्स भारत आप्थैलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के यूनियनों तथा आफीसर्स एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके उत्पादों फिलट बटन की मूल्य निर्धारण नीति की पुनरीक्षा करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान मूल्य-निर्धारण नीति के कारण कम्पनी का घाटा बढ़ता जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार कम्पनी को उनके उत्पादों के वर्तमान बिक्री मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति देने का है ?

**उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) :** (क) और (ख) सरकार को फिलंट बटन की मूल्य निर्धारण नीति की पुनरीक्षा करने के बारे में, भारत आप्थैलमिक ग्लास लिमिटेड के अधिकारी तथा वरिष्ठ पर्यवेक्षक संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मूल्य निर्धारण स्वयं कम्पनी द्वारा किए जाते हैं और बी. ओ. जी. एल. ने फिलंट बटनों के मूल्यों में पिछला संशोधन 9-7-92 से किया है।

**तमिलनाडु में बन्द औद्योगिक एकक**

5454. **डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्दरम :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कितने औद्योगिक एकक बन्द पड़े हैं;

(ख) ये एकक कब से बन्द पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन औद्योगिक एककों को पुनः चालू करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और उनका अब तक क्या परिणाम निकला; और

(घ) इन एककों के बन्द होने के कारण कितने कर्मचारी और मजदूर बेरोजगार हो गए ?

**श्रम मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोबार)**: (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**[हिन्दी]**

**हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के साथ उत्पादन ठेका**

5455. **श्री एन० जे० राठवा :**

**श्री वी० एस० विजयराघवन .**

**क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के मध्य उत्पादन के लक्ष्य के मामले में कोई समझौता हुआ है,

(ख) यदि हाँ; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान/आर्गेनिक केमिकल्स लि. द्वारा किए गए उत्पादन का वर्षवार ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या कम्पनी ने आठवीं योजना के दौरान अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अनुमानित व्यय कितना होगा ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन)**: (क) और (ख) अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि० (एच. ओसीएल), रसायनी और सचिव, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग द्वारा 23-6-1992 को एक समझौता ज्ञापन (एम. ओ. यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें 1992-93 के दौरान एच. ओ. सी. एल. द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उत्पादन, बिक्री आदि के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

1992-93 के दौरान 2,55,196 मी. टन उत्पादन होने का अनुमान है। "उत्कृष्ट" से "निकृष्ट" श्रेणी प्राप्त करने के लिए विभिन्न लक्ष्य नीचे दिए जाते हैं :—

| उत्पादन (मी. टन.) | श्रेणी निर्धारण |
|---|---|
| 2,67,960 | उत्कृष्ट |
| 2,55,200 | बहुत अच्छा |
| 2,42,440 | अच्छा |
| 2,29 680 | औसत |
| 2,16 920 | निकृष्ट |

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एच. ओ. सी. एल. द्वारा प्राप्त किया गया कुल उत्पादन इस प्रकार है : —

| वर्ष | उत्पादन (मी० टन) |
|---|---|
| 1989–90 | 2,01,383 |
| 1990–91 | 2,10,935 |
| 1991–92 | 2,20,626 |

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एच. ओ. सी. एल. का विचार 565 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से विद्यमान संयंत्रों का विस्तार और नए संयंत्र स्थापित करने का है और इस प्रकार कम्पनी का उत्पादन 4,56,990 मी. टन तक बढ़ने की संभावना है।

**उत्तर प्रदेश में स्वयंसेवी संगठन**

5456. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) :**

**श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों, विशेष रूप से पौडी और चमोली जिलों के उन स्वंयसेवी संगठनों का वर्षवार और संगठनवार ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान कल्याण कार्यों के लिए अनुदान लिया ;

(ख) उन कल्याण योजनाओं/कार्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने इस धनराशि का उपयोग किया ; और

(ग) इन संगठनों ने अपने उद्देश्य किस हद तक प्राप्त कर लिए हैं ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय ( ग्रामीण विकास विभाग ) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल)** : (क) पौडी और चमोली सहित उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों के उन स्वैच्छिक संगठनों, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान कल्याण कार्यों के लिए अनुदान लिए हैं, के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) निधियों का उपयोग, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, जन सहयोग, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, लाभार्थियों के संगठन, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं शिशु विकास योजना (डवाकरा) समवित्त ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, प्रौद्योगिकी मिशन, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना के तहत किया गया है।

(ग) कुल मिलाकर, स्वैच्छिक संगठनों ने परियोजनाओं के संतोषजनक कार्यान्वयन द्वारा अपने उददेश्यों को प्राप्त कर लिया है।

विवरण

| जिले का नाम | 1989-90 | | | 1990-91 | | | 1991-92 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्वैच्छिक संगठनों की संख्या | मंजूर की गई राशि | रिलीज की गई राशि | स्वैच्छिक संगठनों की संख्या | मंजूर की गई राशि | रिलीज की गई गई राशि | स्वैच्छिक संगठनों की संख्या | मंजूर की गई राशि | रिलीज की गई राशि |
| पौड़ी गढ़वाल | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| टेहरी गढ़वाल | — | — | — | 2 | 594050 | 158456 | 5 | 488500 | 273000 |
| नैनीताल | 10 | 1268946 | 742762 | 14 | 2112381 | 1019114 | 15 | 1533711 | 747191 |
| पिथौरागढ़ | 3 | 56500 | 56500 | 4 | 977890 | 559840 | 6 | 1473?10 | 385000 |
| देहरादून | — | — | — | — | — | — | 1 | 79965 | 79965 |
| अल्मोड़ा | 1 | 606800 | 159658 | 5 | 867520 | 290670 | 8 | 1351660 | 775750 |
| चमोली | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| उत्तर काशी | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**बिहार में कोयले की कमी**

5457. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोयले की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो बिहार को कितने कोयले की सप्लाई की गई और इसमें से कितना प्रतिशत सस्ता आदिवासी क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया ; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार को कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने का है ?

**कोयला मंत्रालय में उप मंत्री ( श्री एस० बी० म्यामगौड ) :** (क) और (ख) बिहार में कोयले की काफी कमी होने के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है । बिहार में उपभोक्ताओं को वर्ष 1990-91 में आपूर्ति किए गए 175.18 लाख कोयले की तुलना में वर्ष 1991-92 में 176.58 लाख टन तक की आपूर्ति में वृद्धि हुई । वर्तमान सूचना प्रणाली में राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को कोयले की की गई आपूर्ति की प्रतिशतता के संबंध में अलग से आंकड़े रखने की व्यवस्था नहीं है ।

(ग) जी, हां । संयुजित उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति में वृद्धि किए जाने के अलावा, कोल इंडिया लि० "उदारीकृत बिक्री योजना" के अंतर्गत भी कोयला प्रदान कर रही है । इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बिना प्रायोजन के एक बार में 1,000 टन कोयला विनिर्दिष्ट कोलियरियों से प्राप्त कर सकता है । बिहार के उपभोक्ता भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं ।

[अनुवाद]

**राजस्थान में सीमेंट कारखाने**

5458. **श्री रामनारायण डोरवा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कितने सीमेंट कारखाने कार्यरत हैं ;

(ख) क्या राज्य में नए सीमेंट कारखाने स्थापित करने हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए कुछ प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्यमन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) :** (क) राजस्थान में बड़े औद्योगिक क्षेत्र में इस समय सीमेंट के दस कारखाने हैं ।

(ख) और (ग) नयी लाइसेन्सिंग नीति के तहत, सीमेंट उद्योग को पहले ही लाइसेन्समुक्त कर दिया गया है और भावी उद्यमी भारत में कहीं भी सीमेंट के कारखाने स्थापित कर सकते हैं बशर्ते कि स्थापनास्थल व पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति हो ।

**इण्डियन रेअर अर्थ द्वारा खोज**

5459. **श्री एन. डेनिस :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स भारत अर्थ नागरिकों की निजी सम्पत्तियों तथा पट्टे की भूमि का पता लगा रही है; और

(ख) तमिलनाडु में कुल कितनी भूमि पर इस प्रकार की खोज की गई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु खनिज प्रभाग देश में खनिजों का अन्वेषण करता है। परमाणु ऊर्जा विभाग को परमाणु अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी प्रकार की भूमि में चाहे वह निजी हो या सरकारी, खनिजों का अन्वेषण कर सकता है।

(ख) तमिलनाडु के चिदम्बरनार जिले में 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जिसमें सरकारी भूमि और पट्टे की भूमि शामिल है, भारी खनिजों का मूल्यांकन करने संबंधी प्रारम्भिक कार्य किया गया है।

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में फालतू कर्मचारी**

5460. **श्री राम नाईक : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में इस समय कितने फालतू कर्मचारी हैं;

(ख) उनके फालतू होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं ?

**उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन)** : (क) सरकारी उद्यमों की आवश्यकता से अधिक माने जाने वाले कर्मचारियों की संख्या का मूल्यांकन स्वयं सरकारी उद्यमों को करना है। इसलिए प्रत्येक सरकारी उद्यम में आवश्यकता से अधिक की श्रेणी में रखे जा सकने वाले कर्मचारियों की वास्तविक संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) परियोजना निर्माण के प्रारंभिक चरण में सरकारी उद्यमों में भर्ती किए गए कर्मचारियों की छंटनी में विलम्ब, दैनिक उपस्थिति के आधार पर वेतन पाने वाले तथा संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, जिन सरकारी उद्यमों में वे रोजगाररत हैं उनके उत्पादन में कमी अथवा आर्थिक रूप से अक्षम हो जाने के कारण कतिपय एककों की बन्दी आदि आवश्यकता से अधिक श्रमशक्ति के मुख्य कारण हैं।

(ग) आवश्यकता से अधिक श्रमशक्ति की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपाय वित्तीय, प्रबन्धकीय तथा संगठनात्मक पुनर्गठन के जरिए सरकारी उद्यमों के कार्यकरण में सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तथा श्रमशक्ति के पुनर्परिनियोजन आदि से सम्बन्धित हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के द्वारा श्रमशक्ति में कमी करने का भी विचार किया गया है।

**स्थायी श्रम समिति**

5461. **श्री सनतकुमार मंडल : क्या श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थाई श्रम समिति ने छः वर्षों के अन्तराल के बाद अपना 31वां सत्र आयोजित किया था ;

(ख) यदि हां, तो इतने लम्बे समय बाद सत्र आयोजित करने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई, और

(घ) इस बैठक में प्रतिनिधित्व करने वाले मजदूर संघों का ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवनसिंह चाटोवार)** : (क) और (ख) जी हाँ। स्थाई श्रम समिति का 31वाँ सत्र 25 जुलाई, 1992 को हुआ था जबकि तीसवाँ सत्र 22 और 23 सितंबर 1986 को हुआ था। यह दुर्भाग्य की बात है कि बीच की अवधि के वर्षों में स्थाई श्रम समिति की बैठक नहीं हो सकी।

(ग) बैठक की कार्यसूची की प्रत्येक मद और उसके निष्कर्षों की एक प्रति क्रमशः विवरण I और II पर दी गई है।

(घ) निम्नलिखित केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों ने बैठक में भाग लिया था।

| | |
|---|---|
| 1. इंटक | 3 प्रतिनिधि |
| 2. बी एम एस | 2 प्रतिनिधि |
| 3. एच एम एस | 1 प्रतिनिधि |
| 4. यूटक (एल एस) | 1 प्रतिनिधि |
| 5. एटक | 1 प्रतिनिधि |
| 6. सीटू | 1 प्रतिनिधि |
| 7. एन एल ओ | 1 प्रतिनिधि |

यूटक, टी यू सी सी और एन एफ आई टी यू के एक-एक प्रतिनिधि ने बैठक में प्रेक्षक के रूप में भाग लिया था।

**विवरण I**

श्री सनत कुमार मंडल द्वारा 12-8-1992 को लोक सभा में पूछे जाने वाले स्थाई श्रम समिति से संबंधित अतारांकित प्रश्न संख्या 5461 के पैरा (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध-I

**कार्यसूची**

1. स्थायी श्रम समिति की 30वें सत्र के निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई।
2. श्रम कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा।
3. बाल श्रम, महिला श्रम और उत्प्रवासी श्रमिकों से संबंधित कानून और नीतियां।
4. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन-रामानुजम समिति की रिपोर्ट।
5. नई औद्योगिक नीति-श्रमिकों पर प्रभाव।
6. उद्योगों में बन्दी और रूग्णता और विशेष त्रिपक्षीय समिति की भूमिका।

7. केन्द्रीय विधान—

(क) प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता

(ख) कृषि श्रमिक

(ग) सनिर्माण कर्मकार

8. सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों के दिशानिर्देश-कारखाना अधिनियम

9. बोनस संदाय अधिनियम :

1. नियोजकों पर बकाया बोनस की वसूली

2. बोनस की सीमा में वृद्धि

10. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में मजदूरी वार्ता, न्यूनतम मजदूरी और मंहगाई भत्ते में संशोधन में बाधाएं ।

11. भविष्य निधि और उपदान योजनाओं का असंगठित क्षेत्र में विस्तार

12. पाँच लाख से अधिक आंगनबाड़ी और बालबाड़ी कर्मकारों की सेवाओं को नियमित करना ।

**विवरण II**

**25 जुलाई, 1992 को 2.30 बजे अपरान्ह में आयोजित श्रम समिति के 31वें सत्र के निष्कर्ष ।**

कार्यसूची की विभिन्न मदों पर व्यापक विचार-विमर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष निकले :—

1. यह निर्णय लिया गया था कि स्थायी श्रम समिति (एस० एल० सी०) के भावी सत्रों में कार्यसूची में थोड़ी मदों को रखा जाना चाहिए ताकि उन पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया जा सके ।

2. **नया औद्योगिक संबन्ध विधान**

नये औद्योगिक संबंध विधान को अधिनियमित करने का प्रश्न काफी समय से विचाराधीन पड़ा है । इस पर विभिन्न त्रिपक्षीय तथा द्विपक्षीय मंचों पर अनेक अवसरों पर विचार-विमर्श किया गया है । अतः सरकार भारतीय श्रम सम्मेलन ( आई० एल० सी० ) के आगामी अधिवेशन में नये औद्योगिक संबंध विधान के लिये विशिष्ट प्रस्ताव लाए । ऐसे विशिष्ट प्रस्तावों को तैयार करते समय सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि औद्योगिक संबंध विधान में दिये गये किसी परिवर्तन को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में औद्योगिक/आर्थिक परिदृश्य में गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता को प्रतिबिम्बित करना चाहिये ।

3. **श्रम कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा**

स्थायी श्रम समिति (एस० एल० सी०) ने महसूस किया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, कारखाना अधिनियम, बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 आदि जैसे महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिये स्थायी श्रम समिति की एक लघु उप-समिति का गठन किया जाए ।

उप समिति का स्वरूप त्रिपक्षीय होगा और स्थायी श्रम समिति के अगले सत्र में रिपोर्ट देगी। उप-समिति में कर्मकार, नियोजक संगठनों तथा सरकार प्रत्येक के दो-दो प्रतिनिधि शामिल किये जाने चाहिए। श्रम उप-मंत्री द्वारा उप-समिति के अध्यक्ष होंगे तथा इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव की लालफाक जुआला समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

4. विश्व के देशों की प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया का सफलतापूर्वक सामना करने के लिये हमारे उद्योगों और सेवाओं में उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतियोगिता में सुधार की आवश्यकता पर शीघ्र ध्यान देना होगा। इस संबंध में, स्थायी श्रम समिति ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, औद्योगिक और प्लांट स्तरों पर स्वायत्तशासी द्विपक्षीय उत्पादकता परिषदों को गठित करने का प्रस्ताव किया है। (सीटू प्रतिनिधि ने इन परिषदों के बारे में आपत्ति व्यक्त की)।

5. भारतीय श्रम सम्मेलन का आगामी सत्र 7 और 8 सितम्बर, 1992 को आयोजित होगा और भारतीय श्रम सम्मेलन के लिये कार्यसूची टिप्पणियां सदस्यों के पास करीब 10 दिन पूर्व पहुंच जानी चाहिए।

6. भारतीय श्रम सम्मेलन के आगामी सत्र में कार्यसूची के रूप में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएं :—

(i) नया औद्योगिक संबंध कानून

(ii) नयी औद्योगिक नीति और श्रमिकों पर इसका प्रभाव।

(iii) रोजगार नीति।

**सिक्किम में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम**

5462. **श्रीमती विल कुमारी भंडारी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में इस समय कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक पर अब तक कितनी धनराशि का निवेश किया गया है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक उपक्रम को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हुए लाभ/घाटे का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० युंगन) :** (क) केवल 31-3-1991 तक की जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार तब तक सिक्किम में सरकारी क्षेत्र का कोई भी उपक्रम कार्यरत नहीं था।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**एमेच्योर रेडियो नेटवर्क**

5463. **श्री धर्मलिंगम :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एमेच्योर रेडियो नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा सूचनासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)।** (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

**बिहार में लघु/मध्यम/ बड़े एकक**

5464. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान बिहार मे कितने बड़े, मध्यम, लघु तथा अति लघु औद्योगिक एकक स्थापित किए गए,

(ख) इनमें से निजी संयुक्त तथा सार्वजनिक क्षेत्र में कितने कितने एकक लगाए गए, और

(ग) 1 अप्रेल, 1991 तथा 12 अप्रैल, 1992 को बिहार से आशय पत्रों के लिए कितने प्रस्ताव लम्बित थे ।

**उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्यमन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) और (ख) बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बिहार में 1991-92 के दौरान स्थापित बड़े, मझौले, लघु तथा अतिलघु औद्योगिक एककों की संख्या इस प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | बड़े तथा मझौले उद्योग | 22 |
| 2. | लघु उद्योग | 377 |
| 3. | अति लघु उद्योग | 5152 |

उपर्युक्त सभी एकक गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं ।

(ग) बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करने हेतु 1-4-91 को 82 तथा 1-4-92 को 67 आवेदन पत्र लम्बित पड़े थे ।

**मध्यस्थता बोर्ड (जे०सी०एम०) द्वारा दिए गए पंचाटों पर निर्णय**

5465. **श्री मदनलाल खुराना** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंहगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय, अर्जित अवकाश तथा अर्धवेतन अवकाश इत्यादि का नकदीकरण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक से प्राप्त ऋण की शर्तों के साथ जुड़े हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) महगाई भत्ते का वेतन में विलय करने तथा अवकाश के नकदीकरण पर अनिवार्य मध्यस्थता द्वारा दिए गए पंचाटों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा )** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

**कर्नाटक के लिए योजना परिव्यय**

5466. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा वर्ष 1992-93 के योजना परिव्यय के लिए कितनी धनराशि का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की है;

(ग) क्या इस धनराशि में वृद्धि करने की कोई मांग की गई है, और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुखराम)** : (क) वार्षिक योजना 1992-93 के मसौदा प्रस्तावों में राज्य सरकार ने राज्य की वार्षिक योजना 1992-93 के लिए 1810 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया था ।

(ख) राज्य सरकार के योजना प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद वार्षिक योजना 1992-93 में 1915.00 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई थी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**परमाणु विद्युत उत्पादन**

5467. **श्री मोहन रावले** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संसाधनों के अभाव का परमाणु विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परमाणु विद्युत उत्पादन हेतु आबंटन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

(घ) सन् 2000 तक परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित परिव्यय के बदले में, योजना आयोग ने परमाणु विद्युत क्षेत्र के लिए अनन्तिम रूप से कुल मिलाकर 4261 करोड़ रु० के योजनागत परिव्यय का प्रावधान किया है ।

(ग) बाजार से ऋण लेकर धन जुटाने तथा बजटीय संसाधन और प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(घ) और (ङ) यद्यपि स्थलों का पता लगा लिया गया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अग्रिम रूप से योजना बना ली गई है, तथापि इसका कार्यान्वयन उपयुक्त समय पर संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

**आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु सरकारी निदेश**

5468. **श्री अवतारसिंह भड़ाना :**

**श्री वीरसिंह महतो :**

**श्री अमर राय प्रधान :**

**श्री माणिकराव रोडग्या गावीत :**

**श्री वी० देवराजन :**

**श्री बापूहरि चौरे :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे निदेश जारी किए हैं कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और सांविधिक कार्यालयों में नियुक्ति/पदोन्नति हेतु आरक्षण संतोषजनक ढंग से पालन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा क्या उपचारी कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या आरक्षण नीति गूजर समुदाय के लिए भी लागू होती है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :** (क) से (ग) इस विभाग ने, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से सम्बन्धित आदेशों के कड़ाई से अनुपालन के उद्देश्य से, सभी मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं। इन अनुदेशों की प्रतियां विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) "संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 1991" के अनुसार जम्मू तथा कश्मीर में "गूजर" समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए, आरक्षण नीति गूजर समुदाय पर भी लागू होती है।

**विवरण**

**सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 3 मई, 1975 का का० ज्ञा० सं० 36011/5/75-स्था० (एस. सी. टी.)**

विषय : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों का दृढ़ता से पालन करना।

इस विभाग के 24 मार्च, 1971 के का० ज्ञा० सं० 27/2/71-स्था० (एस. सी. टी.) में मंत्रालयों/विभागों से नियुक्ति प्राधिकारियों पर सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों तथा अन्य आदेशों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देने का अनुरोध किया था। उनसे यह भी कहा गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण के आदेशों तक अन्य आदेशों के पालन में उपेक्षा तथा गलतियों के मामलों को जो सम्पर्क अधिकारियों द्वारा किए गये निरीक्षणों के जरिए या अन्यथा ध्यान में आये उन्हें तत्संबंधी मंत्रालयों/विभागों से सरकार के सचिव/अपर सचिव को तथा विभागाध्यक्ष के अधीन कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसी

रिपोर्टों पर सचिव/अपर सचिव/विभागाध्यक्ष के निर्देश पर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन आदेशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित हो सके। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयुक्त ने सुझाव दिया था कि आरक्षण आदेशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त अनुदेश जारी किये जाएं और इस बात पर जोर दिया जाए कि चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई की जाएगी। सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की समीक्षा करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी 9 अप्रैल, 1974 की बैठक में इन मामलों पर विचार किया। समिति ने यह मत प्रकट किया कि इस बारे में और अनुदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु किसी भी कार्यालय/स्थापना में भेदभाव या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण और रियायत संबंधी आदेशों के उल्लंघन के स्पष्ट मामले उचित कार्रवाई के लिए उपयुक्त अधिकारियों के नोटिस में लाये जाएं।

2. उच्चाधिकार प्राप्त समिति का उपर्युक्त कथन मंत्रालयों/विभागों आदि की जानकारी में लाया जाता है। उनसे अनुरोध है कि जहां भी ऐसे मामले उपयुक्त अधिकारियों के ध्यान में लाये जाएं, उन पर तुरन्त उचित कार्रवाई की जाए।

**सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की तारीख 8 सितम्बर, 1976 का कार्यालय ज्ञापन सं० 36022/20/76-स्थापना० (एस० सी० टी०)**

विषय : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए पदों के आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आदेशों का दृढ़ता से पालन तथा रोस्टर का उचित अनुरक्षण नियमित अवधि के बाद रोस्टरों की जांच—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति कल्याण संसदीय समिति की सिफारिश।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति कल्याण संसदीय समिति ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

**सिफारिश संख्या 12 (पैरा 2.7)**

समिति सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी-I तथा श्रेणी-II सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का बहुत कम प्रतिनिधित्व देखकर चिन्तित है। समिति को यह जानकर भी खेद हुआ है कि तृतीय श्रेणी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का प्रतिनिधित्व उनके लिए आरक्षित कोटे से काफी कम है। चतुर्थ श्रेणी में भी उनका प्रतिनिधित्व उनके आरक्षित कोटे से कम रहता है। इन भारी कमियों पर विचार करते हुए समिति इसी नतीजे पर पहुंची है कि न तो नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है और न ही स्थिति को सुधारने के लिए समुचित ध्यान दिया जा रहा है। समिति की इच्छा है कि कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग तथा सरकारी उद्यम ब्यूरो यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाएं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियां वास्तव में उन्हीं समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएं। इस सम्बन्ध में समिति का सुझाव है कि जिम्मेदारी निश्चित की जाए तथा जो अधिकारियों की लापरवाही के कारण अथवा अन्यथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण आदेशों को पूर्णतः कार्यान्वित करने में असफल रहे उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।

*सिफारिश संख्या 14 (पैरा 2.9)*

*समिति को न केवल शिकायतें ही प्राप्त हुई हैं बल्कि अपने दौरे के दौरान विभिन्न कार्यालयों तथा संस्थाओं के निरीक्षण के समय उन्होंने स्वयं देखा है कि विशेषतया सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में न तो रोस्टर ही उचित तरीके से रखे जाते हैं और न ही उनकी नियमित रूप से जांच की जाती है। समिति को इस विषय पर जारी किये गए विस्तत आदेशों के अनुसार रोस्टरों के समुचित अनुरक्षण और निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा नियमित अवधि के बाद उनकी जांच की आवश्यकता पर बल देने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। समिति के विचार में सम्पर्क अधिकारियों की रोस्टरों के अनुरक्षण और निरीक्षण के बारे में प्रशिक्षण देने की वस्तुतः आवश्यकता है।*

*जिन अधिकारियों को रोस्टरों के अनुसार नियुक्तियां करनी होती हैं, उनके हित के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार व निर्दिष्ट किये जाएं और चूककर्त्ताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।*

2. इस विभाग के तारीख 24 मार्च, 1972 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/2/71-स्था० (एस. सी. टी.) तारीख 3 मई, 1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/5/75-स्था० (एस. सी. टी.) 6 मार्च, 1976 के कार्यालय ज्ञापन सं० 36011/1/76-स्था० (एस०सी०टी०) द्वारा मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे नियुक्ति प्राधिकारियों को सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व संबंधी आरक्षण तथा अन्य आदेशों के पालन करने की आवश्यकता पर जोर देने को कहें। आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए एक सुनिश्चित कार्यविधि भी निर्धारित की गई है। इस सम्बन्ध में पहले दिए गए अनुदेशों के अतिरिक्त इस विभाग के तारीख 12 नवम्बर, 1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/27/74-स्था० (एस० सी० टी०) द्वारा मन्त्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि जब भी रिक्तियों के आरक्षण को समाप्त करने के लिए इस विभाग को लिखा जाए (जिसकी एक प्रति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त को भी भेजी जानी है) तब सामान्य रूप से सूचना देने के अलावा एक नोट भी रिकार्ड किया जाए कि उक्त प्रस्ताव संबंधित सम्पर्क अधिकारी की पूरी जानकारी तथा सहमति से किया जा रहा है। जहां तक रोस्टरों के समुचित रख रखाव और नियमित अवधि के बाद उनकी जांच का सम्बन्ध है, वित्त मन्त्रालय आदि का ध्यान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण के संबंध में विवरणिका (चौथा संस्करण 1975) में पैरा 9 से 13 की ओर आकर्षित किया जाता है जिनमें इस बारे में मार्गदर्शन किया गया है। रोस्टर का फार्म विवरणिका के परिशिष्ट 4 में दिया गया है। रोस्टर के रख-रखाव के लिए विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट 5 में दिए हुए हैं। रोस्टर का काल्पनिक उदाहरण परिशिष्ट 6 में दिया गया है। मन्त्रालयों/विभागों में तथा विभागाध्यक्षों के अधीन कार्यालयों में नामित सम्पर्क अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने अधीनै कार्यालयों में रोस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करें। रोस्टर के निरीक्षण का प्रोफार्मा भी विवरणिका के परिशिष्ट 7 में दिया हुआ है।

3. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण संसदीय समिति की ऊपर दी गई सिफारिशें फिर से मन्त्रालय/विभागों के नोटिस में लायी जाती हैं। उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये निर्धारित कार्यविधियों का दृढ़ता से अनुपालन किया जाए ताकि इस प्रकार की रिक्तियों पर केवल उन्हीं जातियों के उम्मीदवार नियुक्त हो जाएँ। अनुसूचित जाति

तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के प्रस्ताव तभी किये जाएं अथवा उन पर तभी विचार किया जाए जब यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि इस बारे में निर्धारित सभी कार्यविधियों का द्रुतता से तथा पूर्णतया पालन कर लिया गया और आरक्षण समाप्त करना अनिवार्य हो गया है। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि नियुक्ति प्राधिकारी तथा सम्पर्क अधिकारी रोस्टरों के रख-रखाव और आवधिक निरीक्षणों के लिए उपर्युक्त अनुदेशों का द्रुतता से अनुपालन कर रहे हैं अथवा नहीं मन्त्रालय/विभाग रोस्टरों के रख-रखाव अथवा निरीक्षण के बारे में कठिनाइयों और शंका के विषयों से (यदि कोई हो तो) इस विभाग को अवगत करा दें ताकि विशेष मुद्दों पर और मार्ग दर्शक सिद्धांतों पर (यदि कोई हो तो) इस विभाग में विचार किया जा सके।

(4) वित्त मन्त्रालय आदि का ध्यान उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित इस विभाग के तारीख 24 मार्च, 1972, 3 मई, 1975 और 6 मार्च, 1976 के कार्यालय ज्ञापन में दिये गये अनुदेशों की ओर भी आकर्षित किया जाता है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण आदेशों तथा अन्य आदेशों के अनुपालन करने में उपेक्षा तथा चूक के मामलों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए और उन्हें उपयुक्त प्राधिकारियों की जानकारी में लाया जाए और तत्काल उचित कार्रवाई की जाए।

**सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित का. और प्र. सु. विभाग का तारीख 19 दिसम्बर, 1978 का का. ज्ञा. संख्या 36013/5/78-स्था (एस.सी.टी.)**

**विषय :** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण—सभी निर्धारित कदम उठाए जाने की आवश्यकता और अनारक्षण किए जाने के लिए पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 की रिपोर्ट की सिफारिश संख्या 41 और 42।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

**सिफारिश संख्या 41**

तृतीय श्रेणी के पदों में आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के बारे में अप्रिय प्रवृत्ति पाई गई है। इसलिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को आरक्षित पदों के अनारक्षण के लिए सहमति देने से पहले, संबंधित प्राधिकारी को यह सलाह देनी चाहिए कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित पुस्तिका में दी गई हिदायतों के अनुसार ही कार्रवाई की जाए।

**सिफारिश संख्या 42**

सामान्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करने से पहले आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के लिए पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के आदेश 1963 से मौजूद हैं, परन्तु किसी न किसी बहाने से इन आदेशों का उल्लंघन किए जाने के मामले ध्यान में आ रहे हैं। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को

अपने आदेश फिर से बता देने चाहिए और आरक्षित रिक्तियों को सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने से पहले उनसे पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए।

रिपोर्ट के पैरा 3.57 में, जिस पर उपर्युक्त सिफारिश संख्या 41 आधारित है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने टिप्पणी की है कि अनारक्षण के लिए प्रस्तावित अनुसूचित जनजातियों की कुल 1515 रिक्तियों में से श्रेणी-III के लिए ऐसी 254 रिक्तियों के लिए उपलब्ध अनुसूचित जनजाति को उम्मीदवारों के नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त घोषित किया किया गया था और श्रेणी III की रिक्तियों के मामले में ऐसा घटित होना एक आश्चर्यजनक बात थी जबकि ऐसे विशेष अनुदेश हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए मानदण्डों में छूट देकर मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने यह भी टिप्पणी की है कि इस श्रेणी में, अधिकतर पद गैर-तकनीकी अथवा अर्ध-तकनीकी हैं जिनके लिए गृह मंत्रालय के दिनांक 24-9-68 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 24-7-67(1) स्थापना (एस.सी.टी.) द्वारा इस आशय का एक अतिरिक्त उपबन्ध विद्यमान है कि यदि सीधी भर्ती के कोटे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए मानदण्डों में छूट देने पर भी इन वर्गों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की सीमा तक उनमें से न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं को पूरा करने वाले सर्वोत्तम उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए चुन लिया जाए। प्रशासन की कुशलता को बनाये रखने के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानकों तक लाने के उद्देश्य से ऐसे उम्मीदवारों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है।

2. इस संबंध में गृह मंत्रालय के दिनांक 24-9-68 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 24-7-67 (1) स्थापना (एस.सी.टी.) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस विभाग के दिनांक 8-5-1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16-2-94 स्थापना (एस. सी. टी) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया था कि स्थायी नियुक्तियों अथवा स्थायी होने की संभावना वाली अस्थायी नियुक्तियों या अनिश्चित काल के लिए बनी रहने वाली अस्थायी नियुक्तियों के लिए रोस्टर में शामिल की गई आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने के लिए इस विभाग को हवाला भेजने से पूर्व आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों और जनसूचित जनजातियों के उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए संबंधित नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा हमेशा ही सभी निर्धारित कदम उठाये गये हैं और उनका पूर्ण रूप से पालन किया गया है तथा इन समुदायों के पात्र उम्मीदवारों के दावों पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है और अनारक्षण का प्रस्ताव केवल तभी किया जाए जब आरक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्ति हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है। आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने हेतु इस विभाग को प्रस्ताव भेजने का प्रपत्र इस विभाग के दिनांक 12-7-1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/14/74 स्थापना (एस.सी.टी.) में निर्धारित किया गया है। सम्पर्क अधिकारी द्वारा एक ऐसी टिप्पणी लिखी जानी भी अपेक्षित है कि अनारक्षण का प्रस्ताव उनकी पूरी जानकारी तथा सहमति से किया गया है। इस संबंध में इस विभाग के दिनांक 25-9-76 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36022/18 76-स्था. (एस.सी.टी.) में जारी किए गये अनुदेशों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिश की ओर मंत्रालयों/विभागों आदि का ध्यान आकर्षित किया गया है।

3. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की रिपोर्ट में उपर्युक्त सिफारिश संख्या 42 के संदर्भ में, इस विभाग के दिनांक 28 1-1969 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8-1-69-स्थापना (एस.सी.टी.) तथा दिनांक 22-1-77 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/3/76 स्थापना (एस०सी०टी०) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिससे यह स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित जिस रिक्ति के लिए सभी निर्धारित कदम उठाए जाने के बावजूद भी उस समुदाय का कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो रिक्ति को सामान्य उम्मीदवार द्वारा भरे जाने से पहले अनारक्षित करना होता है तथा स्थायी नियुक्तियों और स्थायी होने की संभावना वाली अस्थायी नियुक्तियों या अनिश्चित काल के लिए बनी रहने वाली अस्थायी नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल की गई किसी आरक्षित रिक्ति को अनारक्षित करने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का पूर्वानुमोदन आवश्यक है।

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की उक्त दोनों सिफारिशें मन्त्रालयों/विभागों के ध्यान में विशेष रूप से लाई जाती हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस संबंध में अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाता है और आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण का प्रस्ताव केवल तभी किया जाता है जब ऐसा करना अपरिहार्य हो जाता है और जहाँ कहीं अनारक्षण आवश्यक हो, उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का पूर्वानुमोदन हमेशा प्राप्त किया जाता है।

**कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 1-11-1980 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/7/80-स्थापना (एस०सी०टी०)**

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशतता तथा उनके वास्तविक प्रतिनिधित्व में भारी अन्तर।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संसद के पिछले सत्र में वर्ष 1977-78 की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की 25वीं रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के दौरान अनेक सदस्यों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर चिन्ता व्यक्त की थी। कुछ सीमा तक नियुक्तियां करते समय आरक्षण के आदेशों के कार्यान्वित न किए जाने को इस अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। बहस का उत्तर देते समय गृह राज्य मन्त्री ने आश्वासन दिया कि सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की प्रतिशतता का लक्ष्य तथा उनके वास्तविक प्रतिनिधित्व के बीच अन्तर द्वारा प्रदर्शित बैकलाग को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाए जायेंगे। तदनुसार मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में इस कमी को इस संबंध में निर्धारित प्रतिशतता के स्तर तक बढ़ा कर दूर करने का पूरा प्रयास करें।

2. 1-1-79 को केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का वर्तमान प्रतिनिधित्व निम्नलिखित विवरण में दिया गया है :—

| समूह (श्रेणी) | कर्मचारियों की कुल संख्या | अनुसूचित जाति | प्रतिशतता | अनुसूचित जनजाति | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1-1-79 की स्थिति के अनुसार | | | |
| समूह क (श्रेणी-I) | 46,434 | 2,204 | 4.75 | 435 | 0.94 |
| समूह ख (श्रेणी-II) | 56,287 | 4,150 | 7.37 | 579 | 1.03 |
| समूह ग (श्रेणी-I) | 17,18,576 | 2,15,762 | 12.55 | 53,460 | 3.11 |
| समूह घ (श्रेणी-Iv) | 12,71,254 | 2,45,596 | 19.32 | 65,975 | 5.19 |
| सफाई कर्मचारियों को छोड़कर योग | 30,92,551 | 4,67,712 | 15.12 | 1,20,449 | 3.89 |

हालांकि समूह घ सेवाओं/पदों में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता से कुछ संतोष किया जा सकता है, परन्तु अन्य सभी समूहों में उनका प्रतिनिधित्व अब भी निर्धारित स्तर से नीचे है। यद्यपि समूह ग में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में गम्भीर चिन्ता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यदि वर्तमान प्रवृत्ति को बनाए रखा जाता है तो आशा है कि शीघ्र ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जायेगी, किन्तु समूह ख तथा क में जहां लक्ष्य स्तर का 50 प्रतिशत भी पूरा प्राप्त नहीं हुआ है, उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का मामला काफी चिन्ताजनक है। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के प्रतिनिधित्व का स्तर सभी समूहों में कम है तथा इसकी स्थिति में तत्काल सुधार होने के प्रायः कोई आसार नहीं दिखाई देते। इसलिए, जब तक समूह ख तथा क में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी समूहों (घ, ग, ख तथा क) में प्रतिनिधित्व की समस्याओं की ओर और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता तथा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों हेतु उनके भावी सदस्यों के लिए प्रभावशाली कार्यक्रमों को अपनाकर वर्तमान कमी को समाप्त करने के लिए गम्भीर तथा दीर्घकालीन प्रयास नहीं किया जाता है तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षा की नीति अप्रभावी कार्यान्वयन के झमेले में पड़ी रहेगी।

3. सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित सरकारी नीति के कार्यान्वयन के संबंध में, मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण संबंधी विवरणिका (5वां संस्करण 1978) के अध्याय 8 तथा 9 में यथा निर्धारित आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों को ध्यान में रखें तथा उनका कड़ाई से अनुपालन करें। सभी नियोक्ता प्राधिकारियों का इस बात पर बल देना चाहिए कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां केवल उन्हीं समुदायों के सदस्यों द्वारा भरी जानी हैं तथा आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्राप्त करने के लिए यथा निर्धारित गम्भीर तथा दीर्घकालीन प्रयास किए बिना तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्राप्त करने के सभी रास्ते बंद होने से पहले, सामान्य मामले के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी आरक्षित रिक्ति को सामान्य समुदाय के उम्मीदवारों द्वारा तब तक नहीं भरा

जा सकता है, जब तक इसे आरक्षित नहीं कर दिया जाता है तथा जहाँ कहीं लागू हो, "आरक्षण" को बाद के तीन भर्ती वर्षों में अग्रेनित नहीं किया जाता।

4. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 3-5-75 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/5/75-स्थापना (अनु० जा०) की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार नियोक्ता प्राधिकारियों को सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित आरक्षण तथा अन्य आदेशों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। किसी भी कार्यालय या प्रतिष्ठान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पक्ष में आरक्षण तथा रियायतों से सम्बन्धित आदेशों के भेदभाव पूर्ण अथवा जानबूझ कर उल्लंघन से सुस्पष्ट दृष्टान्तों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों की जानकारी में तत्काल लाया जाए। मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां कहीं इस प्रकार के मामले समुचित प्राधिकारियों की जानकारी में लाए जाएं तो उन पर समुचित कार्रवाई भी तुरन्त की जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियोक्ता प्राधिकारियों तथा सम्पर्क अधिकारियों द्वारा रोस्टरों के रख-रखाव तथा समय-समय पर उनके निरीक्षण के अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाता है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित आरक्षण तथा अन्य आदेशों के पालन करने के मामले में जानबूझ कर की गई उपेक्षा अथवा गलती के लिए अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है। इस विभाग के अनुदेशों के अधीन उपेक्षित जहां अब तक "सेल" सृजित नहीं किए हैं, वहाँ उनका सृजन तत्काल किया जाना चाहिए तथा जहाँ पर विद्यमान हैं उन्हें क्रियाशील बनाया जाना चाहिए।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण तथा अन्य रियायतों से सम्बन्धित नियमों तथा क्रिया विधियों का कड़ाई से पालन किए जाने के अलावा जो बात आवश्यक है वह यह है कि इन समुदायों के सदस्यों द्वारा जिन वास्तविक समस्याओं का सामना किया जाता है उसके प्रति सहानुभूति पूर्वक तथा सराहनीय दृष्टिकोण अपनाना और यदि इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की नीति इन समुदायों (जिसे स्वयं सामाजिक उत्तरदायित्व के एक अंश के रूप में देखा जा सकता है) के सदस्यों के सर्वाङ्गीण विकास के लिए समग्र नीति का हिस्सा है, तो इस सम्बन्ध में और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना आसान होगा।

6. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि ये उपर्युक्त अनुदेशों को अपने अधीन सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों की जानकारी में एक बार फिर से लाएं।

**कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 29 अगस्त, 1934 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36013/6/84-स्थापना (अनु० जा०)**

**विषय:**—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आयुक्त द्वारा अपनी 27 वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आयुक्त ने अपनी 27 वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :-

**सिफारिश संख्या 62**

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से एक बार फिर से अनुरोध किया जाता है कि

वे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के अनुदेश जारी करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण के संबंध में सरकार की नीति, की जो संविधान में किए गए प्रावधानों पर आधारित हैं, न्यायालयों के समक्ष उपयुक्त ढंग से व्याख्या की जाती है और मामलों का गलत ढंग से निर्णय न हो।"

2. सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त सिफारिश का कड़ाई से पालन किया जाए और जब कभी मामले न्यायालयों में दायर किए जाएं तो आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति को सही रूप में प्रस्तुत किया जाए और ऐसे मामलों में बचाव के लिए यदि आवश्यक हो तो, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से समुचित उपाय भी किए जाएं।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को अपने सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाये।

**उड़ीसा सैन्ड कामप्लेक्स में थोरियम नाइट्रेट संयंत्र**

5469. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के गंजम जिले के छत्रपुर उड़ीसा सैन्ड कामप्लेक्स में थोरियम नाइट्रेट संयंत्र लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह संयंत्र कब से काम करना आरम्भ कर देगा ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) :** (क) जी हां।

(ख) चूंकि ट्राम्बे स्थित मौजूदा थोरियम संयंत्र बहुत पुराना है और इस संयंत्र में प्रयोग में लाई जा रही प्रक्रिया का एक भाग अनुप्रयुक्त हो चुका था इसलिए सरकार ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा विकसित विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया के आधार पर एक नया थोरियम संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया। अतः उड़ीसा राज्य में छतरपुर नामक स्थान पर 5.25 करोड़ रुपए (स्तम्भ) की लागत से एक नया थोरियम संयंत्र जिसका डिजायन प्रतिवर्ष 150 टन थोरियम नाइट्रेट का उत्पादन करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया, गया है और जिसकी आवश्यकता मुख्यतः गैस मेंटल निर्माताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए होती है, स्थापित किया गया है। इस संयंत्र का स्वामित्व परमाणु ऊर्जा विभाग का है और इसका प्रबन्धन परमाणु ऊर्जा विभाग की ओर से इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

(ग) इस नए थोरियम संयंत्र का परिचालन 1-7-92 से शुरू किया जा चुका है और मेंटल ग्रेड के थोरियम नाइट्रेट का उत्पादन शुरू किया जा चुका है।

**मोटर साइकिल के हेलमेट**

5470. **श्री के. राममूर्ती तिरिवलाम :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बेचे जा रहे मोटर साइकिल के हेलमेटों की सुरक्षा के संबंध में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिल कर किए गए अध्ययन से यह बात सामने आई है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित हेलमेट सुरक्षित नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय मानक ब्यूरो को इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने तथा बाजार में बेहतर किस्म के हेलमेटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देश देने का है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सेन्टर फार बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली द्वारा जून, 1992 में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित हेलमेट आमतौर पर उन हेलमेटों से तुलनात्मक रूप से सुरक्षित हैं, जिन्हें ब्यूरो द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।

(ख) मौजूदा भारतीय मानक आई.एस. 4151 : 1982 मोटर साइकिल चालकों के हेलमेटों के वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मानक आई.एस.ओ. 1511:1970 के अनुरूप हैं।

**उत्तर प्रदेश में कीटनाशक दवाइयों का स्टाक**

5471. डा० रमेशचन्द्र तोमर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अप्रभावकारी कीटनाशी दवाइयों का बड़ा स्टाक पड़ा हुआ है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई दायित्व निर्धारित किया गया है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उसके क्या कारण है, और

(घ) सरकार का इस स्टाक का अब किस प्रकार से निपटारा करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (डा. शिशा मोहन) : (क) वर्तमान में ऐसे किसी स्टाक के होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) से घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

**गया, बिहार में पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स**

5472. श्री राजेश कुमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गया, बिहार में पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (डा. शिशा मोहन) : गया, बिहार में पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

**विदेशी ट्रेड मार्क और ब्राण्ड नाम**

5473. श्री अरुण कुमार पटेल :

श्रीमती विमू कुमारी देवी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बेचने के लिए विदेशी सहयोग से उत्पादित सामग्री पर विदेशी ट्रेड मार्क और ब्राण्ड नाम के उपयोग पर रोक उठा ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उपर्युक्त सामग्री के भारतीय निर्माताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

**उद्योग मन्त्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) में राज्य मन्त्री ( श्रीमती कृष्णा साही ) :** (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने भारत में ब्रांड नामों/व्यापार चिन्हों, चाहे वे विदेशी अथवा भारतीय स्वामित्व के हों, के प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध न लगाने का निर्णय लिया है, बशर्ते कि वे इस देश में किसी कानून, नियम अथवा विनियम का उल्लंघन न करते हों।

(ग) इससे इस देश में औद्योगिक विकास में तेजी आने की आशा है।

**निम्न भू-कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रह**

5474. **श्री मनोरंजन भक्त :**

**श्री वी.एस. विजय राघवन :**

**श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चल संचार हेतु निम्न भू-कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रह स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) इसके प्रयोजनार्थ किन स्थानों का चयन किया गया है ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्यमन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों की प्रतिष्ठापित क्षमता**

5475. **डा. आर. मल्लू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पवन विद्युत उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा अब तक राज्यवार कितने मेगावाट वास्तविक उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या देश में पर्याप्त क्षमता अभी भी अप्रयुक्त है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार कितनी मेगावाट क्षमता अप्रयुक्त है और वास्तव में कितनी क्षमता का उपयोग किया गया ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुखराम) :** (क) जुलाई, 1992 की स्थिति के अनुसार, राज्यवार अधिष्ठापित पवन विद्युत क्षमता तथा संचयी विद्युत उत्पादन नीचे दिया गया है :—

| राज्य | कुल अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.) | संचयी विद्युत उत्पादन (मिलियन किलोवाट आवर) |
|---|---|---|
| तमिलनाडु | 22·53 | 92·31 |
| गुजरात | 16·30 | 50·30 |
| महाराष्ट्र | 1.19 | 3·69 |
| उड़ीसा | 1·19 | 1·18 |
| मध्य प्रदेश | 0·59 | 1·60 |
| आन्ध्र प्रदेश | 0·55 | 1·16 |
| कर्नाटक | 0·55 | — |
| गोआ | 0·11 | 0·06 |
| केरल | 0·10 | 0·08 |

(ख) और (ग) जी हां, एक प्रारंभिक मूल्यांकन के अनुसार, देश में पवन विद्युत क्षमता 20,000 मे.वा. से अधिक होने का अनुमान है। वायु वाले क्षेत्रों को निर्धारित करने और पवन विद्युत क्षमता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पवन सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। अब तक, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में उल्लेखनीय वायु संभावना होने का पता चला है। प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार तमिलनाडु और गुजरात प्रत्येक में 5,000 मे.वा. की क्षमता है। आन्ध्रप्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में हाल के अनुमान के मुताबिक क्षमता लगभग 800 मे.वा. है। वास्तव में दोहन की गई क्षमता भाग (क) के उत्तर में दी गई है।

**विदेशी सहायता से लघु पनबिजली परियोजनाएं**

5476. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने तकनीकी और वित्तीय सहायता देने हेतु किसी लघु पनबिजली परियोजना का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इन परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु निजी क्षेत्र को अपनी सहायता देने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, राज्य-वार क्या है;

(ङ) क्या कर्नाटक की सरकार ने इस प्रयोजन हेतु निजी क्षेत्र से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इससे कर्नाटक को कितनी अधिक बिजली मिलेगी ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री [सुखराम)** : (क) से (च) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/विश्व बैंक

ऊर्जा क्षेत्र प्रबन्धन सहायता कार्यक्रम (ई एस एम ए पी) के संयुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब और तमिलनाडु में संलग्न विवरण के अनुसार 52 सिंचाई नहरें और बाँधों पर आधारित स्थलों को कुछ मानक प्रकार के डिजाइनों का विश्लेषण और संरचना की गई है। इस परियोजना में, जिसका कि विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है, इन योजनाओं को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा इस मन्त्रालय की भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के माध्यम से वाणिज्यिक आधार पर दिए गए वित्त से स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(ङ) से (छ) 25 करोड़ रुपये से कम की पूंजीगत परिव्यय वाली ऐसी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का कार्य राज्य सरकार के अधिकार में होने के कारण, कर्नाटक सरकार ने कुल लगभग 35·7 मे.वा. की इन योजनाओं की स्थापना के लिए उद्यमियों का सहयोग माँगा है। यह मामला उनके विचाराधीन है।

**विवरण**

विश्व बैंक वित्तीय सहायता के विचाराधीन लघु विद्युत योजनाओं का राज्यवार विवरण

| राज्य/योजना | शीर्ष (मी) | मानक डिजाइन विशिष्टियाँ | |
|---|---|---|---|
| | | डिस्चार्ज (घन मी.) | क्षमता (कि.वा.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **आन्ध्रप्रदेश** | | | |
| अदनकी बी सी 1 | 4·25 | 22·5 | 2 × 650 |
| अदनकी बी सी 2 | 10 | 22·5 | 2 × 1250 |
| गुंटूर बी सी 1 | 7·00 | 22·5 | 3 × 1250 |
| गुंटूर बी सी 2 | 10·00 | 22·5 | 3 × 1250 |
| गुंटूर बी सी 3 | 4·25 | 22·5 | 2 × 650 |
| गुंटूर बी सी 4 | 7·00 | 22.5 | 2 × 1250 |
| लौक-इन-सूला | 10·00 | 22·5 | 2 × 1500 |
| लोअर मनियार | 7·00 | 22·5 | 2 × 1500 |
| **कर्नाटक** | | | |
| अतेहला | 7 | 7·5 | 1 × 350 |
| अनबेरी | 15 | 7·5 | 2 × 650 |
| बृन्दावन | 13 | 30·0 | 3 × 3500 |
| देवरबेलेकेरे | 13 | 12·0 | 1 × 1000 |
| हरंगी | 15 | 12·0 | 3 × 1500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| कवीनी | 10 | 12·0 | 3 × 650 |
| किलारा | 10 | 12·0 | 2 × 650 |
| मडूर | 13 | 7·5 | 2 × 1000 |
| मलाप्रभा | 10 | 12·0 | 2 × 1000 |
| मडहोल | 13 | 7·5 | 1 × 1000 |
| नूगू | 13 | 7·5 | 2 × 1000 |
| राजनकोल्लूर | 15 | 12·0 | 3 × 650 |
| शाहपुर बी सी 1 | 7 | 7·5 | 3 × 350 |
| शाहपुर बी सी 2 | 7 | 7·5 | 3 × 350 |
| शाहपुर बी सी 3 | 7 | 7·5 | 3 × 350 |
| शाहपुर वी सी 4 | 7 | 7·5 | 3 × 350 |
| शाहपुर बी सी 5 | 10 | 7·5 | 2 × 650 |
| शाहपुर बी सी 6 | 7 | 7·5 | 1 × 350 |
| **केरल** | | | |
| कुटीयाडी चरण 1 | 15 | 12·0 | 2 × 1500 |
| कुटीयाडी चरण 2 | 7 | 12·0 | 2 × 650 |
| कुटीयाडी चरण 3 | 7 | 12·0 | 2 × 650 |
| पीची 1 (सी बी यू) | 21 | 10·0 | 1 × 1500 |
| पीची 2 (आर बी यू) | 30 | 12·0 | 2 × 2500 |
| मंगलम | 10 | 5·0 | 1 × 350 |
| मनियार | 15 | 22·5 | 6 × 2500 |
| **तमिलनाडु** | | | |
| अलियार | 30 | 5·0 | 2 × 1250 |
| अमरावती | 21 | 12·0 | 2 × 1000 |
| लोअर भवानी | 15 | 30·0 | 2 × 3500 |
| पीचपराई | 10 | 12·0 | 2 × 650 |
| पेरूनचानी | 15 | 7·5 | 2 × 650 |
| सतनुर | 30 | 12·0 | 2 × 2500 |
| तिरुमूर्ति | 13 | 7·5 | 3 × 650 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **पंजाब** | | | |
| बावनपुर | 3 | 30·0 | 2 × 650 |
| चकभाई | 3 | 30·0 | 2 × 650 |
| चनारथल | 3 | 50·0 | 4 × 1000 |
| चुपकी | 3 | 30·0 | 2 × 650 |
| दल्ल | 4·25 | 30·0 | 2 × 1000 |
| डोलवाल | 3 | 30·0 | 2 × 650 |
| किला | 3 | 30·0 | 2 × 650 |
| नारंगवाल | 3 | 30 0 | 3 × 650 |
| थबलाम | 3 | 50·0 | 6 × 1000 |
| तुगल | 3 | 22·5 | 3 × 350 |
| सलार | 3 | 22·5 | 2 × 350 |
| सिधाना | 3 | 12·0 | 2 × 350 |

स्रोत : ई एस एम ए पी कम्प्यूटेशन

**[हिन्दी]**

**लेजर टेक इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम लगाना**

5477. **श्री शिबू सोरेन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी कम्पनी सी.डी.ई.सी. कारपोरेशन की सहायक कंपनी लेजर टेक इण्डिया लिमिटेड भारत में मलाया ग्रुप के साथ संयुक्त उद्यम लगा रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को अनुमति दे दी है, और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनिवासी भारतीयों के ऐसे ही उन अन्य विदेशी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो स्वीकृत के लिए विचाराधीन हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) विदेशी पूंजी निवेश नीति तथा प्रक्रिया के तहत किसी भारतीय कंपनी द्वारा अन्य भारतीय कंपनी के सहयोग से भारत में संयुक्त उद्यम की स्थापना करने के प्रस्ताव के लिए इस मंत्रालय में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**[अनुवाद]**

**आशुलिपिक ग्रेड "सी" परीक्षा 1990**

5478. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा :**

**श्री रोशनलाल :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1992 के कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई आशुलिपिक ग्रेड "सी" परीक्षा 1990 में बैठने वाले कुछ उम्मीदवारों ने कर्मचारी चयन आयोग से 30 जून, 1992 को शिकायत की थी कि कर्मचारी चयन आयोग ने "डिक्टेशन पैसेजो' का बैचों में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए कुछ गिने चुने चयन किए और फिर अगले बैचों में उन्हीं पैसेजों को दोहराया गया था;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परीक्षा में पहले संघ लोक सेवा आयोग भी इसी परम्परा का पालन करता रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस परीक्षा में "डिक्टेशन पैसेजों" को दोहराने की परम्परा को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :** (क) से (घ) जून, 1992 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई आशुलिपिक ग्रेड 'सी" परीक्षा, 1990 में पैसेजों को दोहराया जाने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कर्मचारी चयन आयोग उम्मीदवारों को डिक्टेट किए गए पैसजों के स्तर में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु सम्भव सीमा तक कुछ पैसेजों को दोहराता है। तथापि पैसेजों की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु समुचित उपाय किए जाते हैं। जब संघ लोक सेवा आयोग आशुलिपिक ग्रेड "सी" की परीक्षा आयोजित करता था तब भी यही पद्धति अपनाई जाती थी।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक परीक्षा में अपनाई जाने वाली पद्धति की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और जब भी आवश्यक हो तो आवश्यक उपाचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

**इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा 'सप्लाई आर्डर' प्राप्त करने हेतु कमीशन का कथित भुगतान**

5479. **डा. असीम बाला :** क्या **प्रधान मन्त्री** 28 अगस्त, 1991 के तारांकित प्रश्न सं. 589 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो ने इस बीच उक्त मामले की जाच कर ली है और उसकी रिपोर्ट भेज दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई, और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त जांच कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकारी उद्यम विभाग से कार्य शीघ्रता से पूरा करने का अनुरोध किया गया है।

**दिल्ली के लघु उद्योग एकक**

5480. **श्री रामशरण यादव :**

**श्री केशरी लाल :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उद्योग निदेशालय दिल्ली से प्रतिवर्ष दिल्ली में स्थित जिन लघु उद्योग एककों को स्थगित किया है तथा जिनका पंजीकरण समाप्त किया है उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं,

(ख) उक्त अवधि के दौरान उद्योग निदेशालय दिल्ली ने दिल्ली में स्थित जिन लघु उद्योग एककों का स्थाई पंजीकरण किया है उनका ब्यौरा क्या है,

(ग) दिल्ली में उक्त अवधि के दौरान लघु उद्योग एककों का नगण्य स्थाई पंजीकरण करने तथा अधिक संख्या में पंजीकरण समाप्त करने/स्थगन करने के क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में तथा कार्रवाई करने का प्रस्ताव है,

(घ) क्या इन एककों को इस प्रकार स्थगित करने/इनका पंजीकरण समाप्त करने के परिणामस्वरूप हजारों लोग बेरोजगार हो गये हैं, और

(ङ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

**उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) :** (क) पहले तीन वर्षों 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान जिन लघु उद्योग एककों को स्थगित किया गया है, जिनका पंजीकरण समाप्त किया गया है, उनके वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

| वर्ष | स्थगित किए गए/पंजीकरण समाप्त किए गए एककों की संख्या |
|---|---|
| 1989-90 | 60 |
| 1990-91 | 114 |
| 1991-92 | 166 |
| | योग : 340 |

स्थगित करने/पंजीकरण समाप्त करने के कारण नीचे दिए गए हैं :—

1. जब तक एकक पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन करता है, (अथवा)
2. जब एकक काम करना बन्द कर देता है, (अथवा)
3. जब एकक "अन्त्योत्पाद" का विनिर्माण करता है जिसके लिए उसने पहले से अनुमति प्राप्त नहीं की है, (अथवा)
4. जब पूर्व अनुमति के बिना गठन/स्वामित्व प्रतिमान में परिवर्तन किया जाता है, (अथवा)

5. जब एकक मशीनरी जोड़ता है और लघु क्षेत्र की निर्धारित सीमा को पार करता है, (अथवा)

6. जब एकक छमाही उत्पादन विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर पाता है, (अथवा)

7. जब पंजीकरण के समय तथ्यों को छुपाने गलत तथ्य बताने जैसी विपरीत बातें नोटिस में आती हैं।

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान उद्योग आयुक्त कार्यालय द्वारा किए गए स्थायी पंजीकरण ये हैं :—

| | |
|---|---|
| 1989-90 | 1063 |
| 1990-91 | 938 |
| 1991-92 | 587 |
| जोड़ | 2588 |

(ग) लघु उद्योगों का पंजीकरण पूर्णतः ऐच्छिक है और इस प्रकार लघु एकक को उद्योग आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत करवाने के लिए कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है। इसके अलावा अनेक एकक मास्टर प्लान में दिए गए स्थापना-स्थल संबंधी मानदण्डों को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये पंजीकरण के पात्र नहीं हैं।

(घ) चूंकि इन उद्योगों का पंजीकरण ऐच्छिक है, अतः पंजीकरण मना करने से कोई औद्योगिक एकक बन्द नहीं होता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**सीमेंट श्रमिकों की मजदूरी में संशोधन**

5481. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सीमेंट श्रमिकों की मजदूरी में संशोधन संबंधी मामले, को अन्तिम रूप देने के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और सीमेंट निर्माताओं के बीच मद्रास में उच्चस्तरीय बैठक हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस बैठक में हुई बातचीत का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार)** : (क) जी, हां, कर्मचारियों के प्रमुख परिसंघों तथा सीमेंट विनिर्माताओं के संघों के प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं आयोजित की गयी थीं।

(ख) और (ग) मुख्य श्रमायुक्त, भारत सरकार के हस्तक्षेप पर 31 जुलाई, 1992 को एक समझौता किया गया है।

**बिजली की अनियमित सप्लाई का कोयले के उत्पादन पर प्रभाव**

5482. **श्री रवि राय** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में बिजली की अनियमित सप्लाई का असर कोयले के उत्पादन पर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

**कोयला मन्त्रालय में उप मंत्री ( श्री एस० बी० न्यामगौड)** (क) और ( ख ) जी, हां। वर्ष 1991-92 के दौरान विद्युत सम्बन्धी आए अवरोधों के कारण कोल इंडिया लि० ने कोयले के उत्पादन में 31.30 लाख टन की हानि होने की सूचना दी है।

(ग) कोयला खानों को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत पर निकटतम निगरानी रखी जा रही है। कोयले की हानि से बचने के लिए कोयला खानों में विद्युत की आपूर्ति को निरन्तर बनाए जाने का सुनिश्चय किए जाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कोल इंडिया लि० को यह भी सलाह दी गई है कि वे विनिर्दिष्ट स्थलों पर लघु ग्रहीत विद्युत संयंत्रों की स्थापना करें।

**[हिन्दी]**

**केन्द्रीय सेवा संवर्ग के कार्यकरण की पुनरीक्षा**

5483 **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सेवा संवर्ग के कार्यकरण के विभिन्न पहुलओं का अध्ययन करने हेतु गठित की गई समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा)** : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सचिवालय सेवा की कार्य प्रणाली की जांच के लिए गठित समिति का कार्यकाल 30 सितम्बर, 1992 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**[अनुवाद]**

**केरल में औद्योगिक एकक**

5484. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में विभिन्न औद्योगिक एकक स्थापित करने हेतु कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां तो वर्ष 1991-92 के दौरान तथा जून 1992 तक भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही)** (क) और (ख) केरल में उद्योग स्थापित करने हेतु आशय पत्र की स्वीकृति के लिए अप्रैल, 1991 से जून,

1992 के दौरान केरल राज्य के सरकारी क्षेत्र के एककों/राज्य औद्योगिक विकास निगम से चार आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) सभी चार आवेदन निपटा दिये गये हैं। संबंधित पार्टियों को औद्योगिक विकास विभाग, औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में "औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन" दर्ज करने की सलाह दी गई है।

**दिल्ली के लघु उद्योगों की क्षमता का पता लगाना**

5485. **श्री देवी बक्स सिंह :**

**श्री रतिलाल वर्मा :**

**क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिल्ली में लघु उद्योगों की खपत क्षमता नई और नवीकृत, का पता लगाने संबंधी सभी मामले केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल में घोषित उदारीकरण और स्वतः मूल्यांकन की नीति के विरुद्ध उद्योग निदेशालय द्वारा गठित संकुक्त निदेशकों की समितियों को भेज दिए जाते हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या इस समिति को भेजे गए मामलों को निपटाने में अत्यन्त विलम्ब किया जाता है,

(घ) क्या इस समिति के गठन से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और दिल्ली में लघु उद्योगों के मामलों को निपटाने में विलम्ब होता है जो कि केन्द्र सरकार की उदार नीति के विरुद्ध है, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन)** : (क) और (ख) जिन मामलों में आयात/शुल्क छूट के लिए वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाण-पत्र अपेक्षित है और जिन मामलों में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा क्षमता मूल्यांकन प्रामण-पत्र अपेक्षित है, उन मामलों में एकक उद्योग आयुक्त, दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत करते हैं। उद्योग आयुक्त इन मामलों की संयुक्त उद्योग निदेशकों की एक आन्तरिक समिति से जांच करवाते हैं।

(ग) खपत क्षमता का मूल्यांकन करने वाली संयुक्त निदेशक समिति की बैठक सप्ताह में एक बार तथा शुल्क में रियायत की सिफारिश करने वाली दो समितियों की बैठक सप्ताह में दो बार होती है और इसलिए ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें आवेदक एकको द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है, शेष मामलों में विलंब होने का प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) ये समितियां अत्यधिक उपयोगी कार्य करती हैं और दृष्टिकोण में एकरूपता सुनिश्चित करती हैं; इसके अलावा, इस प्रक्रिया में मूल्यांकन में गलती होने की संभावना भी न्यूनतम रह जाती है। अतः इन समितियों में होने वाली खुली चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए भ्रष्टाचार का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**"नया औद्योगिक संबंध अधिनियम" संबन्धी**

5486. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नया औद्योगिक संबंध अधिनियम" की समीक्षा के लिये गठित पांच सदस्यीय दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

**श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) :** (क) से (ग) मतैक्य पर पहुंचने की दृष्टि से नये औद्योगिक संबंध कानून पर रामानुजम् समिति की रिपोर्ट में असहमति के क्षेत्रों की जांच करने के लिए फरवरी, 1992 में आयोजित श्रम राज्य मंत्रियों के 40वें सम्मेलन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में गठित पाँच राज्यों के श्रम मंत्रियों के दल की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद इसे सितम्बर, 1992 में आयोजित किये जाने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा विचार किये जाने के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

**[हिन्दी]**

**जापान के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग**

5487. **श्री हरि केवल प्रसाद :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री की हाल ही की जापान यात्रा के दौरान भारत और जापान के बीच किसी आर्थिक और तकनीकी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या जापान भारत को आर्थिक सहायता देने पर सहमत हो गया है, और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान भारत को कितनी सहायता मिलने की संभावना है ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। सहायता-संघ की बैठक में जापान सरकार ने वर्ष 1992-93 के लिए कुल 111.9 बिलियन येन की सहायता देने का वचन दिया है।

**भारत-कोलम्बिया संयुक्त उद्यम**

5488. **श्री राम बदन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बिया के साथ कोई संयुक्त उद्यम शुरू करने का सरकार का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :** (क) सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

**इलैक्ट्रोनिक एककों की स्थापना**

5489. **श्री रतिलाल वर्मा :**

**श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**

**श्री महेश कनोडिया :**

**श्री बलराज पासी :**

**प्रो० रीता वर्मा :**

**श्री वत्तात्रेय बंडारू :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार किन-किन स्थानों में इलैक्ट्रोनिक एकक स्थापित किये जा रहे हैं और इन उद्योगों में किन-किन मदों का उत्पादन होगा ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में दिये जा रहे अनुदानों/सहायता का ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम** : (क) और (ख) राज्य में विशिष्ट औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिये संबंधित राज्य सरकारें अथवा अभिकरण जैसे कि राज्य स्तरीय इलैक्ट्रोनिकी विकास निगम (एस. ई. डी. सी., सुविधाएं तथा संवर्धनात्मक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। किन्तु, इकाइयों की स्थापना करना एक व्यायसायिक निर्णय है और ऐसे निर्णय उद्यमकर्त्ता द्वारा लिए जाते हैं। पहले ही स्थापित इकाइयों में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उनमें उपभोक्ता इलैक्ट्रोनिकी वस्तुएं ; नियंत्रण यंत्रीकरण तथा औद्योगिक इलैक्टोनिकी, कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, संचार तथा प्रसारण उपस्कर, इलैक्ट्रोनिक संघटक पुर्जे आदि शामिल हैं।

इलैक्ट्रोनिकी विभाग देश भर में इलैक्ट्रोनिकी के सभी संबंध क्षेत्रों में इलैक्ट्रोनिक उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देता है और आवश्यक मार्गदर्शन तथा अनुमोदन आदि प्रदान करता है। किंतु इलैक्ट्रोनिकी विभाग इलैक्ट्रोनिक इकाइयां स्थापित करने के लिये कोई अनुदान नहीं प्रदान करता है।

[हिन्दी]

**कोयला क्षेत्र में विदेशियों को दिये गए ठेके**

5490. **श्री रामलखन सिंह यादव** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला क्षेत्र में विदेशियों को कितने ठेके दिए गए हैं ;

(ख) इस बीच कितने ठेकों को पूरा किया जा चुका है और कितने ठेकों में अभी कार्य चल रहा है ;

(ग) क्या सरकार ने इन ठेकों के कार्यकरण की समीक्षा की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार इन ठेकों को विदेशियों के स्थान पर स्थानीय लोगों को देने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

**कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड)** : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 1990- 91 और वर्ष 1991-92 में कोयला क्षेत्र में विदेशी फर्मों को दिए गए ठेकों की संख्या 23 है ।

(ख) उपर्युक्त 23 ठेकों में से 8 ठेकों को अभी तक निष्पादित कर दिया गया है और शेष 15 ठेके चालू स्थिति में हैं ।

(ग) और (घ) इन ठेकों के कार्य की प्रगति पर सरकारी स्तर पर और कंपनी स्तर पर समय पर गहन समीक्षा की जाती है । इन ठेकों के कार्य की प्रगति सामान्यतः संतोषजनक पाई गई है ।

(ङ) नई प्रौद्योगिकी को शुरू किए जाने और उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा तथा कोयले की उच्च दर पर निकासी किए जाने के लिए अन्य देशों से, जिनके पास ऐसी विशेषज्ञता विद्यमान है, चयनकृत द्विपक्षीय सहयोग मांगा जा रहा है । विदेशी फर्मों को ठेके सरकार द्वारा इस बात की पुष्टि किए जाने के बाद ही दिए जाते हैं कि प्रस्तावित आयात किए जाने वाले उपकरण तथा प्रौद्योगिकी देश में उपलब्ध नहीं हैं और यह कि सहयोगकर्त्ता देश द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कीं जा रही है ।

## गुजरात में चल रही परियोजनायें

5491. **श्री काशीराम राणा** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात की उन केन्द्रीय परियोजनाओं के कार्यकरण की जाँच कराने का विचार है जिन्हें समयानुसार पूरा नहीं किया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री सुखराम )** : (क) समय तथा लागत वृद्धि के कारण अथवा इनसे होने वाली कठिनाइयों, समस्याओं आदि का पता लगाने के दृष्टिकोण से प्रत्येक 20 करोड़ रु० तथा उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की चल रही परियोजनाओं की प्रगति का प्रबोधन सतत् आधार पर किया जाता है ।

(ख) 31 मार्च, 1992 को , कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली के अनुसार गुजरात में 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली, राज्य से गुजरने वाली विद्युत संचरण लाइन तेल/गैस पाइप लाइन, रेलवे लाइन जैसी अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं को छोड़कर संलग्न विवरण में दी गई सूची के अनुसार 13 केन्द्रीय परियोजनाएं विलम्बित थीं । इन में से एक परियोजना अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस वे की सचिवों की समिति द्वारा शीघ्र ही समीक्षा किये जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर प्रबोधन किया जा रहा है । कार्यक्रम कार्यान्वयन

विभाग द्वारा जारी की जाने वाली मासिक/त्रैमासिक रिपोर्टों में संबंधित अभिकरणों द्वारा आवश्यक उचित कार्रवाई हेतु समस्या ग्रस्त क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जाता है ।

**विवरण**

31 मार्च, 1992 को कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली पर गुजरात में प्रत्येक 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली विलम्बित केन्द्रीय परियोजनाओं की सूची :—

| क्र. सं. | परियोजना | |
|---|---|---|
| 1. | काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना | (एन.पी.सी.) |
| 2. | स्पेन्डेक्स यार्न परियोजना, भड़ौच | (पी.सी.एल.) |
| 3. | पोलिएस्टर विस्तार परियोजना; भड़ौच | (पी.सी.एल.) |
| 4. | अतिरिक्त यौण परिष्करण सुविधा, बड़ौदा | (आई ओ.सी.) |
| 5. | गैस स्वीटनिंग संयंत्र-2 हजीरा | (ओ.एन.जी.सी.) |
| 6. | कवास गैस विद्युत परियोजना | (एन.टी.पी.सी.) |
| 7. | काकरापार संचरण लाइन | (एन.टी.पी.सी.) |
| 8. | कांडला पत्तन-7 वीं, सामान्य कार्गो बर्थ का निर्माण | |
| 9. | अहमदाबाद—बड़ोदरा एक्सप्रेस वे । | |
| 10. | वासना-2 एक्सचेंज-भवन का विस्तार तथा अहमदाबाद में 10-के लाईन (ई-10 बी एक्सचेंज) की स्थापना | |
| 11. | वस्त्र बाजार, सूरत में 10-के एक्सचेंज की स्थापना | |
| 12. | महिधारपुर-सूरत में 10-के एक्सचेंज की स्थापना | |
| 13. | गान्धार फील्ड डंवलपमेंट फेस-1 | (ओ.एन.जी.सी.) |

नोट—इस सूची में राज्य से गुजरने वाली संरचण लाइन, तेल/गैस पाइप लाइन/रेलवे लाइन आदि जैसी अन्तर्राज्यीय परियोजनाएं शामिल नहीं हैं ।

**अमरीका के सहयोग से रिसर्च रिएक्टर सेन्टर**

5492. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका के सहयोग से देश में कितने रिसर्च रिएक्टर सेन्टर स्थापित किये गये हैं;

(ख) इनकी अधिष्ठापित करने पर कितना धन व्यय किया गया है और दोनों देशों के बीच किये गये समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या अमरीका ने भविष्य में कोई ऐसा रिएक्टर स्थापित करने में अपनी असमर्थता जताई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) और (ख) भारत ने नाभिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी क्षमता भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और कलपाक्कम स्थित अनुसंधान रिएक्टर केन्द्रों में अनुसंधान कार्यों द्वारा अपने ही बल पर स्थापित की है। तथापि, शुरू के वर्षों में अमरीका सहित कई देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सहकार करार किए गए। ये मुख्य रूप से मानवशक्ति को प्रशिक्षित कराने के क्षेत्र में किए गये थे।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस मामले में हमने किसी सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया है।

**[अनुवाद]**

**राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को सहकारी उपक्रम में बदलना**

5493. **श्री प्रतापराव बी. भोंसले** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को एक सहकारी उपक्रम में बदलने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**क्रोम अयस्क और लौह अयस्क खानों के मजदूरों के लिए कल्याण योजनायें**

5494. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्रोम अयस्क और लौह अयस्क खानों के मजदूरों के कल्याण के लिए कुछ नई योजनाएँ लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं से राज्य-वार क्रोम अयस्क और लौह अयस्क के लगभग कितने मजदूरों के लाभान्वित होने की संभावना है ?

**श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री ( श्री पवन सिंह घाटोवार )** : (क) क्रोम अयस्क तथा लौह अयस्क खान कर्मकारों के कल्याण के लिए नयी योजनाएं आरम्भ करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बनाई गई योजना हेतु आवंटन**

5495. **डा० जयंत रंगपी** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी अनुसूची के क्षेत्रों के लिए किया गया प्रति-व्यक्ति योजना आवंटन, सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के समान है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और असम के पर्वतीय क्षेत्रों तथा उनकी जनसंख्या सहित योजना के आबंटन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**[हिन्दी]**

**बीड़ी श्रमिकों सम्बन्धी सर्वेक्षण**

5496. **श्री आनन्द अहिरवार :**

**श्री विजयकुमार यादव :**

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश बीड़ी श्रमिक क्षय रोग से प्रभावित हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पवनसिंह घाटोवार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । बीड़ी कर्मकारों में टी०बी० मामलों की घटना का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई अखिल भारतीय सर्वेक्षण नहीं करवाया है और ऐसा सर्वेक्षण करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**[अनुवाद]**

**मास्को में भारतीय छात्र**

5497. **डा. सुधीर राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय छात्र मास्को में फंस गये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारतीय दूतावास ने इस मामले को रूस के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उन छात्रों को वापस लाने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आर.एल. भाटिया)** : (क) और (ख) मास्को स्थित भारत के राजदूतावास में उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय भर्ती अभिकरण द्वारा बकाया भुगतान न किये जाने के कारण कुछ भारतीय विद्यार्थियों को उनकी संस्थाओं ने कहा कि वे वहां से चले जाएं ।

उनमें से 99 नाल्चिक मेडिकल इंस्टीच्यूट एवं 19 पावर इंस्टीच्यूट मास्को के थे। इसके अतिरिक्त पावर इंस्टीच्यूट के 7 विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने के कारण शिक्षा जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई है।

अनौपचारिक रूप से यह समझा जाता है कि नाल्चिक के लगभग 70 भूतपूर्व विद्यार्थी भारत के लिए रवाना हो चुके हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत का दूतावासबास रूस के शिक्षा मंत्रालय से सम्पर्क रख रहा है। जिसने हर मुमकिन मदद देने का वायदा किया है परन्तु उसने यह कहा है कि इस मामले का उस स्थिति में ही कोई हल निकल सकता है जब सम्बन्धित भारतीय पक्ष संस्थानों को उन रकमों का भुगतान कर देंगे जिनका उन्होंने वचन दिया था।

(ङ) और (च) जो वापिस आने के इच्छुक हैं, उनका प्रत्यावर्तन मौजूदा नियमों के अनुसार एवं मानवीय आधार पर किया जा सकता है। तथापि, इनमें से किसी भी विद्यार्थी ने प्रत्यावर्तन के लिए अभी तक भारत के राजदूतावास से सम्पर्क नहीं किया है।

**[हिन्दी]**

**जापानी कम्पनियों द्वारा निवेश**

5498. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान की उन तीन बड़ी औद्योगिक कम्पनियों के क्या नाम हैं जो भारत में अपना निवेश बढ़ाने की इच्छुक हैं ;

(ख) ये कम्पनियां किस क्षेत्र में अपना निवेश बढ़ाने की इच्छुक हैं,

(ग) क्या ये कम्पनियां किसी खास क्षेत्र को वरीयता देती हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्यमन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) और (ख) बहुत सी जापानी कम्पनियों/निवेशकर्त्ताओं ने भारत में पूंजी निवेश करने में काफी रुचि दिखाई है। ताजा जानकारी के अनुसार भारत में अपना निवेश बढ़ाने में जिन तीन बड़ी जापानी औद्योगिक कम्पनियो ने रुचि दिखायी है उनके नाम इस प्रकार हैं—

| | संबंधित क्षेत्र |
|---|---|
| (1) मैसर्स सुजुकी मोटर कं. | आटोमोबील |
| (2) मैसर्स फुजित्सू लि. | दूरसंचार व कम्प्यूटर उपकरण |
| (3) मैसर्स आसाही ग्लास लि. | काँच और सिरैमिक्स |

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**[अनुवाद]**

**ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की उपभोग क्षमता**

5499. **श्री हरराधन राय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लि० और कोल विभाग अकुशलता वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की उपभोग क्षमता की बारीकी से समीक्षा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खामियों को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड)** : (क) से (घ) कोल इन्डिया लि. तथा कोयला मंत्रालय ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की खान क्षमता उपयोगिता के संबंध में समीक्षा की । केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. द्वारा मूल्यांकित खान क्षमता की तुलना में क्षमता उपयोगिता भूमिगत खानों के मामले में वर्ष 1990-91 में 73.13% तथा वर्ष 1991-92 में 86.02% रही और ओपेनकास्ट खानों की क्षमता उपयोगिता वर्ष 1990-91 में 55.32% और वर्ष 1991-92 में 76.55% रही । भूमिगत खानों की क्षमता उपयोगिता को बेहतर बनाने के लिए बड़े भूमिगत उपकरणों जैसे लांगवाल पावर स्पोर्ट फेस, रोड हैडर्स, साइड डिस्चार्ज लोडर्स तथा लोड हॉल डम्पर्स के कार्य निष्पादन में सुधार किए जाने के लिए कार्रवाई की गई है । रेत भराई मुहानों के लिए रेत की आपूर्ति में वृद्धि करने और खानों के सेवा से संबंधित अन्य क्रियाकलापों में सुधार करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं ।

ओपेनकास्ट खानों के मामले में वर्कशाप सुविधाओं को सुदृढ़िकृत करना- "हैम" मशीनों का पुनर्वास करना और विभिन्न सप्लायरों द्वारा दी जा रही सेवा संबंधी सुविधाओं में सुधार करने की कार्रवाई शुरू की गई है । पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की अपर्याप्त तथा अवरोधक आपूर्ति खान क्षमता की उपयोगिता में सुधार लाए जाने के मामले में एक बड़ी अड़चन है । ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में कोयले पर आधारित एक 20 मेगावाट के ग्रहित विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है । कोयला मंत्रालय द्वारा स्थिति पर निकटतम निगरानी रखी जा रही है और वह इस मामले को नियमित आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ उठा रही है ।

**अवांछनीय व्यक्तियों की घोषणा**

5500. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के क्या नाम हैं जिनसे पिछले छः महीनों के दौरान भारत स्थित उनके मिशनों से उनके राजनयिकों/कर्मचारियों को वापस बुलाने के लिए कहा गया है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया)** : पाकिस्तान और सेनेगल ।

**आदर्श संविदा फॉर्म**

5501. **श्री विजय कुमार यादव :**

**श्रीमती गीता मुखर्जी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदर्श संविदा फार्ममाध्यम से भारत में विदेशी दूतावासों के भारतीय कर्मचारियों के लिए कोई सेवा शर्तें निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत स्थित सभी दूतावासों ने इस आदर्श संविदा फॉर्म को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) विदेशी दूतावासों में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया)** : (क) जी, हां ।

(ख) 1975 में भारत में स्थित सभी विदेश राजनयिक मिशनों को आदर्श संविदा की एक-एक प्रति दी गई थी जिसमें नियोजन की उन शर्तों का उल्लेख है जिन्हें राजनयिक मिशन अपने भारतीय कर्मचारियों के संदर्भ में लागू कर सकते हैं । ताकि यह सुनिश्चिय किया जा सके कि दोनों पक्षों को अपने-अपने अधिकारों और दायित्वों की जानकारी मिल जाए । इस आदर्श संविदा में न्यूनतम शर्तों का उल्लेख था जिनकी पेशकश भारतीय कर्मचारियों को की जानी चाहिए । इसमें यह भी उल्लेख था कि मिशन, यदि वे चाहें तो, इस करार में संशोधन करके अपेक्षाकृत अधिक लाभ दे सकते हैं । 1988 में आदर्श संविदा में कुछ परिवर्तन किए गए थे जिनका आशय स्थानीय कर्मचारियों के लाभ के लिए कुछ अनुकूल शर्तें सुझाना था ।

(ग और (घ) चूंकि आदर्श संविदा में उल्लिखित शर्तें सूचनात्मक के स्वरूप की है इसलिए राजनयिक मिशन इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वे मंत्रालय को यह बताएं कि उन्होंने आदर्श संविदा को स्वीकार कर लिया है अथवा नहीं तथापि यदि कोई मामला जिसमें मिशनों ने आदर्श संविदा के अनुसार अपने कर्मचारियों को देय रकमों का भुगतान नहीं किया हो, इस मंत्रालय के ध्यान में लाया जाता है तो संबंधित मिशन को अनुरोध किया जाता है कि वे उस संविधा के आधार पर उन्हें भुगतान करें ।

**[हिन्दी]**

**मारुति वाहनों के मूल्य**

5502. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मारुति वाहनों के मूल्यों में कमी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप मारुति वाहनों की बिक्री में वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इनकी बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है ?

**उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) से (ख) मारुति वाहनों के मूल्यों में, जिप्सी को छोड़कर, 20·6·92 से निम्न प्रकार से कटौती की गई हैं :

| माडल | कारखाने से निकलते समय का पुराना मूल्य घटा डीलर की कमीशन (रुपये) | कारखाने से निकलते समय का नया मूल्य घटा डीलर की कमीशन (रुपये) |
|---|---|---|
| मारुति-800 | 1,54,146·00 | 1,48,593·00 |
| मारुति-800 वातानुकूलित | 1,82,704·00 | 1,76,191·00 |
| ओमनी फ्लैट रूफ | 1,42,172·00 | 1,35,861·00 |
| मारुति-1000 स्टैण्डर्ड | 3,14,905·00 | 3,05,689·00 |
| मारुति-1000 वातानुकूलित | 3,46,468·00 | 3,35,161·00 |

(ग) और (घ) जिन वाहनों के लिए, कीमत में कमी किए जाने से छः सप्ताह पूर्व तथा बाद में, साप्ताहिक भुगतान की वसूली प्राप्त की गई थी, उनकी औसत संख्या नीचे दर्शाई गई है :—

| माडल | कीमत में कमी से पहले | कीमत मे कमी के बाद |
|---|---|---|
| मारुति-800 | 1025 | 1025 |
| ओमनी | 419 | 622 |
| मारुति-1000 | 148 | 131 |

**उत्तर प्रदेश में रानीबाग के एच.एम.टी. एककों में घाटा**

5503. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या रानीबाग (उत्तर प्रदेश) की एच.एम.टी. के कारखाने में निरन्तर घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना घाटा हुआ ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कारखाने को रुग्ण एककों की श्रेणी में शामिल करने का है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस कारखाने को बन्द करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस कारखाने के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए किन-किन योजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है ?

**उद्योग मन्त्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्यमन्त्री (श्री पी.के. थुंगन)** (क) जी हां ।

(ख) घड़ी कारखाना-5 रानीबाग को गत तीन वर्षों के दौरान हुआ घाटा नीचे दर्शाया गया है :—

| वर्ष | लाख रुपयों में (—) हानि |
|---|---|
| 1988-89 | (—) 224 |
| 1989-90 | (—) 310 |
| 1990-91 | (—) 642 |

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) घड़ियों की अधिष्ठापित क्षमता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बाद में इसमें थोड़ा-बहुत निवेश करके इसे बढ़ाया जा सके ।

[अनुवाद]

**इलेक्ट्रानिक अवयव उद्योग संघ के प्रस्ताव**

5504. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक अवयव उद्योग संघ ने सरकार के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) से (ग) इलैक्ट्रॉनिकी संघटक-पुर्जा उद्योग संघ ने वित्त मन्त्री को संबोधित अपने दिनांक 31 जुलाई, 1992 के अभ्यावेदन में इलैक्ट्रानिक संघटक पुर्जों को सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 60/88, 349/86 तथा 97/89 से बाहर निकालने का अनुरोध किया है । यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

**"इसरो" द्वारा अन्तरिक्ष प्रयोग**

5505. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इसरो ने कितने अन्तरिक्ष प्रयोग किए हैं ;

(ख) इनमें से कितने प्रयोग सफल हुए ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपग्रह प्रमोचन की दृष्टि से तीन प्रमुख अन्तरिक्ष परीक्षण किए गए हैं । निम्नलिखित सभी तीनों परीक्षण सफल रहे हैं ।

—भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-1 वो (आई.आर.एस. 1बी) का अगस्त 29, 1991 को प्रमोचन और इसके तत्काल बाद इसकी कक्षीय युक्तिचालन और प्रचालनात्मक प्रयोग । यह उपग्रह कृषि, वानिकी, खनिज संसाधन महासागर संसाधन, भूमि उपयोग, पर्यावरण, जल संसाधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण और प्रबंध के लिए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वाङ्गीण दीर्घकालीन विकास के लिए महत्वपूर्ण निवेश मुहैया करा रहा है ।

—मई 20, 1992 को संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए. एस. एल. बी.) का प्रमोचन, जिसने विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला-सी (श्रोस-सी) उपग्रह को निम्न भू-कक्षा में प्रक्षेपित किया । ए. एस. एल. वी. के प्रमोचन ने अनेक महत्वपूर्ण प्रमोचक राकेट प्रणालियों को सिद्ध कर दिया है, तथा श्रोस-सी उपग्रह, जिसमें दो नीतभार, एक मंदक विभव विश्लेषक और एक गॉमा-किरण स्फोट परीक्षण समाहित थे, ने मूल्यवान वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध कराए हैं ।

—जुलाई 10, 1992 को भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-2ए) के प्रमोचन में, इसके कक्षीय उत्थापन, विविध प्रणालियों के प्रस्तरण सहित कक्ष में युक्तिचालन और नीतभार जांच संबंधी कार्य सम्मिलित थे। इन्सैट-2ए संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञानीय पर्यवेक्षण, आपदा चेतावनी तथा संकट सतर्कता सेवाएं प्रदान करेगा।

(ग) अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के लिए आठवीं योजनावधि में कुल 1804 करोड़ रु० की धनराशि अन्तरिम रूप में नियत की गई है।

[हिन्दी]

**परियोजनाओं की समीक्षा**

5506. **श्री छेदी पासवान** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में चल रही केन्द्रीय योजनाओं तथा परियोजनाओं की केन्द्र सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जिन केन्द्रीय योजनाओं तथा परियोजनाओं के काम की समीक्षा की गई है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) जी, हाँ।

(ख) राज्यों में संचालित केन्द्रीय योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श के दौरान की जाती है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, 20 करोड़ रु० और इस से अधिक लागत की केन्द्रीय परियोजनाओं की प्रगति का सतत आधार पर प्रबोधन भी करता है।

(ग) उन केन्द्रीय परियोजनाओं और योजनाओं के ब्यौरे जिनके कार्य की समीक्षा वार्षिकी परियोजनाओं के दौरान की जाती है, संबंधित वार्षिक प्लान दस्तावेजों (अर्थात वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 से संबंधित) में निहित हैं। इसी प्रकार केन्द्रीय परियोजनाओं के ब्यौरे जिनके कार्यान्वयन का प्रबोधन कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा किया जाता है, विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। इन दस्तावेजों को पहले ही संसद में रख दिया गया है।

(घ) वार्षिक योजनाएं तैयार करते समय, ऐसी समीक्षाओं के परिणामों तथा योजनाओं और परियोजनाओं के लिये निर्धारित वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों के संबंध में वर्ष के दौरान प्राप्त किये जाने वाले मूल्यांकन को ध्यान में रखा जाता है।

[अनुवाद]

**लघु उद्योगों के स्थायी पंजीकरण**

5507. **श्री लाल बहादुर रावल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग आयुक्त, कार्यालय, दिल्ली उन उद्योगों को स्थायी लघु उद्योग पंजीकरण की अनुमति प्रदान नहीं करता जो अनधिकृत क्षेत्रों में चल रहे हैं, जब कि दिल्ली नगर निगम ने उन्हें तदर्थ औद्योगिक म्यूनिसिपल लाइसेंस दे दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उद्योग आयुक्त दिल्ली द्वारा इन नगर निगम लाइसेंसों के आधार पर कब तक लघु उद्योग के स्थायी पंजीकरण की अनुमति प्रदान कर दी जायेगी ?

**उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन)** : (क) दिल्ली प्रशासन की नीति के अनुसार उद्योग आयुक्त अनधिकृत क्षेत्रों में स्थिति एककों को स्थाई लघु उद्योग पंजीकरण की अनुमति दे रहे हैं बशर्ते उनके पास 1982 की नीति जिसे 1985 तक बढ़ा दिया गया था, के अन्तर्गत तदर्थ औद्योगिक म्यूनिसिपल लाइसेंस हों और वे लघु उद्योग पंजीकरण हेतु अन्य मानदंड पूरा करते हों।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**हल्के वाणिज्यिक विमानों का निर्माण**

5508. **श्री चन्दूलाल धन्द्राकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्के वाणिज्यिक विमानों का निर्माण करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी कम्पनी को लाइसेंस जारी किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है, और

(घ) इन विमानों का उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

**उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**[हिन्दी]**

**बिहार में परियोजनाएं**

5509. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सिंचाई, विद्युत और परिवहन परियोजनाओं से संबंधित उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, जो गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी गयी हैं ;

(ख) उनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गयी है; और

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) इन क्षेत्रकों में परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा

सीधे ही संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रस्तुत की जाती है। परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक उपादेयता की जांच करने तथा उनको स्वीकार्य पाये जाने के उपरांत ही परियोजनाओं की सिफारिश निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को की जाती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निम्न चार सिंचाई परियोजनाओं के लिए निवेश अनुमोदित किया गया है :

(1) पंचखेरो
(2) कंसजोर
(3) भैरवा
(4) केशो जलाशय योजना

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि योजना आयोग में निवेश स्वीकृति के लिए कोई परियोजना लंबित नहीं है।

**कोयले की सप्लाई पर राज सहायता**

5510. **श्री छेदी पासवान :**

**श्री राम टहल चौधरी :**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत सप्लाई किए जाने वाले कोयले पर राज सहायता समाप्त कर दी गई है; और

(ख) यदि हां; तो इसके क्या कारण हैं ?

**कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस.बी. न्यामगौड़)** : (क) और (ख) माननीय सदस्य शायद कोयला कम्पनियों द्वारा राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों को उत्पादन लागत से कम कीमत पर साफ्ट कोक की आपूर्ति के सन्दर्भ में उल्लेख कर रहे हैं। कोयला कम्पनियां राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर, जोकि साफ्ट कोक की उत्पादन लागत से कम हैं, सीमित मात्रा में कोयले की आपूर्ति कर रही हैं।

[अनुवाद]

**निरीक्षण राज की समाप्ति**

5511. **श्री डी०वेंकटेश्वर राव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निरीक्षण राज की प्रथा समाप्त करने का है तथा सरकार ने निदेश दिया है कि 25 से कम श्रमिक वाले कारखानों का निरीक्षण नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि 18 जून 1992 के "इकानॉमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए राज्यों के मन्त्रियों का कोई सम्मेलन बुलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो यह सम्मेलन कब तक बुलाए जाने की संभावना है ?

**श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवनसिंह घाटोवार)** : (क) और (ख) सरकार 25 से कम कर्मकार नियोजित करने वाले कारखानों को कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निरीक्षण से छूट प्रदान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**भारत तथा यूनान के मध्य सरकारी स्तर पर बातचीत**

5512. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**

**श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनान के साथ नयी दिल्ली में हाल ही में सरकारी स्तर पर कोई बातचीत की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत में किन-किन द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की गयी और उनका क्या निष्कर्ष निकला है;

(ग) क्या यूनान आतंकवाद से निबटने के लिए भारत की सहायता करने पर सहमत हो गया था, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री आर. एल. भाटिया )** : (क) जी हां । भारत और ग्रीस के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता 8-10 जून, 1992 के बीच हुई थी ।

(ख) इस मौके पर आर्थिक, वाणिज्यिक, कोंसली और सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों पर विचार-विमर्श हुआ था । जिन बहुपक्षीय विषयों पर विचार-विमर्श हुआ उनमें यूरोप में एकीकरण तथा बल्कान की स्थिति भी शामिल है । इस बातचीत के परिणामस्वरुप एक दूसरे के हित चिन्ता की बातों को ज्यादा अच्छी तरह समझने में मदद मिली और उम्मीद है कि इसके परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच सहयोग बढ़ेगा ।

(ग) और (घ) कोंसली मामलों में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावनाओं का पता लगाने पर सहमति हुई है जिसमें आतंकवाद का सामना करने का तत्व भी शामिल होगा ।

**रुग्ण उर्वरक एकक**

5513. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

**कुमारी पुष्पादेवी सिंह :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक की स्थिति के अनुसार रुग्ण उर्वरक एककों का ब्यौरा क्या है और उन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितना-कितना घाटा हुआ,

(ख) क्या सरकार का विचार इन एककों को पुनरुद्धार करने का है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन)** : (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि. (एफ. सी. आई.), हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) तथा प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि. (पी. डी. आई. एल.) सार्वजनिक क्षेत्र के तीन रुग्ण उर्वरक उपक्रम हैं। गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक उपक्रम द्वारा वर्ष-वार उठाई गयी हानियां निम्न प्रकार है :—

(रु. करोड़ों में)

| | एफ. सी. आई. | एच. एफ. सी. | पी. डी. आई. एल. |
|---|---|---|---|
| 1989-90 | 163.90 | 169.79 | 19.08 |
| 1990-91 | 167.89 | 231.45 | 17.86 |
| 1991-92 (अनंतिम) | 179.77 | 240.31 | 20.30 |

(ख) से (घ) एच. एफ. सी. और एफ. सी. आई. ने विभिन्न एककों के पुनर्वास के संबंध में प्रस्ताव दिए हैं। चूंकि इन सभी प्रस्तावों में सरकार से भारी बजटीय समर्थन अन्तर्ग्रस्त है, इसलिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एच. एफ. सी. और एफ. सी. आई. को कुछ राहत देने के लिए, बजटीय बाधाओं के बावद उनके राजसहायता बिलों को नियमित रूप से चुकता किया जा रहा है। इन कम्पनियों को कुछ गैर-योजना समर्थन भी प्रदान किया गया है। तीनों कम्पनियों ने अपने मामले औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण (बी. आई. एफ. आर.) को भी निर्दिष्ट किए हैं जैसे कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है।

**भूमि अभिलेख हेतु पंजाब को केन्द्रीय सहायता**

5514. **श्री कमल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान पंजाब को भूमि अभिलेख के उन्नयन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय के (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी)**: राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पंजाब सरकार को 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्रमश: 162.50 लाख रु. और 165.87 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक कोई केन्द्रीय सहायता स्वीकृत नहीं की गई है।

**तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा तकनीकी विकास सलाहकार दल का गठन**

5515. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तकनीकी विकास महानिदेशालय (मैनेजमेन्ट सपोर्ट सेक्शन) के माध्यम से सामरी संचालन उपकरण के क्षेत्र से सम्बन्धित तकनीकी विकास सलाहकार दल का गठन किया है.

(ख) क्या कुछ प्रमुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सामग्री संचालन प्रणाली का नियमित व्यापार कर रहे हैं,

(ग) क्या उक्त निकाय के गठन में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की अपेक्षा निजी क्षेत्र के उपक्रम को वरीयता दी गई है, और

(घ) सलाहकार दल के चेयरमैन के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहो) :** (क) जी, नहीं। हालांकि 16-9-91 को औद्योगिक मशीनरी में प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों संबंधी एक प्रौद्योगिकी विकास सलाहकार दल का गठन किया गया है जो इस क्षेत्र में किये जाने वाले प्रौद्योगिकी (ग्रस्ट) पर सलाह देगा। सामग्री संचालन प्रणाली सहित औद्योगिक मशीनरी के क्षेत्रों में तीन उप-दल भी गठित किये गये हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। औद्योगिक मशीनरी के प्रमुख दल से विचार-विमर्श करने के बाद उप-दल के अध्यक्ष को मनोनीत किया गया है जिसमें सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। बाद में उप-दल के अध्यक्ष ने उप-दल के सदस्यों को मनोनीत किया है।

(घ) उप-दल के अध्यक्ष के नामांकन हेतु अपनाए गये मानदण्डों में सामग्री संचालन प्रणाली में अनुभव एवं विशेषज्ञता तथा उप-दल की अध्यक्षता करने की उपलब्धता भी है।

**तमिलनाडु में कम्प्यूटर केन्द्र**

5516. **डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में और अधिक कम्प्यूटर केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र कहां-कहां खोले जायेंगे ;

(ग) इन पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है; और

(घ) तमिलनाडु में पहले से ही स्थापित किए गए कम्प्यूटर केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) जी, हां।

(ख) नव सृजित जिले—नागापट्टिनम क्वायद-ए-मिलेत में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन. आई. सी.) जिला सूचना केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) उपरोक्त केन्द्र स्थापित करने के लिए पूंजीगत आधारभूत संरचना पर 9.00 लाख रु. का व्यय अनुमानित किया गया है।

(घ) केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को कम्प्यूटर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य के अनुरूप एन. आई. सी. ने तमिलनाडु में निम्नलिखित कम्प्यूटर केन्द्र पहले ही स्थापित कर दिए है :

| स्थान | संस्थापित कम्प्यूटर |
|---|---|
| एन. आई. सी.—तमिलनाडु राज्य केन्द्र भूतल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सैंट फोर्ट जॉर्ज, मद्रास 600 009 | एन. डी.—550 कम्प्यूटर |
| तमिलनाडु के 21 जिला मुख्यालयों में 21 जिला सूचना विज्ञान केन्द्र | प्रत्येक जिले में 80386 आधारित सुपर ए. टी कम्प्यूटर |
| संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात मद्रास, कार्यालय। | 80486 आधारित कम्प्यूटर |

**उड़ीसा में कुएं खोदना**

5517. **श्री के० प्रधानी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में किन-किन जिलों को "दस लाख कुओं की योजना" में शामिल किया गया है;

(ख) शेष जिलों को कब तक शामिल किया जायेगा, और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन सा तंत्र स्थापित किया गया है कि सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई धनराशि का सही ढंग से उपयोग किया जाये ?

**ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री जी. वेंकटस्वामी)** (क) दस लाख कुओं की योजना, जोकि जवाहर रोजगार योजना की एक उपयोजना है, उड़ीसा के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार द्वारा रिलीज की गई जवाहर रोजगार योजना निधियों का सदुपयोग किया जा रहा है, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा योजना की निरन्तर समीक्षा की जा रही है। कार्यक्रम की समीक्षा राज्य सरकारों से प्राप्त मासिक, तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की पहल पर राज्य सरकारों ने कार्यक्रम के गुणात्मक/मात्रा संबंधी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए राज्य/जिला/खण्ड स्तर पर पर्यवेक्षण स्तर के अधिकारियों के लिए एक जांच अनुसूची बनाई है। भारत सरकार कार्यान्वयन की क्वालिटी में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करती है। भारत सरकार जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के परियोजना निदेशकों के साथ जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी करती हैं ताकि जहां कहीं आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।

[हिन्दी]

**दूषित जल पीने से हुई मौतें**

5518. **श्री एल० जे० राठवा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जून, 1992 के "राष्ट्रीय सहारा" (दिल्ली संस्करण) में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में दूषित जल पीने के कारण पचास बच्चों की मौत होने के संबंध में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में दूषित पेयजल के उपयोग के कारण हुई इस प्रकार की अन्य घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(घ) विशेष रूप से पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में इस समस्या के समाधान हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

**ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल)** : (क) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में दूषित जल पीने से कोई मौत नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी राज्य सरकार से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**खादी उत्पादों की गुणवत्ता**

5519. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की लोकप्रियता घटिया किस्म और ऊंची कीमतों के कारण कम हो रही है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं,

(ग) क्या इस उद्योग से जुड़े पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े लोगों को सरकार द्वारा समुचित संरक्षण दिया जा रहा है, और

(घ) यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलो में इस उद्योग से जुड़े उद्यमियों को दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मन्त्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन)** : (क) से (घ) के.वी.आई.सी. ने देश में खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादन की बिक्री बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं। इस संबंध में किये गये उपायों में, जांच वास्तविकता का प्रमाणीकरण, एममार्किंग, आई.एस आई. विनिर्देशन तथा ब्रॉंड नामों का उपयोग, के.वी.आई. उत्पादों हेतु प्रतीकों की डिजाइन बनाना व मुहर तैयार करना तथा रेडियो, टी.वी. एवं समाचार पत्रों के जरिये विज्ञापन के प्रबन्ध जैसे गुणवत्ता नियंत्रण उपाय शुरू करके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाना शामिल है। के.वी.आई.सी. की बिक्री पिछले तीन वर्षों के दौरान बढ़ी है तथा 1990-91 के दौरान के.वी.आई.सी. ने खादी तथा ग्रामोद्योग की बिक्री 2525.14 करोड़ रुपये की है। खादी एवं ग्रामोद्योग के कार्यकलापों का विकास विभागीय रूप से

तथा लघु संस्थाओं के जरिए पहाड़ी, सीमावर्ती आदिवासी क्षेत्रों में किया जाता है जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। उन्हें राज सहायता के आधार पर उन्नत उपकरण दिये जाते हैं और के.वी.आई.सी. ने इन क्षेत्रों हेतु सहायता के उदार प्रतिमान को अपनाया है।

[अनुवाद]

**कुवैत में भारतीयों को गोली मारना**

5520. **श्री राम नाईक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कुवैत में अज्ञात बन्दूकधारियों द्वारा गोली चलाये जाने से कुछ भारतीय आहत हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ?

**विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. एल. भाटिया)** : (क) जी हां।

(ख) हाल ही में दो घटनाएं हुई हैं जिनमें कुवैत में भारतीय राष्ट्रिकों पर गोलियां चलाई गई। ये घटनाएं इस प्रकार हैं—

(i) चार भारतीय राष्ट्रिक 10 जुलाई, 1992 को अज्ञात बन्दूकधारियों द्वारा चलाई गई गोलियों से घायल हुए थे;

(ii) दो भारतीय राष्ट्रिकों को उस समय गोलियां लगीं जब वे 31 जुलाई, 1992 को अओहा कुवैती द्वीप के पास मछलियां पकड़ रहे थे।

(ग) भारतीय दूतावास के कार्मिकों ने घायल भारतीय राष्ट्रिकों को सभी सम्भव सहायता दी और अब वे खतरे से बाहर हैं। इसके अलावा कुवैत में कुवैती सरकार के साथ-साथ नई दिल्ली में उसके दूतावास के माध्यम से सरकारी तौर पर मामले को उठाया गया है।

**पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत**

5521. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश मन्त्री ने हाल ही में कोलम्बो में आयोजित दक्षेस राष्ट्रों की मन्त्रि-परिषद की बैठक के दौरान पाकिस्तान के विदेश मन्त्री से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई थी तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या बातचीत में विदेश सचिव स्तर पर होने वाली बातचीत को फिर से शुरू करने के मुद्दे को भी उठाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विदेश सचिव स्तर की बातचीत पुनः शुरू करने के प्रश्न सहित आपसी हित के विभिन्न द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय मसलों पर आम चर्चा हुई। राजनयिक माध्यमों के जरिए अब यह फैसला किया गया है कि विदेश सचिव स्तर की बातचीत का छठा दौर 16-19 अगस्त, 1992 तक नई दिल्ली में होगा।

**रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्ति**

5522. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में पंजीकृत डाक्टरों, इंजीनियरों, सामान्य स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति की तुलना में इसमें कमी आई है अथवा वृद्धि हुई है;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान कितने पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार कार्यालय अथवा अन्यथा से रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा जिनके नाम चालू रजिस्टर से हटा दिये गये; और

(घ) क्या पंजीकृत व्यक्तियों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करने की कोई प्रणाली इस समय कार्य कर रही है ?

**श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार)** : (क) और (ख) 31-12-1990 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर चिकित्सकों, इंजीनियरों, सामान्य स्नातकों एवं स्नातकोत्तरों, यह अनिवार्य नहीं है कि वे सभी बेरोजगार हों, की संख्या का राज्यवार ब्यौरा (अद्यतन उपलब्ध विवरण के रूप में संलग्न हैं।

31-12-1989 की तुलना में, 31-12-1990 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर चिकित्सकों, इंजीनियरों, सामान्य स्नातकों और स्नातकोत्तरों की संख्या में क्रमशः 3%, 19% और 12% की वृद्धि हुई।

(ग) वर्ष 1990 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा 1009 चिकित्सकों 1560 इंजीनियरों और 38,368 अन्य स्नातकों और स्नातकोत्तरों की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 1991-92 से संबंधित सूचना अभी तक संकलित नहीं हुई है।

(घ) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नौकरी चाहने वालों के कार्यकलाप स्तर संबंधी सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता है। ऐसा अन्तिम सर्वेक्षण 1988 में किया गया था।

**विवरण**

**31.12.1990 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर उम्मीदवारों की संख्या।**

| राज्य/संघ शासित प्रदेश | स्नातकोत्तरों सहित चिकित्सा स्नातक | स्नातकोत्तरों सहित इंजीनियरी स्नातक | स्नातकोत्तरों सहित अन्य स्नातक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 2800 | 11991 | 240344 |
| 2. अरुणाचल प्रदेश | — | — | 63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. असम | 201 | 1152 | 71435 |
| 4. बिहार | 1493 | 6609 | 360026 |
| 5. गोवा | 234 | 251 | 7195 |
| 6. गुजरात | 643 | 4813 | 69549 |
| 7. हरियाणा | 772 | 503 | 59998 |
| 8. हिमाचल प्रदेश | 177 | 819 | 35256 |
| 9. जम्मू और कश्मीर | 17 | 403 | 11043 |
| 10. कर्नाटक | 919 | 14961 | 117178 |
| 11. केरल | 2252 | 8361 | 150657 |
| 12. मध्य प्रदेश | 769 | 4021 | 235156 |
| 13. महाराष्ट्र | 3862 | 6618 | 228836 |
| 14. मणिपुर | 61 | 414 | 20413 |
| 15. मेघालय | 4 | 37 | 1592 |
| 16. मिजोरम | 2 | 10 | 1396 |
| 17. नागालैंड | 2 | 89 | 1169 |
| 18. उड़ीसा | 1418 | 3539 | 101597 |
| 19. पंजाब | 584 | 1298 | 101754 |
| 20. राजस्थान | 2233 | 3030 | 135046 |
| 21. सिक्किम* | | | |
| 22. तमिलनाडु | 3729 | 11168 | 328752 |
| 23. त्रिपुरा | 11 | 179 | 7276 |
| 24. उत्तर प्रदेश | 1538 | 4548 | 477356 |
| 25. पश्चिम बंगाल | 3614 | 7942 | 490143 |
| **संघ शासित प्रदेश** | | | |
| 1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 5 | 131 | 1665 |
| 2. चंडीगढ़ | 760 | 445 | 21636 |
| 3. दादर और नगर हवेली | 7 | 6 | 183 |
| 4. दिल्ली | 3176 | 1712 | 210214 |
| 5. दमन एवं दीव** | | | |
| 6. लक्षद्वीप | 7 | — | 46 |
| 7. पाण्डिचेरी | 441 | 513 | 8544 |
| सी.ई.ई. | | | |
| योग | 31731 | 95563 | 3495509 |

टिप्पणी :— *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

** आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

**नई औद्योगिक नीति**

5523. **श्री देवी बक्स सिंह :**

**श्री नरेश कुमार बालियान :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग द्वारा तैयार की गयी नई औद्योगिक नीति के दस्तावेज में शामिल किये गये कुछ प्रमुख प्रस्तावों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या दस्तावेज में शामिल किये गये विभिन्न प्रस्तावों के बारे में विभिन्न मन्त्रालयों से परामर्श लिया गया है, और

(घ) यदि हां, तो मन्त्रालयों की इस पर क्या प्रतिया है ?

**उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) में राज्य मंत्री ( श्रीमती कृष्णा साही ) :** (क) और (ख) 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गये औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में सम्मिलित सरकारी निर्णयों को पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है । औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति, 51% तक सीधे विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिक करारों से संबंधित निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक अधिसूचनाएं/प्रेस नोट पहले ही जारी कर दिये गये हैं । लाइसेंसीकरण उपबन्धों से छूट प्राप्त नयी परियोजनाओं के लिए सूचना ज्ञापन दर्ज करने की प्रणाली पिछले एक वर्ष से चालू है । उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए कुछ विशिष्ट मानदंडों के भीतर ईक्विटी भागीदारी के रूप में 51% तक विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी करारों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वत: अनुमति दी जाती है । एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 में व्यापक संशोधन किये गये हैं । रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 में संशोधन के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के 33 एककों को पहले ही औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेज दिया गया है । सरकारी क्षेत्र के 30 एककों में सरकार के 8% अंश को पहले ही बेचा जा चुका है । सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि का भी गठन किया जा चुका है ।

(ग और (घ) जी, हां । मंत्रिमंडल द्वारा सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके नयी औद्योगिक नीति का अनुमोदन किया गया था ।

**अमरीका से राकेट औद्योगिकी का हस्तांतरण**

5524. **श्री श्रवणकुमार पटेल :**

**श्रीमती बिभू कुमारी देवी :**

**श्री शरत् चंद्र पटनायक :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने और अधिक कड़े सुरक्षोपायों के अन्तर्गत भारत को राकेट प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो मांगी गयी प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है;

(ग) किस प्रकार के सुरक्षोपाय किए जाने पर विचार किया गया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**कोयला कम्पनियों से प्राप्त राजस्व**

5525. डा० लालबहादुर राव्त : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कोल इण्डिया लि. और उसकी सहायक कम्पनियों द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार को कोल इण्डिया लि. और उसकी सहायक कम्पनियों से वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कुल कितनी धनराशि के राजस्व की प्राप्ति हुई; और

(ग) कोयले और कोक पर सरकार द्वारा वसूल किए गए उपकर का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. बी. श्यामगौड) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान कोल इण्डिया लि. और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा कमाया गया लाभ/उठाई गई हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रु० में)

| कम्पनी | 1990-91 (कोयला कीमत प्रतिधारण लेखे के बाद) लाभ (+)/हानि (—) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. | (—) 42.74 |
| भारत कोकिंग कोल लि. | (—) 96.27 |
| सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. | (+) 5.26 |
| नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. | (+) 22.58 |
| वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. | (—) 95.40 |
| साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. | (—) 20.79 |
| नार्थ ईस्ट कोलफील्ड्स/ डी. सी. सी. को. इं. लि. सहित स्टाकयार्ड | (—) 27.87 |
| के. खा. आ. डि. सं. लि. | (+) 2.06 |
| को. इं. लि. समग्र रूप से | (—) 253.17 |

वर्ष 1991-92 के लेखों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) रायल्टी, उपकर, बिक्री कर आदि के संबंध में कोल इन्डिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों से वर्ष 1990-91 के दौरान कुल 1134.17 करोड़ रु. की राशि वर्ष 1991-92 के दौरान 1415 करोड़ रु. (अनंतिम) की राशि सरकारी राजस्व में वसूल की गई।

(ग) वर्ष 1990-91 और वर्ष 1991-92 के दौरान कोल और कोक पर संग्रहित की गई उपकर की राज्यवार राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(करोड़ रु. में)

| राज्य | 1990-91 | 1991-92 अनंतिम |
|---|---|---|
| पश्चिम बंगाल | 251.80 | 287.00 |
| बिहार | 427.77 | — |
| मध्य प्रदेश | 21.46 | — |
| उत्तर प्रदेश | — | — |
| महाराष्ट्र | 0.57 | — |
| उड़ीसा | 62.30 | — |
| असम | 0.32 | 0.34 |

**फोटो-वाल्ट सौर ऊर्जा कार्यक्रम**

5526. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फोटो-वाल्ट सौर ऊर्जा कार्यक्रम हेतु वर्ष 1992-93 के लिए प्रथक रूप से धन-राशि की व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय सौर प्रकाश-वोल्टीय के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, प्रदर्शन और उपयोग सम्बन्धी एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नई सौर प्रकाशवोल्टीय सामग्रियों, प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों पर अनुसंधान कार्य को मदद दी जाती है। प्रदर्शन और उपयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क रोशनी एककों, घरेलू रोशनियों, जल पंपन प्रणालियों, बैटरी चार्जरों, सामुदायिक टेलीविजन और रोशनी आदि की सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों को विशेषकर बिना बिजली वाले और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। 1-10 कि. वा. की श्रेणी में छोटे ग्राम स्तर के विद्युत संयंत्रों को भी बिना बिजली वाले गाँवों और पुरवों में लगाया जाता है। राज्य नोडल एजेंसियों और विद्युत बोर्डों के सहयोग से प्रदर्शन और उपयोग कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार ने सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के लिए वर्ष 1992-93 के बजट में 9.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जिसमें अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास के प्रति 3.75 करोड़ रुपए और प्रदर्शन गतिविधियों के लिए 4.5 करोड़ रुपये शामिल हैं।

## सौर और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु धनराशि का आवंटन

5527. श्री एन० डेनिस : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु में सौर और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि रखी गई है; और

(ग) प्रत्येक योजना पर राज्यवार अब तक खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) सौर और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम किए हैं। सम्पूर्ण देश में और तमिलनाडु राज्य में मार्च, 1992 तक अपारम्परिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों की स्थापना की स्थिति विवरण "क" में दी गई है।

(ख) देश में वर्ष 1992-93 के लिए प्रस्तावित वास्तविक लक्ष्य विवरण "ख" में दिए गए हैं। अपारम्पारिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक कार्यक्रम के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकारें उपरोक्त के अलावा कुछ कार्यक्रमों के लिए राज्य क्षेत्र के योजना नियतनों से अतिरिक्त सहायता दे सकती हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग के लिए केन्द्रीय क्षेत्र (अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय) में 857.00 करोड़ रुपये की राशि और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में 358.35 करोड़ रुपये की राशि का नियतन किया गया है।

(ग) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विस्तार कार्यक्रमों के लिए विभिन्न राज्यों को नियुक्त की गई धनराशि का ब्यौरा विवरण "ग" में दिया गया है।

### विवरण "क"

विभिन्न प्रकार की अक्षय ऊर्जा स्रोत प्रणालियों और युक्तियों की स्थापना संबंधी उपलब्धियों की स्थिति

| क्र. संख्या | कार्यक्रम | एकक | संचयी उपलब्धि (31-3-92 तक) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | राष्ट्रीय | तमिलनाडु |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | घरेलू आकार के बायोगैस संयंत्र | संख्या लाख में | 15.75 | 1.46 |
| 2. | सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र | सं० | 820 | 47 |
| 3. | उन्नत चूल्हे | सं० लाख में | 125.00 | 8.77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | घरेलू जल तापन प्रणालियां | सं० | 10,126 | 1493 |
| 5. | औद्योगिक सौर जल तापन प्रणालियां | सं० | 4,829 | 229 |
| 6. | सौर भभके | सं० | 9,651 | 1 |
| 7. | सौर काष्ठ भट्टियां | सं० | 1.71 | — |
| 8. | सौर वायु तापक | सं० | 61 | 3 |
| 9. | सौर कुकर | सं० | 2,27,483 | 1,304 |
| 10. | प्रकाश वोल्टीय सड़क रोशनी वाले गांव | सं० | 8100 | 352 |
| 11. | प्रकाश वोल्टीय जल पम्प | सं० | 1191 | 32 |
| 12. | प्रकाश वोल्टीय विद्युत एकक | के. डब्ल्यू. पी | 750 | — |
| 13. | प्रकाश वोल्टीय सामुदायिक रोशनी/टी.वी. और सामुदायिक सुविधाएं | सं० | 968 | 18 |
| 14. | प्रकाश वोल्टीय घरेलू रोशनी एकक | सं० | 9050 | 50 |
| 15. | प्रकाश वोल्टीय सालटेन | सं० | — | 108 |
| 16. | पवन पम्प | सं० | 2916 | 677 |
| 17. | पवन फार्म | मे. वा. | 40 | 22.5 |
| 18. | मिनी–माइक्रो जल विद्युत | मे.वा. | 86,53 | — |
| 19. | ऊर्जा ग्राम ऊर्जा सर्वेक्षण | संख्या | 1557 | 118 |
| 20. | ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं | सं० | 155 | 4 |
| 21. | बायोमास ऊर्जा पौधारोपण | हेक्टेअर | 17110 | — |
| 22. | बायोमास गैसीफायर/ स्टर्लिंग इंजिन | सं० | 1000 | 42 |

विवरण "ख"

वर्ष 1992-93 के दौरान कार्यक्रमवार वास्तविक लक्ष्य

| क्र. सं. | कार्यक्रम | लक्ष्य |
|---|---|---|
| क. | प्रसार/विस्तार कार्यक्रम | |
| 1. | राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (संख्या लाख में) | 1.35 |
| 2. | राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम (सं० लाख में) | 17.50 |
| 3. | सौर तापीय विस्तार कार्यक्रम (क्षेत्रफल 00 वर्ग मी०) | 300 |
| 4. | सौर कुकर कार्यक्रम | |
| | क) पारिवारिक आकार के सौर कुकर (सं० में 00) | 270 |
| | ख) सामुदायिक आकार के सौर कुकर (सं० में 00) | 8 |
| ख. | प्रदर्शन/प्रसार कार्यक्रम | |
| 5. | पवन पम्प (संख्या) | 500 |
| 6. | ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम | |
| | क) ऊर्जा ग्राम प्रायोगिक परियोजना (सं०) | 25 |
| | ख) ऊर्जा सर्वेक्षण (सं०) | 100 |
| 7. | ऊर्जा पौधारोपण (हेक्टेअर) | 200 |
| 8. | सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र (सं०) | 50 |
| 9. | बायोमास गैसीफायर/स्टर्लिंग इंजिन (कि.वा. के बराबर) | 400 |
| 10. | पवन बैटरी चार्जर (सं०) | 50 |
| 11. | पवन विद्युत (मे.वा.) | 10 |
| 12. | मिनी-माइक्रो जल विद्युत (मे.वा.) | 9 |
| 13. | बायोमास आधारित विद्युत का सह उत्पादन (मे.वा.) | 6 |
| 14. | सौर प्रकाश वोल्टीय विद्युत | |
| | क) गाँव स्तर के विद्युत संयंत्र (कि.वा.) | 100 |
| | ख) सड़क रोशनी प्रणालियाँ (सं०) | 500 |
| | ग) घरेलू रोशनी प्रणालियाँ/लालटेन (सं०) | 3000 |
| | घ) सामुदायिक/टी. वी./सामुदायिक रोशनी प्रणालियाँ | 30 |
| 15. | भूतल परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन | |
| | क) बैटरी चालित वाहन (सं.) | 50 |
| | ख) एल्कोहाल आधारित वाहन (सं०) | 200 |

विवरण "घ"

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों के सम्बन्ध में 31-3-92 तक निर्मुक्त की गई धनराशि की राज्यवार स्थिति

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी | परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र | उन्नत चूल्हे | सौर तापीय प्रणालियां | सौर कुकर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2906.14 | 528.65 | 136.68 | 0.08 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1.13 | 12.25 | 9.07 | 0.45 |
| 3. | असम | 362.22 | 94.14 | 8.29 | — |
| 4. | बिहार | 958.24 | 294.11 | 86.64 | 0 28 |
| 5. | गोआ | 39.62 | 40.25 | 13.77* | 0.97* |
| 6. | गुजरात | 3614.99 | 230.12 | 836.75 | 16.77 |
| 7. | हरियाणा | 730.12 | 328.61 | 150.95 | 2.45 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1138.01 | 312.27 | 91.46 | 13.65 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 41.88 | 125.59 | 50.42 | 1.48 |
| 10. | कर्नाटक | 2034.22 | 436.52 | 205.33 | 0.45 |
| 11. | केरल | 607.08 | 279.62 | 73.95 | 1.26 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 1124.01 | 595.92 | 451.94 | 117.95 |
| 13. | महाराष्ट्र | 12610.72 | 426.80 | 342.45 | 26.30 |
| 14. | मणिपुर | 22.90 | 24.14 | 6.23 | 0.09 |
| 15. | मेघालय | 15.26 | 15.22 | 24.08 | 0.95 |
| 16. | मिजोरम | 40.10 | 13.81 | 1.28 | 0.12 |
| 17. | नागालैंड | 0.59 | 17.70 | 0.50 | 0.09 |
| 18. | उड़ीसा | 3156.07 | 256.86 | 29.26 | 0.32 |
| 19. | पंजाब | 659.90 | 337.62 | 156.91 | 6.75 |
| 20. | राजस्थान | 1290.61 | 570.28 | 126.87 | 34.12 |
| 21. | सिक्किम | 35.54 | 10.83 | 5.36 | 0.09 |
| 22. | तमिलनाडु | 3179.85 | 480.08 | 225.78 | 0.24 |
| 23. | त्रिपुरा | 1.81 | 7.02 | 1.25 | 0.09 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 5195.05 | 913.94 | 407.37 | 17.69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | पश्चिम बंगाल | 1655.84 | 222.72 | 67.97 | 2.79 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 2.47 | 1.46 | 5.83 | 0.09 |
| 27. | चंडीगढ़ | 0.99 | 10.77 | 41.19 | 0.78 |
| 28. | दादर एवं नगर हवेली | 1.82 | 0.70 | 1.29 | 0.09 |
| 29. | दमन एवं दीव | — | 0.08 | — | — |
| 30. | दिल्ली | 8.58 | 82.96 | 279.62 | 24.09 |
| 31. | लक्षद्वीप | — | 6.32 | 0.50 | 0.09 |
| 32. | पाण्डिचेरी | 11.08 | 7.86 | 15.07 | 0.15 |
| 33. | अन्य | | | 72.25 | — |
| | | 41446.84 | 6686.22 | 3926.31 | 270.72 |

*गोवा और दमन एवं दीव दोनों ही शामिल हैं।

[हिन्दी]

**विदेशी सहयोग हेतु दिशा निर्देश**

5528. **श्री राजेश कुमार :**

**श्रीमती शीला गौतम :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र में विदेशी सहयोग से औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति देते समय अपनाए जाने वाले आधारभूत दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है।

(ख) क्या 1991 के दौरान रिलायन्स उद्योग लिमिटेड, मुम्बई के साथ विभिन्न विदेशी सहयोगों को स्वीकृति देते समय इन दिशा निर्देशों का पालन किया गया था, और

(ग) रिलायन्स उद्योग लिमिटेड के उक्त सहयोगियों का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :** (क) 24 जुलाई 1991 को औद्योगिक नीति संबंधी जो वक्तव्य संसद के दोनों सदनों में रखा गया था उसमें विदेशी सहयोग वाली औद्योगिक परियोजनाओं के अनुमोदनार्थ दिशा निर्देश निर्धारित किये गये हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1991 में मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को विदेशी तकनोलोजी सहयोग के लिए दो अनुमोदन किए गये थे जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

| भारतीय कंपनी का नाम | विदेशी सहयोगी का नाम | विनिर्माण की वस्तु | सहयोग की किस्म |
|---|---|---|---|
| मै॰ रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि॰, बम्बई | मै॰ यू. ओ. पी. प्रोसेसिज इन्टर नेशनल, अमेरिका | लाइनियर अल्काइल बेंजीन | तकनीकी |
| मै॰ रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि0, बम्बई | मै॰ जॉन ब्राउन इन्जीनियरिंग एण्ड कंसट्रक्टर्स लि॰, ब्रिटेन | शुद्धीकृत टेरेफ्टालिक एसिड | तकनीकी |

**भूतपूर्व सोवियत संघ के नए गणराज्यों में भारतीय मिशन**

5529 : **श्री जवाहरसिंह भडाना : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सोवियत संघ के किन-किन नए स्वतन्त्र गणराज्यों में भारतीय मिशन खोल दिए गए हैं तथा खोले जायेंगे, और

(ख) भूतपूर्व सोवियत संघ के किन-किन नए स्वतन्त्र गणराज्यों द्वारा भारत में अपने दूतावास खोल दिए गए हैं तथा खोले जायेंगे ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया)** : (क) उक्रेन, बेलारूस तथा कजाकिस्तान में नए भारतीय राजदूतावास खोले गए हैं। उजबेकिस्तान में ताशकन्द स्थित प्रधान कोंसलावास का दर्जा बढ़ाकर उसे भी राज्यदूतावास का दर्जा दे दिया गया है। रूस में, सेन्ट पीटर्सबर्ग तथा वलादिवोस्तोक में दो नए प्रधान कोंसलावास खोलने का प्रस्ताव भी है।

(ख) भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ का नई दिल्ली स्थित राजदूतावास अब रूसी संघ का राजदूतावास बन गया है। अभी तक भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के अन्य गणराज्यों से भारत में राजदूतावास खोलने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं हुआ है। हालांकि ऐसे संकेत हैं कि शीघ्र ही कुछ गणराज्य नई दिल्ली में राजनयिक प्रतिनिधित्व मांगेंगे।

[अनुवाद]

**राजस्थान के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर**

5530. **श्री राम नारायण डोरवा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार का, राज्य के निरन्तर सूखा पीड़ित जिलों के खेती रहित क्षेत्रों में रोजगार के स्थाई साधनों के विकास के लिए अनुरोध मंजूरी हेतु लम्बे समय से लम्बित है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय ( ग्रामीण विकास विभाग ) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल)** : (क) और (ख) 1987-88 में सूखे तथा उसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में रोजगार की हानि के संदर्भ में राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को राजस्थान में गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जुटाने के लिए परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राजस्थान सरकार ने वार्षिक योजना

तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के अपने प्रस्तावों में उल्लिखित परियोजनाओं को शामिल नहीं किया था।

[हिन्दी]

**उर्वरकों का उत्पादन और खपत**

5531. **श्री हरि केवल प्रसाद :**
**श्री बी० धनंजय कुमार :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान देश में उर्वरकों के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों, उनकी उपलब्धियों तथा उर्वरकों की वास्तविक खपत का ब्यौरा क्या है,

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान उर्वरकों के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य क्या है तथा चालू वित्त वर्ष के प्रथम छह महीनों के दौरान उसका कितनी मात्रा में उत्पादन और खपत हुआ, और

(ग) उर्वरकों की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन)** : (क) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान उर्वरकों के उत्पादन ( न्यूट्रिएन्ट्स के रूप में ) में निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां तथा इस अवधि के दौरान देश में वास्तव में खपत की गयी मात्रा नीचे दी गयी हैं :

(लाख टन)

| उत्पादन (एन+पी) | | | | खपत (एन+पी+के) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | | 1991-92 | | 1990-91 | 1991-92 |
| लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | | (अनुमानित) |
| 90.75 | 90.45 | 100.00 | 98.63 | 125.46 | 130.07 |

(ख) 1992-93 के दौरान उर्वरकों के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य न्यूट्रिएन्ट्स के रूप में 104. 50 लाख मी. टन है और अप्रैल, 1992 से जून, 1992 तक उत्पादित मात्रा 22.11 मी. टन न्यूट्रिएन्ट्स है। खरीफ 1992 (अप्रैल, 1992 से सितम्बर, 1992 तक) के दौरान खपत की जाने वाली संभावित मात्रा न्यूट्रिएन्ट्स के रूप में 66·60 लाख टन है।

(ग) उर्वरकों की मांग तथा उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए विदेशी मात्रा के बजटीय आवंटन के अन्तर्गत ही उर्वरकों के आयात की आयोजना बनाई जाती है और व्यवस्था की जाती है।

**सोनपुर बाजारी परियोजना**

5532. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सोनपुर बाजारी खुला मुहाना परियोजना निर्धारित अवधि में पूरा न होने के कारण इसकी लागत में ढाई गुना वृद्धि हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के निर्धारित अवधि में पूरा न होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और इन उपायों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

कोयला मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) से (ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की सोनपुर बाजारी परियोजना को 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लक्षित उत्पादन और 192.96 करोड़ रु. के पूंजी निवेश पर जुलाई, 1985 में सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस परियोजना में विलंब भूमि अधिग्रहण की कठिनाइयों और संबंधित निवास की समस्याओं के कारण हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार से लम्बी अवधि के पत्राचार और विचार-विमर्श के पश्चात् भूमि अधिग्रहण की समस्या को अब हल कर लिया गया है। गाँवों के पुनर्वास के कार्य को अभी पूरा किया जाना है। परियोजना के संशोधित लागत अनुमान तैयार कर लिए गए हैं जिनके अनुसार (1991 की कीमतों के आधार पर) अनुमानित लागत 453.91 करोड़ रु० होगी।

[अनुवाद]

**जाली कम्पनियों को कोयले की सप्लाई**

5533. श्री मदनलाल खुराना : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में कुछ ऐसे मामले आए हैं जिनमें जाली फर्मों और निर्यातकों को करोड़ों रुपए का कोयला आवंटित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) से (ग) कोयला कंपनियां, सम्बन्धित प्रायोजन प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई वैध प्रायोजकताओं पर वास्तविक उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति सुव्यवस्थित करती हैं। किन्तु कोल इन्डिया लि. की "उदारीकृत बिक्री योजना" के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत आने वाली विशिष्ट खानों से बिना किसी प्रायोजकता के एक बार में 1000 टन तक कोयला प्राप्त कर सकता है। जब कभी भी फर्मों आदि द्वारा वास्तविक उपभोक्ता बनकर कोयला लेने की विशिष्ट शिकायतें कम्पनी की जानकारी में लाई जाती है तो उसकी जांच करने संबंधी कार्रवाई की जाती है ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। अभी हाल ही में वास्तविक उपभोक्ता बनकर अप्राधिकृत रूप से कोयला प्राप्त करने के तरीकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय बना दिया गया है।

**केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोलफील्ड्स अधिकारियों के विरुद्ध मामले चलाना**

5534. श्री मोहन रावले : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के कितने अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं और कुप्रबन्ध के मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गत तीन वर्षों से जांच की जा रही है;

(ख) इनमें से कितने अधिकारियों के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पूरी कर ली गई है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

**कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एल.बी. श्यामगौड)** : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

**उर्वरक प्रौद्योगिकी आयातों में ढील देना**

5535. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक प्रौद्योगिकी आयातों में ढील देने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन)** : (क) और (ख) 24 जुलाई, 1991 का औद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण पत्र यह बताता है कि भारतीय कंपनियां स्वयं अपने वाणिज्यिक निर्णयों के अनुसार अपने विदेशी प्रतिपक्षियों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की शर्तों से सम्बन्धित बातचीत करने के लिए स्वतन्त्र होगी । यह उर्वरक उद्योग पर भी लागू होता है । कुछ विशिष्ट मानदण्डों के भीतर सहभागिता शर्तों की सरकार द्वारा मंजूरी अपने आप हो जायेगी और अन्यों के लिए चालू सामान्य प्रक्रियाओं के तहत विशिष्ट मंजूरियों की आवश्यकता होगी ।

**उर्वरक उद्योग को पेट्रो-आधारित मदों की सप्लाई**

5536. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उर्वरक उद्योग को पेट्रो-आधारित कौन-कौन सी मदें उनकी मात्रा सहित रियायती दरों पर प्रदान की गई, और

(ख) इन आदानों की वर्तमान सामान्य बाजार दरें क्या हैं तथा किन दरों पर उर्वरक उद्योग को इनकी सप्लाई की जाती है ?

**रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन)** : (क) और (ख) विवरण पत्र-I वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (अनुमानित) के दौरान उर्वरक उद्योग में उपयोग किए गए पेट्रो-आधारित मुख्य मदों की कुल मात्रा दर्शाता है । उर्वरक उद्योग तथा गैर उर्वरक उद्योग में उपभोग योग्य पेट्रो पर आधारित मदों के आधारभूत अधिकतम बिक्री मूल्य विवरणपत्र-II में दर्शाये गये हैं ।

**विवरण I**

**उर्वरक उद्योग में उपयोग की जाने वाली पेट्रो पर आधारित प्रमुख मदों की मात्रा**

(000 मि.टन)

| | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 (अनुमानित) |
|---|---|---|---|
| प्राकृतिक गैस (000 मानक घन मीटर) | 4774.2 | 5298.0 | 5057.4 |
| नेफथा (000 मी. टन) | 2156.0 | 2407.4 | 2245.2 |
| ईंधन तेल/ (000 मी. टन) एल.एस.एच.एस. | 2361.6 | 2082.3 | 2554.3 |

विवरण II

| क्रमांक | उत्पाद | एकक | पेट्रो पर आधारित प्रमुख मदों के आधारभूत अधिकतम बिक्री मूल्य-उर्वरक उद्योग और गैर उर्वरक उद्योग में उपयोग किया जाने वाला एक्स भण्डारण मद | |
|---|---|---|---|---|
| | | | उर्वरक उपयोग | गैर उर्वरक उपयोग |
| 1. | प्राकृतिक गैस | 1000 एम.बी. | 1550 + रायल्टी (10%) (लैंड फाल प्वाइंट) | वैसा ही जैसा उर्वरक उपयोग के लिए है। |
| 2. | नेफथा | | | |
| | (क) फीड स्टाक के रूप में | रु./मीटन | 2725.68 | 4415·13 |
| | (ख) ईंधन के रूप में | रु./मीटन | 2725.68 | 4415.13 |
| 3. | एल एस एच एस : | | | |
| | (क) फीड स्टाक के रूप में | रु./मीटन | 1854.47 | 3806.97 |
| | (ख) ईंधन के रूप में | रु./मीटन | 1854.47 | 3806.97 |
| 4. | एफ ओ : | | | |
| | (क) फीड स्टाक के रूप में | रु./कि.ली. | 1815.33 | 3865.89 |
| | (ख) ईंधन के रूप में | रु./कि.ली. | 1815.33 | 3865.89 |

टिप्पणी :—(1) प्राकृतिक गैस को छोड़कर सभी मदों के आधारभूत अधिकतम बिक्री मूल्य उत्पादन कर से मुक्त हैं। प्राकृतिक गैस पर कोई उत्पाद कर नहीं है।

(2) नेफथा, एल एस एच एस और एफओ पर कर की दर अन्तिम प्रयोग पर निर्भर करती है और इसे अनुबन्ध में दर्शाया गया है।

(3) प्राकृतिक गैस के मामले में उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए आधारभूत मूल्य 1000 रु. प्रति 1000 घन मीटर है इसके अतिरिक्त 400 रु. प्रति 1000 घन मीटर पर मामलाऽवर-मामला आधार पर कटौती भी होती है।

विवरण पत्र II का अनुबन्ध

| उत्पाद/अन्तिम प्रयोग | एकक | उपभोक्ता से प्राप्त उत्पाद शुल्क (रु. में) |
|---|---|---|
| नेफथा | | |
| —उर्वरक अमोनिया और भारी जल के निर्माण में | मी.टन | 6.34 |
| —विशेष एककों में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग के लिए | मी.टन | 864.51 |

| | | |
|---|---|---|
| —पेट्रो रसायनों, पेन्टेनो और हिफटेनों के निर्माण में उपयोग के लिए | मी.टन | 86.45 |
| —मैसर्स भिलाई स्टील संयंत्र के उपयोग के लिए | मी.टन | 1620.95 |
| —जल प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए निस्सारी शोधन के लिए | मी.टन | 37.82 |
| —सामान्य | मी.टन | 3247.48 |
| **भट्टी तेल** | | |
| —सामान्य | कि.ली. | 125.82 |
| —उर्वरक निर्माण में फीडस्टाक के रूप में | कि.ली. | — |
| —उर्वरक निर्माण में फीडस्टाक के अतिरिक्त अन्य रूप में | कि.ली. | 63.45 |
| —निर्यात के लिए लौह अयस्क गुटिकाओं के निर्माण के लिए | कि.ली. | 21.88 |
| —स्पीक टूटीकोरन में संघलेषद्य गैस के निर्माण में जिसकी भारी जल संयंत्र में आपूर्ति की जाती है। | कि.ली. | 63.45 |
| —तटीय बंकरों को आपूर्ति | कि.ली. | 5.15 |
| **एल एस एच एस** | | |
| —स्टील संयंत्रों में प्रयोग | मी.टन | 136.71 |
| —परिशोधनशाला में ईंधन के रूप में | मी.टन | — |
| —विद्युत उत्पादनार्थ ईंधन के रूप में | मी.टन | — |
| —उर्वरक निर्माण में फीडस्टाक के रूप में | मी.टन | — |
| —उर्वरक निर्माण में फीडस्टाक के अलावा अन्य प्रयोग के लिए | मी.टन | 70.00 |
| —सामान्य | मी.टन | 154.50 |

**कलपक्कम स्थित फास्ट ब्रीडर रियक्टर**

5537. **श्री आर्थर फर्नान्डीज :**

**श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी सेंटर फार एटोमिक रिसर्च (आई.जी.सी.ए.आर.) में एक 500 मेगावाट का प्रोटोटाईप फास्ट ब्रीडर रियक्टर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो क्या रियक्टर में कोई समस्या पेश आ रही है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)) : (क) कलपाक्कम में मद्रास परमाणु बिजली घर के समीप 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) इस रिएक्टर का डिजायन तैयार करने और विकास-कार्य करने के साथ-साथ इस क्षेत्र के सम्बन्ध में प्राप्त भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए रिएक्टर की एकदम सही अवस्थिति के बारे में अध्ययन का काम निरन्तर किया जा रहा है । इससे पहले कि निर्माण-कार्य शुरू किया जाए, इस रिएक्ट परियोजना के लिए अभी धनराशि दी जानी है ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में नए उद्योग

5538. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् मध्य प्रदेश में कितने नए उद्योग स्थापित किए गए, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में विदेशी सहायता सहयोग से कितने उद्योग स्थापित किए गए ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नई औद्योगिक नीति की घोषणा की तारीख से जून 1992 के अन्त तक मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए 22 आशय पत्र और 3 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए 468 औद्योगिक उद्यमियों के ज्ञापन भी फाइल किये गये हैं ।

(ख) सामान्यतया विदेशी सहयोग के अनुमोदनों में सहयोग के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली परियोजना के स्थापना स्थल का उल्लेख नहीं होता और तदनुसार राज्य विशेष से संबंधित विदेशी सहयोग के अनुमोदनों के ब्यौरे केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते ।

फूलों के व्यापार को उद्योग का दर्जा देना

5539 : श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फूलों के व्यापार को उद्योग का दर्जा देने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

**अधिकारियों के घरों की तलाशी**

5540 **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान तथा अब तक वर्षवार अखिल भारतीय सेवाओं के कितने अधिकारियों के घरों/कार्यालयों की तलाशी ली गई है,

(ख) वर्षवार कितने अधिकारियो पर मुकदमा चलाया गया है, और

(ग) गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा)** : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान आज तक जिन अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के घरों/कार्यालयों की तलाशी ली गई उनकी संख्या निम्न प्रकार है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1991 | — | 4 |
| 1992 | — | 1 |

(ख) और (ग) गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मामले दर्ज कर लिए हैं तथा कानून के अनुसार कार्रवाही की जाएगी ।

**निज़ामाबाद और वारंगल में भविष्य निधि आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय**

5541. **श्री बस्वाराव पटेल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश के निजामाबाद, आदिलाबाद, मेंडक, करीमनगर और वारंगल जिला के केवल बीड़ी मजदूरों के लिए ही भविष्य निधि आयुक्त का नया जोनल/उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवनसिंह घाटोवार)** : (क) से (ग) केवल बीड़ी कर्मकारों के लिए ही नये जोनल उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । कर्मचारी भविष्य निधि अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी श्रेणियों के कर्मकारी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ।

वारंगल में कर्मचारी, भविष्य निधि संगठन का एक उपक्षेत्रीय कार्यालय पहले से ही काम कर रहा है ।

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए मर्चेन्ट बैंकर्स**

5542. **श्री गुरुदास कामत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की मर्चेन्ट बैंकर्स नियुक्त करने के लिये कहने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन)** : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के और शेयर बेचने हेतु विभिन्न रूपात्मकताएं सुझाने के लिये एक समिति गठित की है। इस समिति की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

**श्रमिकों की छंटनी**

5543. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान औद्योगिक नीति के कारण श्रमिकों की छंटनी की आशंका है ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत श्रमिकों की छंटनी की जाएगी ; और

(ग) इन छंटनी किए गए श्रमिकों की बहाली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

**श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार)** : (क) से (ग) विद्यमान औद्योगिक नीति में कर्मकारों की छंटनी की वास्तव में कोई परिकल्पना नहीं है। नयी औद्योगिक नीति से प्रभावित होने वाले कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिए, राष्ट्रीय नवीकरण निधि का गठन किया गया है जो न केवल तकनीकी परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रभावित कर्मकारों के लिए सुधारात्मक उपाय उपलब्ध एराएगी, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण है कि उन्हें पुनः प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी जिससे कि वे आधुनिकीकरण की प्रतिक्रिया में सक्रिय उत्पादक हिस्सेदारों की स्थिति में बरकरार रह सकें।

[अनुवाद]

**खाद्य विकिरण**

5544. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य विकिरण पर नियंत्रण रखने के लिए कोई विधान बनाने पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने खाद्य विकिरण पर नियंत्रण करने के लिए कोई प्रौद्योगिकी विकसित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह प्रौद्योगिकी कब तक प्रयोक्ताओं को उपलब्ध करा दी जायेगी ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) जी, हां। खाद्य पदार्थों के किरणन पर नियंत्रण रखने के लिए बनाए गए "परमाणु ऊर्जा (खाद्य पदार्थों के किरणन पर नियंत्रण) नियम, 1990" भारत के राजपत्र के 2 मार्च 1991 के संस्करण में प्रकाशित हो चुके हैं। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय "खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955" में किए गए संशोधनों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है ताकि किरणित खाद्य पदार्थों की खपत घरेलू तौर पर की जा सके।

(ख) जी, हाँ। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने खराब हो सकने वाले खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किरणन प्रौद्योगिकी को मानकीकृत कर दिया है।

(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने खराब हो सकने वाले उन कृषि उत्पादों के परिरक्षण के लिए किरणन प्रौद्योगिकी को मानकीकृत किया है, जो इस देश के लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि आलू, प्याज, गेहूं और अन्य अनाज, दालें, उष्णकटिबन्धी फल, मसाले और मछली। यह प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा "खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955" के संशोधनों के प्रकाशन के बाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा दी जायगी।

**पश्चिमी बंगाल का भूमि सुधार प्रस्ताव**

5545. **श्री हाराधन राय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से संविधान की नवीं अनुसूची में कुछ भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जो० वेंकट स्वामी) :** (क) से (ग) जी हाँ। पश्चिम बंगाल सरकार से निम्नलिखित सात भूमि सुधार कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है—

1—पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1981

2—पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1986

3—पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1986

4—पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1986

5—पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1989

6—पश्चिल बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1990 और

7—पश्चिम बंगाल भूमि सुधार ट्रिब्यूनल अधिनियम, 1991

इस प्रस्ताव की अन्य राज्यों से प्राप्त हुए प्रस्तावों के साथ जांच की जा रही है।

**सीमेंट और टायर कम्पनियों का आधुनिकीकरण**

5516. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई नया तन्त्र बनाया है जिसके द्वारा सीमेंट और टायर कम्पनियों का अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण किये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इससे उनकी उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होगी और ऐसे आधुनिकीकरण पर कुल कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्यमन्त्री ( श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) से (घ) जहां तक मद सीमेंट का संबंध है, प्रिकेलसीनेटर प्रौद्योगिकी पर आधारित नम प्रक्रिया संयंत्रों को शुष्क प्रक्रिया में बदलने तथा नई सुधरी हुई मशीनों को प्रोत्साहन दिया जाता है बड़े क्षेत्र में सीमेंट उद्योग ने 1982–83 से 1991-92 की अवधि के दौरान आधुनिकीकरण तथा संबद्ध विस्तार कार्यक्रमों पर लगभग 2,600 करोड़ रु० का पूंजी निवेश किया है तथा अधिष्ठापित क्षमता 280 लाख मी० टन से बढ़कर 610 लाख मी० टन कर दी गई है।

जहां तक टायर उद्योग का संबंध है, सरकार ने टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० के टायर प्रभाग को प्रतिवर्ष 5 लाख टायर तथा ट्यूब की करमुक्त क्षमता में वृद्धि करने हेतु 66.71 करोड़ रु. का पूंजी निवेश करके इसका आधुनिकीकरण करने का निर्णय किया है। आधुनिकीकरण परियोजना अति आधुनिक तथा सुविज्ञ विदेशी जानकारी पर आधारित है।

**सरकारी क्षेत्र में जापानी निवेश**

5547. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान जापान से कुल कितनी सहायता प्राप्त की गई,

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान निजी क्षेत्र से जापान ने कितना अनुमानित निवेश किया,

(ग) किन-किन क्षेत्रों में जापानी निवेश किये जाने का प्रस्ताव है, और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान सरकारी क्षेत्र के लिए जापान कितनी अनुमानित सहायता देगा ?

**उद्योग मन्त्रालय ( भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग ) में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. चुंगन)** : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**रुग्ण एककों को वित्तीय सहायता**

5548. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण होते जा रहे औद्योगिक एककों को विभिन्न वित्तीय संस्थानों से और अधिक वित्तीय सहायता देने के संबंध में सरकार को कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन पर अब तक कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्यमन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

**वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कोष में हेराफेरी की जांच**

5549. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिक औरऔद्योगिक अनुसंधान परिषद के कोष में हेराफेरी के के संबंध में जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री ( श्री रंगराजन कुमारमंगलम )** : (क) से (ग) औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ( आई. टी. आर. सी. ) (सी एस आइ आर की एक घटक प्रयोगशाला) की कतिपय वित्तीय अनियमिताओं की शिकायत के आरोपों की जांच के लिए गठित किये गये जांच दल द्वारा इस मामले में अग्रिम उपयुक्त कार्रवाई सुगम बनाने हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य चल रहा है ।

[अनुवाद]

**पंजाब में नए उद्योग**

5550. **श्री कमल चौधरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद पंजाब में कितने और किस प्रकार के उद्योगों का पंजीकरण किया गया है, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान पंजाब में विदेशी सहयोग के लिए कितने उद्योगों का पंजीकरण किया गया है ?

**उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्यमन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) नई औद्योगिक नीति के तहत नये उद्योगों के पंजीकरण की कोई योजना नहीं है । किन्तु, 30-6-1992 तक पंजाब में उद्योग स्थापित करने के लिए 454 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं । ये ज्ञापन जिन उद्योगों के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें धातुकर्मी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वनस्पति तेल और वनस्पति, कपड़ा तथा रसायन इत्यादि शामिल हैं ।

(ख) सामान्यतया विदेशी सहयोग के अनुमोदनों में सहयोग के अधीन स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के स्थापना-स्थल का उल्लेख नहीं किया जाता और तदनुसार विदेशी सहयोग अनुमोदनों के विशेष राज्य के ब्यौरे केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते हैं ।

**राष्ट्रीय वेतन नीति आयोग**

5551. **श्रीमती वसुंधरा राजे** :

**श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वेतन नीति/आयोग बनाने की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का विचार कोई ऐसी नीति/आयोग बनाने/लागू करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री ( श्री पवन सिंह चाटोवार )** : (क) हाल ही में की गयी किसी विशिष्ट मांग के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**उड़ीसा में कोयले पर आधारित उद्योग**

5552. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने ढेंकानल जिले में कोयले पर आधारित उद्योग लगाने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है, और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, कलमसेरी द्वारा किया गया उत्पादन/अर्जित लाभ**

5553. **श्री एम० जे० राठवा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान कलमसेरी हिन्दुस्तान मशीन टूल्स एकक के उत्पादन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस एकक द्वारा वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ग) इस एकक द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ है ?

**उद्योग मन्त्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० चुंगम)** : (क) और (ख) एच० एम० टी०-4, कलमस्सेरी के गत तीन वर्षों के उत्पादन और लाभ के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :—

(लाख रुपयों में)

| वर्ष | उत्पादन | लाभ (+) हानि (—) |
|---|---|---|
| 1989-90 | 5161 | (—) 280 |
| 1990-91 | 6208 | 265 |
| 1991-92 | 7787 | 844 |

(ग) इस एकक के लिये, वर्ष 1992-93 के लिये निर्धारित किया गया उत्पादन-लक्ष्य 8713 लाख रुपये है।

(घ) दिनांक 31 जुलाई, 1992 तक की उपलब्धि 1382 लाख रुपये है।

**राजपत्र अधिसूचना को प्रकाशित न करना**

5554. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खन्डूरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 जून, 1992 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपी खबर के अनुसार सरकार का ध्यान श्रीलंकाई मीडिया ग्रुप द्वारा लिट्टे पर लगाए गए प्रतिबंध संबंधी राजपत्र अधिसूचना को प्रकाशित न करने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने श्रीलंकाई समाचार पत्रों में अधिसूचना को प्रकाशित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

**विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० एल० भाटिया)** : (क) और (ख) जी हां। सरकार का ध्यान अखबार की इस खबर की ओर आकर्षित किया गया है जो श्रीलंका में समाचार-पत्रों के लेक हाउस ग्रुप द्वारा लिट्टे को अनलॉफल एसोसिएशन (प्रवेन्शन) एक्ट, 1967 के अन्तर्गत एक विधि विरुद्ध एसोसियेशन घोषित करते हुए राजपत्रित अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए दिए गए अपने वचन से फिर जाने के बारे में है। लेक हाउस ग्रुप के इस हाउस ग्रुप के इस निर्णय पर सरकार ने खेद व्यक्त किया है और श्रीलंका के विदेश कार्यालय को भी यह खेद व्यक्त किया है।

(ग) बाद में यह अधिसूचना श्रीलंका के "द आइलेंड" (अंग्रेजी) और "वीर केसरी" (तमिल) नामक समाचार-पत्रों में 11 जून, 1992 को प्रकाशित की गई थी।

**अंटार्कटिका अभियान**

5555. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अटार्कटिका के लिए विभिन्न अभियान दल भेजने पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है,

(ख) अभियान दल द्वारा वहां अपने प्रवास के दौरान किये गये अनुसंधान कार्य के पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का विभिन्न सामरिक दृष्टिकोणों से अब तक किस विधि से विश्लेषण किया गया है;

(ग) पिछले अभियान दल की कब तक वापस आने की संभावना है, और

(घ) क्या पिछले अभियान दल ने कोई आंकड़े भेजे हैं और यदि हां, तो क्या यह आंकड़े पूर्ववर्ती अभियान दलों द्वारा संकलित आंकड़ों से भिन्न है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्)** : (क) अब तक

अंटार्कटिक को ग्यारह भारतीय वैज्ञानिक अभियान भेजे गए हैं और अब तक लगभग 83.75 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया गया है।

(ख) महासागर विकास विभाग, अभियानों को भेजने वाली एक समन्वयकारी एजेंसी है। प्रमुख प्रतिभागी संगठनों, जैसे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय चुम्बकत्व संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान और अभी हाल ही में सम्मिलित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा भारतीय सर्वेक्षण द्वारा अनुसंधान कार्य किया जाता है। इन संगठनों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों को इनकी प्रयोगशालाओं में संसाधित किया जाता है। इन प्रयोगशालाओं से प्राप्त फीड-बैक के आधार पर इस विभाग ने भारत के भूराजनीतिक हितों और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए अंटार्कटिक अनुसंधान के लिए एक दीर्घकालिक नीति का एक ढांचा तैयार किया है।

(ग) 26 व्यक्तियों का एक शीतकालीन दल भारतीय केन्द्र मैत्री में छोड़, ग्यारहवां भारतीय वैज्ञानिक अभियान 24 मार्च, 1992 को भारत लौट आया।

(घ) पिछले अभियान में एकत्र किए गए आंकड़ों के परिणामों का विश्लेषण अनुच्छेद (ख) में उल्लिखित प्रयोगशालाओं द्वारा किया जा रहा है।

**राकेट प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण**

5556. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

**श्रीमती विमू कुमारी देवी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने विवादास्पद राकेट इंजन के मुद्दे को सुलझाने हेतु भारत तथा अमरीका के साथ तत्काल बातचीत शुरू करने के लिए एक संयुक्त आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) :** (क) जी, नहीं। इस तरह के आयोग के गठन के लिए रूस की तरफ से कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**[हिन्दी]**

**परमाणु ऊर्जा विनियमन प्राधिकरण**

5557. **श्री राजेश कुमार :**

**श्रीमती शीला गौतम :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न परमाणु संयंत्रों और रिएक्टरों में परमाणु ऊर्जा से संबंधित सुरक्षा पहलुओं की निगरानी हेतु एक परमाणु ऊर्जा विनियमन प्राधिकरण का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) सरकार ने न केवल परमाणु विद्युत संयंत्रों और रिएक्टरों से संबंधित सुरक्षा पहलुओं की जांच करने बल्कि सामान्यतः इस देश में विकिरण स्रोतों के उपयोग के बारे में भी जांच करने के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना की है ।

(ख) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 27 के अन्तर्गत 15 नवम्बर, 1983 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन किया गया था ताकि अधिनियम की धारा 16, 17 और 23 के अनुसार नियामक और सुरक्षा संबंधी कुछ कार्य किए जा सकें ।

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :—

(i) देश में विकिरण सुरक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत तथा परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परिचालित यूनिटों में औद्योगिक सुरक्षा के लिए फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियम-विनियम बनाना और उनको लागू करना ।

(ii) नाभिकीय ईंधन चक्र के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के संयंत्रों के लिए स्थल का चयन करने, उनका डिजायन बनाने, निर्माण करने, उन्हें चालू करने, उनका परिचालन करने और उन्हें अन्तिम रूप से बन्द करने के संबंध में वैकिरणकी सुरक्षा और औद्योगिक सुरक्षा दोनों की दृष्टि से सुरक्षा संबंधी संहिता, मार्गदर्शी सिद्धान्त और मानक बनाना ।

(iii) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा चलाये जा रहे संस्थापनाओं में और उन संस्थापनाओं में जो परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नहीं चलाये जाते, सुरक्षा कोडों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना ।

(iv) विकिरण से पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा की, विकिरण सक्रियता की उत्सर्जित होने वाली मात्रा की और पारम्परिक किस्म के प्रदूषकों की उत्सर्जित होने वाली मात्रा की सीमाएं निर्धारित करना ।

(v) विकिरण संस्थापनाओं के परिचालन संबंधी सभी पहलुओं की पुनरीक्षा करना और आपातस्थिति से निपटने की तैयारी के संबंध में बनाई गई योजनाओं की पुनरीक्षा और अनुमोदन करना ।

(vi) विकिरण और औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्रों में किए जाने वाले अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयासों को आगे बढ़ाना और उनके लिए धनराशि उपलब्ध कराना ।

(vii) परियोजनाओं और संयंत्रों द्वारा कार्मिकोंके लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अर्हताओं और लाइसेंस देने की नीतियों की पुनरीक्षा करना और उन्हें अनुमोदित करना तथा उपयुक्त पाठ्यक्रम निर्धारित करना ।

(viii) वैकिरणकी सुरक्षा के महत्व के मुख्य विषयों के बारे में जनसामान्य को अवगत कराये रखना ।

[अनुवाद]

**दक्षिण अफ्रीका में बहुसंख्यकों को राजनैतिक दर्जा**

5558. **श्री एन. डेनिस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा दक्षिण अफ्रीका में काले बहुसंख्यक लोगों को पूरे मानव अधिकार और समुचित राजनैतिक दर्जा दिलाने के लिए राजनयिक और अन्तर्राष्ट्रीय अनुनय पद्धति के माध्यम से क्या प्रयास किये गये हैं;

(ख) इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या भारत ने दक्षिण अफ्रीका में हो रही अनवरत हिंसा का मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले की समूची और निष्पक्ष जांच कराने की कोई मांग की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर अन्य सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आर.एल. भाटिया)** : (क) से (ङ) महात्मा गांधी द्वारा एक शताब्दी पूर्व दक्षिण अफ्रीका में प्रारम्भ किए गए सत्याग्रह के बाद से ही भारत पृथग्वासन के विरुद्ध संघर्ष में अग्रणी रहा है। भारत पहला देश था जिसने प्रिटोरिया की नस्लवादी नीतियों के विरोध में 1946 में इससे व्यापारिक संबंध तोड़ दिए थे। भारत ही ऐसा पहला देश भी था जिसने संयुक्त राष्ट्र की कार्यसूची में पृथग्वासन के मुद्दे को रखा था एवं दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध व्यापक एवं प्रादेशात्मक प्रतिबन्ध लगवाने में प्रभावी रहा। विगत वर्षों में हम जातीय पृथग्वासन विरोधी आन्दोलन को सामान्य रूप से और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को विशेष रूप से ठोस, नैतिक एवं राजनीतिक समर्थन देते रहे हैं।

भारत ने दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में फैली हिंसा की लहर पर खेद व्यक्त किया है एवं विवेकहीन हत्याओं (बोइपाटोंग में 17 जून, 92 को) पर खेद और निराशा व्यक्त की है। हमने बलपूर्वक यह भी कहा है कि ऐसी परिस्थितियों का सृजन किया जाना चाहिए जिनमें पूर्ण लोकतंत्र के लिए बातचीत जल्दी पुनः शुरू हो सके।

भारत ने अफ्रीकी एकता संगठन की इस पहल का भी समर्थन किया है कि दक्षिण अफ्रीका की स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए। दक्षिण अफ्रीका के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प पर सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए भी हमारे प्रतिनिधि मण्डल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जो 16 जुलाई, 92 को सर्वसम्मति से पास हो गया। सुरक्षा परिषद में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति के बारे में बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र में हमारा प्रतिनिधि मंडल श्री नेल्सन मंडेला से बराबर सम्पर्क बनाए रहा। भारत ने इस निर्णय का भी स्वागत किया कि दक्षिण अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष प्रतिनिधि भेजा जाएगा जो इस बात के उपायों की सिफारिश करेगा कि वहां हिंसा कैसे समाप्त हो तथा एक लोकतांत्रिक, जातीय भेदभाव विहीन तथा अभिवाजित दक्षिण अफ्रीका को शीघ्र अस्तित्व में लाने के लिए बातचीत की प्रक्रिया पुनः कैसे शुरू हो।

[हिन्दी]

**अच्छे किस्म के कोयले की सस्ते दरों पर बिक्री**

5559. **डा. लाल बहादुर राचल :**

**श्री राम बदन :**

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जुलाई, 1992 के दैनिक "जनसत्ता" में प्रकाशित "अव्वल दर्जे का लाखों टन कोयला सस्ते में बेचने की साजिश" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नई कोयला वितरण नीति में कई खामियां पाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

**कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस. बी. म्यामगौड)** : (क) और (ख) जी, हां। समाचार में यह सूचित किया गया है कि महानदी कोलफील्ड्स लि० (एम.सी.एल.) उच्च ग्रेड वाले कोयले को सस्ती दरों पर बेचने का प्रयास कर रही हैं। यह भी कहा गया है कि बेचे जाने वाले कोयले की श्रेणियों को उदारीकृत बिक्री योजना के अन्तर्गत बेचे जाने के लिए जानबूझ कर निम्न रूप में श्रेणीकृत किया गया। कोल इण्डिया लि. (सी.आई.एल.) ने इन आरोपों का खण्डन किया है। उनके अनुसार विभिन्न ग्रेडों और आकारों, आदि के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्यों पर कोयला बेचा जाता है। उनके द्वारा बनाई गई स्टाक परिसमापन योजना के अनुरूप विभिन्न कोलफील्ड्स से कोयले के वृहद् ग्रेडों और आकारों के संबंध में उदारीकृत बिक्री योजना के अन्तर्गत कोयले की पेशकश की जाती है।

(ग) और (घ) मांग और आपूर्ति की बदलती हुई पद्धति के साथ समायोजन करने के लिए कोयले की वितरण प्रणाली में परिवर्तन करना पड़ेगा। वितरण नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती हैं और उपभोक्ता सन्तोषप्रदता को अधिकतम करने के लिए, जहां कहीं भी अपेक्षित होता है, सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

**हरियाणा में इलैक्ट्रोनिकी प्रौद्योगिकी पार्क**

5560. **श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार की ओर से बल्लभगढ़, पलवल तथा फरीदाबाद में इलेक्ट्रोनिकी प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो ये पार्क कब तक स्थापित कर दिए जायेंगे ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग में राज्यमन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम)** : (क) और (ख) इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। किन्तु, देश के विभिन्न भागों में इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने

की एक योजना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। जब इस योजना को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा तब हरियाणा सरकार भी ऐसे पार्क स्थापित कर सकेगी।

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बजट संसाधनों का जुटाया जाना**

5561. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परिवर्तनीय डिबेंचरों के माध्यम से अतिरिक्त बजट संसाधन जुटाने के लिए कहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम)** : (क) से (ग) योजना परिव्ययों की वित्त व्यवस्था के प्रति बजट समर्थन को कम करने की आवश्यकता को देखते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों को परिवर्तनीय/अपरिवर्तनीय बॉण्डों/डिबेंचरों सहित आंतरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर अधिक निर्भर होने की सलाह दी गई है। आंठवीं योजना के प्रथम वर्ष, 1992-93 के लिए बजट अनुमानों के अनुसार बॉण्डों डिबेंचरों के माध्यम से केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों द्वारा लगभग 6058.10 करोड़ रु० के संसाधन जुटाए जायेंगे। इस नीति के अनुपालन में सार्वजनिक क्षेत्रक के अनेक उद्यमों ने बॉण्डो/डिबेंचरों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। ये प्रस्ताव योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में विचाराधीन हैं।

**[हिन्दी]**

**उपभोक्ता वस्तुओं को लाइसेंस-मुक्त करना**

5562. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उपभोक्ता वस्तु उद्योग को लाइसेंस-मुक्त करने का विचार है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)**: (क) और (ख) मोटर कारों श्वेत सामान और मनोरंजन की कुछ इलेक्ट्रॉनिक मदों को छोड़कर उपभोक्ता सामग्री क्षेत्र में आने वाले अधिकांश उद्योगों को पहले ही लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

**तकनीकी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता**

5563. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी तकनीकी अनुसंधान परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई और कितनी परियोजनाओं के संबंध में अन्तर विभागीय मूल्यांकन किया जा चुका है,

(ख) मूल्यांकन करते समय किन मानदण्डों का पालन किया गया, और

(ग) कितने प्रतिशत परियोजनाओं को पेटेंट कराया गया है तथा कितने प्रतिशत परियोजनाओं के मामले में प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण किया गया था ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

**[अनुवाद]**

**उर्वरकों का उत्पादन और उन पर दी गई राजसहायता**

5564. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन हुआ,

(ख) उक्त दो वर्षों के दौरान उत्पादन की मात्रा के आधार पर उर्वरक-निर्माताओं को पृथक-पृथक रूप से कुल कितनी राजसहायता दी गई,

(ग) उक्त अवधि के दौरान खपत की मात्रा के आधार पर प्रयोगकर्ता को पृथक-पृथक रूप से कुल कितनी राजसहायता दी गई, और

(घ) वर्ष 1992-93 में उर्वरकों का कितना उत्पादन होने की सम्भावना है और चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्पादक और उपभोक्ता को पृथक-पृथक रूप से अनुमानत: कितनी राज-सहायता दी जाएगी ?

**रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन)** : (क) 1990-91 1991-92 के दौरान देश में उर्वरकों का कुल उत्पादन (माल के रूप में) क्रमश: 222.21 लाख मी. टन और 233.08 लाख मी. टन था।

(ख) आर्थिक सहायता भेजी गयी मात्रा पर दी जाती है न कि उत्पादन पर। इस तरह 1990-91 और 1991-92 के दौरान स्वदेशी निर्माताओं को भुगतान की गयी कुल आर्थिक सहायता क्रमश: 3729.73 करोड़ रुपए और 3500 करोड़ रु. थी।

(ग) आर्थिक सहायता निर्माताओं को दी जा रही है उपयोगकर्ताओं को नहीं। तथापि 1991-92 के दौरान उर्वरकों के खपत मूल्य में बढ़ोत्तरी से छोटे और सीमान्त किसानों को प्रति-पूर्ति के लिए कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा एक विशेष योजना कार्यान्वित की गयी थी जिसके लिए 405 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन किया गया था।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान उर्वरकों का अनुमानित उत्पादन 247.57 लाख मी. टन है। इस अवधि के दौरान उत्पादकों को आर्थिक सहायता देने के लिए, जिसमें गत वर्ष का शेष भी शामिल है, 6272 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

**सोवियत संघ को निर्यात की गई वस्तुओं के लिए औषध कंपनियों को बकाया राशि की अदायगी न किया जाना**

5565. **श्री गुरुदास कामत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व सोवियत संघ को निर्यात की गई वस्तुओं के लिए औषध कंपनियों को उनकी कीमतें अदा नहीं की गई, और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन)** : (क) सोवियत संघ के विघटन के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बाध्य होकर भारत में सोवियत संघ के बैंक फार फारेन इकोनामिक अफेयर्स के खातों में लेन-देन को स्थगित रखना पड़ा। परिणामस्वरूप, निर्यातकों को भुगतान की प्रतिपूर्ति 27-12-91 को रोक दी गई थी।

(ख) भुगतान को सुकर बनाने के लिए तदुपरान्त निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। भारतीय निर्यातकों द्वारा पहले से की गई व्यापार बचनबद्धताओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक फार फारेन इकानामिक अफेयर्स आफ यू एस एस आर के खातों का कार्य देखने वाले भारत में प्राधिकृत डीलरों से पुनःपूर्ति दावों के निपटारे के लिए निम्नलिखित के संबंध में सहमति दी है। (1) 31 दिसम्बर, 1991 तक जहाज से भेजा गया माल (2) 31 दिसम्बर, 1991 के बाद लेकिन 31 मार्च, 1992 से पहले पूर्ववर्ती सोवियत संघ में बैंकों द्वारा पहले से खोले गए क्रेडिट पत्रों पर और भारतीय निर्यातक को 31 दिसम्बर, 1991 तक दी गई सलाह पर जहाज से भेजा गया माल; (3) 31 दिसम्बर, 1991 तक भारतीय परियोजना निर्यातकों को देय तथा नियोक्ताओं द्वारा भुगतान के लिए विधिवत प्रमाणित भुगतान।

**सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विदेशी निवेश**

5566. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यमों में अंश पूंजी और ऋण के रूप में विदेशी पार्टियों का कुल निवेश 31 मार्च, 1991 और 31 मार्च, 1992 की स्थितिनुसार कितना था;

(ख) वर्ष 1992-93 में कितना विदेशी निवेश होने की संभावना है, और

(ग) अधिक विदेशी अंश पूंजी जुटाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

**उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विकास एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**स्वायत्त निकायों में अखिल भारतीय सेवा के कार्मिक**

5567. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के कुछ उपबन्धों के अन्तर्गत गठित स्वायत्त निकायों में केन्द्रीय संवर्ग जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा आदि के कार्मिकों की नियुक्ति उनके स्थानान्तरण संबंधी वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) क्या यही नियम असम की स्वायत्त जिला परिषदों पर लागू किए जा रहे हैं जो संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा)** : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(2) के अनुसार-किसी संवर्ग अधिकारी को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी नियुक्त किया जा सकता है :—

(1) किसी ऐसी कम्पनी, एसोसिएशन अथवा किन्हीं व्यक्तियों के निकाय, चाहे वे निगमित हों अथवा नहीं, और साथ ही जो पूर्णत; अथवा अधिकांशत: किसी राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हों, किसी नगर-निगम अथवा किसी स्थानीय निकाय में उस राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं जिसके संवर्ग का वह अधिकारी है; और

(2) किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन किसी स्वायत्त निकाय जो सरकार द्वारा नियंत्रित न हो, अथवा किसी निजी निकाय में उस राज्य से परामर्श करके जिसके संवर्ग का वह अधिकारी है, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

परन्तु शर्त यह है कि कोई भी ऐसा संवर्ग अधिकारी, उसकी सहमति के बिना, मद (2) में उल्लिखित प्रकार के संगठन अथवा निकाय में तैनात नहीं किया जाएगा।

यह प्रावधान, भारतीय वन सेवा संवर्ग नियमावली के नियम 6 (2) की तरह ही है, परन्तु इसमें किसी निजी निकाय में तैनाती करने की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ख) से (घ) यह सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

**उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन**

5568. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खन्डूरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पर्वतीय जिलों, विशेषत: पौड़ी और चमोली के कितने गांवों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है और इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(घ) इस योजना में सम्मिलित गांवों को सौर ऊर्जा सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** (क) और (ख) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणाली जो सूर्य के प्रकाश से विद्युत उत्पादित करती है कि प्रदर्शन एवं उपयोग के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लागू कर रहा है। इसके अतिरिक्त सौर तापीय साधनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सौर तापीय विस्तारण कार्यक्रम एवं सौर चूल्हा कार्यक्रम भी लागू किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यह सभी कार्यक्रम लागू हैं तथा राज्य की अपारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा चलाए जा रहे हैं।

स्ट्रीट लाइटों, घरेलू प्रकाश, सार्वजनिक दूरदर्शन, जल पम्प आदि जैसे अनुप्रयोगों के लिए प्रकाशवोल्टीय प्रणाली विशेष रूप से विद्युतरहित ग्रामों में 1 से 10 किलोवाट तक की

क्षमता वाले लघु ग्राम स्तरीय विद्युत संयंत्र भी लगाए जा रहे हैं। सौर तापीय कार्यक्रम के अंतर्गत सौर तापीय साधनों जैसे जल ऊष्मक, सौर काष्ठ भट्टें, सौर वायु ऊष्मक, सौर भभके एवं कुकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश में स्थापित सौर तापीय साधन अधिकांशतः शहरी तथा उप-शहरी क्षेत्रों में है। पहाड़ी जिलों को मिलाकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 305 से अधिक ग्रामों/पुरवों में प्रकाशवोल्टीय स्ट्रीट लाइट प्रणाली स्थापित की जा चुकी है। ग्राम स्तरीय सौर विद्युत संयंत्र विभिन्न जिलों के 24 ग्रामों में स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से पौड़ी जिले में ग्राम कुमल्डी एवं चमोली जिले में ग्राम औली को मिलाकर 9 ग्राम पहाड़ी जिलों में है। उत्तर प्रदेश अपारम्परिक ऊर्जा एजेन्सी का वर्ष 1992-93 के दौरान पहाड़ी जिलों में 10 और ग्रामों में सौर संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 10.00 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

**[अनुवाद]**

**"ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड" की जांच**

5569. **श्री मनोरंजन सुर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को "ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड" के कथित भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन)** : (क) से (घ) सरकार को ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड में कथित भ्रष्टाचार के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, यह मालूम हुआ है कि कुछ मामलों की पूछताछ/जांच-पड़ताल केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

**[हिन्दी]**

**कोयले का अनधिकृत आबंटन**

5570. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या कोयला मंत्री 8 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6545 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोयले के अनधिकृत आबंटन के संबंध में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. म्यामगौड)** : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी कम्पनियों के वार्षिक लेखे में अनियमितताएं

5571. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री आर्थर फर्नान्डीस :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी वर्ष 1991 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि 85 सरकारी कम्पनियों ने अपने वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखा-जोखों में लाभ कम बता कर और घाटा अधिक दिखाकर 1,020.94 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है;

(ख) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने इससे पहले के वर्ष में भी 53 कम्पनियों के लेखा-जोखों में 575.88 करोड़ रुपये की गलतियां व त्रुटियां निकाली थीं;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी गलतियों तथा त्रुटियों को ठीक करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) और (ख) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की केन्द्र सरकार की वर्ष 1991 की रिपोर्ट संख्या 2 (वाणिज्य) के अनुसार वर्ष 1988-89 के दौरान 76 कंपनियों में और वर्ष 1989-90 के दौरान 94 कम्पनियों में से क्रमशः 53 और 85 कम्पनियों के वार्षिक लेखाओं के महत्वपूर्ण त्रुटियां/कमियां पाई गई। संलग्न विवरण-I में दर्शाये गये कम/अधिक लाभ व हानि इन कम्पनियों के वार्षिक लेखाओं के लेखा-परीक्षण में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण त्रुटियों/कमियों का परिणाम हैं।

(ग) से (ङ) त्रुटियों और कमियों के सुधार के बाद की स्थिति संलग्न विवरण-II में दर्शायी गई है।

विवरण-I

| क्रम संख्या | लेखा-परीक्षण से संबंधित प्रेक्षणों का वर्गीकरण | कम्पनियों की संख्या जिनमें लेखा-परीक्षण संबंधित प्रेक्षण किए गए | | निवल वित्तीय परिसम्पत्ति (करोड़ रुपयों में) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1988-89 | 1989-90 | 1988-89 | 1989-90 |
| 1. | दर्शाया गया अधिक लाभ | 23 | 36 | 81.49 | 55.91 |
| 2. | दर्शाई गई अधिक हानि | 3 | 4 | 4.19 | 1.30 |
| 3. | दर्शाया गया कम लाभ | 1 | 7 | 0.52 | 6.56 |
| 4. | दर्शाई गई कम हानि | 18 | 29 | 100.87 | 130.23 |
| 5. | अंतिम लेखाओं को प्रभावित करने वाले विविध प्रेक्षण | | | | |
| | (i) परिसम्पत्ति/देनदारियों का कम बताया जाना/अधिक बताया जाना | 10 | 16 | 59.95 | 89.10 |
| | (ii) प्रेक्षण/अन्य त्रुटियां | 14 | 25 | 328.86 | 737.84 |

विवरण-II

| | | सरकारी कम्पनियां | |
|---|---|---|---|
| | | 1988-89 | 1989-90 |
| 1. | ऐसी कम्पनियों की संख्या जिनके लेखाओं का पुनरीक्षण किया गया | 194 | 194 |
| 2. | ऐसी कम्पनियों की संख्या जिन्होंने अपने लेखाओं का पुनरीक्षण किया और परिणामस्वरूप कोई टिप्पणी नहीं दी | 37 | 39 |
| 3. | ऐसी कम्पनियों की संख्या जिन्होंने अपने लेखाओं का आंशिक पुनरीक्षण किया तथा ऐसी मदों के संबंध में अपनी टिप्पणी दी जिनका लेखागत समायोजन नहीं किया जा सका था। | 7 | 8 |
| 4. | ऐसी कम्पनियों की संख्या जिन्होंने समायोजन नहीं किया तथा अपनी टिप्पणी दी | 31 | 46 |
| 5. | ऐसी कम्पनियों की संख्या जिनके बारे में कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं थी | 119 | 101 |

**नीदरलैंड के साथ संयुक्त उद्यम**

5572. **डा. कृपासिन्धु भोई :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1991 और 1992 में अब तक नीदरलैंड के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या दोनों देशों के बीच संयुक्त उद्यमों के विस्तार की व्यापक गुंजाइश है,

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सम्भावनाओं का पता लगाया गया है, और

(ङ) आगामी वर्ष के लिए इस संबंध में क्या कार्यक्रम बनाए गये हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) :** (क) और (ख) वर्ष 1991 तथा 1992 के दौरान भारत और नीदरलैंड के उद्यमों के बीच अनुमोदित विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्तावों सहित विदेशी सहयोग के प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | अवधि | 1991 | 1992 |
| (ii) | विदेशी सहयोग अनुमोदनों की कुल संख्या | 50 | 37 |
| (iii) | अनुमोदनों जिसमें विदेशी पूंजी निवेश अन्तर्ग्रस्तहैं विदेशी सहयोग की संख्या | 25 | 11 |
| (iv) | अनुमोदित विदेशी पूंजी निवेश की कुल राशि | 55.93 (करोड़ रु०) | 11.34 (करोड़ रु०) |

(ग) दोनों देशों के उद्यमों के बीच अनुमोदित विदेशी इक्विटी सहित 1991 में संयुक्त सहयोग की संख्या 1990 में अनुमोदित सहयाग की सं० से 4 गुना अधिक है। (6 के मुकाबले 25) इससे दोनों देशों के उद्यमों के बीच सहयोग को और बढ़ाने की संभावना का पता चलता है।

(घ) और (ङ) 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई नयी औद्योगिक नीति के वक्तव्य में विभिन्न नीति सम्बन्धी प्रोत्साहनों का उल्लेख है जिनका उद्देश्य भारत और नीदरलैंड सहित अन्य देशों के उद्यमों के बीच आपसी सहयोग के जरिये विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करना तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना है।

**उर्वरक का आयात**

5573. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरक के आयात में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उक्त योजना अवधि में उर्वरक के आयात पर कितना खर्च किये जाने की सम्भावना है, और

(ग) किन देशों से उर्वरक का आयात किये जाने का विचार है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डा० चिन्ता मोहन )** : (क) और (ख) अनुमानित खपत तथा स्वदेशी आपूर्ति जिसमें वर्ष के आरम्भ में अवशेष भण्डार तथा वर्ष के दौरान उत्पादन शामिल होता है, के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उर्वरकों के आयात की व्यवस्था की जाती है। वर्ष के दौरान आयात की अपेक्षा की भी समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है जिसमें खपत की प्रवृत्ति को ध्यान में रखा जाता है तथा यदि आवश्यक हो, मध्यावधिक सुधार किये जाते हैं। वर्ष में उर्वरकों का वास्तविक आयात मानसून की प्रवृति तथा प्रगति, स्वदेशी उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा की उपलब्धि सहित अनेक घटकों पर निर्भर करेगा। किसी विशेष वर्ष के दौरान उर्वरकों के लिए आयात बिल आयातित विभिन्न प्रकार की उर्वरकों की मात्रा तथा उनके प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर निर्भर करेगा।

(ग) इस समय खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम एम टी सी), जो तैयार उर्वरकों के लिए सरणीबद्ध अभिकरण है, निविदाओं के आधार पर आयातों की व्यवस्था करता है। उनके द्वारा किन स्रोतों से आयात किए जायेंगे, यह उनके द्वारा समय-समय पर जारी की गयी निविदाओं के नतीजों पर निर्भर करेगा।

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में और निवेश न करना**

5574. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकीरमण समिति के निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में और निवेश न करने की नीति की पुनरीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय ( भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग ) में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)** : (क) और (ख) सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के भविष्य में शेयर बेचने हेतु विभिन्न वैकल्पिक रूपात्मकताएं सुझाने के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर**

5575. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उन शेयरों का मूल्यांकन करने का विचार है जिनका प्रस्ताव म्युचुअल फंडों और पूंजी निवेश संस्था को किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन)** : (क) से (ग) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के और शेयर बेचने हेतु विभिन्न रूपात्मकताएं सुझाने के लिए एक समिति गठित की है समिति द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान बेचे गये शेयरों का मूल्यांकन करने की भी संभावना है। इस समिति की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

**कंप्यूटर प्रशिक्षण स्कूल**

5576. **श्री रति लाल वर्मा** :

**श्री बलराज पासी** :

**श्री राम सिंह काश्यप** :

**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में कंप्यूटर प्रशिक्षण स्कूल खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार ऐसे कितने स्कूल खोले गये हैं, और

(ग) चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) भारत सरकार का देश में कम्प्यूटर प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, भारत सरकार, इलेक्ट्रानिकी विभाग ने अपने दिनांक 16 अगस्त, 1990 के संकल्प के जरिए एक योजना घोषित की है, जिसके अन्तर्गत निर्धारित गुणवत्ता तथा सेवा मानकों को पूरा करने वाले निजी क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित गुणवत्ता तथा सेवा मानकों को पूरा करने वाले निजी क्षेत्र के कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थाओं की कुछ विशिष्ट स्तरों जैसे कि "ओ" (आरम्भिक), "क" (उन्नत डिप्लोमा); "ख" (स्नातक) तथा "ग" (स्नातकोत्तर) स्तर के पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए मान्यता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

**दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कम वजन की आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई**

5577. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सप्लाई की जा रही चीनी, चावल, गेहूं तथा अन्य वस्तुओं का वजन बहुत कम होने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मिली हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार भविष्य में इस प्रश्न के कदाचारों को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद)** : (क) उचित दर दुकानों को सप्लाई किए जाने वाले विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों के वजन में अन्तर के कुछ मामलों की सूचना कभी-कभी प्राप्त होती है।

(ख) दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को गत 3 वर्षों के दौरान 161 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) गेहूं और चावल के मामले में भारतीय खाद्य निगम द्वारा हर बोरे का वजन किया जाता है। चीनी के मामले में मानक तोल के आधार पर स्टाक जारी किए जाते हैं। कभी-कभी बोरों की ढुलाई की प्रक्रिया में अथवा फटे हुए बोरे में से माल गिरने के कारण कुछ कमी हो जाती है। उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूरा कर दिया जाता है।

**हेपाटिटस-बी विषाणु का पता लगाना**

5578. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान ने हाल ही में हेपाटिटस-बी विषाणु का पता लगाने के लिए कुछ अत्यंत सटीक प्रक्रियाओं का विकास किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कथित परीक्षण प्रक्रियाओं के क्या लाभ हैं,

(ग) क्या सरकार का देश के सभी रक्त बैंकों में रक्त की जांच करने के लिए यह परीक्षण शुरू करने का विचार है ताकि संक्रामक रक्त-आधान के परिणामस्वरूप होने वाली बीमारियों से बचा जा सके, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्यमन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) जी हां।

(ख) इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान में विकसित एक क्लोनीय रोग-प्रतिकारकों का प्रयोग करते हुए एंजाइम से सम्बद्ध प्रतिरक्षाशोषी विश्लेषण शामिल है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का यह परीक्षण आयात के माध्यम से भारतीय बाजार में वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध परीक्षण किटों के साथ तुलनीय उच्च स्तरीय संवेदता तथा विशिष्टता से युक्त है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त किट की उत्पादन प्रौद्योगिकी भारत की एक प्रमुख भेषजीय कम्पनी को विनिर्माण तथा विपणन हेतु सौंप दी गई है। किन्तु, किट के विपणन से पूर्व भारत के औषध नियंत्रक से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।

**उड़ीसा में उर्वरकों की कमी**

5579. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में यूरिया और सुपर फास्फेट उर्वरकों की भारी कमी है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) उड़ीसा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

**रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन)** : (क) से (ग) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया के तालचर एकक में उत्पादन हानि के कारण उड़ीसा में यूरिया की उपलब्धि थोड़ी प्रभावित हुई है। तथापि, कमी को आयात से पूरा किया जा रहा है। सिंगल सुपर फास्फेट की उपलब्धि इस क्षेत्र में उत्पादन की कमी के कारण प्रभावित हुई है। उड़ीसा राज्य में फास्फेट की अपेक्षा को पूरा करने के लिए डी ए पी और अन्य कम्पलैक्स उर्वरकों की अतिरिक्त आपूर्तियां की जा रही हैं।

**हाइड्रोकार्बनों को पृथक करने संबंधी अध्ययन**

5580. **श्री जार्ज फर्नांडीज** :

**श्री मनोरंजन भक्त** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा पहली बार स्वच्छ झिल्लियों के प्रयोग से हाइड्रोकार्बनों को पृथक करने संबंधी अध्ययन शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) जी, हां।

(ख) स्वच्छ झिल्लियों से पृथक करने के प्रक्रम (लिक्विड मैम्ब्रान सेपरेशन प्रोसेस (एल.एम. एस. पी.) द्वारा हाईड्रोकार्बनों को पृथक करने के लिए पारंपरिक सोलवेंट एक्सट्रैक्शन प्रक्रम को प्रतिस्थापित करने की संभावनाओं का अध्ययन भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आइ आइ पी) देहरादून द्वारा किया जा रहा है। निम्नलिखित के लिए एल.एम.एस.पी. का अनुप्रयोग करने की दिशा में प्रायोगिक कार्य शुरू किया गया है :

(1) उर्वरकों के उत्पादन के लिए उपयुक्त अल्प सगंधीय नेप्था प्राप्त करने हेतु वरजिन नेपथा से सगंध हाईड्रोकार्बन पृथक करना और

(2) वैमानिक (एवीएशन) या बेहतर स्तर का कैरोसीन प्राप्त करने के लिए कैरोसीन से अवांछनीय सगंधों को पृथक करना।

अध्ययनों के परिणामों से प्रदर्शित होता है कि देश में उपलब्ध सरफैक्टैंट्स (स्वच्छ झिल्लियां बनाने की सामग्री) के प्रयोग से प्रथम स्तर पर परिवात-ताप में 20 प्रतिशत से कम सगंध के साथ वैमानिक ग्रेड कैरासीन और 10 प्रतिशत सगंध से कम नेप्था ने 26 प्रतिशत सगंध युक्त बरजिन नेप्था को असुवासित करना संभव है।

**प्रेषानुकरों (ट्रांसपोंडर) की उपलब्धता**

5581. **श्री अवधकुमार पटेल :**

**श्री समतकुमार मंडल :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरबसैट के कई प्रेषानुकरों के लिए भारत द्वारा किए गये पट्टा समझौते की प्रकृति क्या है और इससे कितना वित्त भार पड़ता है ;

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि "इनसैट-2ए" जिसे हाल ही में छोड़ा गया है और जिसके साथ ही भारत को तकनीकी क्षमता प्राप्त हो गई है तथा इससे अचानक प्रेषानुकरों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, भारत "अरबसैट" के साथ हुए पट्टा समझौते को रद्द करने तथा "स्टार टी. वी." से "एशियासैट" प्रेषानुकरों को किराये पर लेने की योजना का परित्याग करने पर विचार करेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : (क) अरबसैट, अरब देशों का एक संगठन है। अरबसैट उपग्रहों का मूल उद्देश्य अपने सदस्य देशों को संचार सेवाएं उपलब्ध कराना है। भारत को अरबसैट प्रेषानुकरों की लीज पूर्वाधिकार की शर्तों पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि अरबसैट संगठन के देशों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

भारत सरकार और अरबसैट संगठन के बीच किया गया करार एक वाणिज्यिक करार है, जिसके तहत केवल 12 (बारह) सी-बैण्ड प्रेषानुकरों को लीज पर लिया गया है। यह लीज अनिवार्य सेवाओं की संपूर्ति और इन्सैट प्रणाली की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्राप्त की गई है। लीज प्रभार की दर प्रति प्रेषानुकर 0·8 मिलियन अमरीकी डालर वार्षिक है।

(ख) और (ग) इन्सैट-1 और 2 प्रणालियों में विद्यमान प्रेषानुकर क्षमता की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, इन्सैट प्रणाली के संवर्धन और संपूर्ति के लिए विदेशी उपग्रह प्रणालियों के साथ लीज समझौतों को जारी रखने के प्रश्न पर लगातार जांच की जा रही है।

---

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

## शेयर घोटाले के बारे में

**श्री आर्य फर्नान्डीज** (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप प्रधान मन्त्री महोदय से आश्वासन इस सदन में दिलाइए कि जो पब्लिक सैक्टर के शेयर हैं, उनको

आगे बेचने का जो काम है, उसको रोका जाएगा और तब तक रोका जाएगा जब तक कि सारे घोटाले की जाँच नहीं हो जाएगी।

आप प्रधान मन्त्री से एश्योरेंस दिलाइए। यह इस प्रश्न से संबंधित है। अध्यक्ष जी, मेरी बात को समझिए। यह इस प्रश्न से जुड़ा हुआ मामला है। जो कमेटी बनाई गई थी प्लानिंग कमीशन के लोग उसमें थे जिनमें से एक अभी पुलिस की हिरासत में हैं। ऐसे लोगों में बैठकर इन सारे दलालों को मिलकर इन पूरे शेयर्स को बेचकर पैसे बनाने की साजिश की थी और उसी कमेटी ने दुबारा बैठकर दुबारा इनको बेचने और पैसे बनाने की साजिश की है जिसके ऊपर मंत्री जी बिना जानकारी के बोलने लगे। उसी मार्ग से दुबारा शेयर्स को बेचने का फैसला लिया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जब तक इस मामले की पूरी जानकारी और जांच नहीं हो जाती है, तब तक इन शेयरों को न बेचा जाए, ऐसा आश्वासन प्रधान मंत्री जी इस सदन को दें। (व्यवधान)

इस मामले में जे. पी. सी. को मत जोड़िए। इस मामले की जब तक आप जाँच नहीं करेंगे, तब तक शेयरों को नहीं बेचा जाएगा, इतना वचन मैं प्रधान मंत्री जी आपसे चाहता हूँ। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपस में बातचीत न करें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो मामला उठाया है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो कम्पनियां हैं उनके शेयर बेचे जा रहे हैं। पहले भी शेयर बेचे गए थे। हमने इस सदन में शिकायत की थी कि शेयर जिन दामों पर बेचे गए, उनसे अच्छे दाम मिल सकते थे और मन्त्री महोदय ने भी माना कि सचमुच शेयरों को बेचने में और सावधानी बरती जानी चाहिये थी, लेकिन उस समय म्युचुअल फन्ड में शेयर बेचे गए थे और सरकार की ओर से उत्तर दिया गया कि म्युचुअल फण्ड में यदि जाते हैं, तो किसी के ऊपर उपकार या अहसान किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो सार्वजनिक उद्योग हैं, वे राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। वह राष्ट्र की सम्पत्ति अगर कम होती है, घटाई जाती है, तो परिस्थिति का तकाजा है, उस परिस्थिति में यदि विचार होता है, तो मैं मान सकता हूँ।

लेकिन क्या सरकार का यह दायित्व नहीं है कि शेयर बेचते समय सावधानी बरते? क्या सरकार का यह दायित्व नहीं है कि शेयर बेचने से पहले देख ले उसके लिए अच्छे से अच्छा दाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मुझे लगता है कि इसमें मामला केवल वित्त मन्त्रालय पर या इकोनोमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री पर नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार में जो अफसर बैठे हैं, वे बहुत योग्य हैं। मगर वे कोई शेयरों के धन्धे से और शेयर जिस तरह से चलते हैं, उसके बारे में कोई विशेषज्ञ नहीं हैं। कोई भी निर्णय इस सम्बन्ध में करने से पहले विशेषज्ञों की राय ली जानी चाहिए। दो बार सोचा जाना चाहिए और शेयर बेचने में कोई धाँधली नहीं होनी चाहिए। यही आश्वासन मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज माँग रहे हैं और प्रधानमंत्री को यह आश्वासन देने में संकोच नहीं होना चाहिए।

प्रधान मन्त्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : कोई संकोच नहीं है। आप से बात करूंगा, उनसे बात करूंगा कि कौन-कौन से विशेषज्ञ हैं।

[अनुवाद]

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जानकर बहुत ही राहत हुई है कि माननीय प्रधानमंत्री को हम लोगों से बात करने में कोई कठिनाई नहीं है । लेकिन बात यह है कि यह तो पहले ही बेची जा चुकी है । सार्वजनिक सम्पत्ति की एक बहुत बड़ी रकम हाथ से निकल गई है । यहां पर राज्यमंत्री ने यह सिद्ध करने में काफी मेहनत की है कि इधर उधर की कुछ हिसाब लगाने के बाद इन्हें सापेक्ष मूल्य के दर पर बेचा गया । महोदय एक उत्तर निष्ठापूर्वक यह भी दिया जा रहा है कि इनका कोई नियत बाजार मूल्य नहीं है । इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि शेयरों के मूल्य जिनके बाजार भाव निर्धारित नहीं होते, उनके भी मूल्य सम्बद्ध सम्पत्तियों के मूल्यों के आधार पर आसानी से आंके जा सकते हैं ।

**उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्यमन्त्री (श्री पी. के. थुंगन)** : हमने उस आधार को अपनाया था ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : अगर आपने उसे अपनाया है तो हमें उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं देते हैं ? (**व्यवधान**) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की संपत्तियों के कुल मूल्य के बारे में जानना अत्यन्त आवश्यक है । जहां तक हम समझते हैं, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के मामले में भी शेयरों को इसी प्रकार से बेचा गया था । वे तथ्य जारी नहीं कर रहे हैं । जारी किये गये शेयरों की संख्या से परिसंपत्ति के मूल्य को विभाजित कर देने से प्रति शेयर का मूल्य निकल आयेगा और इसी तरीके से इसका आकलन भी किया जाता है । कुछ जानकारी ऐसी हैं जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज नहीं किया जाता है । इसी प्रक्रिया से इनके मूल्य निर्धारित किए जाते हैं । यह एक जानी मानी प्रक्रिया है ।

अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन बड़ी कम्पनियों के परिसंपत्तियों की मूल्यांकन करने हेतु अपने इस प्रक्रिया विभाग का इस्तेमाल किया है या नहीं । इसकी शेयर होल्डिंग तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बराबर नहीं है । लेकिन फिर भी इसने भारतीय तेल निगम और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की तरह करोड़ों रुपये की परिसंपत्ति हासिल कर रखी थी । ऐसा कहने का कोई अर्थ नहीं है कि चूंकि इसके कोई बाजार भाव नहीं थे इसलिए हमने इधर-उधर थोड़ा सा जोड़ दिया है । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि इसके परिणामों के बारे में भविष्य में विचार कर लिया जायेगा ।

जानकीरमन समिति ने कड़ी आलोचना की है कि सारे दिशा-निर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना की गई थी । जबकि मन्त्री महोदय का उत्तर है कि दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया था । हम उनकी कार्यशैली के बारे में भी जानना चाहेंगे ।

महोदय, राष्ट्र की अति महत्वपूर्ण सम्पत्तियों को नाश कर दिया गया है । 'म्यूच्युअल फंड' से यह दलालों के मार्फत जिनकी इन मामलों में कोई भूमिका नहीं होती है से बड़े व्यापारिक घरानों के हाथ में चली गई है । यह कुछ निजी दलालों के हाथ में चली गई है जहां से यह दूसरे उद्योगों, विदेशी बैंकों आदि में पहुंच चुकी है । यह सब कैसे हो गया ? सदन में इस पर कोई चिंता व्यक्त नहीं की जा रही है । प्रधानमन्त्री यहां उपस्थित हैं । सिर्फ यह कह देने से कि संयुक्त संसदीय समिति गठित कर दी गयी है, से काम नहीं चलेगा । वह इन सारे मामलों की जांच नहीं कर पायेगी ।

इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस बात पर अधिक सकारात्मक रूप से ध्यान दे ताकि दोषी व्यक्तियों का पता लग सके और उन्हें दंडित किया जा सके। हमें वस्तु स्थिति का पता होना चाहिए।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** ( विजयवाड़ा ) : महोदय, विश्वसनीय रूप से ऐसा समझा जाता है कि इन शेयरों को बाजार मूल्य से बहुत ही कम दामों पर बेचा गया है। हमारी सूचना यह है कि परिसंपत्ति का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया गया था। इन सार्वजनिक उपक्रमों में से अनेक उपक्रमों की परिसम्पत्तियाँ बहुत पहले ही हासिल की गई थी। उदाहरण के लिए जमीनों का मामला लें। उन्हें बहुत ही कम दरों पर खरीदा गया होगा। लेकिन आज उनकी कीमत ज्यादा होगी। इन लोगों ने सम्बद्ध परिसंपत्तियों का कम मूल्यांकन करके ऐसा कर दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राव, कृपया मेरी सुनिये। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सारी घटनाओं की जांच संयुक्त संसदीय समिति करने वाली है।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया कुछ देर प्रतीक्षा करें। जो बात भविष्य में की जाने वाली है, उसके बारे में आप अभी से पूछ रहे हैं। चूंकि यह एक बड़ा मुद्दा है इसलिए इस पर सरकार से सदन में तत्काल ही जबाब देने की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। माननीय प्रधानमन्त्री के इस कथन "मैं सदस्यों से राय-मशवरा करके समुचित निर्णय लूंगा" को भी आप बोलते समय ध्यान में रखें।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : जी हां, महोदय, चूंकि वह यहां है, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं।

इस प्रकार से, अपनियोजन करने की मंशा से रखे गये इन कम्पनियों के शेयरों को समुचित ढंग से मूल्यांकन नहीं करने के कारण, इसका लाभ साधारण नागरिकों या इन कम्पनियों में काम करने वाले लोगों को मिलने के बजाय कुछ बड़े उद्योगपतियों या व्यापारियों को मिला है। अतः मेरा विनम्र अनुरोध है कि इन शेयरों के मूल्य निर्धारित करते समय सरकार को सारी सावधानियाँ बरतनी चाहिए और साधारण जनता एवं इन कम्पनियों में वर्षों से मेहनत करने वाले कामगारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साधारण जनता द्वारा इन्हें न खरीद पाने की स्थिति में ही इन शेयर बड़े लोगों को मिलने चाहिये। महोदय, यह मेरा सुझाव है और माननीय प्रधानमन्त्री से सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों तथा इस देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करने हेतु सभी कदम उठाने का मैं आग्रह करता हूं।

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** (फतेहपुर) : इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश ये हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों को अपनी शेयर स्टॉक बाजार में दर्ज करवाये बिना नहीं बेचना चाहिए। यह एक बहुत ही अच्छा दिशा-निर्देश था जिसमें इन्हें दर्ज कराते समय इनका मूल्य मोटे तौर पर निर्धारित की जा सकती है। इन शेयरों को स्टॉक बाजार में बिना दर्ज कराये, कैसे बेच दिया गया ? अब फिर यह कहना कि इन्होंने इसके बारे में कुछ बातचीत की है और इनके मूल्य ठीक-ठाक हैं, तर्कसंगत नहीं है। प्रश्न यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने काफी सोच-समझकर यह दिशा-निर्देश बनायी होगी, जिसे सरकार ने कोई आपत्ति नहीं करके अपनी पुष्टि प्रदान की थी। यह कैसे हुआ कि इन्हें बगैर स्टॉक बाजार में दर्ज कराये हुए ही बेच दिया गया ? भारतीय रिजर्व

बैंक की दिशा-निर्देश में निजी बातचीत का कोई जिक्र नहीं है। इसे नियमित स्टॉक बाजार के मार्फत दर्ज कराया जाना चाहिए। निजी तौर पर इस सम्बन्ध में बातचीत कैसे की जा रही है? ये सारी बातें बहुत ही युक्ति संगत हैं और मैं समझता हूं कि सरकार को इस संबंध में की जा रही कार्यवाही को बताना चाहिए। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यह तो शून्य काल की गतिविधि है जिस पर कोई अंकुश नहीं है।

**प्रधानमन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव)** : यह क्या हो रहा है?

**अध्यक्ष महोदय** : वही हो रहा है जो शून्यकाल के दौरान होता है वे कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा उठा सकते हैं और उन्हें सरकार से उम्मीद नहीं है.....

**श्री पी. वी. नरसिंह राव** : उन्हें उठाने दें। हम उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों पर काफी सतर्कता से गौर करेंगे।

**श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा)** : महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र से अपनियोजन की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को सौंपी गई थी, वह और कोई नहीं श्री कृष्णमूर्ति थे जो इन सारे कांड और घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं (व्यवधान) वह उनमें से एक हैं। लेकिन वहीं मुख्य अभियुक्त हैं और भी कई हो सकते हैं किन्तु उन्हें यह जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। उनकी अध्यक्षता में उपनियोजन हेतु एक समिति गठित की गई थी।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इन सारी बातों की जांच समिति द्वारा की जा सकती है?

**श्री वसुदेव आचार्य** : महोदय, मैं मुख्य मुद्दे की ओर आ रहा हूं। श्री कृष्णामूर्ति अकेले नहीं हैं। आज के टाइम्स ऑफ इन्डिया में.....

**श्री मनोरंजन भक्त** : (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, इन सारी बातों को यहां उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप जानते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे उठाया गया है तथा मैंने अनुमति भी दी है। मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

**श्री वसुदेव आचार्य** : दूसरे नाम भी प्रकाश में आये हैं (व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं। कृपया नाम का जिक्र नहीं करें। यह क्या हो रहा है।

**श्री वसुदेव आचार्य** : यह "टाइम्स आफ इन्डिया" में प्रकाशित हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह किसी भी चीज में प्रकाशित हुआ हो। आप सदन में यह बात नहीं कह सकते हैं। यह कार्यवाही वृतान्त में नहीं सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री वसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइये। मैंने श्रीराव को यह बता दिया है कि अब तक इस सम्बन्ध में जो भी घटना घट चुकी है, उसका अगर आप उल्लेख करते

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं तो समिति उस मामले पर जाँच कर सकती है। जब आप किसी मामले को समिति के समक्ष पेश करते हैं तो उसे फिर सदन में नहीं उठाना चाहिए। अगर भविष्य के लिये आपके पास कोई सुझाव है तो उसके लिये आपका स्वागत है। आप पहले की बात को छोड़कर भविष्य पर ध्यान केन्द्रित करें।

**श्री वसुदेव आचार्य** : महोदय, लेकिन,....

**अध्यक्ष महोदय** : इसमें लेकिन, अगर आदि की बात नहीं है।

**श्री वसुदेव आचार्य** : लेकिन इस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री आचार्य, आपको इन सारी बातों को कहने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि प्रक्रिया के मुताबिक अगर कोई बात संयुक्त संसदीय समिति को सौंपी जाती है तो उसी चीज को सदन में उठाने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री वसुदेव आचार्य** : महोदय उनमें से एक तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और एक कैबिनेट मंत्री के निकटतम मित्र भी हैं.....*

**अध्यक्ष महोदय** : यह रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री वसुदेव आचार्य, मैं जो कह रहा हूँ कृपया उसे समझिये। आप एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, आप तो प्रक्रिया का पालन करें।

**श्री मनोरंजन भक्त** : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों के आधार पर माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा आश्वासन दे देने के तत्काल बाद ही मैं समझता हूँ कि सम्बद्ध मंत्रालय एवं उसके अधिकारियों के द्वारा इस बात को नोट कर लिया गया होगा तथा सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि भविष्य के लेन-देन में पर्याप्त सतर्कता बरती जायेगी।

मेरे विचार में यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इस पर जब संयुक्त संसदीय समिति में बहस हो रही है, तो भी इस बारे में सदन में बहस करने की आवश्यकता है।

**श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, गैर-सरकारी संकल्प के अन्तर्गत इस मुद्दे के लिये चार घंटे निर्धारित किए गए हैं।

—

**अध्यक्ष महोदय** : अब उस मुद्दे का समय समाप्त हो चुका है। हम दूसरा विषय ले रहे हैं। कृपया अब बैठ जाइये।

**श्री अन्ना जोशी** (पुणे) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक-महत्व के निम्नलिखित मुद्दों को उठाना चाहता हूँ। गोआ, दादरा और नागर हवेली के कई स्वतन्त्रता-सेनानी अभी भी केन्द्रीय सरकार से स्वतंत्रता-सेनानी के रूप में मान्यता मिलने का इन्तजार कर रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद कि महाराष्ट्र सरकार ने उनमें से अधिकांश को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता देकर उन्हें पेंशन एवं अन्य सुविधायें भी देना शुरू कर दिया है, केन्द्रीय सरकार इस बात को लेकर दुविधा में है

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि उन्हें मान्यता दूं या नहीं दूं। इस वर्ष 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के स्वर्ण जयन्ती समारोह के उपलक्ष्य में केन्द्र सरकार को इन स्वतन्त्रता-सेनानियों के द्वारा किये गये त्याग के प्रति सम्मान के रूप में उन्हें यथाशीघ्र मान्यता प्रदान करने के साथ-साथ उसी तारीख से आवश्यक पेंशन की भी मंजूरी देनी चाहिए जिस दिन से महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें मान्यता दी है। ऐसा करना इन स्वतंत्रता-सेनानियों के प्रति सबसे बड़ा सम्मान होगा जिनके वे पात्र हैं लेकिन ये सुविधाओं से वंचित हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : सोमनाथ जी, उस बारे में कृपया आप मेरे कक्ष में विचार कर लीजिए और अगर आप चाहें तो इसे अगले दिन उठा सकते हैं।

**श्री हरिकिशोर सिंह** (शिवहर) : महोदय, मैंने भी एक नोटिस दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपके साथ भी विचार करूंगा।

**[हिन्दी]**

**श्री राम नाईक** (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, अगस्त-क्रान्ति का स्वर्ण महोत्सव अभी शुरू हो रहा है। उसके साथ-ही-साथ जो आम जनता को राजनीति में लाए आजादी के संघर्ष में लाए, स्व॰ लोकमान्य तिलक–फादर आफ इण्डियन अनरैस्ट-उन्होंने दो प्रकार के महोत्सव शुरू किये। एक, सार्वजनिक गणेश महोत्सव और दूसरा, शिव जयन्ती महोत्सव। सार्वजनिक गणेश महोत्सव को इस साल सौ साल पूरे हो रहे हैं और इस सार्वजनिक गणेश महोत्सव का देश के राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए मैं मांग करता हूं, वैसे हमने फॉर्मल मांग की है, प्राइम मिनिस्टर के पास, दो-तीन मिनिस्ट्री के पास, इन्फार्मेशन एण्ड ब्रॉड-कास्टिंग मिनिस्ट्री के पास, कि उसके अनुरूप कुछ काम करने चाहिए। जैसे पोस्टेज टिकट निकाला जा सकता है और टीवी पर इसके संदर्भ में कुछ परिसंवाद किया जा सकता है और देश में अलग-अलग भागों में अच्छी तरह से सार्वजनिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस शताब्दी महोत्सव में सरकार को आगे कदम बढ़ाना चाहिए और स्थान-स्थान पर उचित कार्यक्रम आयोजित करने चाहिये। मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री जी इसके बारे में सारे देश का मार्गदर्शन करें और अपना वक्तव्य दें।

**श्री राम विलास पासवान** (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी सब जगह स्कूलों में एडमिशन्स चल रहे हैं। सरकार की नीयत है कि एजूकेशन देश की रीढ़ है। आप जानते हैं कि इस देश में आजादी के जो पब्लिक स्कूल्स हैं, वे बीस फीसदी ज्यादा बढ़ गए हैं। पब्लिक स्कूल्स खास कर दिल्ली और बड़े-बड़े शहरों में चल रहे हैं। आजकल एम.ए. में एडमीशन लेना आसान होता है, लेकिन पब्लिक स्कूल में एडमीशन लेना कठिन काम है। वहां दिक्कत यह हो रही कि पब्लिक स्कूल्स से पढ़कर जो लड़के निकलते हैं, वही जाकर बड़े-बड़े पदों पर नियुक्त हो जाते हैं।

पढ़ाई भी उनकी अच्छी हो सकती है, ये सारी चीजें हैं लेकिन दिक्कत यह है कि वहां जो शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़के हैं वे कोई एडमिशन पा ही नहीं सकते हैं। गरीब घर के लड़के पढ़ नहीं पाते हैं इसका नतीजा यह हो रहा है कि जब आप अपोरचूनिटी नहीं देंगे तो फिर वैसी परिस्थिति में आप आगे जाकर कैसे उम्मीद कर सकते हैं. जब ईक्वल अपोरचूनिटी नहीं मिलेगी, जब ईक्वल एजुकेशन नहीं मिलेगी तो उस परिस्थिति में आगे जाकर पयूचर

क्या होने वाला है ? इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि या तो यह सरकार पब्लिक स्कूलों को बन्द करें और यदि नहीं कर सकती है तो पब्लिक स्कूलों में आप उस रेकोगनिशन को छीनिये, जो पब्लिक स्कूल रिजर्वेशन की पालिसी को लागू न करें, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों को, जो सरकार की नीति है उस नीति के तहत यदि वह रिजर्वेशन के प्रावधान को पूरा नहीं करता है तो उनके पब्लिक स्कूलों को रेकोगनिशन नहीं दी जानी चाहिए, नहीं तो यह जो इनइक्वेलिटी है, जो शिक्षा के क्षेत्र में असमानता है इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही भयंकर होने वाले हैं और जो कुछ लोग एलाइट क्लास के लोग हैं वे देश के ऊपर शासन करेंगे । सरकार की जो संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें समाज के वीकर सैक्शन के लोगों को जस्टिस देने के लिए और स्पेशल अपोरचूनिटी देने का उनका जो उद्देश्य है वह सारा का सारा उद्देश्य खत्म हो जाएगा ।

इसलिए मैं आपके माध्यम से, यहां मन्त्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं चूंकि एडमिशन चल रहे हैं, उन पब्लिक स्कूलों में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों को, जो 22·5 परसेंट रिजर्वेशन का कोटा है उसको शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जाए ।

अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट निकला है और उस इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज ने जिस तरीके का शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन के सम्बन्ध में समाप्त करने का, उन्होंने अपना जो आदेश दिया है उससे पूरे के पूरे देश में तमाम पालिटीकल पार्टी के जो भी सोशल जस्टिस में विश्वास रखने वाले लोग हैं उनके मन में एक संदेह का वातावरण पैदा हो गया है और तमाम लोगों ने जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय हुआ है उसके खिलाफ में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है । इसलिए हम सरकार से कहना चाहेंगे और आग्रह करना चाहेंगे, सीताराम केसरी जी नहीं बैठे हैं, एक जगह बहुत भाषण दे रहे थे कि सरकार इस विषय में गम्भीरतापूर्वक सोच रही है तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार को इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए इसके खिलाफ में, और सरकार को पार्लियामेंट में एक विधेयक लाना चाहिए, संविधान संशोधन, चाहे उसको संविधान के 9 शेड्यूल में रखने का काम करें, रिजर्वेशन के शेड्यूल को, लेकिन जो संविधान की गारंटी है, जो बाबासाहेब अम्बेडकर और संविधान की देन है, जो राष्ट्रीय आन्दोलन की देन है उस रिजर्वेशन के प्वाइन्ट पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, न सरकार को ईल्ड करना चाहिए । यदि 9 शेड्यूल में डालने का भी सरकार को मौका मिले तो डालना चाहिए जिससे कोई भी पार्टी रिजर्वेशन के खिलाफ में कोर्ट में न जा सके । इन दो चीजों के ऊपर हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे ।

12.24 म.प.

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

**[अनुवाद]**

**श्री जी. एम. सी. बालयोगी** (अमालापुरम) : महोदय, मुझे लोक-महत्व के अविलम्बनीय निम्नलिखित मामले को उठाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए ।

भारतीय खाद्य निगम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के नेता सर्वश्री पी० वदीवेल और पी. सेनगोदन निम्नलिखित मांगों के लिए आमरण-अनशन पर बैठे हुए हैं—

1. भर्ती और पदोन्नतियों में विशेष भर्ती अभियान शुरू करना।

2. एक ही वेतनमान में रुके कर्मचारियों को पदोन्नति देना।

क्योंकि वे 5-8-1992 से 9-8-1992 तक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी स्वास्थ्य की दशा दिन-प्रति-दिन बिगड़ती जा रही है। अतः, मैं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री महोदय से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि उनकी वास्तविक शिकायतों पर ध्यान दें और यथाशीघ्र न्याय करें। आमरण अनशन का उनका आठवां दिन है।

**श्री के. पी. रेड्डय्या यादव** (मछलीपटनम) : महोदय, आप आवेदनों को रोजाना प्राप्त आवेदन के अनुसार क्रम दे रहे हैं और उसी के अनुसार सदस्यों को बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं टेबल-आफिस में 9 बजे आया था और मैंने अपना आवेदन और पूर्व सूचना प्रस्तुत की थी। मेरा नाम बोलने के लिए क्यों नहीं पुकारा जा रहा है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : हमें यह टेबल कार्यालय से जांच कर लेने दें। अगर कोई गलती हुई, तो हम ठीक कर लेंगे।

**श्री के. पी. रेड्डय्या यादव** : पिछले पांच दिनों से मैं वही पूर्व सूचना दे रहा हूं। यह क्या बात है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम अवश्य इसकी जांच कर लेंगे।

**श्री के. पी. रेड्डय्या यादव** : क्या मैं इस मामले को उठाने का पात्र नहीं हूं ( सदस्यों से व्यवहार करने का यह ढंग नहीं है। नियमों की पालना करने वाले सदस्यों को अनावश्यक ही उत्तेजित किया जा रहा है। (व्यवधान)

**श्री सुखेन्द्र खाँ** (विष्णुपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बांकुरा जिला औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। लम्बे समय से बांकुरा के कामकाजी लोग जिले में भारी उद्योग की स्थापना हेतु प्रस्ताव करते रहे हैं। उसके परिणाम स्वरूप, भारत-सरकार ने कालिदासपुर कोयला क्षेत्र में एक कोयला-खनन इकाई की स्थापना हेतु निर्णय लिया था। वर्ष 1985-86 में, भारत-सरकार ने मझीआ में एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। इस परियोजना में 210 मेगावाट की तीन इकाईयां, कुल क्षमता 630 मेगावाट, स्थापित करने का विचार था। मझीआ ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण का दायित्व दामोदर घाटी नियम को सौंपा गया था। श्री वसन्त साठे, भूतपूर्व केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने 1987 में मझीआ परियोजना की आधार-शिला रखी थी।

पश्चिम-बंगाल सरकार ने 2500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था और इसे दामोदर घाटी निगम को सौंपा था। मझीआ ताप विद्युत परियोजना ने अच्छी प्रगति कर ली है। पहली इकाई दो वर्ष की अवधि में चालू हो जायेगी। कामगारों सहित जनता के सभी वर्गों ने परियोजना के चालू करने में निष्ठापूर्वक सहयोग दिया है और इसीलिए तीव्र गति से प्रगति हुई थी।

जब कि स्थिति इस परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के अनुकूल थी, **इकॉनोमिक-टाइम्स** में प्रकाशित डी. वी. सी. के चैयरमैन के एक वक्तव्य से यह प्रकट होता है कि संबंधित प्राधिकारी मझीआ ताप विद्युत परियोजना को निजी स्वामित्व में सौंपने का विचार रखते हैं। अतः, बांकुरा जिले के लोगों की ओर से, मैं मझीआ ताप विद्युत परियोजना को निजी स्वामित्व में सौंपने के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि डी. वी. सी. और भारत सरकार मझीआ ताप विद्युत परियोजना के निजीकरण करने से बाज आये।

हमने बांकुरा के लोगों से भी यह निवेदन किया है कि राजनैतिक-दृष्टिकोण से ऊपर उठ कर, इस प्रकार की कार्रवाई का विरोध करें तथा मझीआ ताप विद्युत परियोजना के सार्वजनिक-स्वामित्व के बारे में यथा-स्थिति बनाये रखने की माँग करें।

अतः, मैं भारत-सरकार से निवेदन करता हूं कि मझीआ विद्युत ताप संयंत्र के निजीकरण की किसी कार्रवाई से बाज आये और परियोजना-निर्माण का कार्य सार्वजनिक-स्वामित्व में जारी रखे। (व्यवधान)

**डा० कृपासिन्धु भोई** (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अयोध्या में भगदड़ मचने के बारे में जानना चाहता हूं। इसमें सात लोगों की मृत्यु हो गई है। यह बहुत बुरी बात है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं। मैं सदस्यों को सूची के मुताबिक बोलने के लिए बुलाता हूं। जब तक आप पूर्व सूचना नहीं देते, तब तक आप यह मुद्दा नहीं उठा सकते। मुझे खेद है।

**डा. कृपासिन्धु भोई** : मैं आप से करबद्ध अनुरोध कर रहा हूं कि हमें बताएं कि अयोध्या में क्या स्थिति है। इस भगदड़ में सात लोग मारे गये हैं। (व्यवधान)। यह राज्य के क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री रामाश्रयप्रसाद सिंह**(जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मौलाना आजाद मेडीकल कालेज, नई दिल्ली में सन् 1967 में आपरेशन थियेटर असिस्टेंट का दो वर्षीय ट्रेनिंग डिप्लोमा कोर्स शुरू होना था, जिसके लिए प्रतिवर्ष, अभी तक चालीस हजार रुपए अनुदान बराबर, भारत सरकार द्वारा दिया जाता रहा है। लेकिन ट्रेनिंग कोर्स शुरू नहीं कराया जा सका। आखिर क्या कारण है ? मार्च, 1991 में स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से यह ट्रेनिंग कार्य शुरू कराए जाने के आदेश भिजवाए गए, लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया गया।

अतः मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस कोर्स को शुरू किया जाए, ताकि अनुदान की राशि का उपयोग किया जा सके।

**श्री रामप्रसाद सिंह** (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के महत्व को इस सदन ने हमेशा स्वीकार किया है। बिहार के 3-4 जिले, भगुआ, बचर, रोहतास आदि ऐसे जिले हैं, जहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूशन न होने के कारण गरीब मेधावी बच्चे पढ़ नहीं सकते और गरीब मेधावी बच्चों को पढ़ने में कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से माँग करूंगा कि भगुआ, बचर और रोहतास जिले में नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए।

**श्री रवि राय** (केन्द्रपारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की ओर खींचना चाहता हूं। कल घूमल साहब ने यूनिवर्सिटी शिक्षा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था। मैं जो सवाल उठाने जा रहा हूं यह यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन की कमेटी के गठन के सिलसिले में है। हमको ताज्जुब होता है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन जो देश में हायर एजूकेशन का नियंत्रण करती है, 30 तारीख को इसकी कमेटी का गठन हुआ है, कुल 12 मेम्बर्स हैं। यू. जी. सी. के उनमें से सात मेम्बर्स दिल्ली से हैं। मैं दंग रह जाता हूं इस चीज को देख कर कि यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन का कोई आल इण्डिया क्रेक्टर नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप भी कर्नाटक से आते हैं, चार दक्षिण राज्य हैं, एक भी सदस्य

दक्षिण से यू. जी. सी. में नहीं है। क्या दक्षिण के चार प्रान्त हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है? जब से यू. जी. सी. की ये कमेटी बनी हैं दो सदस्य से इसमें रहते थे। 12 सदस्यों में 7 सिर्फ दिल्ली से हैं, क्या दिल्ली पूरा हिन्दुस्तान है?

मैं आपसे बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि किस तरीके से केन्द्र सरकार इस फैसले से दूसरे प्रान्तों को एलीनेट कर रही है। कोई भी महिला सदस्य नहीं हैं, चार दक्षिण प्रान्तों से कोई सदस्य नहीं है, नार्थ-ईस्टर्न से, आसाम, उड़ीसा से कोई सदस्य नहीं है, उड़ीसा जैसे स्टेट का तो शुरू से कोई सदस्य इसमें नहीं है।

मुझे ताज्जुब हुआ शासक दल का हारा हुआ एक आदमी है, उसको भी 12 सदस्यों में लिया गया है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है कोई जूनियर कालेज टीचर होंगे। सवाल यह है कि यू. जी. सी. का राजनीतिकरण करना अच्छी बात नहीं है।

जो कमेटी का गठन हुआ है उसको आप देखिए। प्रान्तवाइज गठन इस प्रकार है, 12 सदस्यों में से दो, चेयरमैन और वाईस-चेयरमैन यू.जी.सी. के आफिशियल हैं, दो मैम्बर एच. आर. डी. मिनिस्ट्री के एक्स,आफिशिओ हैं, चार दिल्ली से है, जिनको मनोनीत किया गया है, पांच सदस्य गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कलकत्ता से हैं। इसमें कोई महिला सदस्य नहीं है, चार दक्षिण के प्रान्तों से कोई सदस्य नहीं हैं। उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी यू. जी. सी. ने ली हैं। आप ताज्जुब करेंगे।

[अनुवाद]

जीव विज्ञान, प्राणि विज्ञान, जीव, रसायन और जैविक प्रौद्योगिकी से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

[हिन्दी]

इंजीनियरिंग साइंस से कोई आदमी नहीं है।

[अनुवाद]

शैक्षणिक प्रतिभाओं, प्रौढ़ शिक्षा और सामान्य स्वास्थ्य के विकास के लिए।

[हिन्दी]

इन सब चीजों का कोई सदस्य नहीं है। लाईफ-साइन्स और इंजीनियरिंग टैक्नोलाजी में समन्वय रखना चाहिए, उसका भी कोई सदस्य इस कमेटी में नहीं है।

मैं कभी-कभी सोचता हूं कि भारत सरकार के एच. आर. डी. मिनिस्टरी का जब नोमीनेशन होता है, यू. जी. सी. के 12 सदस्यों का नोमीनेशन होता है तो क्या आल इण्डिया बेसिज पर नहीं होता है। क्या उच्च शिक्षा की देखभाल करने हेतु जो चीज होनी चाहिए वह नहीं देखते? मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि प्रोफेसर धूमल ने जो सवाल उठाया था।

मैं यह सवाल उठा रहा हूं कि हिन्दुस्तान से सारी हायर एजुकेशन और एलीमेंटरी एजुकेशन पूरी तरह चौपट है और शिक्षा जगत में धांधलियां हो रही हैं तो भारत सरकार की ओर से एक इंटीग्रेटेड बयान दिया जाए।.....(व्यवधान)

**श्री रामेश्वर पाटीदार** (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने 10 अप्रैल 1992 को यह सवाल उठाया था कि दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रारम्भ होने के पहले सत्यम-शिवम-सुन्दरम दिखाया जाता था। मार्च और अप्रैल से दिखाने के पहले शिवम की जगह प्रियम कर दिया गया था। मैंने उस पर आपत्ति की तो मुझे मंत्री जी ने जवाब में बताया कि सत्यम-शिवम-सुन्दरम की जगह प्रियम कभी नहीं किया गया है। मंत्री जी को भी दूरदर्शन वालों ने गलत जानकारी दी। मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा है और देश के करोड़ों दर्शकों ने देखा है कि शिवम की जगह प्रियम कर दिया गया था। उसके बाद प्रियम को सुधार कर शिवम कर दिया गया। फिर एक सप्ताह बाद सत्यम-शिवम-सुन्दरम पूरा का पूरा उड़ा दिया गया। मंत्री महोदय कहते हैं कि हम स्टाइल सुधार रहे हैं। उस स्टाइल को सुधारने के नाम पर सत्यम-शिवम-सुन्दरम को गायब कर दिया गया। क्या शिवम से इतनी एलर्जी हो गई.....(**व्यवधान**) किस तरह की धर्म-निरपेक्षता बताना चाहते हैं। क्या दूरदर्शन वालों ने सत्य को स्वीकार कर लिया। दूरदर्शन का क्या सत्य से कोई वास्ता नहीं है और क्या शिवम से कोई वास्ता नहीं है, मंजूर कर लिया तो अलग बात है। मेरी मांग है कि हम धर्म-निरपेक्षता के नाम पर या झूठी प्रगतिशीलता के नाम पर कितना पीछे हटते जायेंगे और भारतीय संस्कृति का सूचक वाक्य नहीं बतायेंगे तो मैं चाहता हूं कि उसको पुनः पूरा प्रदर्शित किया जाना चाहिए। एक सुझाव और देना चाहता हूं। उसमें जो "लोगों" को नीचा कर दिया गया है। पहले लोग टी वी पर राइट साइड बताते थे पर नीचे कर दिया गया। अब भी इतनी गुंजाइश है कि सत्यम शिवम-सुन्दरम पूरा उसके नीचे भी आ सकता है।.....(**व्यवधान**) दूरदर्शन पर राष्ट्रीय न्यूज के पहले जो देश का नक्शा दिखाते हैं उसमें तीन रंग होते हैं। एक रंग बंगला देश पर जाकर पूरा कटा हुआ नजर आता है। राष्ट्रीय ध्वज भी कटा-फटा नजर आता है। उसमें तीन रंग नहीं बताए जाते जबकि उसको लहराता हुआ बताएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा।

**श्री वीरेन्द्रसिंह** (मीर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जब जीवित थे तो उनका गांव उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली घाघरा नदी के बीच में पड़ता था। उस पर एक सड़क पुल बनाए जाने वाला था, लोक नायक ने वह कल्पना की थी और सुझाव दिया था। तत्कालीन बिहार के मुख्य मंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव हुआ करते थे। उस समय एक अनुबंध हुआ था कि केन्द्र सरकार की सहायता से दोनों प्रदेश सरकारें उस सड़क पुल को बनाने का काम करेगी। सड़क पुल का निर्माण शुरू हुआ था लेकिन केन्द्र सरकार ने उस पर धन उपलब्ध कराकर काम को रुकवा दिया था। जो सामान था तो उसको दूसरी जगह उठवाकर ले गए। मैं सदन का और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण के गांव को जोड़ने के लिए और उत्तर प्रदेश तथा बिहार को जोड़ने के लिए सड़क पूल का निर्माण लोक हित का सवाल है। उस पुल का निर्माण अविलंब शुरू हो जाना चाहिए और सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

**[अनुवाद]**

**श्री दत्तात्रेय बंडारू** (सिकन्दराबाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं, जोकि आन्ध्र-प्रदेश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया केवल संबद्ध भाग ही पढ़ें।

**श्री दत्तात्रेय बंडारू** : तेलंगाना में हैदराबाद महानगर समेत दस जिले सम्मिलित हैं और इसकी जनसंख्या 2.6 करोड़ अर्थात समूचे आंध्र प्रदेश की कुल जनसंख्या का एक तिहाई से भी अधिक है। उत्तरोत्तर राज्य और केन्द्र सरकारों ने तेलंगाना के लोगों को प्रदान किये गये सुरक्षा-उपायों की उल्लंघना की हैं। हर क्षेत्र में अन्याय के अनेक विशेष उदाहरण—विशेषकर सिंचाई, विद्युत, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में-हैं, आंध्र और तेलंगाना-आंचल के बीच सुस्पष्ट विषमताओं को प्रदर्शित करने के अतिरिक्त, तेलंगाना आचल में किये गये हैं। वे हैं;

1. शिक्षण-संस्थाओं में प्रवेश के मामले में पूरे राज्य मे समरूप व्यवस्था स्थापित करने में असफलता;
2. गैर-स्थानीय लोगों को अधिक स्थान और रोजगार पाने में सक्षम बनाने हेतु तेलंगाना में सिटी-जोन का अन्य-जोनों से अनियमित रूप से एक-साथ मिलाना;
3. सार्वजनिक-नियोजन में कोई संरक्षण प्रदान न करना;
4. तेलंगाना अधिकतर सूखाग्रस्त क्षेत्र है, राज्य-सरकार द्वारा लगातार उसकी उपेक्षा की जा रही है;
5. पोचापड़, श्रीराम सागर परियोजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं की भी पूर्णतय उपेक्षा की जाती रही है।

मांगें और इनका निदान निम्नानुसार है;

1. क्षेत्रीय-समितियों का पुनर्जीवित करना;
2. प्रधान मंत्री की समीक्षा समिति का गठन करना;
3. उच्च-स्तरीय आयोजना और विकास समिति का गठन करना;
4. 1-4-69 से तेलंगाना की फालतू धनराशि की गणना करना;
5. विगत में तेलंगाना की फालतू निधियों के अन-उपयोग की प्रति पूर्ति के लिए तेलंगाना क्षेत्र हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत अतिरिक्त आवंटन करना;
6. तेलंगाना क्षेत्र की समस्या के समाधान हेतु छह सूत्रीय फार्मूला और अन्य आश्वासनों आदि के अंतर्गत प्रदान किये गये सुरक्षा-उपायों की उल्लंघना पर श्वेत-पत्र जारी करना।

मैं माननीय प्रधान मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यह मुद्दा क्षेत्रीय असंतुलन से संबंधित है और इससे आंध्र-प्रदेश राज्य के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अतः समस्या की अविलम्बनीयता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच-पडताल करें और उपचारात्मक उपाय तत्काल लागू करें।

**श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, चिल्का झील में एक झिंगा-मछली-पालन केन्द्र विकसित करने हेतु चिल्का मछली पालन परियोजना नामक एक परियोजना, जोकि टाटा-समूह और राज्य-सरकार की एक संयुक्त परियोजना है, के लागू करने के बारे में अनिश्चितता का वातावरण रहा है। इसके बारे में उड़ीसा में अनिश्चितता का वातावरण विद्यमान है।

जैसा कि आपको विदित ही है कि चिल्का झील को रामसर-सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की दलदली-भूमि की संज्ञा दी गई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान स्कूल के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर सी.के. वाशने के अनुसार चिल्का-झील की एक विशिष्ट पारिस्थितिक विशेषता है, जिसके सादृश्य उष्णकटिबन्धीय संसार में कोई नहीं है। महोदय, इसे महत्व दिया जाना है। उनके अनुसार भू-मध्यरेखीय एवं सामुद्रिक-पारिस्थितिक-संतुलन के बीच इस झील का पारिस्थितिक-संतुलन अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में उद्योग लगाते समय इस बात को समझ लिया जाना चाहिए कि चिल्का झील में औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डाला जाएगा।

महोदय, इसी कारण, और लोकसभा राज्य सभा दोनों के अनेक सांसदों ने इस परियोजना-झिंगा-मछली पालन के लिए टाटा की चिल्का मछलीपालन परियोजना से खतरे की सम्भावना पर चिन्ता व्यक्त की है। हमने इसका विरोध किया है और भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय के राज्य मन्त्री, श्री कमलनाथ के आभारी हैं। उन्होंने उड़ीसा सरकार की सुस्पष्ट हिदायतें जारी की हैं कि पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से व्यापक परीक्षण लम्बित होने के कारण इस परियोजना को लागू करना बन्द कर दे। लेकिन उसके उल्लघन में उड़ीसा सरकार इस पर आगे कार्रवाई कर रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उड़ीसा के मुख्यमन्त्री सॉसदों पर यह कहकर आरोप लगा रहे हैं कि वे पुरी के कुछ बड़े होटल-मालिकों से प्रभावित हैं और वे इस प्रकार के आरोप लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। वह हमारे आचरण को छीटाकशी कर रहे हैं।

तकनीकी तौर पर पर्यावरण की दृष्टि से यह सम्भावित परियोजना नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसे समुद्री-तट पर, कहीं और जहां काफी खारा पानी उपलब्ध है, स्थानांतरित किया जा सकता है। अतः, इसे गम्भीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए और भारत सरकार विशेषकर पर्यावरण मंत्रालय संसदीय कार्य मन्त्री महोदय भी यहां उपस्थित हैं को हमारे, उड़ीसा के पारिस्थितिकी और पर्यावरण दृष्टि से सभी हितों को और ध्यान देना चाहिए। रामसर सम्मेलन में चिल्का-झील को अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की दलदली भूमि की संज्ञा दी गई है।

**एक माननीय सदस्य** : मैं भी अपने आपको उनके साथ जोड़ता हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा। यह श्रेष्ठ बात है।

**श्री सैयद शाहाबुद्दीन** (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, टीटो की भूमि पर हमारी ही आँखों के सामने एक अविस्मरणीय अमानवीय कार्य किया जा रहा है। इसे युगोस्लाविया कहा गया। टीटो द्वारा शासित युगोस्लाविया गुटनिरपेक्षता की त्रिमूर्ति था। गुटनिरपेक्षता के इतिहास में टीटो की गिनती नेहरू और नासिर के साथ की जाती है। उनका देश अब बिखराव के कगार पर है। एक गणराज्य, जो युगोस्लाविया का ही अंग था, बोसनिया हर्सेगोविना कहा जाता है वहां इस वर्ष के आरम्भ से ही ग्रह-युद्ध छिड़ा हुआ है। उस ग्रह-युद्ध ने तीन सरकारों के कारण जो बोसनिया हर्सेगोविना पर शासन करने का अधिकार जता रही हैं, जाति संहार का रूप ले लिया है। सम्पूर्ण जाति को समाप्त करने की एक गलत नीति अपनाई जा रही है। लोगों को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वे किसी विशेष जाति से सम्बन्ध रखते हैं।

यह जाति संहार पुरातन इतिहास को और कर्मयुद्ध की यादें पुनर्जीवित कर रहा है। लोगों को उकसाने के लिए पुरानी शत्रुता को जगाया जा रहा है तथा कठोरता एवं निर्दयता सहन शक्ति की सीमाएं पार कर चुकी है।

यह मामला घरेलू न्याय निर्णय की सीमाएं लांघ चुका है तथा समूचा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इसके बारे में चिन्तित है ; संयुक्त राष्ट्र संघ पहले ही राहत कार्यक्रम चला रहा है लेकिन वही पर्याप्त नहीं है ।

सारा जीवी गिरफ्त में है और कुछ राहत दी गई थी । अब शान्ति बहाल करने की आवश्यकता है । हम सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं और हमारे विशेष दायित्व हैं । जैसा कि मैंने कहा कि युगोस्लाविया में, जिसे अब बोसनिया हर्सेगोविना कहा जाता है, उस राज्य में अगर हम सामान्य जीवन तथा शान्ति और व्यवस्था बहाल कर सकते हैं तो यह हमारा नेहरू, नासिर और टीटो के प्रति समर्थन होगा । इसीलिए मैं सरकार से इस मामले पर विशेष ध्यान देने के लिए अनुरोध करता हूं ताकि हम इस मानवोचित परियोजना में आवश्यक भूमिका अदा कर सकें ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** कुछ और भी नाम हैं । आपका सहयोग नितांत आवश्यक है । अन्यथा कुछ लोग रह जायेंगे और उन्हें असुविधा हो सकती है । इसलिए आप सहयोग करें ।

**श्री ई. अहमद** (मंजेरी) : मैं अनिवार्यता का मापदण्ड जानना चाहूंगा । हरेक मामला जिसके बारे में हम नोटिस देते हैं, वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे कुछ मापदण्ड अपनाने हैं ।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना है ।

**[हिन्दी]**

**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, अखिल भारतीय बैंकिंग सेवा भर्ती मण्डल द्वारा जिस प्रकार से इस बार परीक्षाओं में गड़बड़ की गई है और नियमों की अवहेलना की गई है, उससे हजारों परीक्षार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है । सदैव की भांति प्रत्येक राज्य की अलग-अलग सूची बनाई जाती थी लेकिन उस प्रकार राज्यों की जो अलग-अलग अंचलवार सूची बनाई गई है उससे न तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति न विकलांग और न भूतपूर्व सैनिकों को लाभ मिला है । सामान्य वर्ग के लोगों को भी परीक्षा में पास होने के बाद लाभ से वंचित किया गया है । इसलिए मेरी मांग है कि इस मामले में जो गड़बड़ हुई है, उसकी जांच कराई जाए । मध्यप्रदेश में उज्जैन, इन्दौर, भोपाल के परीक्षार्थियों के साथ भारी अन्याय हुआ है । घोषित परिणामों में फेर-बदल किया गया है । उसके आधार पर जिन्हें चयनित नहीं किया गया है, बाद में उन लोगों को चयनित किया गया और उनके नाम पर एपायंटमेंट लैटर्स जारी किए गए । मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि उज्जैन, इन्दौर सम्भाग में विशेषकर इस प्रकार से अखिल भारतीय बैंकिंग सेवा मण्डल के द्वारा कार्य कलाप में काफी घोटाला और गड़बड़ी हुई है । मैं चाहता हूं कि इस सारे घोटाले की जांच कराई जाये ताकि हजारों परीक्षार्थियों में जो रोष और असन्तोष है, वह दूर हो सके और अनियमितायें दूर हो सकें ।

**श्री मोहनसिंह** (फिरोजपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान पंजाब के उन जिलों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो पाक सीमा के साथ जुड़े हुए हैं । इनमें फिरोजपुर, अमृतसर और गुरदासपुर जिले हैं । इन जिलों में गवर्नमेंट ने 1971 की जंग के बाद 16 कि.मी. की पट्टी में जो मुलाजिम काम करते हैं, उनको बार्डर एलाऊंस देने की स्कीम बनाई और वह स्कीम चलती रही लेकिन उस स्कीम को सन् 1988 में बन्द कर दिया गया । जब यह बार्डर अलाउंस बन्द हुआ तो मुलाजिमों

में बहुत निराशा हुई। पंजाब के इलैक्शंस से पहले गृह मन्त्री एस.बी. चव्हाण पंजाब फेरी में डेरा बाबा नानक गए। वहां उन्होंने ऐलान किया कि जो बॉर्डर अलाउंस काटा गया है उसको हम फौरी तौर पर लागू करेंगे और वह अभी भी लागू नहीं हुआ। उसके बाद हमारे सेन्टर के मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद जी और जाखड़ जी और पंजाब के मुख्य मन्त्री 23 मार्च को हुसैनी वाला गए और वहां उन्होंने ऐलान किया कि हम इसको फौरी तौर पर लागू करेंगे, लेकिन वह अभी तक लागू नहीं हुआ जिसकी वजह से जो बार्डर पट्टी में मुलाजिम काम करते हैं, उन्होंने वहां से ट्रान्सफर कराना शुरू कर दिया और जिस स्कूल में 30 पोस्टें हैं वहां 15 मुलाजिम काम कर रहे हैं। जिस अस्पताल में 10 पोस्टें हैं डाक्टरों की वहां 5 डाक्टर काम कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे बार्डर के जो लोग हैं वे बड़ी परेशानी में हैं और इसी कारण पंजाब का जो फिरोजपुर जिला है, उसके मैट्रिक का रिजल्ट 15% रिजल्ट आया है। एक बड़ी समस्या यह है कि जो बार्डर पर लोग रहते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम है कि सरकार ने पालिसी बनाई कि जिन लोगों की जमीन तार के उस पार है उन लोगों को सरकार कंपनसेट करेगी 200 रुपये हर फसल पर प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन वहां जो फ्लड लाईट लगी है उसके कारण किसानों की फसल बरबाद होती है, रात को जंगली जानवर फसल को बरबाद करते हैं, लेकिन उस पालिसी को अभी तक लागू नहीं किया गया। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पालिसी को जल्दी लागू किया जाए ताकि किसानों और मुलाजिमों की समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद !

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय :** अनेक सदस्य हैं, जो बोलना चाहते हैं। क्या मैं शून्य काल समाप्त कर दूं ?

**अनेक सदस्य :** नहीं, नहीं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अगर वह मामला है, तो फिर जिम्मेदारी आपकी है। आप कार्यालय में पहले आये हैं और नोटिस दिया है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। बल्कि आपको बाद वाले वक्ताओं का भी ध्यान रखना चाहिए।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं सदस्यों को मेरे सामने सूची के अनुसार बुलाता हूं। जहां तक सदस्यों के विषय और व्यवस्था का संबंध है, मैं एक सदस्य सत्तारूढ़ दल से बुलाता हूं और फिर एक सदस्य विपक्ष से। यही व्यवस्था अपनाई जा रही है। मुझे आशा है कि आप इससे सहमत हैं।

अब श्री द्वारकानाथ दास बोलेंगे।

***श्री द्वारकानाथ दास (करीमगंज) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 मेघालय, असम में बारक घाटी से लेकर त्रिपुरा राज्य तक फैला हुआ है इसका अर्थ यह हुआ कि यह राजमार्ग जवाई बदरपुर, करीमगंज से अगरतला तक फैला हुआ है। बदरपुर से लेकर करीमगंज तक के इस राजमार्ग के एक बहुत बड़े भाग पर ऊपरी काली पर्त इतनी कम चौड़ी है कि राज्य परिवहन की दो बसें मुश्किल से गुजर सकती हैं और दुर्घटना होने का हमेशा ही खतरा बना रहता है हमारे पास दुर्घटनायें होने के उदाहरण भी हैं।

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय इसके अतिरिक्त करीमगंज की सीमा पर पठारकंडी के सभी शहर और लोबाईपोआ से लेकर अगरतला तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग की दशा बहुत ही खराब है। इस राजमार्ग से होकर बस में यात्रा करना निश्चय ही बहुत डरावना अनुभव है। चूंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग संपूर्ण पूर्वी भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से होकर गुजरता है, अतः इसका अत्यधिक महत्व है। मैं, सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके इस राजमार्ग को पूर्ण रूप से सुधारने के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत करे, ताकि इस वर्ष के दौरान यातायात सुचारु रूप से चल सके।

**श्री बी. धनंजय कुमार** (मंगलौर) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान कर्नाटक में हो रही गड़बड़ियों की ओर दिलाना चाहता हूं। कर्नाटक में सांविधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। कुछ ही समय पूर्व हमने देखा कि कर्नाटक सत्तापक्ष से हमारे कुछ साथी माननीय संसदीय कार्यमंत्री का घेराव कर रहे थे। वे माननीय प्रधानमंत्री का भी घेराव कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार की गरिमा दाव पर लगी है। माननीय प्रधानमंत्री ने कर्नाटक सरकार द्वारा निलंबित तत्कालीन मुख्य सचिव के निलंबन आदेश को रद्द करने और उन्हें पुनः बहाल करने के निर्देश जारी किए। कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार के आदेश को मानने से इन्कार कर दिया है और वे माननीय प्रधानमंत्री और सरकार के विवेक को चुनौती दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को निलंबित किया गया है, उसे गुजारा भत्ता भी पिछले छह महीनों से नहीं दिया गया है और उसकी सेवानिवृत्ति के मुश्किल से दस महीने बाकी रहते हैं।* **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप मुख्यमन्त्री के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं।

**श्री बी. धनंजय कुमार** : लेकिन यह सच्चाई है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सच्चाई हो सकती है लेकिन आपको आरोप लगाने का अधिकार नहीं है।

**श्री बी. धनंजय कुमार** : इनमें परस्पर संबंध सिद्ध हो चुका है और भारत सरकार की गरिमा दाव पर लगी हुई है। पेयरग्रोथ कंपनी के मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जो जांच करवाई थी वह कर्नाटक सरकार द्वारा बन्द कराई जा रही है। विधिमन्त्री में जांच करवाने के लिए अनुमति देने में देर की है ··· **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

**श्री बी. धनंजय कुमार** : कर्नाटक सरकार भूमि संबंधी कानूनों के प्रति कोई आदरभाव नहीं रखती। यहां तक कि, मेरे विचार से सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्य भी उत्तेजित हैं। कर्नाटक के लोग भी कर्नाटक सरकार को गिराने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि श्री बंगारप्पा द्वारा चलाये जा रहे मन्त्रिमण्डल को तुरन्त बर्खास्त किया जाए। उन्हें पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

**श्री रामनिहोर राय** (राबर्टसगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र की गम्भीर समस्या को उठाने का आज आपने मुझे अवसर दिया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र में आदिवासियों की जनसंख्या काफी अधिक है और

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

वहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्वे सैटलमैंट किया जा रहा है किन्तु इस काम में वहां के आदिवासियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। वहां इस काम के लिए जितने अधिकारी गये हैं, रिटायर्ड जज गए हैं, वे सब मिलकर आदिवासियों की जमीन अपनी औरतों के नाम, अपने बच्चों के नाम करवा रहे हैं। वहां जितने बड़े-बड़े लोग हैं। प्रभावशाली लोग हैं, आदिवासियों की जमीन उनके नाम की जा रही है। वहां के आदिवासी विधायक और मैं स्वयं इसके विरोध में आन्दोलन कर रहे हैं और वह आन्दोलन आज भी चल रहा है। हमारे जिले की बुद्धी तहसील में वह धरना आज भी, पिछले एक महीने से चल रहा है। मैं स्वयं वहां गया हूं। इससे आदिवासियों में भारी रोष व्याप्त है, उनकी बड़ी दयनीय दशा है, आदिवासी लोगों की।

मैं आपके माध्यम से, इस सदन और सरकार से मांग करना चाहता हूं कि चूंकि यह मेरे क्षेत्र का मामला है.....

श्री बीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष जी, यह सवाल बड़ा बुनियादी है, गम्भीर है, जिसे माननीय सदस्य उठा रहे हैं। वह मेरे जिले का सवाल है और वहां आदिवासियों और वनवासियों के साथ बड़ा अत्याचार किया जा रहा है।

श्री रामलिहोर राय : यहां आदिवासियों की जमीन हिंडालको कानी हिन्दुस्तान एल्यूमी-नियम कार्पोरेशन को दी जा रही है और इस तरह वहां के आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। मान्यवर, वहां पर 5-5, 6-6 बर्मल पावर स्टेशन हैं ... (व्यवधान)..... इस कारण वहां के आदिवासी धनुष और तीर लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गये हैं। आज हम यहां क्रांति दिवस मना रहे हैं, गांधी जी ने नारा दिया था—"करो या मरो" उसी की प्रतिध्वनि वहां सुनाई दे रही है।

1.00 म० प०

आज वहां पर लोग उजाड़े जा रहे हैं। जो कागजात बन रहे हैं वहां पर पुलिस की कस्टडी में बनाए जा रहे हैं। हमारे किसी भी किसान, गरीब हरिजन, आदिवासी को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे एक विधायक साथी वहां पर 4 महीने से जेल में सड़ रहे हैं। उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। मैं इस सदन में मांग करता हूं कि उन विधायक महोदय को तत्काल रिहा किया जाए और यदि उनको रिहा नहीं किया जाएगा तो वहां के आदिवासी अपने तीरकमान लेकर यहां वीट क्लब पर धरना देकर बैठ जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज अगस्त क्रांति वर्ष शुरू हो गया है। मेरी मांग है कि गांधी जी की नीति के मुताबिक अब वहां के आदिवासी लोग करो या मरो की नीति पर चलने लगे हैं। मेरी मांग है कि वहां की जांच सी.बी.आई. से तत्काल करवाकर, इसको तत्काल रोका जाए।

श्री बीरेन्द्र सिंह (मीर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक मिनट बात सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं कृपया बैठ जाइए।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, ये तो इनका समर्थन करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हर एक आदमी सपोर्ट करना चाहता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)*

मेजर जनरल ( रिटायर्ड ) भुवनचन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : महोदय, मैं सियाचिन लेक के हालात के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं । कश्मीर में ही नहीं जम्मू में भी तेज और भारी गोलीबारी होने की खबरें है एक और 2 अगस्त, 1992 को भारी गोला बारी हुई थी और राज्यपाल ने इस बात की पुष्टि की है कि सामान्य स्थिति में कभी इतनी तेज गोलाबारी कभी नहीं हुई जैसी अब चल रही है । पिछले दो दिनों से सियाचिन में हालात खराब हैं और वहां जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हरेक व्यक्ति चिंतित है । सिवाय उसके जो हमें समाचार पत्रों से प्राप्त हो रहा है, हमें वहां की सही स्थिति की जानकारी नहीं है । राज्यपाल का वक्तव्य भी चिन्ताजनक है । उन्होंने कहा है : हम लड़ रहे हैं लेकिन हम वहां से हट नहीं रहे हैं ।

महोदय मैं सभा को 7 अगस्त 1992 के पाकिस्तानी समाचार पत्र में छपी यह खबर बताना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय से मिले और अपनी गंभीर चिंता जताई जो हमारे लिए अच्छा नहीं है । उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ विदेशी हस्तक्षेप की जानकारी है । मैं यह बताना चाहूंगा कि युद्ध का वातावरण बनाया है और सियाचिन में बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बताएं कि सियाचिन की वास्तविक स्थिति क्या है हमारा क्या आधार है ।

श्री मनोरंजन भक्त ( अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ) : उपाध्यक्ष महोदय मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र गया था और मैंने देखा कि वहां समूचे द्वीप समूह में मलेरिया और पीलिया की महामारी फैली हुई है । बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्र कैम्पबेल के कमोर्टा, टेरेसा, लाखड़ा, कचल, निकोबार जिले में कार निकोबार और पश्चिम अंडेमान के गांवों सहित अंडमान जिले में उत्तरी अंडेमान हवेलोक मेल मध्य अंडेमान दिघपुर है मलेरिया और पीलिया के कारण जी०बी० पंत अस्पताल और पोर्ट ब्लेयर में कुछ मौतें हुई है । इन रोगियों को देखने के लिए द्वीप समूह में विशेषज्ञों की पर्याप्त संख्या नहीं है । स्थिति बहुत खराब है । मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि मलेरिया और पीलिया की इस महामारी को रोकने के लिए पर्याप्त दवाइयों के साथ एक केन्द्रीय चिकित्सा दल वहां तुरन्त भेजा जाना चाहिए । (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हम सब उनका समर्थन करते हैं । उन्हें शीघ्र ही वहां एक चिकित्सा दल भेजना चाहिए । यहां उपस्थित माननीय मंत्रीजी को हमें यह आश्वासन देना चाहिए कि वहां एक चिकित्सा दल भेजने हेतु तत्काल कदम उठाएंगे । वहां स्थिति गम्भीर है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के अजमेर नगर में हवाई अड्डे की स्थापना अभी तक नहीं हुई है । वहां पर विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरगाह, तीर्थराज पुष्कर, नसीराबाद जैसी प्रसिद्ध छावनी और ब्यावर,

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

*किशनगढ़ जैसी औद्योगिक मंडियां हैं। इसके बावजूद भी अजमेर जैसे शहर में हवाई अड्डे की स्थापना न होना वास्तव में अजमेर के साथ भारत सरकार घोर अन्याय कर रही है।*

इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जहां पर लाखों लोग अजमेर दरगाह और पुष्कर में प्रतिवर्ष आते है और जहां पर पर्यटन की दृष्टि से उस स्थान का बहुत महत्व है, वहां पर अविलम्ब हवाई अड्डे की स्थापना की जाए और उसको हवाई सेवा से जोड़ा जाए !

[अनुवाद]

**श्री सुदर्शन राय चौधरी** (सीरमपुर) यह संघ राज्य क्षेत्र का मामला है, इसलिए मंत्री महोदय को इस संबंध में अपना वक्तव्य देना चाहिए।

**श्री मनोरंजन भक्त :** वहां कुछ मौतें हुई हैं। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** भक्त जी, शून्य काल के दौरान माननीय सदस्य महत्वपूर्ण मामले उठाते हैं। जब भी आप सभा में कोई मामला उठाते हैं तो सरकार निश्चित रूप से उस मामले को गम्भीरता से लेती है।

**श्री मनोरंजन भक्त :** महोदय, यह जीवन और मृत्यु का सवाल है।

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) :** उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं। निश्चित रूप से सरकार पूरी गम्भीरता से मामले की जांच करेगी। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को माननीय स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचा दूंगा और हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले में कुछ आवश्यक कदम उठाए जाएं।

**श्री के. पी. रेड्डय्या यादव** (मछलीपटनम) : महोदय, मैं सार्वजनिक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

महोदय, हाल ही में मौजूदा रूसी सरकार ने रूबल का अवमूल्यन कर दिया है। इससे संबंधित रिपोर्ट दिनांक 3 जुलाई, 1992 के **दि इकानामिक टाइम्स** में प्रकाशित हुई थी। इसके परिणामस्वरूप रुपए-रूबल विनिमय दर में और अधिक गिरावट आ गई है। जो रूबल में 24 पैसे का अवमूल्यन करने से पहले प्रति रूबल 37 रुपये थी। हमारा 10 बिलियन रूबल का दीर्घकालिक ऋण जो हमने 1978 में लिया था, 38,000 करोड़ बैठता था और अवमूल्यन के बाद अब यह 250 करोड़ रुपए हो गया है। रूस की बन्द अर्थ व्यवस्था होने के कारण हमारा देश पहले इसे भारी धनराशि का भुगतान कर चुका था, अब भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह अपनी ऋण राशि का समायोजन सैन्ट्रल बैंक आफ रसिया द्वारा घोषित नई सरकारी विनिमय दर के अनुरूप करें।

क्योंकि रूस के राज्य इस दौरान चाय, कॉफी, तम्बाकू आदि के अभाव से बुरी तरह प्रभावित हैं, इसलिए भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि रूस के इन राज्यों को उक्त वस्तुओं को भेजने का समूचा प्रयास करे और इस प्रकार उनके इस कठिन समय में अपनी मित्रता एवं एकता साबित करे तथा रूस द्वारा घोषित नई एकीकृत एकल विनिमय दर अपनाए।

**श्री शिवाजी पटनायक** (भुवनेश्वर) : महोदय, उड़ीसा को गेहूं और मिट्टी के तेल में कटौती किए जाने के कारण वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है। गेहूं का कोटा 30,000 टन से घटाकर 20,000 टन कर दिया गया है। इसका विशेषकर इस वर्ष, गम्भीर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इस वर्ष उड़ीसा में सूखा, तूफान और बाढ़ की आपदाएं एक साथ आई हैं। इसी प्रकार मिट्टी के तेल का कोटा जो लगभग 1600 लीटर था उसमें भी कटौती कर दी गई है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें पूरा कोटा दिया जाए। चावल पर भी प्रभाव पड़ा है। जमाखोरी आदि के कारण अन्य वस्तुएं भी प्रभावित हुई हैं।

गेहूं के कोटे में कटौती तत्काल बन्द की जानी चाहिए और मिट्टी के तेल के कोटे में भी वृद्धि की जानी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री गिरधारीलाल भार्गव

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपको मंत्री जी से तत्काल उत्तर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह मामला कई लोगों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित था इसीलिए मंत्री महोदय खड़े हो गए और उन्होंने इस बारे में कुछ कहा।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने आपकी बात सुन ली है। वे यहीं मौजूद हैं, वे अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, वे इस मामले में न्यायोचित कदम उठाएंगे।

[हिन्दी]

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बड़े अहमियत का प्रश्न है, जिस ओर मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत व्यापारियों पर नियंत्रण का एक अधिकार बना हुआ है। केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का 5 वर्ष का समय बढ़ाया और बार-बार समय बढ़ाते चले गये। अब यह समय अगस्त, 1992 में समाप्त हो रहा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम का, मेरा यहां पर निवेदन करना यह है कि व्यापारियों पर पहले ही आवश्यक वस्तु जमाखोरी चोरबाजारी निवारक अधिनियम, 1980 आलरेडी लागू है, इसमें दो वर्ष की सजा का प्रावधान है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू है, जिसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है और 22 विभिन्न कन्ट्रोल लाइसेंसिंग आदेश इन पर लागू हैं। लगभग 20 कन्ट्रोल एवं लाइसेंसिंग आदेश राज्य सरकारों की ओर से लागू हैं। स्टॉक एवम समय पाबन्दी नियम इन पर लागू है। व्यापारी को विभाग अनुसार मूल्य एवं स्टॉक संरक्षण करने का अधिनियम लागू है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू है और अभिक्षण एवं मिलावट विरोधी अधिनियम लागू है। इतने सारे नियम लागू हो जाने के बाद केन्द्रीय सरकार ने एक कानून, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में नया प्रावधान करके पांच वर्ष पहले लाया गया था,

उसमें उनकी विशेष न्यायालय द्वारा संक्षिप्त सुनवाई होगी। आवश्यक रूप से कम से कम उनको 3 माह की व अधिकतम दो साल की सजा होगी। पूरे स्टॉक को सरकार जब्त कर सकेगी और उचित मूल्य की दुकानों पर कम मूल्य पर बेचेगी। इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गैर जमानती घोषित करना और व्यापारियों को तुरन्त गिरफ्तार करके पुलिस की या न्यायिक हिरासत में रखना शामिल है। ऐसे अपराध के लिए कहीं पर भी अपील का प्रावधान नहीं है जबकि चोरों, लुच्चे-लफंगे और सब प्रकार के लोगों के लिए ऐसा प्रावधान है।

इसलिए मेरा निवेदन यह है कि केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम का समय न बढ़ाये, इन प्रावधानों को समाप्त करे वरना व्यापारी सारे के सारे बोट क्लब पर धरना दिये बैठे हैं। यदि सरकार ने अगस्त के बाद इस कानून का समय बढ़ाया तो 20 अगस्त को सारे हिन्दुस्तान भर के व्यापारी इस काले कानून 3/7, जिसके अन्तर्गत व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, वह अपनी दुकानें बन्द रखेंगे, कारोबार को बन्द रखेंगे, इसलिए मेरा विवेदन यह है कि अब सरकार इन प्रावधानों की सीमा को न बढ़ाये और व्यापारियों को राहत दे, यह मेरा निवेदन है। जो उन पर ऑलरेडी इस प्रकार के कानून लगे हुए हैं, उनको भी समाप्त करें।

बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया।

**[हिन्दी]**

**श्री सुबास चन्द्र नायक** (कालाहण्डी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यूनियन टैरेटरी इण्डिपेण्डेण्ट पेपर पढ़ा, उसमें लिखा है :

**[अनुवाद]**

एक उपराज्यपाल की हत्या। राष्ट्रपति की मंजूरी का उल्लंघन।

**उपाध्यक्ष महोदय** : नियम यह है कि हमें यहां समाचार पत्र नहीं पढ़ना चाहिये।

**श्री सुबासचन्द्र नायक** : मैं समाचार पत्र पढ़ नहीं रहा हूं, मैं तो इसका हवाला दे रहा हूं।

**[हिन्दी]**

मैं यह आपको दिखाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि दमन दीव और दादरा नागर हवेली यूनियन टैरीटरी हैं, वहां पर न असेम्बली है, न वहां कोई प्रजातांत्रिक संस्था है, न ऐसी कोई व्यवस्था है। वहां पर अभी क्या हुआ है कि जो पूरी सत्ता है, वह प्रशासन के पास है। इलैक्ट्रेड रिप्रेजेण्टेटिव उसमें कोई पार्टीसिपेट नहीं करता है। दोनों टैरीटरी का प्रशासन पहले गोवा के गवर्नर के हाथ में था, जिससे कुछ थोड़ी डैमोक्रेसी मिलती थी। अभी चार महीने पहले भारत सरकार ने एक ब्यूरोक्रेट प्रशासक को वहां एपाइण्ट कर दिया है, जिनके कार्य से वहां असन्तोष है, ऐसा जनता प्रकट करती है। एडमिनिस्ट्रेटर आने के बाद वहां पर डैमोक्रेसी खत्म हो गई है और उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से काम करना शुरू कर दिया है। चुने हुए प्रतिनिधियों की बॉडी को भी डिरिजर्व कर दिया और चुने हुए लोगों के साथ इम्प्रूवमेंट के लिए डिसकशन नहीं करते हैं। वहां के इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के साथ मिलकर काम करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर एक एल जी होना चाहिए और वहां पर जो 16 तारीख को आर्डर निकाला गया है, उसकी जांच होनी चाहिए, एन्क्वायरी होनी चाहिए।

श्री हरि केवलप्रसाद (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में कुछ दिनों पहले सूखे के बारे में चर्चा हुई थी। सारे देश में सूखे की स्थिति है। इस समय बिहार उत्तर-प्रदेश और राजस्थान में भीषण विद्युत कटौती कर दी गई है। बिजली की कटौती के कारण उद्योग बन्द हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा सिंगरौली बिजली घर है और वहां पर घटिया कोयला सप्लाई कर दिया गया है घटिया कोयला सप्लाई होने के कारण उत्पादन पूरा नहीं हो रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अंचल में बिजली की कटौती कर दी है। इस कारण सम्पूर्ण प्रदेश का जनजीवन दुखी हो गया है और उद्योग संकट में पड़ गए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आज की परिस्थिति में जहां किसानों की लहलहाती फसल तैयार खड़ी है, वहीं बिजली की कटौती के कारण किसानों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। उद्योग पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि तत्काल विद्युत की कटौती समाप्त करके जन-जीवन को राहत देने का काम सरकार के माध्यम से किया जाए।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कल्याण मंत्री जी का ध्यान दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर दिलाना चाहता हूं।

15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लगभग 30 अल्पसंख्यक प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इस वर्ष तथा गत वर्ष भी इन संस्थाओं को कोई अनुदान नहीं दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप ये संस्थाएं बन्द होने के कगार पर हैं। इस सभा द्वारा अनुदान मंजूर किए जाने के बावजूद इन संस्थाओं को वार्षिक अनुदान, जिसका इस योजना के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है,मुहैया नहीं कराया गया। इसलिए कल्याण मंत्रालय से यह अनुरोध है कि वह इस आशय के आदेश शीघ्रातिशीघ्र पारित करे।

दूसरी बात यह है कि, सोमवार को मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करते समय कल्याण मंत्री जी ने कहा था कि वे इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श कर रहे हैं। केरल में समूचे मुस्लिम समुदाय को 'अन्य पिछड़े वर्ग' के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस संबंध में मंडल आयोग की रिपोर्ट में विषमता है। उसमें केरल के मुसलमानों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग में मोप्लाह मुसलमान हैं और दूसरे वर्ग में अन्य मुसलमान हैं। मोप्लाह मुसलमान मालाबार के रहने वाले हैं और केरल के अन्य भागों अर्थात ट्रावंकोर, कोचेरी में रहने वाले मुसलमान दूसरे वर्ग में आते हैं। यह वर्गीकरण अतार्किक अनौचित्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। केरल सरकार ने उक्त स्थिति से भारत सरकार को अवगत करा दिया है। मेरा कल्याण मंत्री जी से अनुरोध है कि इस असंगति को दूर किया जाए और भारत सरकार को मंडल आयोग की रिपोर्ट के संबंध में राज्य सरकार के सुझाव और सिफारिश को स्वीकार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में सस्ते दर पर मकान बनाने की तकनीक को विकसित करने के लिए, उस पर अनुसंधान करने के लिए और उसको जनता के बीच प्रचारित करने के लिए और उस क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए 1954 में नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। राष्ट्रीय आवास नीति जब घोषित हुई थी, नवें दशक में, उसमें इस

बात का जोर दिया गया था कि नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन को और मजबूत बनाया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन के रहते हुए उससे सामांतर गैर सरकारी संगठन सरकार के चंद अधिकारियों के संरक्षण में डी.एम.टी.पी.सी. का गठन किया गया। डी.एम.टी.पी.सी. का गठन सोसायटीस रिजर्वेशन एक्ट के तहत किया गया है और उसको सरकार का पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। 12 से लेकर 16 तक उनका स्टाफ है और पाँच करोड़ रु० का सालाना बजट है जबकि नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन, जो पुरानी सरकार की संस्था है उसमें 120 से अधिक कर्मचारी नहीं हैं। उसके तकनिशियन, उसके अलावा वैज्ञानिक, अनुसंधान करने वाले जो काम करते हैं उसका बजट घटा दिया गया है और इस प्रकार से बेमौत मरने के लिए इस संगठन को छोड़ दिया गया है जिस संगठन के द्वारा छः सौ से अधिक लोगों ने डेमोंसट्रेशन किया, 10 हजार से अधिक लोगों को ट्रेंड किया गया और इसके द्वारा प्रकाशित अनुसंधान के जो पेपर्स थे उसको राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा मिली, इसके बावजूद उसको समाप्त करके कुछ चन्द अधिकारियों के चहेतों को जगह दिलाने के लिए डी.एप.टी.पी.सी. का गठन किया गया है और इस प्रकार से मनमाने ढंग से उसमें नियुक्ति की जा रही है और उसमें पे स्केल का निर्धारण किया जा रहा है, जो पे स्केल एडिशनल सेक्रेट्री का है उस रेंक के अधिकारी का भी बिना केबिनेट का एप्रुवल लिए हुए उसमें डेपूटेशन किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर उसमें अनियमितता हो रही है। इसके खिलाफ हमने भी पत्र लिखा है, तमाम राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में इस पर बात आई है, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में प्रश्न हुआ है लेकिन सरकार के कान पर जूँ नहीं रेंग रही है और जानबूझ करके एक जो बिल्कुल ही प्रतिष्ठित संस्था थी उसको बेमौत मरने के लिए छोड़ा जा रहा है और बिल्कुल एक ओल्ड बायस क्लब की तरह डी.एम.टी.पी.सी. का गठन करके उसको संरक्षण दिया गया है और करोड़ों रुपए का अपव्यय किया जा रहा है।

हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करेंगे कि एन.बी.ओ. को मजबूत किया जाए, डी.एम.टी.पी.सी. सामांतर संगठन न बनाया जाए और जो संगठन बना है डी.एम.टी.पी.सी. उसकी जांच सी एण्ड ए जी से कराई जाए।

1.23 म०प०

## सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय :** सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 11 अगस्त, 1992 को सभा में प्रस्तुत अपने तीसरे प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्न-लिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई अवधि के लिए सभा से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए।

1. श्री नानी भट्टाचार्य—8-7-1992 से 20-8-1992
2. श्री राजाराम शंकरराव माने 28-7-1992 से 20-8-1992

क्या सभा चाहती है कि समिति द्वारा सिफारिश की गई अनुमति प्रदान कर दी जाए ?

**अनेक माननीय सदस्य :** हाँ, हाँ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अनुमति प्रदान की जाती है। तदनुरूप सदस्यों को सूचित कर दिया जाएगा।

1.24 म प०

## प्राक्कलन समिति

### अठारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

**श्री मनोरंजन भक्त** (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के संबंध में अखबारी कागज और इससे संबन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश पर प्राक्कलन समिति का अठारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

1.24½ म०प०

## कृषि समिति

### तीसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

**श्री जे. चोक्का राव** (करीम नगर) : महोदय, मैं ग्रामीण विकास मन्त्रालय के सम्बन्ध में— समेकित ग्रामीण विकास हेतु नई नीति और संबन्धित समिति की बैठकों को कार्यवाही सारांश पर कृषि समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

1.25 म० प०

## मन्त्री द्वारा वक्तव्य

### (एक) गेहूं का आयात और निर्यात

[अनुवाद]

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमासुद्दीन अहमद)** : महोदय श्री तरुण गगोई की ओर से मैं निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं :

2 जनवरी, 1992 को दिए गए प्रेस वक्तव्य में मैंने बताया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को केन्द्रीय पूल में उपलब्ध खाद्यान्नों के स्टाक से पूरा किया जाता रहेगा। यह व्यवहारिक सिद्ध हुआ है क्योंकि न केवल जनवरी और उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल की सामान्य नियुक्तियां की जाती रहीं बल्कि इस वर्ष जून से सुखे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाए गए सूखा उन्मुख, रेगिस्तानी/पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में स्थित 1700 लक्षित ब्लाकों में गेहूं और चावल की अतिरिक्त मात्राएं निर्मुक्त की गई।

इस माननीय सदन में 9 मार्च, 1992 को दिए गए वक्तव्य में मैंने उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया था जिनके अधीन हमारी विदेशी मुद्रा के जखीरे में आ गई भारी कमी की स्थिति से निपटने के उद्देश्य से 1990-91 और 1991-92 के दौरान गेहूं का निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गई थी। मैं इस तथ्य को पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार द्वारा गेहूं का

निर्यात करने के संबंध में नये सिरे से कोई निर्णय नहीं किया गया था। तत्कालीन सरकार ने विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु अगस्त, 1990 में और बाद में अप्रैल, 1991 में गेहूं का निर्यात करने के लिए प्राधिकृत किया था। अप्रैल, 1991 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में 1991-92 के दौरान 10 लाख मीटरी टन गेहूं का निर्यात करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। वर्तमान सरकार ने गेहूं के निर्यात के संबंध में दो निर्णय लिए, पहला निर्णय सितम्बर, 1991 में लिया गया जिसके अधीन निर्यात सीमा को 10 लाख मीटरी टन से घटाकर 8 लाख मीटरी टन कर दिया गया और दूसरा निर्णय जनवरी, 1992 में लिया गया जिसके अधीन निर्यात के लिए और ठेके करने पर रोक लगा दी गई। अतः वर्तमान सरकार द्वारा लिए गए दोनों निर्णयों का उद्देश्य निर्यात पर प्रतिबंध लगाना था।

मैंने 9 मार्च, 1992 को दिए गए अपने वक्तव्य में यह भी स्पष्ट किया था कि मूल्य वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने अक्टूबर, 1991 में भारतीय खाद्य निगम के जरिये खुले बाजार में गेहूं निर्मुक्त करने का निर्णय किया था। तदनुसार भारतीय खाद्य निगम ने 31 मार्च, 1992 तक 0.94 मिलियन मीटरी टन गेहूं बेचा था।

जैसा कि मैंने अपने दिनांक 9 मार्च, 1992 के वक्तव्य में उल्लेख किया था, गेहूं का आयात करने का निर्णय इस वर्ष मध्य जनवरी में लिया गया था ताकि खुले बाजार में मूल्य वृद्धि को रोका जा सके और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के स्टाक में वृद्धि की जा सके। इस निर्णय के अनुसरण में, गेहूं का आयात करने के लिए 20 मार्च को टैंडर आमंत्रित किए गए थे। तथापि, जिस समय टैंडर प्राप्त हुए उस समय गेहूं का रबी विपणन मौसम, 1992 प्रारम्भ होने वाला था और प्राप्त हुई पेशकशों पर आगे विचार नहीं किया गया था। गेहूं के विभिन्न ग्रेडों के लिए जहाज तक निष्प्रभार 130 अमरीकी डालर से 170 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन के रेंज के मूल्य की तब पेशकशें प्राप्त हुई थीं जबकि कनाडा की बंदरगाहों से जहाज तक निष्प्रभार 147.78 अमरीकी डालर के औसत मूल्य पर कनाडा के गेहूं का आयात करने का ठेका किया गया। इस संदर्भ में, मैं यह बताना चाहूंगा कि गेहूं की बहुत सारी विभिन्न किस्में होती हैं। और उनके मूल्य काफी भिन्न-भिन्न होते हैं। मूलतः भारत न्यून तापमान और अधिक नमी की स्थितियों में पैदा किए गए नरम गेहूं में अभिरुचि नहीं रखता है। इस गेहूं में अधिक नमी तत्व, कम प्रोटीन और इसे रखने की अवधि, आदि कम होती है। इस किस्म का गेहूं आम तौर पर पशु चारे के प्रयोजन हेतु इस्तेमाल किया जाता है और इसे भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं के लिए अनुपयुक्त समझा जाता है। दूसरी ओर, जून, 1992 में कनाडियन व्हील बोर्ड से खरीदा गया गेहूं ठोस गेहूं की श्रेणी में आता है। इस गेहूं में अधिक प्रोटीन होती है, कम नमी तत्व, मोटा दाना होता है और उचित पिसाई तथा उसे रखने की विशेषताएं होती हैं। गेहूं की इस श्रेणी के बाजार भाव की तुलना में कनाडा संघ सरकार की एजेंसी कनाडियन व्हीट बोर्ड के साथ प्रतियोगी और अनुकूल मूल्य पर ठेके पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

यह भी मुद्दा उठाया गया है कि हम अपने किसानों को अदा किये गये मूल्य की तुलना में कनाडा से आयात किए गए गेहूं का अधिक मूल्य अदा कर रहे हैं। इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए यह बताना चाहूंगा कि 526/- रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य में समुद्री भाडा, बीमा, पत्तन और निकासी प्रभार तथा भराई और डैंडलिंग लागत शामिल हैं। इसके

अलावा, कनाडा से गेहूँ के जहाज तक निष्प्रभार मूल्य में उत्पादन क्षेत्र से भौभरण बंदरगाहों तक उठान, भंडारण और अंतर्देशीय परिवहन प्रभारों के लिए लगभग 20 अमरीकी डालर की राशि भी शामिल है। अतः यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि कनाडा के किसानों को 526/– रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य अदा किया जा रहा है जबकि भारतीय किसानों को 275-280 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य अदा किया जा रहा है। इसके अलावा, गेहूँ के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वर्ष प्रति वर्ष काफी उतार-चढ़ाव आता रहता है और जो किसान अपनी पैदावार के अधिकांश भाग का निर्यात करने से जो मूल्य प्राप्त करते हैं वे इस प्रकार के उतार-चढ़ाव के अध्यधीन होते हैं। दूसरी ओर, हमारे किसान इन उतार-चढ़ावों से सुरक्षित रहते हैं और उन्हें वर्ष प्रति वर्ष मूल्यों में धीरे-धीरे वृद्धि का लाभ दिया जाता है।

अंततः मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूँ के निर्गम मूल्य में वृद्धि इस वर्ष बढ़ाए गए गेहूँ के वसूली मूल्य से संबद्ध है। यह मूल्य इस वर्ष पिछले रबी विपणन मौसम के 225/- रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर हाल ही में समाप्त हुए रबी विपणन मौसम में 275/-रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वसूली मूल्य में मंडी प्रभार, क्रय कर आदि शामिल करने के बाद सरकार इस वर्ष देश में ही वसूल किए गए गेहूँ पर 63/- रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त प्रारंभिक लागत वहन कर रही है। अतः गेहूँ के निर्गम मूल्य को कनाडा से आयात किए गए गेहूँ के साथ सम्बद्ध करना सही नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि 1990-91 और 1991-92 के दौरान किए गए गेहूँ के निर्यात और 199 -93 के दौरान किए गए गेहूँ के निर्यात और 1992-93 के दौरान किए गए गेहूँ के आयात के संबंध में माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में स्थिति पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाती है और यह माननीय सदन इससे संतुष्ट होगा।

---

1·30 ब०प०

## (दो) इनसेट 2ए उपग्रह

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री पी.आर. कुमार मंगलम का वक्तव्य) :** महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि द्वितीय पीढ़ी के स्वदेशी रूप में निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय भू-स्थायी उपग्रह, इन्सैट-2ए को इसकी कक्षीय स्थिति में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है तथा इसके सभी नीतभार चालू कर दिये गये हैं।

1906 कि.ग्रा. भार के उपग्रह को एरियन प्रमोचक राकेट द्वारा जुलाई 10, 1992 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया तथा इसे भू-स्थायी अन्तरण कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन के तुरन्त बाद, उपग्रह में रखी प्रणालियों का उपयोग करते हुए अनेक महत्वपूर्ण युक्तिचालन कार्य किए गए। कर्नाटक में हसन स्थित इन्सैट प्रधान नियन्त्रण सुविधा से उपग्रह का नियन्त्रण किया गया। सर्वप्रथम द्रव अप-भू-मोटर की फायरिंग करके उपग्रह को पृथ्वी के ऊपर लगभग 36,000 कि.मी. की भू-तुल्यकाली कक्षा के निकट स्थापित किया गया। तत्पश्चात्, उपग्रह को इसके अन्तिम कक्षीय स्थान के लिए 74 डिग्री पूर्व देशांतर की ओर धीरे-धीरे अग्रेसित किया गया। इन्सैट-2ए में रखी सभी प्रणालियों के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के परिणामस्वरूप इसने अपना सम्पूर्ण कक्षीय संस्थापन समयानुसूची से पहले ही प्राप्त कर लिया।

जब उपग्रह अपने अन्तिम कक्षीय स्थान की ओर अग्रसर हो रहा था, तो पहले इसके सौर व्यूह का महत्वपूर्ण प्रस्तरण कार्य किया गया। इसके पश्चात् अन्तरिक्षयान के दोनों तरफ लगे दो बृहत् एन्टेनाओं को खोला गया और तत्पश्चात् सौर बूम और पाल की लेच हटा कर इन्हें नियन्त्रित रूप से प्रस्तरित किया गया। सभी प्रस्तरण कार्य बिना किसी त्रुटि और रुकावट के सम्पन्न हुए। इसके उपरान्त संवेग चक्रों का प्रयोग करते हुए अन्तरिक्षयान को त्रि-अक्षीय स्थिरीकृत संरूपण में स्थापित किया गया तथा नीतभारों को चालू करने का कार्य 27 जुलाई को प्रारम्भ किया गया। इसके पश्चात् इस अद्वितीय बहुउद्देशीय उपग्रह के सभी नीतभारों को बारी-बारी से चालू किया गया और इसके सामान्य कार्यकरण की पुष्टि की गई। सुव्यवस्थित युक्तिचालन कार्य किये गये और 31 जुलाई 1992 को उपग्रह को इसके निर्धारित स्थान पर अवस्थित किया गया।

इन्सैट-2ए उपग्रह में छह विस्तृत सी-बैण्ड सहित 18 सी बैण्ड प्रेषानुकर, 2 उच्च शक्ति के एस-बैण्ड प्रेषानुकर, मौसमविज्ञानीय प्रतिबिम्बन के लिए एक अत्यन्त उच्च विभेदन रेडियोमीटर, एक आंकड़ा रिले प्रेषानुकर तथा एक खोज एवं बचाव प्रेषानुकर शामिल हैं। सभी नीतभारों की विस्तृत जाँचों की शृंखला और विशिष्टीकरण का कार्य कर लिया गया है तथा अन्तरिक्षयान प्रचालनात्मक यातायात के लिये तैयार है। सी-बैण्ड प्रेषानुकरों में यातायात का चरणबद्ध भरण का कार्य 6 अगस्त, 1992 को शुरू हुआ तथा अरबसैट से लीज पर लिये गये प्रेषानुकरों से सभी सेवाओं के स्थानांतरण द्वारा, आठ प्रेषानुकरों को पहले ही भरा जा चुका है। भारतीय मौसम विभाग के मौसमविज्ञानीय आंकड़ा उपयोग केन्द्र ने मेघ आवरण प्रतिबिम्बकियों तथा आंकड़ा संकलन प्लेटफार्मों से रिपोर्टें प्राप्त करना आरम्भ कर दिया है।

इन्सैट-2ए उपग्रह अधिक लम्बी दूरी के दूरसंचार परिपथ, व्यावसायिक नेटवर्क, टेलिकाफ्रेंस, राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेटवर्क, संदेश सम्प्रेषण और आंकड़ा नेटवर्क के लिए इन्सैट प्रणाली की क्षमता को बढ़ाएगा। खोज और बचाव नीतभार एक नई विशिष्टता है, जो उपयुक्त बचाव तरीकों के कार्यकरण के लिए भारत के चारों ओर व्यापक भू-भाग पर आपदा चेतावनी की तत्काल सूचना प्रदान करेगा।

इन्सैट-2ए उपग्रह, जोकि एक जटिल और अत्याधुनिक अन्तरिक्षयान है, को न्यूनतम आयातित पुर्जों और उपकरणों की सहायता से भारत में ही पूरी तरह डिजाइन और निर्मित किया गया है। मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य मेरे साथ राष्ट्रीय सेवाओं के लिए, इन्सैट-2ए उपग्रह की राष्ट्रीय उपलब्धि में अर्जित महान सफलता के लिए अन्तरिक्ष विभाग और भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के सभी वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों, तकनीशियनों तथा अन्य सभी की अत्यन्त प्रशंसा और हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। देश इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर सचमुच ही गर्व कर सकता है।

---

1·34 म०प०

## सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : महोदय, आपकी

अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सत्र की शेष समयावधि के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।
2. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार और पारित करना ।
3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए भूतपूर्व आयुक्त के 28वें और 29वें प्रतिवेदन तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के आयोग (अब राष्ट्रीय आयोग) के पांचवें, छठे, सातवें और आठवें प्रतिवेदन पर चर्चा ।
4. राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति-दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा ।
5. आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 पर चर्चा ।

[हिन्दी]

**श्री छेदी पासवान** (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मण्डल कमीशन के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं ।

**श्री रंगराजन कुमार मंगलम** : यह आज बी.ए.सी. में तय होगा ।

**श्री राम पूजन पटेल** (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह में निम्नलिखित विषय को कार्य सूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें ।

किसानों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को और गरीबों को बिचौलियों से मुक्त कराके सरकारी सहायता को सीधे उन्हें देने की सुविधा उपलब्ध करायी जाए ।

[अनुवाद]

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मुद्दों को शामिल किया जाए ।

(1) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का आधुनिकीकरण का मामला काफी समय से लटका हुआ है । सरकार को स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड को इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का आधुनिकीकरण कार्य शीघ्र शुरू करने के निदेश देने चाहिए ।

(2) सभा में कपड़ा राज्य मन्त्री द्वारा 11-8-92 को एन.टी.सी. और बी.आई.सी. के बारे में दिये गये वक्तव्य पर इस सभा में पूर्ण चर्चा की अत्यन्त आवश्यकता है ।

**श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मुद्दे को सम्मिलित किया जाए :

जन सुविधा के लिए सम्बलपुर रोड रेलवे फाटक पर, जहां एक उपरिपुल निर्माणाधीन है, एक समुचित उपमार्ग की व्यवस्था की जाए ।

**श्री सुधीर गिरि** (कोन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मुद्दों को सम्मिलित कर लिया जाए ।

(1) दिघा, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में समुद्र के किनारे स्थित पयर्टन स्थल को जामलुक के साथ जोड़ने वाली नई लाइन के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता।

(2) सुबर्णरेखा परियोजना को पर्यावरण विभाग से शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

**प्रो० रासा सिंह रावत** (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषय सम्मिलित कर कृतार्थ करें।

अजमेर नगर के ऐतिहासिक तारागढ़ दुर्ग का पर्यटन एवं पुरातत्व को दृष्टि से संरक्षण एवं विकास कर वहाँ अदम्य शौर्य के प्रतीक पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा की स्थापना की जाए।

**श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण** (कराड़) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए।

1. राष्ट्रीय खेलकूद नीति और पच्चीसवें ओलम्पिक खेलों में भारत का अत्यन्त निराशाजनक प्रदर्शन।
2. राष्ट्रीय साक्षरता अभियान।

**श्री नीतीश कुमार** (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़ा जाए।

बिहार राज्य के किसानों के लिये इस वर्ष कम से कम एक नयी सहायता योजना चालू की जाए, जिससे किसान सम्भावित प्राकृतिक प्रहार को झेलने में सक्षम हो जायें।

[अनुवाद]

**श्री अन्ना जोशी** (पुणे) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किये जायें :—

(एक) महाराष्ट्र राज्य में स्थापित की जाने वाले नये सहकारी चीनी कारखानों की समस्यायें।

(दो) सहकारी कताई मिलों को दीर्घकालिक ऋण देना।

**श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जावे।

(एक) बैलापल स्थित नेशनल टेस्ट रेंज के स्थल को लोगों के उग्र आन्दोलन की वजह से उड़ीसा से बाहर ले जाने की आवश्यकता पर चर्चा।

(दो) उड़ीसा में भारतीय खान ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की आवश्यकता के बारे में चर्चा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.40 म०प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

1.40 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.40 म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

---

2.45 म०प०

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा 2.45 म०प० पर पुनः समवेत हुई ।
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

**तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी. शंकरानन्द) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) (एक) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसकी सहायक कम्पनी अर्थात् तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विदेश लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1990-91 तथा इसकी सहायक कम्पनी अर्थात् तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विदेश लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ( हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 2493/92]

**बाट और माप मानक (सामान्य) संशोधन नियम, 1992, तथा हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड और नागरिक पूर्ति उपभोक्ता कार्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के लिए समझौता ज्ञापन**

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :—

(1) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बाट और माप मानक (सामान्य) संशोधन नियम, 1992 जो 20 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 681 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी गयी । देखिए संख्या एल. टी.-2494/92]

(2) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड तथा नागरिक पूर्ति उपभोक्ता कार्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-2495/92]

**अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें और संघ लोक सेवा आयोग का वर्ष 1990-91 का 41 वां प्रतिवेदन आदि**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा)**: महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1992 जो 16 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 221 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 1992 जो 16 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 222 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1992 जो 16 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा.का.नि. 223 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1992 जो 16 मई 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 224 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सा.का.नि. 225 जो 16 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 7 मार्च, 1992 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 105 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(छह) सा.का.नि. 226 जो 16 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 7 मार्च 1992 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 106 का शुद्धि पत्र दिया गया है।

(सात) सा.का.नि. 236 जो 23 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 25 जनवरी, 1992 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 33 का शुद्धि पत्र दिया गया है।

(आठ) सा.का.नि. 237 जो 23 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 25 फरवरी, 1992 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 34 का शुद्धि पत्र दिया गया है।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 1992 जो 23 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा.का.नि. 238 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1992 जो 23 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 239 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1992 जो 30 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 249 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय पुलिस सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1992 जो 30 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 250 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 1992 जो 6 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 271 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.- 2496/92]

(2) संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) :—

(एक) संघ लोक सेवा आयोग के वर्ष 1990-91 का इक्तालीसवां प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-2497/92]

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन के अध्याय-आठ में उल्लिखित संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को न मानने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2498/92]

**सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी "ख" पद (संशोधन) नियम, 1992 और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण**

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्यमन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : महोदय, मैं श्री एस. कृष्णकुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत जारी सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी "ख" पद (संशोधन) नियम, 1992, जो 9 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 214 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2499/92]

**अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह समेकित विकास निगम लिमिटेड, पोर्टब्लेयर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण**

**उद्योग मन्त्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्यमन्त्री (श्री पी.जे. कुरियन)** : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह समेकित विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह समेकित विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

**[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 2500/92]**

**औषध नीति, 1986 की समीक्षा संबन्धी पृष्ठाधार टिप्पण**

**रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (डा० चिन्तामोहन)** : महोदय, मैं औषध नीति, 1986 की समीक्षा संबंधी पृष्ठाधार टिप्पण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं ।

**[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 2501/92]**

**हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, नेपा लिमिटेड, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के लिए समझौता ज्ञापन**

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्यमन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम)** : महोदय, मैं श्री पी.के. थुंगन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन ।

**[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2502/92]**

(दो) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन ।

**[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2503/92]**

(तीन) नेपा लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2504/92]

(चार) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 2505/92]

(पांच) भारतीय सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 2506/92]

(छह) इन्सट्रूमेंटेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 2507/92]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (1991 का संख्या 17) (वाणिज्यिक) -हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल०टी० 2508/92]

**पैट्रोलियम (संशोधन) नियम, 1990 और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण**

**उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्यमन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही)**: महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) पैट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पैट्रोलियम (संशोधन) नियम, 1990, जो 30 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 929(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इसका एक शुद्धि-पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण) जो 24 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 236(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल०टी० 2509/92]

---

**उपाध्यक्ष महोदय**: अब श्री एम.एम. जैकब, पश्चिम बिहार में 11 अगस्त, 1992 को पुलिस और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

2. 8 म० प०

## मन्त्री द्वारा वक्तव्य—जारी

### (तीन) पश्चिम बिहार नई दिल्ली में 11 अगस्त, 1992 को पुलिस और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब)** : मैं इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को 11.8.1992 को पश्चिम बिहार दिल्ली में पुलिस और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के बारे में सूचित करता हूं।

2. दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि 31-7-92 को थाना पश्चिम बिहार के क्षेत्र में दिल्ली पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए 3 आतंकवादियों से पूछताछ करने पर यह पता लगा कि ये आतंकवादी दिल्ली स्थित आतंकवादी गिरोह, जो शहर में आतंकवादी गतिविधियों की योजना बना रहा था, के एक भाग हैं। गिरफ्तार किए गए आतंकवादी विजयपालसिंह ने यह भी बताया कि गिरोह के पास एक काले रंग की यामाहा मोटर साइकिल है तथापि, उसे रजिस्ट्रेशन के पहले आधे नम्बर याद थे। दिल्ली पुलिस के अभियान एकक के एक विशेष दल ने विस्तृत और गहन जांच-पड़ताल की जिससे मोटर साइकिल का पता लगा। मोटर साइकिल पाकेट जी. एच–8 पश्चिम विहार डी. डी. ए. फ्लैट सं० 396 के नजदीक खड़ी की हुई थी। पुलिस दल ने सामरिक महत्व के स्थानों पर मोर्चा सम्भाला और जब सर्वेक्षण चल रहा था तो एक आतंकवादी नीचे आया और यह संदेह करने पर कि उस पर निगरानी रखी जा रही है, उसने पुलिस दल पर गोली चलाई। अभियान एकक के एक निरीक्षक ने लगभग 1 कि. मी. तक उसका पीछा किया लेकिन वह भागने में सफल हो गया।

3. उसके बाद एक बरिष्ट अधिकारी के नेतृत्व में अभियान एकक के दल ने लगभग 7.30 बजे पूर्वाह्न में फ्लैट सं० 396 पर छापा मारा, जिस पर फ्लैट के अन्दर से गोलियों की बौछार हुई जिससे कांस्टेबल यशवीरसिंह और कांस्टेबिल जसवंत सिंह जख्मी हो गए और उन्हें तुरन्त दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। कांस्टेबल यशवीर सिंह को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाना पड़ा क्योंकि उसकी हालत खराब हो गई थी।

4. इससे विचलित हुए बिना पुलिस ने सामने के द्वार को तोड़ा और फ्लैट में घुस गई। इस मुठभेड़ के दौरान दो आतंकवादी, जिनमें से एक महिला थी, मारे गए। परिसर की तलाशी लेने पर एक ए० के० -56 असाल्ट राईफल, 351 भरे हुए कारतूस, 36 खाली कारतूस तथा चार मैगजीनें बरामद की गई। बचकर भाग निकले आतंकवादी का पता लगाने के लिए आस-पास की कालोनियों की तलाशी जारी है। आगे की जांच-पड़ताल का कार्य जारी है।

5. दिल्ली पुलिस ने बताया है कि विजयपालसिंह की गिरफ्तारी से वे निम्नलिखित मामलों का पता लगाने में सफल हुए हैं :—

(i) लाल किले के पीछे रविवार के बाजार में दिनांक 22-12-91 को हुए, बम विस्फोट की घटना, जिसमें चार व्यक्ति मारे गए थे तथा 44 व्यक्ति घायल हुए थे।

(ii) तिमारपुर क्षेत्र में 29-1-92 को दिल्ली परिवहन निगम की बस में हुए बम विस्फोट की घटना, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था तथा 31 घायल हुए थे ।

(iii) करोल बाग क्षेत्र में 30-12-91 को एक शक्तिशाली बम के बरामद होने का मामला ।

(iv) निहाल बिहार, नांगलोई के एक सरपंच की हत्या का मामला ।

6. मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार आतंकवाद को समाप्त करने और नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प है ।

---

2.50 म० प०

## अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1988-89 और *अनुपूरक व्यय (सामान्य) 1992-93 का विवरण

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब मद संख्या 16 और 17 एक साथ लेगी । इस विषय पर चर्चा के लिए आबंटित समय दो घंटे है ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध से 31 मार्च 1989 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें : — मांग संख्या 12, 13, 14, 26, 52, 68, 74, 75, 9 , 93 और 94"

**लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1988-89 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)**

| मांग संख्या | मांग का नाम | सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मांग की राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | रुपये |
| I. | राजस्व से पूरा किया गया व्यय | |
| 12. | रक्षा मंत्रालय | 7,22,63,881 |
| 13. | रक्षा पेंशनें | 1,60,70,086 |

* ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल. टी. 2423/92

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 14. | रक्षा सेवाएं—थल सेना | 103,65,09,797 |
| 68. | खान विभाग | 41,33,891 |
| 74. | शहरी विकास और आवास | 2,13,27,787 |
| 75. | लोक निर्माण कार्य | 10,03,69,561 |
| 92. | लक्षद्वीप | 51,95,630 |
| 93. | चंडीगढ़ | 4,85,73,497 |
| 94. | दमन और दीव | 10,26,746 |
| II. | पूंजी से पूरा किया गया व्यय | |
| 26. | वित्तीय संस्थाओं को अदायगी | 1,64,306 |
| 52. | रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग | 3,64,00,000 |

**उपाध्यक्ष महोदय :** डा. परशुराम गंगवार बोलें।

**[हिन्दी]**

**डा. परशुराम गंगवार** (पीलीभीत) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं पूरे देश के लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। हमारा भारत धर्म परायण और कृषि प्रधान तथा ग्रामीण बहुल देश है जिसका अनुमान देश के 5000 ब्लॉकों तथा 6,05,288 ग्रामों से ही होता है। प्रांतीय तौर पर सरकार ने ग्रामों के उत्थान की बात न सोचकर केवल शहरों पर ही ध्यान दिया है। कुल बजट का अधिक हिस्सा शहरों पर ही खर्च किया जाता है। बड़े-बड़ उद्योगों की तरफ ही ध्यान दिया गया है। लघु उद्योगों, कृषि और ग्रामीण उद्योगों की तरफ सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसी का कारण है कि भारत के ग्रामीण अंचलों के किसानों और मजदूरों का विकास न के बराबर रहा जबकि 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और खेती करती है। ग्रामीण अंचलों में पूंजी की कमी और बेकारी ज्यादा होती है। इसलिए छोटे-2 उद्योग जिनमें थोड़ी पूंजी की लागत हो और ज्यादा लोगों को काम मिले, ऐसे उद्योग लगाने चाहिए। इससे बेकारी दूर होगी परन्तु इन लघु उद्योगों की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती और इसलिए ज्यादा-तर उद्योग रुग्ण होरहे हैं, 1985 तक रुग्ण इकाइयों की संख्या 1,17,283 थी जून 1987 तक यह सं०1,59,256 हो गई। इन इकाइयों में से 80 प्रतिशत इकाइयां फिर से चलने काबिल हैं फिर भी कुछ इकाइयां ऐसी हैं जो सही हैं और उन्हें लोन नहीं मिलता। जो 420 लोग होते हैं वे बैंकों के अधिकारियों से सांठ-गांठ करके लोन ले लेते हैं और उनकी इकाइयां चलती भी नहीं हैं। जैसा कि समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि लघु उद्योगों की पूंजी निवेश सीमा दो लाख से बढ़कर पाँच लाख कर दी गई है और लघु उद्योगों की 60 लाख और निर्यातोन्मुखी इकाइयों की 75 लाख रुपए कर दी गई है। खेती और कृषि से जुड़े 43 लाख कामगारों को सरकार बेरोजगार करने जा रही है जो डेढ़ हजार से ज्यादा इकाइयों से जुड़े हुए हैं। ये संस्थाएं ढाई लाख ग्रामों में फैली हुई हैं। खाद की छूट में भी 5 प्रतिशत कटौती करने का सरकार का इरादा है। इसका प्रभाव बहुत खराब

पड़ेगा। इसके कारण किसान की खेती पर बहुत खराब असर पड़ेगा क्योंकि खाद के रेट तो बढ़ाए गए परन्तु फसल का उचित मूल्य उसे नहीं मिल रहा है। यदि आप सही मदद देते तो जो गेहूं हमें विदेश से मंगाना पड़ा वह नहीं मंगाना पड़ता। अभी हमारे काश्तकारों के पास गेहूं रखा रह गया है लेकिन रेट कम दिया जाता है और लागत ज्यादा आई है। इसलिए उन्होंने वह गेहूं रोक रखा है और सप्लाई नहीं किया। मेरे इस संबंध में कुछ सुझाव हैं।

खाद के रेटों को कम किया जाए या किसान की फसल का उसको सही पैसा दिया जाए। खेती, मूर्तिकला, मिट्टी कला, काष्ठकला, दुग्ध, मधुमक्खी, रेशम, हथकरघा, खादी तथा अन्य बुनकरों संबंधी सभी लघु उद्योगों की आधुनिकीकरण किया जाए तथा उच्च तकनीक दी जाए, क्योंकि पुरानी पद्धति से चलने के कारण कोई भी विशेष लाभ नहीं हो रहा है।

बड़ी कम्पनियों छोटे-छोटे उद्योगों का माल लेकर फॉरन धन का भुगतान करें। बिजली ज्यादा देने की व्यवस्था की जाए। खादी पर पांच प्रतिशत की छूट जो कम की जा रही है, बहन की जाए। हमारे भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा का नारा दिया था। वे अहिंसा के पुजारी थे और इसी बूते पर उन्होंने अंग्रेजों से स्वराज्य लिया था। इसी अहिंसा के सिद्धान्त पर 'अहिंसा परमो धर्मा' हमें आजादी दिलाई और वे राष्ट्रपिता कहलाए। आज मैं इसी संबंध में कहना चाहता हूं कि भारती संस्कृति की रक्षा के लिए कुटीर उद्योगों, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मांसाहार संबंधी उद्योग शराब उद्योगों को समाप्त किया जाए, जिससे तामसिक प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव न हो सके।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार के अनुपूरक व्यय विवरण तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

हमारे देश जितने आकार के देश में यह स्वाभाविक है कि सरकार अनुपूरक मांगों को संसद के समक्ष रखे। आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज अर्थात आय और व्यय का दस्तावेज या विवरण प्रतिवर्ष फरवरी के अन्तिम दिन बजट के रूप में सभा में पेश किया जाता है। लेकिन बाद में अगर कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो वार्षिक बजट तैयार करते समय ध्यान में नहीं रखे गये हों तो सरकार के लिए इसके सिवाय अन्य विकल्प नहीं रहता कि वह सभा के समक्ष अनुपूरक मांगें रखे।

लेकिन मैं देख रहा हूं कि अतिरिक्त अनुदानों की मांगें 1988-89 से संबंधित हैं। मुझे इस पर आश्चर्य है। सरकार उस बजट से अधिक व्यय करने के विवरण को चार वर्ष बाद ला रही है। यह सुखद स्थिति नहीं है। मैं अन्य भाग 1992-93 से सम्बन्धित केन्द्र सरकार के अनुपूरक व्यय के विवरण को तो समझता हूं। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं क्योंकि इस बारे में सहमत होने में कोई झिझक नहीं है। यह थोड़ी सी राशि अर्थात 12.15 करोड़ रुपये के लिए है। हमारे सम्मुख दो दस्तावेज हैं। इस वर्ष 1992-93 से संबंधित दस्तावेज में सरकार ने 12.15 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति मांगी हैं। मैं देखता हूं कि ये व्यय अनअपेक्षित थे। हम विश्लेषण करने पर पाते हैं कि भारतीय उर्वरक निगम को 11.25 करोड़ प्राप्त होने हैं।

3.00 म०व०

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

ग्राम और छोटे उद्योगों पर थोड़ी सी राशि व्यय की गई। न्यायालय के आदेश, जैसे मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण का फैसला इत्यादि की अनुपालना हेतु कुछ व्यय करना है। इस प्रकार इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक भारतीय उर्वरक निगम का संबंध है, मेरा कहना है कि यह बन्द होने वाला है। पूरा निगम रुग्ण है और सरकार इसे पुनः चालू करने के लिए कुछ कदम उठाना चाहती है। स्वाभाविक है कि तालचेर सहित इसकी अनेक इकाइयों में कुछ खामियां हैं। तालचेर इकाई गुरू जल परियोजना से संबद्ध है और आप रक्षा प्रयोजनों के लिए गुरू जल के महत्व को जानते हैं। मेरा सुझाव है कि तालचेर में भारतीय उर्वरक निगम की इकाई को बन्द न किया जाए। मैं यह इसलिए भी कह रहा हूं कि आजकल उर्वरक की कम सप्लाई है। इस वर्ष मौसम की स्थिति उर्वरक पर निर्भर करेगी। इसलिए हमें देखना है कि उर्वरक उद्योग की अच्छी स्थिति कायम रहे।

3.03 म०प०

[श्री पीटर जी. मरबनियांग पीठासीन हुए]

जहां तक अनुपूरक व्यय के विवरण का संबंध है, मैं कहना चाहूंगा कि 1988-89 के बाद इस दौरान केन्द्र में तीन सरकारें सत्ता में आई। बाद में लोक लेखा समिति ने भी इस विषय पर जांच की और समिति ने इस व्यय को नियमित करने के संबंध में कुछ सुझाव दिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि इन सभी बातों की छानबीन और निगरानी हो और जब भी कोई अपरिहार्य व्यय हो तो यथाशीघ्र अवसर पर सरकार इसे सभा के समक्ष रखे।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक मंजे हुए राजनेता हमारे प्रधानमन्त्री के ओजस्वी नेतृत्व के तहत तथा माननीय वित्त मंत्री के अनुभवी संचालन के तहत एक अति जटिल आर्थिक स्थिति से बहुत ही कारगर और कुशल तरीके से निपटा गया है। महोदय, 1990-91 में इस संकट के उत्पन्न होने और बिकट होने के साथ ही वर्ष 1991-92 अर्थव्यवस्था के लिए एक अत्यन्त कठिन वर्ष रहा है। जब जून 1991 में सरकार सत्ता में आई तो उसने स्थिति को नियन्त्रण में रखने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय किये। इनमें अल्पावधि उपाय भी थे जो संकट पर नियन्त्रण रखने के लिए थे तथा दीर्घ अवधि के संरचनात्मक सुधार भी किये गये जिनका उद्देश्य क्षमता तथा उत्पादकता में सुधार लाना और अर्थव्यवस्था को समानता और सामाजिक न्याय के साथ प्रगति के रास्ते पर लाना था।

यद्यपि सरकार को कुछ अप्रिय कदम लेने पड़े लेकिन ये बहुत ही आवश्यक थे और इनका परिणाम भी निकला। यह सन्तोषप्रद है कि सरकार के उपायों के कारण कुछ सफलता मिली है। विदेशी मुद्रा के भंडार में कुछ उल्लेखनीय सुधार हुआ है जो 3 जुलाई 1992 को 17,565 करोड़ तक पहुंच गया और जुलाई 1991 में सरकार के सत्ता में आने पर यह केवल 2,383 करोड़ रुपये था। अब यह 17,565 करोड़ रुपये हो गया है। यह सरकार के प्रयासों के कारण हुआ है। जिस प्रकार सरकार ने अर्थव्यवस्था का संचालन किया है, उससे मुद्रा स्फीति की दर गिरी है। हम सबके लिए यह चिन्ता का एक मुख्य कारण था। एक ग्रामीण से लेकर प्रधानमन्त्री तक और लोगों के प्रतिनिधि भी चिन्तित थे।

महोदय, यह दर अगस्त 1991 में 16.7 प्रतिशत के उच्च स्तर से गिरकर जून, 1992

के तीसरे सप्ताह में 11.4 प्रतिशत रह गई। इस प्रकार यह एक अंक के स्तर तक आ गई है। इस मुद्दे पर निश्चित रूप से सरकार और वित्तमंत्री हमारी बधाई के पात्र हैं। यह प्रतिशत के आसपास हैं। इस वित्तीय वर्ष के अन्त का लक्ष्य 8 प्रतिशत के आसपास था। सरकार के लिए आत्म सन्तुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जब यह खबर आई तो इसके साथ ही योजना आयोग से अन्तर्गत संगठन राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने सरकार को एक और चेतावनी दी कि उन्होंने चालू वित्त वर्ष के अन्त में 10.25 प्रतिशत की मुद्रास्फीति की सम्भावना बताई है। इसलिए आत्मतुष्टि की बात नहीं है हालांकि अब यह एक अंक में आ गई है और अब निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप यह और कम होनी चाहिए। योजना आयोग के अन्तर्गत ही एक निर्यात संगठन ने भी भविष्यवाणी की है। 1992-93 की प्रथम तिमाही के दौरान केन्द्र सरकार के बजट घाटे में असामान्य वृद्धि हुई है। मुझे दूसरी तिमाही के अन्त अर्थात जून के अन्त की स्थिति का नहीं पता। लेकिन जो सूचना है, वह प्रथम तिमाही से सम्बद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार घाटा 4774 करोड़ रुपये से बढ़कर 3 अप्रैल को 14,946 करोड़ रुपये हो गया है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि फिर भी वित्तमंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा निर्धारित लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लिया है।

इस वर्ष सरकार के सम्मुख पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि राजस्व में वृद्धि करे, उन्हें वसूली को और मजबूत करना चाहिए। दूसरी तरफ उन्हें गैर-योजना व्यय फिजूलखर्ची में अत्यधिक कटौती करनी है। यह वर्ष बहुत कठिन वर्ष रहा है, मानसून बहुत ही अनिश्चित रहा है और काफी क्षेत्र सूखे पड़े रह सकते हैं; वह हमारे खाद्यान्न उत्पादन पर बुरा प्रभाव डालेगा। पिछले वर्ष भी यह बहुत अच्छा नहीं था और हम इसके प्रभाव को जानते हैं। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं हमारी आजादी के 45 वर्ष बाद भी जैसा ब्रिटिश राज में लोग कहा करते, हमारा बजट मानसून का बजट या जूआ कहा जा सकता है।

क्या करना चाहिए? एक योजना तैयार की जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समन्वय हो। आप जानते हैं जवाहर रोजगार योजना कितने त्रुटिपूर्ण तरीके से राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है इसमें काफी गड़बड़ी है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना पर अत्यधिक दबाव होगा।

इस वर्ष उर्वरकों और उर्वरक राज सहायता पर भी दबाव होगा। आप जानते हैं कि अब सरकार ने निर्णय लिया है कि छोटे और सीमान्त किसान इससे पीड़ित न हों; लेकिन जो राहत रियायत उन्हें राज्यों में नहीं मिल रही उसकी जाँच की जाए।

**सभापति महोदय :** कृपया समाप्त कीजिए।

**श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** जब पिछला बजट तैयार किया जा रहा था तो विभाग में एक प्रकार की मनोविकृति तथा डर था कि बड़े पैमाने पर कटौतियां की जाएंगी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण एककों को बड़े पैमाने पर बन्द कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक किसी ऋण एकक को बन्द नहीं किया गया है तथा किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूँ लेकिन इसके साथ ही कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में कुछ मितव्ययिता की जा रही थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि वे बहुत अन्धाधुन्ध खर्च कर रहे हैं। इसकी जाँच की जानी चाहिए तथा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में ऊंचा स्थान बना रहे।

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

मैं यह जानना चाहूंगा कि राजा चालिहा समिति की रिपोर्ट को कहां तक स्वीकार किया गया है। अपने अनुभव से हम यह देखते हैं कि हमें और सिंचाई सुविधाएं जुटानी हैं तथा हमें कृषि विकास तथा ग्रामीण विकास पर और जोर देना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके द्वारा की गई प्रगति का हिस्सा मिल सके तथा उन्हें रोजगार मिल सकें।

जब तक हम धार्मिक असन्तुलन से नहीं लड़ेंगे, हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। हमें सभी धर्मों का सन्तुलित विकास करना है। आप उत्तर-पूर्व के प्रतिनिधि हैं। आपके क्षेत्र में इस सम्बन्ध में किस प्रकार का असन्तोष विद्यमान है। इसलिए, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का धार्मिक असन्तुलन न हो। अन्यथा यह धार्मिक असन्तुलन हमारी राष्ट्रीय एकता तथा पूर्ण एकता को कमजोर करने का एक कारण बनेगा जिसकी हमें आज बहुत आवश्यकता है।

इस सभा में अनेक बार बजट प्रस्तुत करने के समय के बारे में प्रश्न उठाया जाता रहा है और मांग की जाती रही है कि वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है ? अब तक ऐसा होता आया है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को वित्तीय वर्ष माना गया है। यह हमारे देश की स्थिति, आवश्यकताओं तथा जलवायु की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। मानसून तथा कृषि पर निर्भर रहने वाले देश भारत के लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत करने का यह सही समय है। अब सरकार को सही स्थिति का जायजा होगा और उसी के अनुसार वे अपनी नीतियां तैयार कर सकते हैं।

**सभापति महोदय** : अब जो कुछ भी वे कहें, उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाए।

**(व्यवधान)****

[हिन्दी]

**श्री राम पूजन पटेल** (फूलपुर) : सभापति जी, पूरक व्यय की मांगों पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं। यहां पर राज्य मन्त्री जी बैठे हैं लेकिन वित्त मन्त्री जी बहुत आसानी से टाल देते है। भारत कृषि प्रधान देश है और जब बजट पेश किया जाता है तो कहा जाता है कि इस देश की रीढ़ है कृषि। कृषि क्षेत्र में किसानों को जो भी सहायता दी जाती है तो बीच में इतने बिचौलिए होते हैं कि उनको अनुदान सही रूप में नहीं मिल पाता है। जिस प्रकार से बड़े व्यापार करने के लिए लिमिट होती है उसी तरह से किसानों के पास जितनी जमीन हैं उसके अनुसार उनको लिमिट में रखा जाए और बिचौलिए के पास जाना न पड़े और अपनी आवश्यकतानुसार अपने साधन मुहैया करा लें। सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। यह बहुत अहम मुद्दा है और किसान नलकूप पर ऋण लेते हैं। नलकूप बाजार में नौहजार रुपए का मिलता है अब सरकारी मशीनरी के माध्यम से लेते हैं तो 11-12 हजार रुपया देना पड़ता है। माननीय राज्य मन्त्री जी इसकी ऊपर की बात जानते होंगे और नीचे की भी जानते होंगे। किसानों को क्यों भ्रष्टाचार के संकट में डाल दिया है, इसमें सोचने की जरूरत है। गाय-भैंसों को गरीब और किसानों की तरक्की के लिए भी सहायता दी जाती है। जब वह कोई चीज सरकारी माध्यम से लेता है तो उसको खराब चीज मिलती है। पिछले दिनों माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा कि किसानों के लिए उर्वरक खाद पर

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

छूट कम कर रहे हैं। दो तरह की छूट दी गई है जिससे इसमें भ्रष्टाचार बढ़ गया है इसलिए इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। उर्वरक की जो कीमत रखी जाती है वह अच्छे ढंग से होनी चाहिए और किसानों को सरलता से मिल जाए और उसमें भ्रष्टाचार एवं बेईमानी न हो। मैं इस बात को मानता हूं कि छूट पर लूट है। जितनी छूट देंगे तो उतनी बेईमानी बढ़ती जायेगी। किसानों को तथा गरीबों को धन ऋण के रूप में पैसा दिया जाता है तो उनको छूट न देकर चार-पांच साल ब्याज मुक्त पैसा देना चाहिए और जो पैसा उनको मिलता है उससे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करके उस ऋण को वापिल कर दें। इससे भ्रष्टाचार और बेईमानी कम हो सकती है। मैं समझता हूं इस तरफ आपका ध्यान जायेगा। हिन्दुस्तान में गरीबी को आगे बढ़ने के लिए सीधे ऋण बिना बिचौलिए के लिए दिए जाते हैं जिससे 22 ब्लाक ऐसे हैं जिनमें 70 प्रतिशत लोगों को लाभ हुआ है और जो सरकारी मशीनरी के माध्यम से पैसा दिया जाता है तो केवल 20 प्रतिशत लोगों को लाभ हुआ है। इसको आप देख लेंगे तो मैं समझता हूं देश के गरीबों का भला हो जायेगा। आज खाद्य मन्त्री जी ने प्रश्न काल में जवाब दिया कि हम गेहूं का आयात कर रहे हैं। पिछले वर्ष गेहूं हमारे पास बहुत ज्यादा था। 240 रुपए क्विंटल के हिसाब से निर्यात किया और 526 रुपए क्विंटल के हिसाब से आयात किया जा रहा है। किसानों से 280 रुपये में खरीद रहे हैं और कहते हैं कि प्रोक्युरमेंट कम हुआ है। किसानों को साढ़े तीन सौ और चार सौ रुपये दे सकते थे। हम विदेशी मुद्रा न बचाते तो अच्छा था। सरकार अपनी विदेशी मुद्रा दे रही है और अधिक कीमत में बाहर से गेहूं खरीद रहे हैं। किसानों को आज अधिक सहायता दें, इस ओर ध्यान देना, चाहिए। हमने उर्वरक के दाम बढ़ाए गए और किसानों की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि खाद को आवश्यकतानुसार खेतों में डाल सके जिसकी वजह से खेतों में उत्पादन कम हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि किसानों को सहूलियत देने के लिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है 31-3-91 को 315.12 लाख रुपया कृषि ग्रामीण राहत के अन्तर्गत माफ किया गया, चारों ओर चर्चा होने लगी.....(व्यवधान) बुद्धिजीवियों ने चर्चा की कि पूरे बैंक खाली हो जायेंगे, पैसा नहीं रहेगा, सरकार नहीं चलेगी, लेकिन हिन्दुस्तान में शेयर घोटाले में हर्षद मेहता ने ही 35 अरब रुपये का घपला कर दिया और किसानों के 3 करोड़ 15 लाख रुपये माफ नहीं किये गये उस पर हाहाकार मचा दिया। किसानों को अगर कोई छूट दी जाती है तो देश के सम्पन्न लोग और पूंजीपति उसको वर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए किसानों को राहत देने के लिए हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उस पर पूरी तरह से काम करें। हम विदेशों से गेहूं आयात कर रहे हैं उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। हमें अधिक आयात करना पड़ रहा है। अगर हम 350 रुपये किसानों को देते तो प्रोक्योरमेंट पूरा कर लिया जाता तो मैं समझता हूं कि 176 करोड़ रुपये की बचत हिन्दुस्तान को होती। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अब इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

आज हिन्दुस्तान में कृषि योग्य भूमि 1 हजार 847 लाख हेक्टेयर है और उसमें से जिसमें सिंचाई होती है वह केवल 452 लाख हेक्टेयर है और असिंचित भूमि 1395 लाख हेक्टेयर है यानि कुल भूमि का 25 प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जिस पर सिंचाई होती है। जबकि हमारी आबादी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर पैदावार बढ़ाने के लिए हम सिंचाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो यह स्थिति पैदा होगी कि हमें विदेशों से लेकर खाना पड़ेगा और उन्हीं पर निर्भर होंगे। इस तरह से हमारे ऊपर कानून लादे जायेंगे इसलिए जो खाद्यान्न की समस्या है और आबादी की

[श्री राम पूजन पटेल]

समस्या है इसका मुकाबला करना चाहिए। हर बजट में कहा जाता है कि आबादी बढ़ रही है इसलिए विकास नहीं हो रहा है। आप कोई ऐसा कार्यक्रम बनायें जिससे आबादी पर नियंत्रण किया जा सके, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

आज इस देश में सबसे बड़ा काम जो हमें करना है वह है भ्रष्टाचार को समाप्त करना। इधर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है कि यह कैसे कम हो। आज भ्रष्टाचार शिष्टाचार का रूप धारण कर चुका हैं। भ्रष्टाचार के माध्यम से धन आता है तो उससे अस्थिरता और अनैतिकता की स्थिति देश में पैदा होती हैं। मेहनतकश लोगों का शोषण होता है। मैं समझता हूं इस पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून बनाना चाहिए। जैसे चोर और डकैतों को संजा दी जाती है वैसे ही भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास देने का प्रावधान होना चाहिए।

भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी कोई न कोई प्रावधान करें। जो चुनाव लड़ते हैं उनको धन दिया जाये और उसके साथ ही साथ जो चुनाव में धन और बल का प्रयोग होता है उसको दूर करने के लिए विचार किया जाये। मैं समझता हूं कि चुनाव मुश्किल से 20 दिन के अन्दर हो जाने चाहिए। जो पोस्टर और बैनर लगाये जाते हैं उन पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। क्योंकि बैनर जिस कपड़े के बनते हैं चुनाव के बाद वह मोटा कपड़ा गरीब आदमी को ऊँचे दामों पर मिलता है। इसी तरह से पोस्टर्स पर कागज लगता है उसके लिए हमें आयात करना पड़ता है और विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। केवल प्रत्याशी अपनी जीवन-दर्शन पुस्तिका बांट कर मतदाताओं को आकर्षित करें। जो जीप व गाड़ी होती है उसके लिए परमिट मिलना चाहिए। किसी को भी उस पर झण्डा या बैनर नहीं लगाने देना चाहिए। चुनाव के दिन पूरे तौर से इस पर प्रतिन्ध लगाना चाहिए इससे चुनावों में झगड़े नहीं होंगे, बूथ कैपचरिंग नहीं होगी।

देश में मतदाताओं को परिचय पत्र दें और उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक कारखाने स्थापित करें। हमारे इलाहाबाद में फूलपुर में एक कारखाना है उसका विस्तार करने का प्रस्ताव आया है उसको आप देखें। इसलिए आप देश में ऐसे कदम उठायें जिससे देश आगे बढ़े और दलगत नीति में फंसकर केवल अपने दल का ही प्रचार करना ह ऐसा न सोचें क्योंकि इससे देश का हित नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री तरित बरण तोपदार** (बैरकपुर) : सभापति महोदय, सरकार इस सत्र में सामान्य बजट की अनुपूरक अनुदान मांगों को प्रस्तुत कर रही है।

बजट के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा किए गए बड़े-बड़े दावों के बावजूद भी बजट अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेश पर तैयार किया गया और जैसा कि अब प्रकट हो चुका है कि यह हर्षद के कहने पर तैयार किया गया है। हमने समाचार पत्रों में यह देखा है कि इस सभा में माननीय सदस्य श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि बजट तैयार होने से पहले हर्षद के वित्त मंत्री से कुछ संबंध थे और इसका खंडन नहीं किया गया है।

सरकार की असफलता का प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि मुद्रास्फीति की दर के गिरने के बावजूद, जो कि जुलाई, 1992 के अन्त में सम्भवतः 9.28 थी और वित्तीय बजट में कटौती के बावजूद भी हमारी अर्थ व्यवस्था में गंभीर वित्तीय असन्तुलन मौजूद है। इसके बावजूद भी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नीचे नहीं आई हैं। कांग्रेस (आई) के चुनाव घोषणा पत्र में आश्वासन देने पर और अपनी असफलताओं पर परदा डालने के लिए हम कुछ पिछले सत्रों में आर्थिक नीतियों की अनाप-सनाप भाषा सुन रहे हैं। जिससे प्रगति, विकास तथा लोगों की निर्धनता में सुधार आदि होने की सम्भावना नहीं है बल्कि सभा, हानि के कारण तथा 80000 लोगों को एक ही धक्के में बाहर निकाल देने के कारण नौकरी की सम्भावनाओं को क्षीण करने के संबंध में कल ही कपड़ा मंत्री द्वारा दिए गए प्रभावशाली वक्तव्य की गवाह है तो इसके विपरीत यह हो रहा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय से अब तक हमने अनेक बार यह मांग की है कि 14 आवश्यक वस्तुएँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा रियायती मूल्यों पर वितरित की जानी चाहिए। मूल्य वृद्धि तथा असन्तुलन को रोकने का यह मुख्य तरीका है। हमारी अर्थ व्यवस्था को ऐसा बनाने के लिए जिससे कि वह लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और लोगों का विकास कर सके, इन नई नीतियों द्वारा स्वदेशी के विनाश को खतरनाक नीति का प्रचार किया जा रहा है। स्वदेशी नीति को काफी कम समय के भीतर समाप्त कर दिया जाएगा। हम इस तथ्य पर बल देना चाहते हैं कि हमें यह स्वतन्त्रता के 45 वर्षों के बाद भी हम गरीब हैं। हमारे राष्ट्रीय नेताओं के आदेश पर हमारे कृषकों अथवा श्रमिकों ने हमारे देश का उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि की हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता चाहते हैं कि पटसन की अच्छी किस्म का उत्पादन होना चाहिए कृषकों को अच्छी किस्म का उत्पादन करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय नेता चाहते हैं कि हमारे देश में कपास का उत्पादन होना चाहिए, ऐसे कपास का उत्पादन होना चाहिए जिसका निर्यात किया जा सके। हमारे कृषकों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और बड़ी संख्या में अच्छी किस्म के कपास का उत्पादन किया जो कि निर्यात योग्य है और हम उस किस्म के कपास का निर्यात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग हमारे देश में निर्धनता में सुधार लाने की दिशा में उत्पादन बढ़ाने के लिए इस प्रणाली पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हमारा देश केवल उतना ही उत्पादन कर रहा है जितना कि हमें हमारे खाद्य क्षेत्र में आवश्यक है। हम अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकते हैं और हम इस ओर बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद हमें अपने देश की निर्धनता पर खेद है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 45 वर्षों के पश्चात भी लोग भुखमरी से मर रहे हैं। संसद ने इस सत्र में भुखमरी के कारण हुई मौतों पर ध्यान दिया है। हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकसित की है। हमने सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग प्रणाली विकसित की है, श्रीमती गांधी के नेतृत्व में सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है और सभा द्वारा इसका समर्थन किया गया था, मेरा आशय है कि उस समय सभी ने इस कार्यवाही का समर्थन किया था। अब प्रस्तुत नीतियों के द्वारा वित्त मंत्री बैंकों का निजीकरण करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हम इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और नकारात्मक जवाब देंगे कि हमें निजीकरण नहीं चाहिए।

मैं पूछना चाहता हूं कि वे इस प्रणाली द्वारा क्या करना चाहते हैं। रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता, जो कि शीघ्रता ही पूर्ण परिवर्तनीय हो रहा है, के बारे में बड़ी-बड़ी बातें इसमें कुछ समय के लिए वृद्धि होगी, या इससे भविष्य में व्यापार तथा विनिर्माण पर प्रभाव नहीं

[श्री तरित वरण तोपदार]

पड़ेगा। इस आंशिक परिवर्तनीयता से हमारे उद्योग विकसित नहीं हुए हैं और इससे कोई विदेशी निवेश आकर्षित नहीं हुआ है। इससे केवल ऐसा वातावरण उत्पन्न हुआ है जिससे कि व्यापार के रूप में काला बाजार, तस्करी और धोखाधड़ी बन्द रही है।

महोदय, मैं एक अन्य मुद्दे पर भी जोर देना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र में कृषकों के हितों के रूप में, स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक कांग्रेस शासन की पूरी नीति कुल्लाकों भू-स्वामियों तथा फार्म मालिकों की ही मदद कर रही हैं। लेकिन वे उत्पादक नहीं हैं। कृषकों के नाम पर, कृषक वर्ग के वास्तविक हित, उत्पादकों के हित, निर्धनों तथा दलितों के हित समाप्त हो रहे हैं। उनको कांग्रेस पार्टी की नीतियों में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। चार से पांच प्रतिशत तक के लोग जो भूमि के मालिक हैं, उनका 45 प्रतिशत भूमि पर नियंत्रण है और इसलिए देश का 4 प्रतिशत उत्पादन, समाज में उनके लाभ के लिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से तथा अन्यथा उनके द्वारा नियंत्रित है और वे अन्य 15 से 20 प्रतिशत तक देश के कृषि उत्पाद को भी नियंत्रित करते हैं। इसलिए यह केवल 5 प्रतिशत लोगों के हित में है जो कि पूरे कृषि क्षेत्र पर नियंत्रण रखते हैं, जिनको स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से, नेहरू के दिनों से, श्रीमती गांधी, श्री राजीव गांधी और श्री नरसिम्हाराव के दिनों से प्रोत्साहन मिल रहा है। इस प्रक्रिया के रहते देश उन्नति नहीं कर सकता। हमारे वित्तीय घाटे और मुद्रा स्फीति दर के एक अंकीय हो जाने के बावजूद भी हमारे आर्थिक सन्तुलन में वृद्धि होगी। लेकिन, जैसा कि मैंने पहले कहा था मूल्य वृद्धि होगी। यह कहा जा रहा है कि हमारा भुगतान सन्तुलन बहुत कठिन परिस्थिति में है। यह कठिन परिस्थिति में क्यों है ? यदि हम इस बात से सहमत हों कि हमारा देश निर्धन है, तो हम साधारण तरीके से शुरूआत करेंगे। हम समान शर्तों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भाग लेने जा रहे हैं। हमारा देश समान शर्तों पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हाथी से प्रतिस्पर्द्धा करने की कोशिश कर रहा है। (व्यवधान)

**श्री पवनकुमार बंसल** (चण्डीगढ़) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। नियम 216 इस प्रकार है ;—

> "अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उन मदों तक ही सीमित रहेगा जिनसे वे बने हों और जहां तक चर्चाहीन मदों ती व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक न हो, उस सीमा तक, मूल अनुदानों पर या उनसे सम्बन्धित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी।"

(व्यवधान)

**श्री सैयद मसूदल हुसैन** (मुर्शिदाबाद) : आपने गलत नियम पढ़ा है।

**श्री पवनकुमार बंसल** : आपकी समस्या यह है कि आप कारण नहीं देखते हैं। मैंने एक बहुत ही उपयुक्त नियम पढ़ा है। हम अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा कर रहे है। (व्यवधान) में झुकने वाला नहीं हूं। (व्यवधान) मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

**सभापति महोदय** : आपका व्यवस्था का प्रश्न बहुत ही सन्तुलित है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अनुपूरक मांगों पर ही चर्चा करें।

(व्यवधान)

**श्री पवनकुमार बंसल** : कृपया मुझे समाप्त करने दीजिए। मैं उनकी बुद्धिमता स्वीकार करता हूं लेकिन उनकी राय स्वयं ही उनकी बुद्धिमता को पीछे छोड़ रही है।

**सभापति महोदय** : आपका व्यवस्था का प्रश्न संतुलित और वैध है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अनुपूरक मांगों तक ही सीमित रहें। इससे ज्यादा न बोलें। कृपया समाप्त कीजिए।

**श्री तरित बरण तोपदार** : भुगतान संतुलन की समस्या दशकों से विकसित हो रही है और 1984 से 1989 की अवधि के दौरान यह काफी बढ़ गई है।

निष्कर्ष में, मैं यह कहना चाहूंगा कि बाद में आने वाली कांग्रेस सरकार इस स्थिति के लिए जिम्मेवार है जो कि वे कहते हैं कि यह संकटों के कारण है। हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि "इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूं ?"

**सभापति महोदय** : कृपया कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जाए। इससे अधिक नहीं। नहीं।

**(व्यवधान)***

**[हिन्दी]**

**श्री भोगेन्द्र झा** (मधुबनी) : माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ जल्दी में हूं, इसलिए कुछ ही बिन्दुओं को मैं लूंगा।

अभी हम लोग 1942 के जन-आंदोलन की पचासवीं वर्षगांठ, स्वर्ण-जयन्ती मना रहे हैं। **(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**श्री सैयद मसूदल हुसैन** : सभा में कोई भी केबिनेट मन्त्री उपस्थित नहीं है। यह उचित नहीं है।

**सभापति महोदय** : अनेक मन्त्री यहां उपस्थित हैं। वे नोट कर रहे हैं।

**[हिन्दी]**

**श्री भोगेन्द्र झा** : सभापति महोदय, 8 अगस्त, 1942 को कालेज में पढ़ने का मेरा आखिरी दिन था, उसके भी 50 वर्ष पूरे हो गए, 11 अगस्त को जब मैं जेल गया, उसको भी 50 वर्ष पूरे हो गए और 1944 में जेल से आने के बाद अंग्रेज सरकार की शर्त थी कि जो सरकार विरोधी काम नहीं करे, उसका नाम फिर से लिखा जाए, तो हम लोगों ने इन्कार कर दिया कि देश की इज्जत रखनी है डिग्री नहीं बेचनी है। यह उस समय की बात है जब संसार-व्यापी लोकयुद्ध चल रहा था और उस लोकयुद्ध के हम प्रबल समर्थक थे। हमारी गर्दन पर अंग्रेज सरकार थी और उसको हम हटाना चाहते थे; अंग्रेजों को हटाना चाहते थे। तो आज जब हम इस स्वर्ण-जयन्ती को मना रहे हैं, उसमें सब एकमत हैं और जो हमारी नीति, पूरक मांगों के जरिए से रखी गई है, उसका कुछ इजहार इसमें होगा या नहीं ? मेरे मित्र बंसल जी ने मुनासिब बिंदु

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री भोगेन्द्र झा]

उठाया है, लेकिन 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण-जयन्ती की बात हमारे नियम में नहीं है, फिर भी क्योंकि वह विशेष बात है, इसलिए हम उसको मना रहे हैं। तो क्या देश को कोई उपहार हम इन पूरक मांगों के जरिए दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं ?

सभापति महोदय मई 1942 में गांधी जी ने पहले पहल अमरीकी पत्रकार लुई फिशर से साक्षात्कार में कहा था कि जमीन जोतने वालों की होगी और जमींदारी मिटा दी जाएगी। लुई फिशर ने पूछा था कि मुआवजे का क्या होगा, गांधी जी ने कहा था कि किसानों के पास पैसा नहीं है, इसलिए मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यह मई 1942 की बात है। इतने दिन बीतने के बाद भी, यह ठीक है कि भूमि सुधार के मामले में कुछ कदम हमने आगे बढ़ाए हैं, लेकिन यह काम पूरा नहीं हुआ है। स्वर्ण-जयन्ती केवल शृंगार में रह जाएगी या अमल में भी इसका व्यावहारिक स्वरूप आएगा। भूमि सुधार का मतलब देश में क्रय शक्ति बढ़ाना है। ज्यादा लोग जो खेतों में मेहनत करते हैं, उनके लिए जमीन हो, जो उर्वरक पर से अनुदान हटा दिया गया है वह अनुदान उनको मिले ताकि वे ज्यादा पैदा करें, घर में अनाज, जेब में पैसा रहे तभी वे बाजार का और कारखाने का सामान खरीद सकेंगे, कृषि में पैदावार बढ़ाकर हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल दे सकेंगे। उद्योग के लिए भी भूमि सुधार को पूरा कर लेना जरूरी है।

मैं आग्रह करूंगा जब मन्त्री जी जवाब दें तो ऐलान करें कि स्वर्ण जयंती वर्ष में, इस वर्ष के अन्त तक भूमि सुधार का जो भी काम है, उसको हम पूरा कर लेंगे, इसको अनन्त काल तक नहीं टालेंगे। देशभर को जगाकर इस काम को पूरा करेंगे। अन्यथा खतरा है। जिस तरह से विश्व बैंक के दबाव में आ कर हम नीति चला रहे हैं, सभापति जी, कल एक ऐसा मौका मिला कि देश के उद्योग का जो महासंघ है कंफेडरेशन आफ इण्डियन इंडस्ट्रीज, उनके आयोजकों ने खुले-आम 10 सांसदों के बीच में कहा कि राष्ट्रीकृत बैंकों का निजीकरण हो जाना चाहिए। यह भी कहा कि राजकीय क्षेत्र में जो उद्योग हैं उनको निजी क्षेत्र में दे देना चाहिए। इस कथन के दुस्साहस की मैंने तारीफ की, धन्यवाद दिया कि यह दुस्साहस कर रहे हैं। लेकिन आज हम सभी जानते हैं कि एक भी देश में ऐसा उद्योगपति नहीं है, निजी क्षेत्र में, जो सिर्फ अपने पैसे से उद्योग चला रहा हो, एक भी थोक व्यापारी नहीं हैं पूरे भारतवर्ष में जो सिर्फ अपने पैसे से थोक व्यापार चला रहा हो। वे राजकीय बैंकों के पैसे से चलाते हैं, जनता के पैसे से चलाते हैं सारे देश के अखबारों में और सरकार के मुंह से यह बात आती है कि राजकीय क्षेत्र विफल हो रहा है। जिनको याद नहीं है उनको मैं कहने जा रहा हूं, पांचवीं लोक सभा में मैं इसी सदन में था जिस समय 103 कपड़े के कारखाने बन्द थे, जिनको निजी क्षेत्र ने लाश बनाकर रख दिया था, उनका राष्ट्रीयकरण करके उनको जिन्दा किया गया। देश का उत्पादन बढ़ा ये कहते हैं वे घाटे में चल रहे हैं। मालूम पड़ रहा है कि हमारे वित्त मंत्री और हमारे प्रधान मंत्री एक श्मशान बनाना चाह रहे हैं सरकार को कि राजकीय क्षेत्र में तो घाटा है उसको बन्द करते चलो या जहां मुनाफा हो उस क्षेत्र को देते चलो। यह देश के लिए लाभप्रद नहीं होगा, क्रय शक्ति नहीं रहेगी।

अमेरिका में बाजार के लिए संकट है, जापान में बाजार के लिए संकट है, यूरोप और अमेरिका में टकराव है बाजार के लिए, क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए जापान और अमेरिका में टकराव है। हमारे देश में लोगों की अगर क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी केवल कुछ ही की पूंजी बढ़ जाएगी तो

सभापति महोदय, हम विदेश से मंदी का आयात करेंगे तो मंदी और मँहगाई एक साथ होगी। देश के करोड़पति विश्व के करोड़पति की तरह एकात्मक नीति पर चले जा रहे हैं एक्सक्लेशन की नीति पर चले जा रहे हैं। पैदावार घटाओ मुनाफा बढ़ाओ इस नीति पर चल रहे हैं। यह मौलिक नीति है जो देश के हित से टकराती है। यह वह मौलिक नीति है जो 1942 के जन-संघर्ष के शंखनाद से टकराती है, यह वह नीति है जो अभी अभी पूरक मांगों के जरिए जाहिर की गई है। इसमें परिवर्तन होना जरूरी है।

ऐसी हालत में सभापति जी, मैंने खुद आपको कहा कि समय नहीं है, मैं समय लूंगा भी नहीं, हमारे साथी तेजनारायण सिंह जी बोलेंगे, लेकिन अन्त में मैं कहता हूँ कि पूरक मांगों का सिवाए विरोध करने के हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। उद्योग के क्षेत्र में जो बहुत बड़े-बड़े हमारे सिंचाई के केन्द्र हैं, हिमालय जैसा पहाड़ हमारे माथे पर है, जहां ग्लेशियर 12 महीने रहता है, इतनी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं से जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई हम सब कर सकते हैं। यहां धीमी रफ्तार से हम चल रहे हैं टिहरी डैम कहिए, कोसी डैम कहिए, पंचेश्वर कर्नाली का हो या नर्मदा का हो, वहां कच्छम गति से हम चल रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए धीमी रफ्तार है। सामाजिक सम्पत्ति, सामूहिक सम्पत्ति, राष्ट्रीय सम्पत्ति हम करोड़पतियों के हवाले करने के रास्ते पर जा रहे हैं। इन नीतियों के चलते हमारी इच्छा से नहीं होगा। लोग मजबूर होंगे और संघर्ष पर आयेंगे या तो कामों से हटाइए, महँगाई बढ़ेगी और कृषि पैदावार पर मदद कम कर दीजिए तब टकराव आएगा। इन नीतियों के चलते इस सरकार में और आम मेहनत करने वाले खेत कारखानों, कार्यालयों और विद्यालयों में टकराव होगा तो निश्चित रूप से हम उस टकराव में इस पूँजीवादी नीति के खिलाफ इस विश्व बैंक की नीति के खिलाफ जनता के साथ होंगे ताकि हम इन नीतियों को खत्म कर दें और जनहित में इन नीतियों के लिए स्वतंत्रता संग्राम में हम सभी शामिल हुए थे। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**प्रो० रामा सिंह रावत** (अजमेर) : सभापति जी, आपके माध्यम से पूरक व्यय के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए अत्यन्त खेदपूर्वक कहना चाहता हूँ कि सरकार स्वीकृत रकमों से ज्यादा खर्च करके बुद्धिमानी का परिचय नहीं दे रही है। सरकार का अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। इस देश के अन्दर लगभग चालीस वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा। इसके दौरान हम विदेशी कर्जा लेकर के मनमाना व्यय इस देश के अन्दर करते रहे और संसद के द्वारा बजट के लिए जितना स्वीकृत होता था तो उसके अलावा बाद में इतना खर्चा होता था कि पूरक मांगों के माध्यम से मनवाई मोहर लगवा दी जाती थी।

3.52 म०प०

(अध्यक्ष महोदय ····पीठासीन हुए)

लेकिन अनाप-शनाप खर्चों के ऊपर तनिक नियन्त्रण नहीं किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारा देश दिवालियापन के कगार पर हो गया। आज ब्राजील को छोड़कर सबसे बड़ा दुनिया का कर्जदार देश हमारा हिन्दुस्तान हो गया है। ऋषि चारवाक ने कहा 'यावत जीवेत, सुखं जीवेत, ऋणम कृत्वा, घृतम पीवेत', जब तक जीओ तो सुख से जीओ और कर्ज लेकर घी पीयो। सरकार चाहती है कि जब तक हुकूमत करें तो कर्जा लेकर हुकूमत करें लेकिन वह मनमाने खर्चों के ऊपर अंकुश नहीं लगायेगी। जब नई सरकार आई तो उसने बड़ा ढिंढोरा पीटा था कि खर्चा कम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस मितव्ययीता का क्या हुआ···· ···(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसलिए आया हूं कि हमने बहुत बिल पास करने हैं और सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स पर आप जनरल डिसकशन नहीं कर सकते ।

(व्यवधान)

**[अनुवाद]**

**प्रो० रासा सिंह रावत** : मैं मुद्दे पर आ रहा हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार नहीं । इस मांग के बारे में विचार रखने के लिए मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं । अन्यथा, ऐसे चलता रहेगा और आप चर्चा पूरी नहीं कर पायेंगे । मुझे आशा है कि आप सहयोग करेंगे ।

**[हिन्दी]**

**प्रो० रासा सिंह रावत** : रक्षा मंत्रालय की जो मांग है तो इसके बारे में लोक लेखा समिति की 29वें प्रतिवेदन का हवाला किया गया है । उसमें बताया गया है कि जब आठवीं लोक सभा थी तो उस समय 187 वां प्रतिवेदन लोक लेखा समिति का प्रस्तुत किया गया था जो खर्चा हुआ था उनके खर्चे का 1988-89 का भुगतान इस बजट में लाया गया है कि नौ-सेना जलपोतों के अधिग्रहण में हुए निष्फल और अतिरिक्त परिहार्य व्यय । उसके बारे में बड़ी टिप्पणी की गई है । उस टिप्पणी से हमें सबक लेना चाहिए । सी सी पी ए की मीटिंग में 30 जून 1980 को हवाला दिया गया कि एक धर्मवीर के चयन के अनुमोदन के पश्चात धर्मवीर के हस्ताक्षर किये जाने पर 18 महीने का विलम्ब हो गया । इस 18 महीने विलम्ब के कारण प्रस्ताव की तिथि और ठेके पर हस्ताक्षर की तिथि के बीच में 5.8 करोड़ रुपये की उपग्रह राशि लगी और इसके अलावा 21.33 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा जिसमें हवाला दिया गया ।

इसमें जो सूची दी है उसमें प्रारम्भ में संकेत दिये गये हैं कि इसके बारे में लोक लेखा समिति के 19वें प्रतिवेदन में चर्चा की गई है । डिमांड्स फार एक्सेस ग्रांट्स 1988-89, इसके अन्दर 19वीं रिपोर्ट में थी ।

संविधान के अनुच्छेद 115 ख के अन्तर्गत इस अतिरिक्त व्यय को नियमित किये जाने की सिफारिश की गई है । नियमित किये जाने की सिफारिश तो है, लेकिन जो इस प्रकार की घटनायें होती हैं ये इसलिए होती हैं कि कागजी कार्यवाही चलती है उसमें बड़ा समय लगता है । समझौते की बात थी, उसके क्रियान्वयन के लिए लोक लेखा समिति ने सरकार दिशा निर्देश दिये कार्य क्षमता के आधार पर कार्यप्रणाली के आधार पर कि जल्दी इसको लिया जाना चाहिए । इसी प्रकार से और एक बात कही थी कि दो पोतों का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 1987-88 तक पूरा हो जाना चाहिए था । लेकिन 1990-91 तक वह पूरा नहीं हुआ और पांच वर्षों के बाद यानि 7 फरवरी, 1992 को एक पोत का जलावतरण हुआ और दूसरे पोत का जलावतरण अभी विचाराधीन है और कहा गया कि सितम्बर 1993 के अन्दर उसका शायद जलावतरण होगा । ये रक्षा व्यय के अन्तर्गत जिन खर्चों के ऊपर पहले आपत्ति की गई है और जिन खर्चों के आधार पर जो मांगें अतिरिक्त व्यय की स्वीकृत कराने के लिए सदन में प्रस्तुत हुई हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं इस प्रकार का असाधारण विलम्ब नहीं होना चाहिए और वह वास्तव में दण्डनीय अपराध होना चाहिए । यह सरकार कहती थी कि हम सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार

को मिटायेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो बोफोर्स के काण्ड हैं उससे कोई सबक नहीं लिया और प्रतिभूति घोटाला और हो गया जिसमें पाँच हजार अरब करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ है। सरकार ने कहा था कि हम मंहगाई कम करेंगे, बजट के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ।

ये जो पूरक मांगें रखी गई हैं चाहें लघु उद्योग के बारे में हों, चाहे खाद को सब्सिडी के बारे में हों। वह भी नहीं दी गई। इसमें खाद की सब्सिडी के नाम पर फर्टिलाइजर कारखानों के नाम पर पैसा माँगा गया है। किसानों को खाद की सब्सिडी नहीं दी और उत्पादन भी घटा। यहां का गेहूँ कम दामों पर बाहर बेचा और आयात ज्यादा पैसों से किया। किसानों को अगर सब्सिडी दे दी जाती तो शायद उस खाद के अन्दर तो शायद यह स्थिति नहीं होती।

इसी तरह से आई.डी.पी.एल. में घाटा चल रहा है तथा अन्य स्थानों में घाटा चल रहा है। सरकार पहले कहती थी कि किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं होगी, लेकिन अब स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के नाम पर अतिरिक्त खर्चा मांगा गया है, हाईकोर्ट के नाम पर, केन्द्रीय ट्रिब्यूनल का हवाला देकर अतिरिक्त खर्चे की माँग की गई है। ऐसे ही बंगलौर में सी.आर.पी.एफ. के लिए जमीन खरीदने की बात कही गई है। जो उचित खर्च वह स्वीकृत होना चाहिये, लेकिन जो अनावश्यक खर्च है उससे बचना चाहिए। मितव्ययिता से काम लेना चाहिए। निरन्तर जो विलम्ब होता है, विलम्ब की जो प्रवृत्ति है सरकार की ओर उस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार का विलम्ब नहीं होगा।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ।

**[अनुवाद]**

पूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा उसमें शामिल विषयों पर ही होगी और मूल अनुदानों तथा उनसे संबंधित नीति के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाएगी ..... "

**[हिन्दी]**

आप इसके बारे में कहें, नहीं तो जनरल डिबेट हो जायेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि इतने बिल पास करने हैं, समय थोड़ा है वे बिल पास नहीं होंगे तो अच्छा नहीं होगा। आपको बोलना है समय दिया है तो एक-दो मिनट में खत्म करें।

**श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर)** : माननीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़े ही में अपनी बात समाप्त करूंगा। देश में कृषकों की बहुत खराब हालत है इसलिए कि बारिश नहीं हुई। सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने योजना बनाई तो उसको पूरा नहीं किया। आज देश में किसानों की हालत खराब है। बारिश भी नहीं हुई है, बिजली भी नही मिल रही है। अगर किसान पम्प लगाकर खेती करना चाहता है तो उसके लिए डीजल नहीं मिल रहा है। किसानों से कई गुना ज्यादा हालत मजदूरों की खराब है। इस देश के अधिकांश मजदूर खेती पर जिन्दा रहते हैं।

4.00 म० प०

और देश के तमाम राज्यों में सुखाड़ है। इसलिए आज मजदूर बेकार हो गये हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि चाहे वह विरोध के बावजूद यह पास करा ले लेकिन सुखाड़ की स्थिति में फूड फॉर वर्क को पूरे देश में बड़े पैमाने पर चलाये जिससे मजदूरों को खाना मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि अगर किसान ठीक से खेती करना चाहेगा तो उसको खाद पर सबसिड़ी मिलनी चाहिये.....

**अध्यक्ष महोदय** : आप किस डिमाण्ड पर बोल रहे हैं? जो सप्लीमेंटरी की ज्यादा डिमांड्स हैं, उस पर बोलिये, आप जनरल डिमांड्स पर नहीं बोलिये। यह मैंने पढ़कर सुनाया है। ऐसा नहीं है। अगर टाईम होता तो मैं आपको दे देता।

**श्री तेज नारायण सिंह** : सरकार ने खाद पर सबसिडी घटा दी है, उससे किसानों की हालत खराब हो गयी है। साथ ही साथ मंहगाई सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है। सरकार ने वायदा किया था कि वह मंहगाई पर रोक लगायेगी लेकिन यह तो और बढ़ती जा रही है। सरकार का वायदा था और अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था कि सौ दिन के अन्दर मंहगाई घटा देंगे लेकिन अब एक साल से अधिक हो गया है। इसका कोई ठौर-ठिकाना नहीं है। मंहगाई बढ़ने से किसान और मजदूर दोनों बुरी तरह से तबाह हैं। भले ही कुछ लोग इससे तबाह नही हैं लेकिन 90 प्रतिशत जनता इससे तबाह है। इसके चलते बेकार नौजवानों की हालत खराब हो रही है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। मैं दिल्ली का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि श्री इसरार अली खां मजदूरों के लिए लड़ता है, झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए लड़ता है तो उसके खिलाफ अपराध का जो कानून है, वह लगाया जाता है। मेरी मांग है कि जो बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई योजना बनाकर उनको काम दिया जाये। जो आदमी काम के लिए लड़ता है, मजदूरों के लिए लड़ता है, उसके खिलाफ अपराध कर्मियों वाले कानून का प्रयोग नहीं करना चाहिये। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि देश की विषम परिस्थिति को देखते हुए यदि सरकार कोई योजना बनाती है तो इस पर खर्च करे और बेकार नौजवानों के लिए खर्च करे उनको काम दे ताकि वे अपनी जीविका कमा सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

**[अनुवाद]**

**डा० जयन्त रंगपी** (स्वशासी जिला) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं देश की परिस्थितियों पर असंतोष व्यक्त करता हुआ हूं। बजट के बाद हम एक बार फिर अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन देने के बावजूद भी ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों और औद्योगिक कामगरों की निर्धनता बढ़ती ही जा रही है। कीमतें भी बढ़ती ही जा रही है जबकि सरकार अनेक आर्थिक बातें करती है।

मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल एक मुद्दे पर ही बोलना चाहता हूं। सरकार ने इस सभा में भिन्न-भिन्न वाद-विवादों और चर्चाओं में यह आश्वासन दिया था कि प्रादेशिक असंतुलन की ओर ध्यान दिया जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय** : इस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। आपको केवल अनुपूरक मांगों पर ही बोलना चाहिए। आप सामान्य सिद्धान्तों पर चर्चा नहीं कर सकते।

**डा. जयन्त रंगपी** : मैं केवल कृषि-उद्योग के बारे में ही बोलूंगा। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि मैंने हमेशा प्रादेशिक असंतुलन का मुद्दा उठाया है। जहां तक कृषि-उद्योग का

संबंध है, इस क्षेत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा की गई है। आप इस बात से भी सहमत होंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अच्छे फलों तथा बागवानी सम्बन्धी अन्य उत्पादों का उत्पादन किया जाता है लेकिन उन बागवानी सम्बन्धी उत्पादों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के अन्य उत्पादों पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। मैं आपको अनन्नास का उदाहरण देता हूं। जब मैंने इसके बारे में दिल्ली के बाजार में पूछा तो पता चला कि यह 15 रुपये या उसके अधिक प्रति अनन्नास की दर से बेचा जाता है। लेकिन असम के पहाड़ी जिलों तथा अन्य पड़ौसी पहाड़ी राज्यों में उत्पादक इसे 2 रुपये प्रति अनन्नास की दर से बेचते हैं। मैं ऐसे अनेक स्थानों पर गया हूं जहां अनान्नास ऐसे ही पड़े रहते हैं और उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं है। उन क्षेत्रों में यह खराब हो रहे अनन्नास स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं पैदा कर रहे हैं। इन सड़ रहे अनन्नासों के कारण मच्छर तथा अन्य कीट पैदा हो रहे हैं। वहां के व्यक्ति इस बात पर पछता रहे हैं कि उन्होंने बागबानी संबंधी फसल क्यों लगाई। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जहां तक कृषि-उद्योग का संबंध है सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि असम के पहाड़ी क्षेत्रों विशेष रूप से करनी अंग-लांग और उत्तर केचर नामक दो जिलों में फल तथा अन्य वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए कुछ कृषि उद्योग स्थापित किए जाए।

जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, इस देश के आम आदमी, ग्रामीण निर्धनों तथा औद्योगिक कामगरों की दशा की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री थाइमा सिंह युमनाम** (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए अनुदानों को बढ़ाने का अनुरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं ताकि खेल और युवा मामलों को अधिक धन दिया जाए। हमारी मन्त्री, कुमारी ममता बनर्जी ने इस सभा तथा दूसरे सदन में भी यह कहा था कि इस विभाग को दिए जाने वाल कोष को बढ़ाया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर हम उनके विचारों से सहमत हैं। आप जानते हैं कि हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में हमारे देश का कैसा प्रदर्शन रहा। इस पर हाल ही में राज्य सभा में भी चर्चा हुई थी। इस पर यहां भी चर्चा हुई थी और मन्त्री महोदया ने यह कहा था कि धन की कमी के कारण हमारे देश का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : खेल मन्त्रालय की कोई पूरक मांगें अथवा अतिरिक्त मांग नहीं है। यह पूरक मांगे उर्वरक मंत्रालय, लघु उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों, परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभाग की हैं तथा अन्य किसी मंत्रालय की नहीं है।

**श्री थाइमा सिंह युमनाम** : कौल और शकधर तथा में की 'पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस' पुस्तक में यह कहा गया है कि जहां तक सामान्य नीति पर चर्चा का संबंध है अनुपूरक मांगों में किसी आम चर्चा की अनुमति दी जा सकती है।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं।

**श्री थाइमासिंह युमनाम** : सामान्य चर्चा की राष्ट्रपति के अभिभाषण (पर चर्चा के दौरान) अनुमति दी जाती है।

**अध्यक्ष महोदय** : खेल मंत्रालय की यहां कोई मांग नहीं है।

**श्री थाइमा सिंह युमनाम** : गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस संबंधी विषय आता हैं। क्या मैं इसका मुद्दा उठा सकता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : गृह मंत्रालय की भी अनुपूरक मांगें नहीं है। आपने कागजात नहीं देखे हैं। यह मांगें उर्वरक, छोटे पैमाने के उद्योगों, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग से संबंधित है।

**श्री थाइमा सिंह युमनाम** : मैंने इस पर चर्चा के लिए तैयारी की हैं। क्योंकि हर बार इसकी अनुमति दी जाती थी। केवल इस बार ऐसा नहीं किया जा रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं विशिष्ट नियम पढ़ रहा हूं। नियम में कहा गया है।

"पूरक मांगों पर वाद-विवाद उसमें शामिल मुद्दों तक ही सीमिति होगा तथा मूल अनुदानों और उससे संबंधित नीति के बारे में कोई चर्चा नहीं ली जाएगी।"

**श्री थाइमा सिंह युमनाम** : ठीक है, मैं अपना भाषण उन मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा। मैं और मुद्दे नहीं उठाऊंगा लेकिन मैं खेत और मुद्दा मामलों के लिए धन बढ़ाने की बात अवश्य कहूंगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत मानव संसाधन विकास विभाग को देना चाहिए, इसका अर्थ है कि इसमें खेल और युवा मामले भी शामिल है।

अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमें इसे बढ़ाकर राष्ट्रीय आय का 10% कर देना चाहिए और यह खेत और युवा मामलों के लिए देना चाहिए।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे)** : मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने 1988-89 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों तथा इस वर्ष के अनुपूरक प्रस्तावों पर चर्चा में भाग लिया।

**श्री ए. अशोकराज (पैरम्बदूर)** : मेरे दल का क्या हुआ ?

**अध्यक्ष महोदय** : अब समय नहीं है। अनेक विधेयक लंबित पड़े हैं। हम उन्हें पूरा नहीं कर पायेंगे। हमें रात के 10 बजे तक बैठना पड़ेगा।

**श्री ए. अशोकराज** : लेकिन हम इस प्रकार चर्चा में भाग कैसे ले सकते है ?

**अध्यक्ष महोदय** : हमेशा नहीं।

**श्री ए. अशोकराज** : तब इसका क्या अर्थ है ?

**अध्यक्ष महोदय** : हम 545 सदस्यों को समय नहीं दे सकते। कृपया हमारी परेशानी समझिए।

**श्री ए. अशोकराज** : कृपया मुझे भी समय दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया आप बैठ जाइए। मैं आपको बता रहा हूं कि कोई समय नहीं है।

**श्री ए. अशोकराज** : क्या इसका यह अर्थ है कि आप मुझे मेरे बोलने के अधिकार से वंचित करेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय :** आपको ऐसा करना होगा ।

**श्री ए. अशोकराज :** अपने दल की ओर से मुझे इस बारे में खेद है ।

**श्री शान्ताराम पोतदुखे :** मेरा कहना हैं कि अनुपूरक प्रस्ताव सामान्य ही है । पिछले कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली अनुपूरक मांगें 12.15 करोड़ रुपए की है । यह सरकार के डिगरी संबंधी भुगतान तथा गारंटी अनिवार्यताओं जैसे अनिवार्य व्यय को पूरा करने के लिए है । अनुपूरक अनुदान तकनीकी कारणों से लिए जा रहे हैं और इसमें व्यय शामिल नहीं है । यह वित्तीय संतुलन बनाए रखने के हमारे संकल्प का स्पष्ट संकेत है ।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही ने वाद-विवाद के दौरान यह मुद्दा उठाया कि 1988-89 के लिए अतिरिक्त मांगें अब प्रस्तुत की जा रही हैं । मैं बताना चाहता हूं कि 1988-89 के लेखा परीक्षित लेखे 1990 के बजट सत्र में प्रस्तुत किए गए थे, उसके बाद लोक लेखा समिति को टिप्पणियां भेजी गई थीं, इसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने लेखा परीक्षा की थी और लोक लेखा ससिति द्वारा जांच करने के बाद ही अतिरिक्त मांगें प्रस्तुत की जा सकती हैं, उनकी सिफारिशों के अनुसार 29 अप्रैल, 1992 से पहले लोक लेखा समिति की नियमितीकरण संबंधी प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत कर दिया गया था । इस सत्र में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें लाई गई हैं ।

उर्वरक राज सहायता के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था । मैं यह बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने इस सम्मानीय सभा में पहले ही यह बता दिया है कि इस वर्ष में बाद में इस मामले पर विचार करने से पहले वह संसदीय समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करना चाहते हैं ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार को कुछ ही अवसरों पर अतिरिक्त अनुदानों की मांगों की स्वीकृति के लिए सभा से अनुरोध करना चाहिए । हमारे अथक प्रयासों के बावजूद भी अधिक व्यय हो जाता है । लेकिन स्वीकृति उपबंधों की तुलना में अतिरिक्त व्यय बहुत कम था । नागरिक विभागों के लिए यह स्वीकृत 18,712 करोड़ रुपये की तुलना में 160 करोड़ रुपये था । रक्षा के लिए यह स्वीकृत 13,381 करोड़ रुपये की तुलना में 104 करोड़ रुपये था । अतिरिक्त व्यय की लोक लेखा समिति ने पूरी तरह से संवीक्षा की है और इसके संबंध में बहुत से सुझाव दिये हैं, जिन पर मंत्रालय उचित कार्यवाई कर रहे हैं । उनकी संवीक्षा के आधार पर अतिरिक्त व्यय को नियमित किया जा रहा है ।

अब मैं सदन को वर्ष 1988-89 को अनुदानों की अतिरिक्त मांगों पर तथा वर्तमान वर्ष के लिए अनुपूरक प्रस्तावों से संबंधित विनोयोग पर भी विचार करने की लिए सिफारिश करता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं अनुदानों के अतिरिक्त मांगों (सामान्य) को सदन के मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सम्बन्धित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को

पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राशियों से अनधिक सम्बिधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये—
मांग संख्या 12, 13, 14, 26, 52, 68, 74, 75, 92, 93 और 94

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

4·17 म०व०

# विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक*

**[अनुवाद]**

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे)** : मैं 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त राशि से अधिक जितनी राशि उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई है उनके चुकाने के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं उनके चुकाने के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**श्री शांताराम पोतदुखे** : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

**श्री शांताराम पोतदुखे** : मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं उनको चुकाने के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं उनको चुकाने के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

*दिनांक 12-8-92 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत

**अध्यक्ष महोदय :** सभा अब विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।**

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड I, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**श्री शांताराम पोतदुखे :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

4.19 म०प०

## विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक*, 1992

[अनुवाद]

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे) :** मैं वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

*दिनांक 12-8-92 भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

**श्री शांताराम पोतदुखे :** महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ ।

**श्री शांताराम पोतदुखे :** मैं प्रस्ताव** करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**अध्यक्ष महोदय :** सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।**

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।**

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।**

**अध्यक्ष महोदय :** मन्त्री महोदय अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

**श्री शांताराम पोतदुखे :** मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

**[हिन्दी]**

**श्री वीरेन्द्रसिंह** (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

---

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** घंटी बजाई जा रही है—अब गणपूर्ति है ।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

4.22 म०प०

## विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अध्यादेश, 1992 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प
## और
## विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) विधेयक

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा मद संख्या 22 और 23 पर एक समय चर्चा करेगी ।

**सांविधिक संकल्प**

| | | | |
|---|---|---|---|
| @ 22. | श्री गिरधारी लाल भार्गव | .... | अनुपस्थित |
| | डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय | .... | अनुपस्थित |
| | श्री मदन लाल खुराना | .... | अनुपस्थित |
| | श्री नीतीश कुमार | .... | अनुपस्थित |
| | श्री जसवंत सिंह | .... | अनुपस्थित |
| | श्री राम नाईक | .... | अनुपस्थित |
| | श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे | .... | अनुपस्थित |
| | श्री जी० एल० कनोजिया | .... | अनुपस्थित |
| | श्री वेंकटेश्वर डी० राव | .... | अनुपस्थित |
| | श्री लोकनाथ चौधरी | .... | अनुपस्थित |
| | श्री इन्द्रजीत गुप्त | .... | अनुपस्थित |
| | श्रीमती गीता मुखर्जी | .... | अनुपस्थित |
| | श्री गुमान मल लोढा | .... | अनुपस्थित |

अत: सांविधिक संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया अब, मद संख्या–23, डा० मनमोहन सिंह ।

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :** महोदय, मैं **प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रतिभूतियों में संव्यवहारों से संबंधित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित/प्रस्तुत ।

[वित्त मन्त्री श्री मनमोहन सिंह]

मई, 1992 में दलालों की सांठ-गांठ से कतिपय बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में प्रतिभूति लेन-देन की कुछ अनियमिताएं ध्यान में लायी गई थी। मैं इस सदन में शेयर बाजार में गतिविधियों को सम्बन्धित मैंने वक्तव्य में कहा था कि डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की समिति द्वारा मामले की जाँच की जायेगी इस समिति की अन्तरिम रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद सरकार ने इन अनियमितताओं में शामिल व्यक्तियों तथा संस्थाओं के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की। राष्ट्रपति ने 6 जून, 1992 को विशेष न्यायालय (प्रतिभूत संव्यवहार अपराध विचारण) अध्यादेश 1992 की उद्घोषणा की थी। अध्यादेश में प्रतिभूतियों में लेने-देन से संबंधित अपराधों और ऐसे ही संबंधित मामलों के लिए मुकद्मा चलाने हेतु विशेष न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान है। सरकार ने 6 जून को ही कुछ नियम बनाये थे और उन्हें अधिसूचित किया था। सरकार ने 6 जून को ही अध्यादेश की धारा 3 के अन्तर्गत अतिरिक्त उप-नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक श्री ए. वी. मेनन को संरक्षक के रूप में नियुक्त किया था। 10 जून 1992 को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद बम्बई उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश, न्यायाधीश एस. एन. वैरव। को विशेष न्यायालय के प्रमुख के रूप में नामित किया गया था। संरक्षक और विशेष न्यायालय ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

अपराधियों की सम्पत्ति को इधर-उधर करने से रोकने के लिए संरक्षक ने अध्यादेश के प्रावधानों में अन्तर्गत 40 व्यक्तियों और संस्थानों के नाम अधिसूचित किये हैं।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अभी तक विभिन्न व्यक्तियों और संस्थानों के विस्तृत दस नियमित मामले पंजीकृत किये हैं जिन्हें प्रत्याभूति लेन-देन के मामले मे अपराधी पाया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जाँच जारी है। जैसा कि मैंने संसद में बताया था कि अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

विशेष न्यायालय अध्यादेश की सवैधानिक वैधता को बम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। 24 जुलाई, 1992 को दोनों पक्षों की बात सुनकर उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। स्टाक एक्सचेजों ने भी बम्बई में उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं दायर की थी। 27 जुलाई 1992 को महान्याय वादी के विशेष न्यायालय में उपस्थित होने के बाद विशेष न्यायालय ने संरक्षक द्वारा जारी अधिसूचनाओं के प्रभाव के संबंध में व्यवस्था दी। सरकार ने अध्यादेश को अधिनियम में परिवर्तित करते समय इसमें लाभकारी सुधार करने के लिए इन घटनाओं के तथा प्राप्त सुझावों पर भी विचार किया है।

मंत्रिमंडल में भी इस मामले पर चर्चा की गई थी और कतिपय स्पष्टीकरण वाले संशोधनों का प्रस्ताव किया गया। मैंने 7 अगस्त, 1992 को कुछ विपक्षी नेताओं के साथ भी इस विषय पर अनौपचारिक बातचीत की थी।

सरकार सभा में प्रतिभूति संव्यवहार में अनियमिताओं के बारे में व्यक्त चिन्ता से सहमत है और अपराधियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने तथा ऐसी अनियमितताओं को दुबारा होने से रोकने के लिए वचनबद्ध है। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर विचार किया जाए और इसे एकमत से तत्काल पारित किया जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रतिभूतियों में संव्यवहारों से संबंधित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**अध्यक्ष महोदय** : श्री रासा सिंह द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने संबंधी एक संशोधन है। क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

**प्रो० रासा सिंह रावत** (अजमेर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ; कि विधेयक को 12 नवम्बर, 1992 तक उस पर राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।

**[हिन्दी]**

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, अभी वित्त मंत्री जी ने विशेष न्यायालय संबंधी विधेयक यहां पर सदन के विचार के लिए प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि देश के अंदर आजादी के बाद से सबसे बड़ा प्रतिभूति घोटाला हुआ है। यह लगभग पांच हजार करोड़ रुपए के लगभग घोटाला हुआ है और इससे हमारी विश्वसनीयता और साख दुनिया में एक प्रकार से कम हो गई। होना तो यह चाहिए था कि आजादी के बाद हमारे देश के लोग चाहे वे बैंक में काम करने वाले हों, चाहे वित्तीय संस्थाओं में काम करने वाले हों या राजनीति के क्षेत्र में ऊँचे पदों पर काम करने वाले हों तो उन सबके अन्दर ही एक समर्पित भावना देकर ही हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हमें राष्ट्र को विकास के मार्ग पर अग्रसर करना है और हमें राष्ट्र को फिर से प्राचीन काल की तरह सोने की चिड़िया बनाना है। कुछ भ्रष्टाचार धीरे-धीरे ऐसा पनपता चला गया तो वह राष्ट्रीय रोग और महारोग बन गया। नयी सरकार आने के बाद इस सरकार ने संकल्प किया था कि हम भ्रष्टाचार को मिटायेंगे और ईमानदारी का प्रशासन देश को प्रदान करेंगे। वित्त मन्त्री जी ने उत्साह के साथ नयी आर्थिक नीति की घोषणा की थी और साथ ही नए सुधार की घोषणा की थी। वित्तीय क्षेत्र में लिब्रेलाइजेशन, उदारीकरण, डी-लाईसेंसींग, डी-परमिटींग इत्यादि की जो नयी उद्योग नीति की घोषणा सरकार की तरफ से हुई थी और जिससे देश को आशा थी कि देश की काया पलट हो जायेगी और एक नया वातावरण आयेगा और देश के अन्दर परिवर्तन जो शीघ्रता से आयेगा। बैंकों में काम करने वाले लोग और उनसे संबंधित जो अन्य बैंकों के लोग थे और उन बैंकों में रहने वाले जो बड़े-बड़े अधिकारी ऊँचे पदों पर काम करने वाले या राजनीति के क्षेत्र में काम करने वालों के शाए में पलकर, उनसे प्रोत्साहित होकर के दलालों के हाथों में उन बैंकों की जो प्रतिभूतियां थी, जो बैंकों के शेयर थे, उनमें करोड़ों की हेरा-फेरी हो गई। उनमें करोड़ों रुपये की हेरा-फेरी हुई है। प्रारम्भ में जब सदन के अन्दर बजट सत्र के दिनों यह प्रकरण उठाया गया तो उन दिनों यह बात कहीं गई कि नहीं ऐसी बात नहीं है। इस बात के चलते फिर पता लगा धीरे-धीरे ढूंगा और जैसे-जैसे ढूंढ़ा तो उसका पार ही नहीं मिला। जैसे हाथी कीचड़ से निकलने की जितनी कोशिश करता है और वह उसमें उतना ही फंसता चला जाता है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति हमारे यहां पर आर्थिक नीति में और आर्थिक घोटालों में हुई। जैसे जैसे वित्त मन्त्री जी ने कोशिश की, रिजर्व बैंक को कहा कि पता लगाओ कि कहां कहां बैंकों में अनियमितता हुई है या शेयरों में उतार-चढ़ाव हो रहा है तब धीरे-धीरे पता लगता गया। जनता का पैसा इसमें लगा हुआ था, गरीब लोगों ने, साधारण लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा इसमें लगाया कि शेयर बढ़ रहे हैं तो इनको खरीद लो, लेकिन एकदम उनका सारा पैसा डूब गया।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको बिल पर बोलना है।

**प्रो. रासा सिंह रावत** : मैं यह कहना चाहता हूं कि विशेष न्यायालय के गठन के बिल का मैं समर्थन करता हूं। जांच अवश्य होनी चाहिए, लेकिन जो इसमें देरी हुई है, जो कार्यवाही होनी चाहिए थी, जिस गति से होनी चाहिए थी, जिस तेजी से आदमियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था और जो नाम आये हैं वे पूरी तरह से संतोषजनक नहीं हैं। क्योंकि अभी बड़े-बड़े लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे से कठपुतलियों का संचालन कर रहे हैं जिनके बारे में मैं समझता हूं संसद की संयुक्त समिति जो बनी है वह विस्तार से पता लगायेगी। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति होंगे उनके द्वारा दी गई सजा और उनके बारे में जो भावना इसमें व्यक्त की गई है मैं उसकी कद्र करता हूं, लेकिन इतना जो विलम्ब हो गया है वह नहीं होना चाहिए था। संसद का अधिवेशन होने वाला था, उससे पहले अध्यादेश आप लेकर आये और अध्यादेश के बाद सभी तक कोई विशेष न्यायालय की स्थापना नहीं हुई, अब जाकर यह पारित होगा और फिर न्यायालय की स्थापना होगी। अभी ही देख लें कि हमारे सी.बी.आई. के अधिकारी धीरे-धीरे इसमें से निकल रहे हैं, इस्तीफा दे चुके हैं और कोई कहता है कि हमें इस मामले से मुक्त कर दें, हम जांच नहीं करना चाहते.....

**अध्यक्ष महोदय** : आप बिल पर नहीं बोल रहे हैं।

**प्रो. रासा सिंह रावत** : मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। यह भी कहा गया है कि जो हमारे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की साख थी, ईमानदारी थी, लोगों का उस पर से विश्वास उठ गया है, उसको फिर से पाने के लिए यह जो वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति व्यवहार से संबंधित अपराधों की चर्चा करने के लिए हम विशेष न्यायालय स्थापित करने जा रहे हैं, इसका तो मैं स्वागत करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : उसमें कुछ दुरुस्त करना है तो उस पर कहें।

**प्रो. रासा सिंह रावत** : कल रात को यह सदन के अन्दर लाया गया और प्रातः हमें विलम्ब से लिफाफा मिला। दिन भर हम व्यस्त रहे। ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक के ऊपर माननीय सदस्यों को जो विचार करने का समय मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है। आपकी व्यवस्था और आदेश को मान कर हम अपनी बात संक्षेप में कह रहे हैं। अगर समय पर्याप्त दिया जाता.....

**अध्यक्ष महोदय** : आप बहुत तेज बुद्धि के हैं, लेकिन यह रेलिवेंट नहीं है।

**प्रो. रासा सिंह रावत** : इसमें काफी कमियां हैं, समय रहता तो भली प्रकार इसको देखते! जहां विशेष न्यायालय स्थापित हो, उसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि जो बड़े-बड़े लोग हैं वे बड़े-बड़े स्कैंडल कर सकते हैं तो वे किसी की जान लेने पर भी उतारू हो सकते हैं। इसलिए माननीय न्यायाधीश महोदय की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसको सामान्य न्यायालयों में न रखा जाय, क्योंकि वहां बहुत भीड़ होती है, इससे इनके भी आसपास रहेगी। आपने कानून के अन्तर्गत जो यह न्यायालय गठित करने की बात की है इसमें न्यायाधीश को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि विशेष न्यायालय में जो न्यायाधीश हों वे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हों, जानने वाले हों और उनकी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। वे जो रिकार्ड मांगें सरकार उनको उपलब्ध कराये और बिना किसी हिच-किचाहट के उपलब्ध कराने चाहिए। उनको किसी प्रकार का इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। इसका जो कार्य क्षेत्र है जितने भी प्रतिभूति घोटाले हुए हैं, रिजर्व बैंक जिसका पता लगा चुका है

या जाने वाले समय में पता लगना है। या और भी लगायेगा या संसदीय समिति उन अपराधियों का पता लगाने में समर्थ हो सके तो उन अपराधियों को इन विशेष न्यायालय की परिधि के अंतर्गत लाना चाहिए और ऐसे अपराधियों के लिए कड़े दण्ड का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि इन्होंने देश की जनता, देश के धन, देश की सम्पत्ति और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया है। ऐसे लोगों लोगों को कठोर से कठोर दण्ड का प्रावधान इन स्पेशनल कोर्ट्स के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए।

माननीय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस सदन में घोषणा की थी, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि हम किसी को नहीं बचायेंगे चाहे वह कितना बड़ा ही क्यों न हो। तो मेरा यह कहना है कि संसद में जो आश्वासन दिया है, वह तभी पूरा होगा जब ये कुछ करके दिखायेंगे। इनमें अगर थोड़ी सी नैतिकता है तो ऐसे लोग समय रहते बता दें क्योंकि अभी तो यहां के मन्त्रियों के नाम आये हैं, आने वाले समय में कुछ राज्यों के मन्त्रियों के नाम भी जायेंगे तो उनके बारे में भी इस न्यायालय की परिधि में आना चाहिए। ऐसा न हो कि....

**अध्यक्ष महोदय** : प्रोफेसर रासासिंह जी, आप इतने बड़े विषय के ज्ञाता हैं, ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा ?

**प्रो. रासा सिंह रावत** : मान्यवर, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि स्पेशल कोर्ट्स के न्यायाधीश न्याय में सक्षम और सर्वाधिकार सम्पन्न होना चाहिए और इस संबंध में सब प्रकार की व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिये। धन्यवाद।

**श्री सैयद मसूदल हुसैन** (मुर्शिदाबाद) : मि. स्पीकर सर, लगता है माननीय सदस्य श्री रासा सिंह जी को यह बिल देखने का मौका नहीं मिला, फिर भी उन्होंने इसका समर्थन किया है। लेकिन मैं पूरा समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैं इस बिल की एक क्लाज पर बोलना चाहता हूं। क्लाज 12 में कहा गया गया है :

**[अनुवाद]**

"ऐसा कोई भी कार्य जो विश्वास में किया गया हो अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया हो उसके लिए केन्द्र सरकार अथवा संरक्षक के विरुद्ध कोई मामला, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही लंबित नहीं रहेगी।"

उप-खण्ड (2) में कहा गया है :

"ऐसा कोई भी कार्य, जो विश्वास में किया गया हो अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया हो, के कारण कोई क्षति होती है अथवा होने की सम्भावना है तो उसके लिए केन्द्र सरकार अथवा इसके किन्हीं अधिकारियों अथवा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कोई दावा अथवा अन्य विधिक कार्यवाही लंबित नहीं रहेगी।"

**[हिन्दी]**

हम समझते हैं कि यह क्लॉज बड़ी सही नीयत से नहीं रखा गया है। मेरे ख्याल से इस क्लॉज को इस बिल में नहीं रखना चाहिये। हाई कोर्ट के सटिंग जज को पावर दी जा रही है स्पीडी ट्रायल के लिए तो स्पेशल कोर्ट कैसे हो गया ? सैण्ट्रल गवर्नमेंट आफिसर्स इसमें लिये जायें, यह तो हो सकता है लेकिन वह बाद की बात है। इण्डियन पैनल कोड में प्राविजन है :

[श्री सैयद मसूदल हुसैन]

[अनुवाद]

वह कार्य अपराध नहीं है जो विश्वास में किया गया है।

[हिन्दी]

यह साफ कहा गया है लेकिन यह कोर्ट के ट्रायल के बाद पता लगेगा कि जो गुड फेथ में किया है तो यह आई.पी.सी. का प्रावधान है लेकिन पहले अगर मेरे ख्याल से कोगनेंस कह दिया जायें तो यह स्पेशनल कोर्ट में केस नहीं आयेगा। मेरे ख्याल से जो आफिसर्स गड़बड़ किये हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए यह बिल लाया गया है। यदि मेरी समझ सही है तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप क्लॉज-12 को हटा दें। जिनके खिलाफ जो भी चार्जेज आयें, उनको कोर्ट के सामने हाजिर करें और उनको ही ट्रायल फेस कर दें। और स्पेशल कोर्ट का फैसला अगर यह हो, जो उन्होंने किया है, सही दिल से किया है, साफ दिल से किया है, नेक दिल से किया है, लेकिन गलती हो चुकी है, इसलिए उस जगह इंडियन पीनल कोड का प्रॉविजन है, उसके मुताबिक कार्रवाई हो सकती है।

मैं बिल के बाहर और दूसरी चीजों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतना तो कहूंगा कि अभी जो देश की स्थिति है, ऐसी हालत में अगर अभी बिल पास हो जाए तो देश की जनता के दिल में और भी ज्यादा सरकार के खिलाफ शक पैदा होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वित्तमंत्री इसके बारे में ध्यान देंगे और बिल पास करने के पहले इसको हटायेंगे।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद। यह अत्यंत सुसंगत विचार है।

**श्री पवन कुमार बंसल** (चंड़ीगढ़) : मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह सरकारी संशोधन है ?

**श्री पवन कुमार बंसल** : नहीं, यह गैर-सरकारी संशोधन है।

**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन जब हमने आपको बुलाया था तो आप नहीं थे।

**श्री पवन कुमार बंसल** : बाद में दूसरी सूची परिचालित की गई थी। मैं जब इसके बारे में बोलूंगा तब इसका केवल उल्लेख ही करूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : अभी संशोधन प्रस्तुत करने का समय नहीं है। आपका संशोधन एक खण्ड के बारे में है। आप इसे बाद में ले सकते हैं।

**श्री पवन कुमार बंसल** : जिस जल्दबाजी से सरकार ने विशेष न्यायालय प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारक अध्यादेश जारी किया वह इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने इस बारे में तब विचार करना आरम्भ किया जब प्रत्याभूति घोटाले की खबर ने पूरे देश और संसद को हिला दिया था।

सभा और अन्य कई स्थानों पर अनेक बात कही गई हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अध्यादेश जारी करने में कोई समय नहीं गंवाया। कई व्यक्तियों का यह कहना है कि इससे सरकार की ईमानदारी का पता चलता है कि वह इस मामले में समुचित कार्यवाही करेगी, वह उन

सब व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जो अवांछित कार्यकलापों में शामिल पाए गए हैं और जिसके कारण यह घोटाला हुआ।

जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने केवल विधेयक के उपबन्धों से संबंधित ही बात की है।

**अध्यक्ष महोदय** : हमें और भी अनेक विधेयक पारित करने हैं।

**श्री पवन कुमार बंसल** : मैं संशोधनों, जो कि तकनीकी प्रकृति के हैं, का उल्लेख करने से पहले धारा 12 का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा जिसका माननीय सदस्य ने भी अभी उल्लेख किया था। विनम्रता पूर्वक मेरा यह कहना है कि माननीय सदस्य ने धारा 12 की जो व्याख्या की है वह सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि धारा 12 में किसी सरकारी अधिकारी अथवा सरकार को स्वयं किसी अपराध के लिए दोषमुक्त करने का प्रावधान नहीं है। इसमें उच्चाधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने के लिए प्रावधान हैं और इस विधेयक की धारा 4 में मूल उपबंध है कि संरक्षक द्वारा संविदा आदि समाप्त करने पर बाद में अपराधों के लिए मुकद्मा चलाने हेतु विशेष न्यायालय को इस मामले में समुचित कार्यवाही करने का अधिकार है।

जैसा कि माननीय सदस्य चाहते थे कि धारा 12 इस विधेयक के उपबंधों से अलग स्थिति से निपटने के लिए है और धारा 12 का यह उद्देश्य है कि यदि कोई अधिकारी अपनी किसी कार्यवाही द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति, किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है तो किसी अन्य न्यायालय में ऐसा मुकद्मा लंबित नहीं रहेगा। वास्तव में यह प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी किसी अन्य के साथ सांठ-गांठ नहीं कर सके चाहे वह संरक्षक हो अथवा विशेष न्यायालय अथवा सरकार का कोई अधिकारी और इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही से न बच सके। एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध संदेह है कि उसने अपराध किया है और उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो मामला न्यायालय में नहीं जा सकता।

**अध्यक्ष महोदय** : यह इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा के लिए है न कि अपराधियों के लिए है।

**श्री पवन कुमार बंसल** : मैं यही बात कह रहा हूं और दो मिनट में मैं इसे स्पष्ट करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : इसकी आवश्यकता नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने वाले अधिकारियों को संरक्षण देने के लिए यह है। हमें अनेक विधेयक पारित करने हैं।

**श्री पवन कुमार बंसल** : माननीय सदस्य ने कुछ और ही कहा है। अतः मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री के विचारार्थ इसलिए संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि ऐसा समय आ सकता है जहां आपको एक से अधिक न्यायालय गठित करने पड़ सकते हैं। वह संभावित कार्य की अधिकता को जानते हैं। खण्ड 5 (1) में कहा गया है।

> "केन्द्र सरकार सरकारी राज्यपत्र में अधिसूचित कर एक न्यायालय गठित करेगी जिसे विशेष न्यायालय कहा जाएगा।"

मेरा पहला संशोधन यह है कि 'एक न्यायालय' शब्द के स्थान पर "एक या अधिक

[श्री पवन कुमार बंसल]

न्यायालय' प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये। उसके बाद मैंने इस विधेयक के खण्ड 9 का उल्लेख किया था। इसमें यह कहा गया है :

"....."संहिता के उक्त प्रावधानों के उद्देश्यों के लिए, विशेष न्यायालय को सत्र न्यायालय माना जाएगा और इसे सत्र न्यायालय के अधिकार प्राप्त होंगे....."

यहां मेरा यह सुझाव है कि "सत्र न्यायालय और सत्र न्यायालय के अधिकार प्राप्त होंगे" शब्दों के स्थान पर "उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार प्राप्त होंगे" लेना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मामले में यह अनिवार्य है कि विशेष न्यायालय में उच्च न्यायालय का एक वर्तमान न्यायाधीश होगा। अपराधिक दंड संहिता में यह प्रावधान है कि कुछ परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ऐसे मामलों को निपटाने का अधिकार रखता है।

**अध्यक्ष महोदय** : वह सिविल मामलों में होता है न कि अपराधिक मामलों में।

**श्री पवनकुमार बंसल** : ऐसा अपराधिक मामलों में होता है। मैं अपराधिक दंड संहिता की बात कर रहा हूं। दो धाराएं हैं। अपराधिक दंड संहिता की धारा 26 में कहा गया है कि इस संहिता के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत किसी अपराध के लिए उच्च न्यायालयों, न्यायालय आदि में मुकदमा चलाया जा सकता है। अपराधिक दण्ड संहिता की धारा 474 में उच्च न्यायालय में मुकदमे की बात कही गई है।

**अध्यक्ष महोदय** : वे मुकदमा चला सकते हैं। लेकिन न्यायालयों को उच्चतम प्राधिकार दिए गए हैं। वे किसी व्यक्ति के हत्या के लिए दंड दे सकते हैं। न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। अपराधिक कानून के अन्तर्गत इससे बड़ी कोई सजा नहीं है।

**श्री पवन कुमार बंसल** : अपराधिक दण्ड संहिता में ऐसी आकस्मिकताओं का भी प्रावधान है जब तक कि उच्च न्यायालयों में मुकदमा चलता रहता है।

**अध्यक्ष महोदय** : वह अलग बात है। वे अलग बातें हैं।

**श्री पवन कुमार बंसल** : ऐसा नहीं है। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि आप उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हैं और विशेष न्यायालय के न्यायाधीश भी हो जाते हैं तब हम यह नहीं कहेंगे कि उसे न्यायालय माना जाए। मैं ऐसा ही संशोधन प्रस्तुत करना चाहता था।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : आप इसे प्रस्तुत करना चाहते थे लेकिन आप इसे प्रस्तुत नहीं करेंगे।

**श्री पवन कुमार बंसल** : मैं प्रस्तुत नहीं करूंगा। मैं सुझाव देना चाहता हूं। मैं इसे वापिस ले लूंगा। यह मूल प्रकृति का नहीं है। मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि जब एक बार आप किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विशेष न्यायालय का न्यायधीश नियुक्त कर देते हैं तब विशेष कानून में प्रत्येक प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि मनमाने निष्कर्ष न निकाले जा सकें। शायद उच्च न्यायालय अथवा विशेष न्यायालय के न्यायधीश का दर्जा कम कर दिया गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रावधान का स्वागत करता हूं। इस विधेयक में प्रत्याभूतियों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान का प्रावधान है। मुझे विश्वास है कि दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों ने इस बारे में जो भय प्रकट किए हैं समय के साथ उनका निराकरण हो जाएगा।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : मैं जानता हूं कि यह असाधारण कानून है। लेकिन असाधारण स्थिति के लिए असाधारण उपचार की आवश्यकता है। इसीलिए हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम विधेयक का समर्थन करते हैं। हम आशा करते हैं कि इसे समुचित प्रकार से क्रियान्वित किया जाएगा और जो व्यक्ति वास्तव में दोषी हैं उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी सजा दी जाएगी। बंबई उच्च न्यायालय ने इसके प्रावधानों की जांच की थी इसे उसके समक्ष चुनौती दी गई थी और यह कहा गया कि संरक्षक को जो शक्तियां दी गई हैं वह आमतौर से संवैधानिक रक्षा उपायों के अनुरूप नहीं होती लेकिन इन प्रावधानों के लिए विशेष न्यायालय के न्यायिक प्राधिकारी, जो भारत में किसी उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायधीश होगा, को हस्तक्षेप करना होगा। वास्तव में उस आधार पर ऐसा नहीं किया गया क्योंकि धारा 4 में संरक्षक को बहुत शक्तियां दी गई है। वह ठीक है। उच्च न्यायालय ने इन उपबंधों के बारे में निर्णय दिया।

मैं माननीय वित्त मंत्री का भी धन्यवाद करता हूं क्यों कि उन्होंने इस विधेयक के बारे में हमारे विचार सुने और उन्होंने कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया, हम उन संशोधनों में भी सहमत हैं। मैंने जो सुझाव दिए थे और खंड 9 के उप-खंड 4 में को संशोधन किए गए थे उनमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। खंड 9 विशेष न्यायालय की शक्तियों तथा उसमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में है। जहां तक अपराधिक पहलू का संबंध है उस पर अपराधिक दंड संहिता के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है और इसके द्वारा वारंट मामलों पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए तभी यह न्यायालय होगा और इसे दोष सिद्धि का भी अधिकार दिया गया है। लेकिन सिविल मामलों के लिए कृपया उप-खंड 4 देखें।

> "इसके समक्ष लाए गए किसी अन्य मामले का निपटान करने के लिए विशेष न्यायालय वही प्रकिया अपनाए जिसे वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप माने।"

मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने हमारा सुझाव मान लिया है। मैं ऐसा इस लिए कह रहा हूं क्यों कि मैं यह नहीं चाहता कि इस अधिनियम को चुनौती दी जाये और किसी उच्च न्यायालय में कोई व्यक्ति इस अधिनियम को लागू होने से रोके अतः इस अधिनियम के लिये कुछ सुरक्षात्मक प्रावधान भी करने होंगें। उन्होंने तो इसमें सहज न्याय ही उपलब्ध कराया है। मैं आशा करता हूं कि अधिनियम को लागू करने में, अधिनियम के कार्यकरण में ऐसे लोगों को इस अधिनियम की किसी कमी का लाभ उठाने का कोई अवसर नहीं मिल पायेगा जो कि इन कमियों से लाभ उठाने के स्पष्ट तौर पर दोषी हैं। इसलिये यह अति आवश्यक है और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिये। देश में घटित यह घटना है, एक बहुत बड़ा षड़यंत्र है और किसी व्यक्ति को अधिनियम की किसी खामी अथवा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के कारण इसमें शामिल नहीं होना चाहिये अथवा इससे छुटकारा नहीं पाना चाहिये। अपील के प्रावधान से अध्यादेश की बहुत सी आरम्भिक त्रुटियों का निवारण हो जाता है। अब खंड 10 के अंतर्गत अपील का प्रावधान किया गया है जिससे अध्यादेश की उस कमी का निवारण हो जाता है जोकि पहले अध्यादेश में थी।

महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि एक कार्यस्त न्यायाधीश को इससे संबंद्ध रखा गया है ताकि यह महत्वपूर्ण कानून उचित तरीके से लागू किया जा सके। आवश्यकता तो इस बात की है कि कार्यपालिका का भी उसी तरह का दृष्टिकोण होना चाहिये और उन्हें ऐसे सभी मामले, जोकि इस कानून के दायरे में आते हैं विशेष न्यायालय और कानून के संरक्षक के समक्ष रखने चाहिये। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिये। कार्यपालिका को बहुत ही सजग और सतर्क होना

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

चाहिये, एक बहुत ही सतर्क आसूचना अभिकरण होना चाहिये। और स्वाभाविक तौर पर हम आशा करते हैं कि उस के आधार पर न्यायपालिका भी अपनी भूमिका निभाएगी ताकि जिन लोगों ने देश में ऐसा अत्याचार किया है अरबों रुपये का सार्वजनिक धनराशि का घोटाला किया है, वे लोग पकड़े जा सके और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

[हिन्दी]

**श्री तेज नारायण सिंह** (बक्सर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और इसके साथ ही साथ कुछ बातें, जो इस बिल के नं० 12 में दी गई हैं उसका विरोध करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उसमें जो शब्द "इन गुड फेथ" लिखा गया है यह सबसे खतरनाक शब्द है और अगर यह शब्द रहेगा तो इससे मुजरिम को मदद मिलेगी, इसलिए इस शब्द को इसमें से निकाल दीजिए।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहूँगा कि कानूनी रूप से आप इस बात को देख लीजिए, मेरी जितनी कानूनी समझ है, उसके मुताबिक मैं यह समझता हूँ कि इससे मुदालय को लाभ होगा। इसलिए इस शब्द को निकालना चाहिए। यदि इस शब्द को नहीं निकाला जा सकता तो इस "गुड-फेथ" शब्द के माध्यम से केस को बहुत दिनों तक लम्बा किया जा सकता है और देश के लोग जो इस ओर निगाह लगाये बैठे हैं कि कुछ फैसला होने वाला है कुछ न्याय होने वाला है, उनको बहुत निराशा होगी। इसलिए दफा 12 और 13 पर मुझे ऐतराज है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से चाहूँगा कि सोच-समझ पर इसमें संशोधन करें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक्ट तो हमारे यहां बहुत हैं, जिनसे हम सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनसे कितना फायदा होता है, यह बात आपसे और हम से छिपी हुई नहीं है। सीपीसी है, आईपीसी है लैण्ड-रेफार्म्स एक्ट है और जैसे मैंने इसमें "गुडफेथ" शब्द के बारे में कहा, इसी तरह से होमटेनेंसी एक्ट में लिख दिया गया है कि यदि किसी गरीब को पर्चा देना है तो सिविल कोर्ट में सूट फाइल नहीं होगा, लेकिन इसमें यह भी लिख दिया गया है कि यदि इरेगुलेरिटीज हैं तो सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर हो सकता है और उसी आधार पर बहुत दिन तक वह मुकदमा पैंडिंग रह जाता है और गरीब को न्याय नहीं मिल पाता है।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी की नीयत तो साफ है, लेकिन वर्तमान में भी आरबीआई को चलाने के लिए बहुत नियम और कायदे हैं, उन कायदों को हटाया नहीं गया है, वे कायदे बरकरार हैं, लेकिन तमाम कायदों के रहने के बावजूद आजादी के बाद सबसे बड़ा घोटाला देश में हो गया है। कानून मौजूद हैं, फिर भी देश में इतनी बड़ी घटना हो गई। मैं नहीं समझता कि आगे भी इससे बड़ी घटना इस देश में हो सकती है, मेरे जैसा आदमी इस पर विश्वास नहीं करता। जब भी हम लोग इस बात को उठाते हैं तो मंत्री जी पूरे जोर के साथ कहते हैं कि कानून मौजूद है, कानून की कहीं अवहेलना नहीं हुई है, जब कानून की अवहेलना नहीं हुई है तो फिर यह घोटाला कैसे हो गया ? हमारे यहां भोजपुरी में एक कहावत है—"नपला जोखला थाहे-लड़का बुड़ले काहे।" दो इंजीनियर जा रहे थे, रास्ते में नदी थी, उसमें बाढ़ आई हुई थी। उनके साथ एक लड़का भी था। उन्होंने कहा कि हम लोग तो पार कर जाएंगे, यह लड़का कैसे पार करेगा, तो इन्जीनियर ने कहा कि अभी पानी को नाप लेते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : देखिए, बहुत बिल अभी पास करने हैं, कहानियों का समय नहीं है।

**श्री तेजनारायण सिंह** : मैं बस एक मिनट में बता देता हूं। इन्जीनियर ने पानी को नापा, पहले इतना है, आगे इतना है, बीच में इतना है, इस तरह से एवरेज निकाला और लड़के की लम्बाई नाप कर कहा कि लड़का पार हो जाएगा, लेकिन लड़का डूब गया।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तमाम कानून रहने के बावजूद 35000 करोड़ रुपया देश से गायब हो गया, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस कानून का समर्थन करता हूं, लेकिन देश के लोग इस कानून का तभी समर्थन करेंगे जब इस घोटाले को करने वाला मुजरिम जनता के सामने पेश कर दिया जाएगा और उसको दंड दे दिया जाएगा, तभी यह कानून सफल हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कानून का समर्थन करता हूं।

**श्री सत्यनारायण जटिया** (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश के द्वारा जो विशेष प्रावधान किये गये थे, उनको विधेयक से सम्मिलित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। उद्देश्य से तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन विद्यमान सारे कानून और नियमों के रहते हुए इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है, यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमे जो धारा 10(1) में कहा गया है कि अपील के सारे अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास हैं, इसलिए यह समझना कि यह जो हम विशेष व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें कोई कमजोरी होगी, कोई बात रह जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता किन्तु जिस धारा के बारे में सद्भावनापूर्वक कहा गया है, तो यह सद्भावना का ही परिणाम है, जो हम भुगत रहे हैं। हमने किसी पर आज तक अविश्वास नहीं किया था, किन्तु विश्वास करने का जो नतीजा हुआ, वह सामने है और यह सारी की सारी व्यवस्था मनुष्य चलाता है और इसमें यह जो अलग से क्लाज दी गई है, इसका कारण समझ नहीं आता है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह कानून को जो लागू करेंगे, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए है, जिन्होंने घोटाला किया है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं है।

**5.00 म०प०**

**श्री सत्यनारायण जटिया** : ठीक है, यदि हमने प्रोटेक्शन देनी है। सद्भावनापूर्वक किसी भी कार्यवाही के प्रति कुछ होने वाला नहीं है। तब भी सारी की सारी व्यवस्था शुद्ध रूप से चलनी चाहिए। उसके प्रति आश्वस्त कर रहे हैं तो हमें किसी को आपत्ति नहीं हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : निर्भय होकर काम करें, इसलिए किया गया है।

**श्री सत्यनारायण जटिया**: बहुत ठीक बात है, इस प्रकार की व्यवस्था आपने की है। जिस प्रकार का हम कानून पास करने जा रहे हैं उससे विशेष शक्ति मिलेगी। उसके माध्यम से हमारे जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम जो उपाय कर रहे हैं वे पर्याप्त होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं विश्वास करता हूं जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा ये सारे तथ्य जनता के सामने आने चाहिए इसी निमित से यह सारा कार्य किया गया है। मैं विश्वास करता हूं कि इससे उद्देश्य की पूर्ति होगी। धन्यवाद !

---

5.01 म० प०

[अनुवाद]

# प्रधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य

## स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि

**प्रधान मन्त्री (पी.वी. नरसिंह राव)** : इस समय स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वतन्त्रता सेनानियों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। इस पेंशन के अतिरिक्त स्वतन्त्रता सेनानियों को कुछ अन्य सुविधायें भी मिलती हैं जिनमें रेलवे पास और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी सामिल हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ और सुविधायें, जैसेकि टेलीफोन की सुविधा भी अभी दो दिन पहले उन्हें प्रदान की गई है।

भारत छोड़ो आन्दोलन की स्वर्ण-जयन्ती वर्ष में सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों की मासिक पेंशन में 250 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करने का निर्णय लिया है इसके अन्तर्गत :

(क) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानियों को 750 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वतन्त्रता सेनानियों को 1000 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 1250 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।

(ग) स्वतन्त्रता सेनानी की विधवा के मामले में (दोनों श्रेणियों में) 750 रुपये प्रतिमाह की बजाय 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।

प्रस्ताव है कि यह वृद्धि तत्काल लागू की जाए। इस अल्प वृद्धि से राष्ट्र उन निष्ठावान सेनानियों के प्रति अपनी कृतघ्नता और अपने आदर को फिर से स्मरण करता है जिन्होंने भारत की स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की बलि दी है।

***श्री आर. जीवरत्नम** (अर्कोनिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत छोड़ो आन्दोलन की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर स्वतन्त्रता सेनानियों की मासिक पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि करने के लिए माननीय प्रधानमन्त्री का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

मैं स्वतन्त्रता सेनानियों की ओर से इसके लिए सरकार का भी तहदिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे महान तमिल राष्ट्रीय कवि सुब्रामणि भारती ने लिखा है :

**थानिअर विट्टा वलरथम सर्वेशा इपायीरे**
**कानिअरल कथथम करूगथ विरूथुलमो**

"हमने स्वतन्त्रता के पौधे को सींचने में पानी नहीं दिया बल्कि हमने इसे अपने आंसुओं से सींचा है; हे भगवान ! क्या तुम इसे नष्ट होने नहीं दोगे ?"

स्वतन्त्रता सेनानियों ने अनेक मुसीबतों का सामना कर बहादुरी से अपना खून और पसीना बहाकर इस देश की स्वतन्त्रता को प्राप्त किया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अनेकों स्वतन्त्रता सेनानियों ने जनता की सरकार लाने, रखने में गहरी दिलचस्पी दर्शायी। ताकि देश की स्वतन्त्रता को बनाए रखा जाए।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मुझे उन दिनों का स्मरण हो रहा है जब मैंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया था और अनेकों बार गिरफ्तारियां हुयीं। 1944 में मैं तंजौर जेल में बन्द था। तभी श्रमती सरोजिनी नायडु को जेल से रिहा किया गया था। पूरा राष्ट्र हैरान रह गया और खामोशी छा गई। उस समय कोई भी आंदोलन सक्रिय नहीं था। श्रीमती सरोजिनी नायडु ने 26 जनवरी, 1944 को स्वतन्त्रता दिवस मनाए जाने के लिए नियत किया। इससे स्वतन्त्रता आंदोलन में फिर से जान आ गई। उस दिन तंजौर जेल में बन्द हम स्वतन्त्रता सेनानियों ने प्रातःकाल उठकर स्नान किया और सैनिकों की तरह जेल के अन्दर ही एक जलूस निकाला। इसके लिए हमें बुरी तरह से पीटा गया। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमन को भी उस दिन अन्य साथी-स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ पीटा गया था।

इस प्रकार स्वतन्त्रता सेनानियों ने देश की स्वतन्त्रता के लिए अपना खून और पसीना बहाया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले देश की बागडोर स्वतन्त्रता सेनानी जवाहर लाल नेहरू ने संभाली। उनके पदचिह्नों पर चलकर श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री कामराज और श्री राजीव गांधी जैसे महान नेताओं ने हमारे समक्ष अच्छे शासन के उदाहरण प्रस्तुत किए। अब श्री पी.वी. नरसिंहराव देश का सही मार्गदर्शन और शासन कर रहे है। मैं स्वतन्त्रता सेनानियों की ओर से एक बार फिर सरकार का धन्यवाद करता हूँ।

**श्री चित्तबसु** (बारसाट) : क्या मैं उनका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ। महोदय, पेंशन की स्वीकृति में देरी किए जाने के बारे में कई शिकायतें हैं। यहाँ तक कि इन मामलों के बारे में राज्य सलाहाकार समिति ने भी सिफारिश की है। क्या प्रधान मन्त्री इन मामलों पर विचार करेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह तो ध्यान को विचलित करने वाली बात हुई।

**श्री ए. अशोकराज** (पैरम्बदूर) : हमारे तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री ने ऐसा किया है।

---

5.06 म०प०

[अनुवाद]

## विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अध्यादेश, 1992 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प—जारी

और

## विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) विधेयक—जारी

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय वित्तमंत्री ने जो विशेष न्यायालय विधेयक प्रस्तुत किया है, वह दोषी लोगों को सजा देने के सम्बन्ध में असाधारण परिस्थितियों से निपटने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इस संदर्भ में, मैं दलालों, बैंक अधिकारियों के अलावा, जिनमें से कुछ ने तो दलालों की इस हद तक प्रत्यक्ष सहायता की है कि बिना उनके हस्ताक्षर के अथवा

[श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे]

किसी प्रतिभूति के अरबों रुपया लोगों को चुकता कर दिया गया—वित्त मंत्री से जानना चाहता हूँ कि वह इस बारे में क्या करने जा रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको विधेयक पर ही बोलना है।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : इन अधिकारियों ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों की मदद की है। इस विधेयक के अन्तर्गत कौनसी कार्यवाही की जाने वाली है ? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बैंकों को कुछ दिशानिर्देश दिये हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक जैसी संस्था—जो कि बैंकों के कार्यकरण पर निगरानी रखती हैं—द्वारा सरकार के हितों की रक्षा करना लोगों के हितों की रक्षा करना और बैंकों को सौंपी गई बहुत बड़ी धनराशि की भी रक्षा करना उनकी ही जिम्मेदारी है। मैं यह चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय इस स्थिति को स्पष्ट करें। आप धारा 9 को देखें, इसमें कहा गया है कि "यदि किसी व्यक्ति पर इस धारा की उल्लंघन का आरोप सिद्ध होता है तो विशेष न्यायालय उस व्यक्ति को इस जुर्म के लिये सजा देने के लिये जिसके बारे में उस पर आरोप लगाया गया है, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी सजा दे सकता हैं।" इस बारे में संसद के समक्ष जो प्रावधान प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही अपर्याप्त है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब कुछ समय पहले चीन को तम्बाकू का निर्यात किया जा रहा था और जब यह पाया गया कि घटिया किस्म का तम्बाकू भेजा गया है तो चीन की सरकार ने अपने वहां के उन लोगों को फांसी दे दी जिनको हमारे यहां के तम्बाकू निर्यात करने वाले व्यापारियों के साथ सांठ-गाँठ लिए जिम्मेदार पाया गया था। तम्बाकू इतनी ही किस्म का था कि इतना घटिया तम्बाकू चीन को पहले कभी भी नहीं भेजा गया।

यहां अरबों रुपए की सार्वजनिक धनराशि को लूटा गया है। सरकार क्या कर रही है ? यहां तो केवल 'सजा' ही काफी है वह सजा भी क्या हो सकती है, इसका भी साफ जिक्र नहीं है। सजा अथवा दण्ड आदि का क्या स्वरूप होगा ? मैं माननीय मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं कि उन्हें श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तावित संशोधन को मान लेना चाहिये जो कि हमें अभी-अभी परिचालित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिस किसी व्यक्ति को धनराशि के साथ धोखाधड़ी करने के लिए जिम्मेदार पाया जाता है अथवा जिस किसी ने भी दलालों अथवा किसी अन्य व्यक्ति सांठ-गाँठ की है, उस व्यक्ति से वह धनराशि वसूल की जानी चाहिये। लेकिन अभी तक हुआ क्या है ? सी. बी. आई. लोगों से पूछ-ताछ करती रही है। प्रक्रिया की दृष्टि से यही उचित है। अरबों रुपये का गबन हुआ है। लेकिन हमें यह भी मालूम नहीं कि यह धनराशि कहां चली गई। क्या यह धन भारत में ही है अथवा नहीं, वह भी हमें मालूम नहीं है। इसलिये यह धनराशि भी वसूल की जानी चाहिये और दलालों, बैंक अधिकारियों से भी धनराशि वसूल किये जाने के लिए भी कुछ प्रावधान किया जाना चाहिये।

अतः मेरा यह सुझाव है कि सरकार को इस विशेष प्रावधान पर पुनर्विचार करना चाहिये और इसमें कुछ संशोधन करना चाहिये। सरकार को किसी संशोधन के द्वारा कठोर सजा का प्रावधान करना चाहिये और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अपराधिक प्रक्रिया आरम्भ करनी चाहिये तथा इसके साथ-साथ अरबों रुपये की सार्वजनिक धनराशि को वसूल करना चाहिये।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिये आपका धन्यवाद !

**वित्तमंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** महोदय : विशेष न्यायालय अध्यादेश 6 जून 1992 को जारी किया गया था और इसे 18 अगस्त 1992 तक हर हालत में अधिनियम में परिवर्तित किया जाना है।

मैंने पहले ही विपक्षी दलों के नेताओं से व्यापक विचार विमर्श किया है जिसमें प्रतिभूति घोटाले के बारे में तत्काल और प्रभावी कार्यवाही को लेकर संसद की चिंता पर विचार किया गया है। मैं माननीय सदस्य श्री रासासिंह रावत से आग्रह करता हूं कि कृपया अपना प्रस्ताव वापिस ले लें जिससे कि विधेयक आज ही पारित किया जा सके।

जिन मुद्दों का यहां उल्लेख किया गया है मैंने उनको ध्यानपूर्वक सुना है। मैं सोचता हूं कि इस सभा सभी वर्ग इस बात से सहमत हैं कि हमें दोषी व्यक्तियों को इस व्यापक घोटाले में शामिल लोगों को सजा देने के लिए प्रभावी तथा तत्काल कदम उठाने चाहिये। इस मुद्दे पर मैं माननीय सदस्यों का आश्वासन दे सकता हूं कि हमारी सरकार इस तरह की कार्यवाही करने के लिये वचनबद्ध हैं; और हमारे इरादे, हमारी निष्ठा और हमारी वचनबद्धता के बारे में किसी को कोई भी सन्देह नहीं होना चाहिये।

श्री रासासिंह रावत ने आर्थिक नीति के प्रभाव को लेकर कुछ बातें कही हैं। मैं इस बात पर विस्तार में नहीं जाना चाहता। इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। मैं तो ईमानदारी से इस बात में यकीन करता हूं कि जो कुछ घटनायें हुई हैं, उनका हमारी आर्थिक नीति के लाभ से कुछ लेना देना नहीं है। इसी तरह से, खंड 12 के बारे में भी कई अनुमान लगाये गये हैं। मुझे इस बारे में यकीन है कि इस खंड का इरादा इसके बिल्कुल विपरीत है जैसा कि एक या दो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है; और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मुझ पर भरोसा रखें कि किसी तरह से भी इसका उद्देश्य उन लोगों को बचाने का नहीं है, जो इन धोखेधड़ी के लेन-देन में शामिल हैं।

श्री पवन कुमार बंसल ने भी कुछ सुझाव दिये हैं। यह अध्यादेश जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मुम्बई उच्च न्यायालय में एक कसौटी के रूप में सामने आया है। महा-अधिवक्ता ने भी इस पर विचार किया है।

हमें विपक्ष के माननीय नेताओं से चर्चा कर काफी लाभ हुआ है। इसलिये मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को सर्व सम्मति से पारित कर दिया जाये।

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री रासासिंह रावत द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

**प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर)** : मैं इसे वापस लेना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए उन्हें सभा की अनुमति है ?

**अनेक माननीय सदस्य** : हां।

**संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है—

"कि प्रतिभूतियों में संव्यवहारों से संबंधित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का और उससे संबंधित उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम इस विधेयक पर खण्ड कर विचार करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : बंसल जी क्या आप खण्ड 2 से 4 के संबंध में अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

**श्री पवन कुमार बन्सल** : नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है—

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप खण्ड 5 से 8 के सम्बन्ध में अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

**श्री पवन कुमार बन्सल** : नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है—

"कि खण्ड 5 से 8 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खण्ड 5 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए**

**अध्यक्ष महोदय** : बंसल जी क्या आप अब खण्ड 9 संबंध में अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

**श्री पवन कुमार बंसल** : नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है—

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राम नाईक और डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ने खण्ड 10 के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत किए हैं, परन्तु ये यहाँ उपस्थित नहीं हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है—

"कि खण्ड 10 से 15 विधेयक का अंग बनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**"खण्ड 10 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।"**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है—

"कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

5.17 म० प०

[अनुवाद]

## नागालैण्ड के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

**संसदीय कार्य मन्त्री ( श्री गुलाम नबी आजाद )** : श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा नागालैंड के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 2 अप्रैल, 1992 को जारी की गई उद्घोषणा को 2 अक्तूबर, 1992 से और छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

जैसा कि सभा को मालूम है कि 2 अप्रैल, 1992 को नागालैंड राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई थी, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के अन्तर्गत जारी की गई उद्घोषणा का लोक सभा ने 23-4-1992 को और राज्य सभा ने 28-4-1992 को अनुमोदन कर दिया था।

राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बाद वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है और राज्य प्रशासन लोगों में विश्वास की भावना जमा पाया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है तथा बिचौलियों को हटा दिया गया है। राज्य के लोगों को अब चीनी, चावल और अन्य आवश्यक वस्तुएं मिल रही हैं। अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध हैं और चिकित्सक नियुक्त किये जा रहे हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू

[श्री गुलाम नबी आजाद]

होने के बाद पिछले तीन महीनों के दौरान राज्य के पूरे सरकारी तन्त्र को सक्रिय कर दिया गया है और कानून लागू करने वाले अभिकरणों को पुनर्गठित किया गया है ।

नागालैंड में अक्टूबर तक बरसात होती रहती है । अत्यधिक बारिश के कारण वहां अधिकांश ग्रामीण सड़कें भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो जाती हैं । मतदाता सूचियों में व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है और इस काम के जनवरी, 1993 तक पूरा होने की संभावना है । अत: 1 अक्तूबर, 1992 से पहले वहां चुनाव करवा पाना संभव नहीं है ।

राज्य में व्याप्त स्थिति और राष्ट्रपति शासन की मौजूदा अवधि समाप्त होने से पहले वहां चुनाव करवाने में होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए ऐसा विचार है कि नागालैण्ड राज्य ने 2 अक्तूबर 1992 से राष्ट्रपति शासन छह महीने के लिए और जारी रखा जाए ।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं अपने इस प्रस्तुत संकल्प के सम्बन्ध में इस महान सदन की अनुमति चाहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा नागालैंड के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 2 अप्रैल, 1992 को जारी की गई उद्घोषणा को 2 अक्टूबर, 1992 से छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है ।"

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : क्या उत्तर भी तैयार है ?

**अध्यक्ष महोदय** : श्री उद्धव बर्मन ।

**श्री उद्धव बर्मन** ( बारपेटा ) : अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के सम्बन्ध में मुझे बोलने की अनुमति देने के लिये आपका धन्यवाद ।

यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने जिससे वहां के लोगों को अपनी सरकार मिल सके, के बजाय हम नागालैंड में राष्ट्रपति शासन और बढ़ाने के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं ।

यह बात सभी जानते हैं कि नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पूरे राष्ट्र ने भर्त्सना की थी । राज्यपाल की सिफारिश के बिना नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के केन्द्र सरकार के कदम की देश में पूरे प्रैस ने आलोचना की थी ।

यहां तक कि वहां के राज्यपाल, जो कि केन्द्र सरकार के आदेश का पालन करने के लिए राजी नहीं थे, को भी अन्ततः पद से हटा दिया गया था । उस समय लोगों ने इसे लोकतंत्र, संविधान और देश के संघीय ढांचे पर एक कुठाराघात समझा और उनका ऐसा समझना ठीक था ।

यह विदित है कि तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री रामुजों ने चुनाव करवाने का वायदा किया और तत्कालीन राज्यपाल ने भी विधान सभा को भंग कर दिया और वहां चुनाव करवाने की सिफारिश की । परन्तु राष्ट्रपति शासन के बाद केन्द्र सरकार ने वहां चुनाव करवाने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी नहीं रखा और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की समस्या अब सदन के समक्ष आ गई है ।

महोदय, हम राष्ट्रपति शासन थोपने का विरोध करते हैं क्योंकि यह एक असंवैधानिक कदम है और हम इस बार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का भी विरोध करते हैं।

राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति को दयनीय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बाद शांति और खुशहाली का वातावरण बना लेने का प्रयास किया जा रहा है। परन्तु उस क्षेत्र में वास्तविक स्थिति क्या है ? वहां पर विद्रोह हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। वहां पर उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच सशस्त्र झड़पें होने की खबरें मिल रही हैं। कई सुरक्षा कर्मी उग्रवादियों की गोलियों के शिकार हो गए हैं। 5 अगस्त को माहुर में हुई घटना में 15 सुरक्षा कर्मियों पर घात लगाकर हमला किया गया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। यह सशस्त्र झड़प की घटना थी।

पूरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र संवेदनशील और उग्रवादियों के विभिन्न कार्यरत ग्रुपों के कारण अस्थिर है। इस क्षेत्र के लोगों में यह भावना बढ़ रही है कि इस क्षेत्र की अवहेलना हो रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस तरह की भावना जोर पकड़ती जा रही है कि उन्हें हर किसी चीज से वंचित रखा जा रहा है केन्द्र सरकार वहां तानाशाही तरीके से कार्य कर रही है तथा वह पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में केन्द्र के उपनिवेशों के रूप में व्यवहार कर रही है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए निहित स्वार्थी लोग हिंसक गतिविधियों में लगे हुए हैं। कुछ लोगों को मार कर सत्ता में वर्चस्व रखना और मौजमस्ती करना अब उनका आदर्श वाक्य रह गया है। अतः इस क्षेत्र में यह भयावह स्थिति बन रही है।

अब लोगों को अपने आप अपने लिए अपनी सरकार चुनने का अधिकार देने से इन्कार करने वाली बात है। अतः हमें इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके लिए हम मांग करते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। लोकतंत्र को मजबूत बनाने से हक अलगावादी ताकतों को कमजोर कर सकते हैं। अतः मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया तत्काल शुरू की जानी चाहिए। उस क्षेत्र में स्थिति और नहीं बिगड़ने दी जानी चाहिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक और कश्मीर नहीं बनने दिया जाना चाहिए।

मैं सरकार से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि वह चुनाव करवाए और वहां लोकतंत्र बहाल करें।

[हिन्दी]

**प्रो० रासासिंह रावत** (अजमेर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, अभी नागालैंड में राष्ट्रपति के शासन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में जो बिल प्रस्तुत किया गया है, वैसे अगर प्रजातंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रपति का शासन कोई अच्छा शासन नहीं माना जा सकता है और नागालैंड में जो विधान सभा उस समय कार्यरत थी, उस विधान सभा को जिन परिस्थितियों के अन्दर भंग किया गया और उस समय राजनीतिक अस्थिरता का जो वातावरण बना था और उस संदर्भ में, केन्द्र सरकार की ओर से जो जोड़-तोड़ की राजनीति यहां दिल्ली में बैठी सरकार की ओर से संचालित होती है चाहे वह मणिपुर का मामला हो, चाहे नागालैंड का मामला हो और चाहे अरुणाचल प्रदेश का मामला हो, उन सभी प्रदेशों में अस्थिरता पैदा करके, दिल्ली में, केन्द्रशासित पार्टी द्वारा उन प्रदेशों का शासन अपने हाथ में लेने का प्रयास किया गया। आज वहां जो स्थिति पैदा हो गई है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। राष्ट्रपति शासन होते हुए भी अभी तीन-चार दिन

[प्रो० रासा सिंह रावत]

पहले हमारी सुरक्षा सेनाओं के 16-17 जवानों को जिस प्रकार से भूमिगत नागाओं के आतंकवादी संगठन ने मारा और म्यानमार व बंगलादेश एक प्रकार से उनको मदद दे रहे हैं और प्रशिक्षण शिविरों से हथियार लेकर उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा दिया है—यह बहुत चिन्ताजनक बात है। मैं समझता हूं, जब राष्ट्रपति शासन लागू है, तो केन्द्रीय सरकार सीधे रूप से उत्तरदायी है कि केन्द्रीय सरकार वहां की परिस्थितियों को भली प्रकार से देखे। एक ओर तो कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन करने के बाद वहां की सरकार ने बिगड़ी हुई स्थिति को संभालने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ नागालैंड के अन्दर जो स्थिति पैदा हो गई है, उसकी तरफ सारे विश्व का ध्यान और देश का ध्यान गया है। हमने सोचा था कि फीज़ो और माइकल स्कॉट के बाद जो घटनायें घटी थीं, हमारी सेनाओं के प्रयास करने के बाद वहां आतंतकवादी गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना पड़ा था। इसके बाद नागालैंड में शांति स्थापित हो गई थी और वह देश की मुख्य धारा में चलने लग गया था। अब वहां पर जिस प्रकार का वातावरण पैदा हुआ है, वह वास्तव में हमारे दिलों के अन्दर सन्देह पैदा करता है कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन के

5.27 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

माध्यम से, वहां पर जिनके माध्यम से शासन किया जा रहा है, वह उन लोगों को वस्तुस्थिति की जानकारी है या नहीं। इसलिए इस ओर अविलम्ब ध्यान देने की आवश्यकता है। नागालैंड हमारा संवेदनशील क्षेत्र है। वहां एक तरफ बर्मा है, दूसरी तरफ चीन और इधर असम है। असम के अन्दर जिस प्रकार की स्थिति उल्फा के माध्यम से हो रही है, वह भी कोई उचित स्थिति नहीं कही जा सकती है। ऐसी स्थिति के अन्दर ध्यान देने की आवश्यकता है कि नागालैंड के अन्दर जल्दी से जल्दी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के हाथों में वहां के शासन की बागडोर सौंपी जाए, ताकि वहां की जनता यह समझे कि नहीं, हम इस देश के हैं और यहां के शासन के अन्दर भागीदार हैं। यहां का शासन हमारे माध्यम से चलता है। किन्हीं कारणों से परिस्थितियां पैदा हो गई हैं और जोड़-तोड़ तथा दल-बदल इत्यादि के कारण वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी वहां पर चुनाव अविलम्ब करवाए और वहां का शासन जल्दी से जल्दी वहां की जनता के हाथ में सौंपे ताकि राष्ट्रपति शासन वहां ज्यादा दिनों तक न चले। वहां पर जिस प्रकार की प्रवृत्ति पनप रही है, उनको देखते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां शीघ्रातिशीघ्र ध्यान दें कि वहां पर हमारी जितनी भी सेनायें हैं, सुरक्षा बल हैं, इनके बावजूद भी भूमिगत आतंकवादी नागा संगठन सक्रिय होकर बेगुनाह लोगों को या हमारी सुरक्षा बल के ऊपर आक्रमण करके उनको मार देते हैं। उन सेनाओं के परिवारों को क्या राहत प्रदान की गई है? स्थिति को नियंत्रण करने के लिए वहां अतिरिक्त सुरक्षा दल भेजे हैं या नहीं और भविष्य में हमारी सरकार ने बाहर से आतकवादी प्रवेश न कर सकें, इसके लिए क्या प्रयास किया है?

इन शब्दों के साथ, माननीय मंत्री जी जितनी जानकारी दे सकें, उतना अच्छा रहेगा और वहां राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की अवधि के वास्ते जो प्रस्ताव आया है, प्रजातान्त्रिक दृष्टि से तो मैं विरोध करता हूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं, तो सरकार ने उचित ही कदम उठाया होगा।

**श्री हरिकिशोर सिंह** (शिवहर) : उपाध्यक्ष महोदय, नागालैंड में राष्ट्रपति शासन को और अगले छः महीनों के लिए बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से जो सदन में प्रस्ताव आया है, उसका जनता दल की ओर से मैं विरोध करता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्यों सरकार यह कदम उठाना चाहती है ? वहां दल-बदल की प्रक्रिया हुई और अपने मन की सरकार वहां गठन करवाने में कांग्रेस पार्टी असफल रही है। अभी थोड़ी देर पहले प्रधान मंत्री जी ने स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्मान में कुछ आर्थिक मदद बढ़ाने की पहल की है और उसके ठीक बाद नागालैंड में जनतंत्र की हत्या करके और जनतान्त्रिक प्रक्रिया को तिलांजलि देने का काम किया और राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार यह प्रस्ताव लाई है। मुझे इसमें थोड़ा विरोधाभास लगता है और लगता है कि अगस्त क्रांति और स्वतन्त्रता आन्दोलन से इस सरकार को कोई वास्ता नहीं रह गया है। क्यों सरकार बढ़ाना चाहती है ? यह जो दलील दी गई है कि इलेक्टोरल रोल में सुधार किया जा रहा है तो क्या यह थोथी दलील नहीं है। इलेक्टोरल रोल तो हमेशा तैयार रहता है। क्या सरकार ने चुनाव आयोग को इसके संबंध में कुछ लिखा था कि हम नागालैंड में चुनाव कराना चाहते हैं। वहां चुनाव कराना संभव है या नहीं है क्या चुनाव आयोग ने भारत सरकार को इसकी सूचना दी है कि वहां चुनाव की जो मतदाता सूची है वह तैयार नहीं है। क्यों चुनाव नहीं कराना चाहते हैं ? क्यों चुनाव से डर रहे हैं, क्या इसके पीछे यह छिपा हुआ नहीं है कि आपने जो कुकर्म किया है, आपने जो वहां जनतंत्र की हत्या की है, दल-बदल की प्रक्रिया के तहत जो सरकार को हटाया है और जिस अवसर को तथाकथित बढ़ावा देने के लिए मुख्यमन्त्रियों पर आरोप लगाया था, मुख्यमन्त्री को हटाने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद क्या उस अवसर को तरजीह नहीं दी गई है। **(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री हरिकिशोर सिंह, हम अब आधे घण्टे की चर्चा करेंगे और उसके बाद आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

**संसदीय कार्यमंत्री** (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, सभा की अनुमति से मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। नागालैंड संकल्प बीच में उलझा गया है और आधे घण्टे की चर्चा के बाद इस चर्चा को जारी रखना, मुश्किल होगा इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि पहले हम नागालैंड पर चर्चा कर लें और उसके बाद हम आधे घण्टे की चर्चा शुरू करेंगे और उसके बाद सभा को स्थगित किया जा सकता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या सभा की यही इच्छा है ?

**कई माननीय सदस्य** : जी हां।

**प्रो. के.वी. थामस** (एरणाकुलम) : ठीक है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब श्री हरि किशोर सिंह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

**[हिन्दी]**

**श्री हरिकिशोर सिंह** : यह सरकार द्वारा नागालैंड में चुनाव नहीं कराने का जो प्रस्ताव किया गया है, अगले 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन को लागू रखने का जो सरकार का प्रस्ताव है वह बहुत ही निन्दनीय है और हम उसका विरोध करते हैं।

[श्री हरि किशोर सिंह]

उपाध्यक्ष जी, नागालैंड में वहां के संघर्ष का, वहां की अशान्ति का एक लम्बा इतिहास है और स्व० लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पहल पर वहाँ शान्ति की स्थापना हुई, जनतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई थी और उस सारे प्रयास का, उन सारी सफलताओं का यह सरकार अपनी अदूर-दर्शिता के कारण, अपने स्वार्थ में उसको वहां तिलांजलि दे रही है और इतना ही नहीं यह दल-बदल की प्रक्रिया में नागालैंड, पूर्वी राज्यों में सरकार को जो सफलता मिली हैं वह राष्ट्र के पैमाने पह ही दल-बदल की प्रक्रिया शुरू करा दी है। इस सदन में यह दल-बदल की प्रक्रिया शुरू करा दी है।

उपाध्यक्ष जी, यह बहुत ही शर्मनाक चीज है और हम सरकार को सावधान करना चाहते हैं कि आज तो उत्तर-पूर्व में स्थिति बनती चली जा रही है। नागालैंड, मणिपुर और धीरे-धीरे त्रिपुरा और मिजोरम में जो घटना घट रही है वह देश के हित में नहीं है। मेरी सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि तत्काल चुनाव कराने की प्रक्रिया चालू करें जिससे वहां के लोगों को अपना जन-तांत्रिक अधिकार प्राप्त हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

**श्री तेजनारायण सिंह** (बक्सर) : उपाध्यक्ष जी, नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का मैं विरोध करता हूं और इसलिए विरोध करता हूं कि पंजाब से अधिक खराब स्थिति नागालैंड की नहीं है। अगर पंजाब में चुनाव हो सकता है, सत्ता में रहने वाले सरकार के मुताबिक प्रजातान्त्रिक सरकार बन सकती है तो नागालैंड में भी चुनाव करा कर सरकार बनाई जा सकती है।

लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार यह कराना नहीं चाहती और इसलिए नहीं कराना चाहती क्योंकि सरकार को विश्वास है कि हम शायद वहाँ पावर में नहीं आयेंगे। वहां पर जो सरकार गई थी, वह भी कानूनी ढंग से नहीं गई, लोगों के दल-बदल के द्वारा गई थी और सरकार को चाहिए था कि एंटी-डिफेक्शन-ला के तहत कार्यवाही करती और जो सदस्य कानून तोड़कर इधर-उधर चले गए हैं, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। जो आदमी जिस चुनाव-चिन्ह से, जिस दल से चुनाव जीत कर आया, यदि वह दल परिवर्तन करता है तो उसकी सदस्यता कानून के मुताबिक समाप्त समझी जानी चाहिए, एन्टी-डिफेक्शन-ला के अन्दर यह चीज है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जहाँ भी इस तरह की घटना होती है, सत्तापक्ष उसको अनदेखा कर देता है, उस पर विचार नहीं करता है और इसी का परिणाम है कि आज लोग किसी भी दल में चले जाएं, कोई उनको कुछ नहीं कहता है।

मान्यवर, इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वहां पर चुनाव कराए जाने चाहिए और नागालैंड की जनता जिस दल को बहुमत दे, उस दल की सरकार वहाँ पर बनाई जानी चाहिए। जिस राज्य में स्थिति हर तरह से खराब हो, सिर्फ वहीं पर धारा 356 का उपयोग करना चाहिए। जहां पर ला एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक न हो, तनाव हो, जहाँ की स्थिति कई तरह से खराब हो, वहां पर धारा 356 का प्रयोग करना चाहिए। कश्मीर में इस धारा का उपयोग समझ में आता है, लेकिन नागालैंड में इसका उपयोग समझ में नहीं आता। मेरा कहना है कि वहां पर चुनाव कराइए और

जो दल जीत कर आए, उसकी सरकार बनवा दीजिए, लेकिन राष्ट्रपति शासन की अवधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, इसलिए इस बिल का मैं विरोध करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री थाइमा सिंह युमनाम** ( आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नागालैंड में निर्वाचित सरकार के पक्ष में हूं। लेकिन, इस समय मैं नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प का समर्थन करना चाहता हूं। इस समय विभिन्न कारणों से नागालैंड में स्थिति चुनाव कराए जाने के अनुकूल नहीं है। सबसे पहले तो कानून तथा व्यवस्था की स्थिति भी उत्साहवर्धक नहीं है क्योंकि 'एन. एस. सी. एन' तथा अन्य गुटों की गतिविधियां वहां समस्यायें पैदा कर रही हैं। अतः जनता इस समय चुनाव के लिए तैयार नहीं हैं। यदि चुनाव का आयोजन उचित ढंग से नहीं होता और यदि चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो चुनाव करवाना अर्थहीन है। अतः ऐसी परिस्थिति में, 2 अक्टूबर से पहले चुनाव करवाना संभव और व्यवहार्य भी नहीं होगा।

महोदय, राष्ट्रपति शासन के दौरान भी यदि सरकार समझती है कि वहां स्थिति में सुधार हुआ है तथा चुनाव करवाये जा सकते हैं तो सरकार इस उद्देश्य का प्रस्ताव ला सकती है। हमें नागालैंड में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जनता को प्रोत्साहन देना चाहिए। अतः उल्लेखित स्थिति को देखते हुए मैं नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प का समर्थन करना चाहता हूं।

**डा० जयन्त रंगपी** (स्वशासी जिला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सम्बन्ध में मेरे मौलिक मतभेद के अलावा नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने संबंधी माननीय गृह मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उस पर मैं अपनी असंतुष्टता व्यक्त करता हूं और मैं उससे सहमत नहीं हूं।

माननीय मंत्री ने कहा है कि अब जनता को प्रशासन में विश्वास है। पार्टी की नीति और सिद्धान्त के विरुद्ध मैं इस बात को कह रहा हूं। मैं सभा को नागालैंड की वास्तविक स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र, असम का पहाड़ी जिला, नागालैंड के साथ ही लगा हुआ है। हमारी जनता सामाजिक, आर्थिक और जातीय रूप से नागालैंड के काफी निकट है। विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तब हालांकि अनेक विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था पर वास्तव में, नागालैण्ड के साथ ही लगा हुआ है। हमारी जनता सामाजिक, आर्थिक और जातीय रूप से नागालैण्ड के एक मात्र सदस्य जो उस सत्ताधारी दल के थे, जिनकी सरकार भंग हो गई, उसी सदस्य ने स्वयं राष्ट्रपति शासन लागू करने का समर्थन किया। उसके बाद भी, राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कोई द्वेष अथवा प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई क्योंकि नागालैण्ड की जनता ने सोचा था कि एक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है तो जनता को कम-से-कम विकास योजनाओं का लाभ तो मिलेगा और ओवर ड्राफ्ट व भ्रष्टाचार की स्थिति समाप्त हो जायगी। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि प्रशासन अब भी जनता से दूर है। मैं गांव की जनता से मिला हूं क्योंकि मेरा गांव नागालैंड से मुश्किल से 2-3 कि. मी. की दूरी पर है। 2000/- अथवा 3000/- रुपये के छोटे-छोटे बिल पिछले चार या पांच वर्षों से लम्बित पड़े हुए हैं। राष्ट्रपति के शासन के बाद भी स्थिति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया और जहां तक कानून तथा व्यवस्था की स्थिति का संम्बन्ध है

[डा० जयन्त रंगपी]

माननीय मंत्री ने कहा है कि स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि वस्तु स्थिति इससे पूर्णतया भिन्न हैं। उल्टे विद्रोहियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं तथा उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र तक बढ़ा लिया है। माहुर में एक घटना घटी थी। उसके कुछ महीनों के बाद, नागालैण्ड विधान सभा के अध्यक्ष जैसा नेता मेरे निर्वाचन क्षेत्र में घात लगाकर बैठ गया था और वे कहते हैं कि यह सूचना मिली है कि नागालैण्ड सीमा के करबी-आंग-लांग-उलर कहार पहाड़ियों के संबंध में पुनवर्गीकरण हो रहा है,जहां पर विभिन्न एक जातीय समूह अथवा पुनर्वर्गीकरण कर रहे हैं। इसलिए, मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। चुनाव का आयोजन होगा या नहीं होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। नागालैण्ड को इससे कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि कई सरकारें सत्ता में आई और गई। लेकिन नागालैण्ड की मौलिक समस्या अभी तक वैसी ही है। आपकी सरकार को नागालैण्ड की समस्या के समाधान के लिए आधार भूत, मौलिक अथवा गम्भीर कदम उठाना चाहिए। नागा समस्या शिलांग समझौते के बाद भी तथा लोकप्रिय सरकार आ जाने के बावजूद भी लटकती रही। यह समस्या अभी भी मौजूद है। सरकार को चाहिए कि इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाये ताकि समस्या का समाधान हो सके।

मैं एक बात कहते हुए अपना भाषण समाप्त कर दूंगा पूर्वोत्तर की जनता उत्सुकता से भारत सरकार की ओर से लोकतंत्रात्मक आर्थिक एक मुश्त कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रही है। जब हम भारत छोड़ो आन्दोलन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोकतंत्र आन्दोलन की भी बात कर रहे हैं। लेकिन पूर्वोत्तर की जनता का अनुभव यह है कि हमको केन्द्रीय सरकार से जो पैकेज समझौता मिल रहा है वह कठोर कानून के रूप में मिल रहा है। हमको केवल असम-मणिपुर विशेष हथियार अधिनियम व असम अशान्त क्षेत्र अधिनियम और इस तरह के अन्य पैकेज मिल रहे हैं। लेकिन हमको केन्द्रीय सरकार की ओर से लोकतंत्रात्मक पैकेज नहीं मिल रहा है और केवल इस पैकेज में ही घाव भरने की क्षमता है और मै कुछ लोगों के इस दृष्टिकोण से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि पूर्वोत्तर, नागालैंड की जनता को मुख्य धारा में लाया जा रहा है। मैं अभी अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। लेकिन मैं आपसे यह कहूंगा कि नागालैंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजाति ग्रामों में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, तथाकथित मुख्य धारा क्षेत्र की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से बहुत अच्छी हैं। नागालैंड में, प्रत्येक गाँव व ग्राम परिषद है जिसका नियमित रूप से चुनाव हो गया है। इसलिए मैं नहीं समझता कि नागालैंड में उचित समय पर चुनाव नहीं करवाये जा सकते। अतः मुझे आशा है कि इस समय के दौरान सरकार नागालैंड में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने तथा नागा समस्या का स्थाई हल ढूंढने के लिए गम्भीर प्रयत्न करेगी। इसके साथ पड़ौसी क्षेत्रों में करबी व उत्तर कहार पहाड़ राज्य आन्दोलन, बोडो आन्दोलन चल रहा है। अतः सरकार को चाहिए कि वह इस समस्या का तुरन्त हल ढूंढने का प्रयास करे ताकि स्थिति वैसी ही न रहे।

इस आशा के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**[हिन्दी]**

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी राज्यों में यदि गड़बड़ी होती

हैं तो वह हमारे देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है इसलिए केन्द्र सरकार के कुछ मंत्री अपने इशारे पर वहां पर दल-बदल करवाएं और सरकार को गिराएं तो मैं समझता हूं कि वह अच्छी स्थिति नहीं है। इस अनिश्चितता की स्थिति वहां पर नहीं रहनी चाहिए। वहां पर भूमिगत नागाओं के संगठन ने लगभग 17 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को मार दिया, यह ठीक नहीं है। वहां पर आतंकवाद पनप रहा है, स्थिति सुधर रही है और वोटर लिस्ट जब तैयार है तो जनतांत्रिक तरीके से जल्दी से जल्दी चुनाव हों और वहां पर राष्ट्रपति शासन की अवधि न बढ़ायी जाए। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार इस प्रकार की अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त कर देगी और नागालैंड में चुनाव करायेगी।

---

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय गृह मंत्री के उत्तर पर चर्चा करने से पहले, श्री रंगराजन कुमार मंगलम कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

[अनुवाद]

5.48 म. प.

## कार्य मंत्रणा समिति

### बीसवां प्रतिवेदन

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) :** महोदय, मैं कार्य-मंत्रणा समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

5.49 म. प.

## नागालैंड के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :** महोदय, मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने सम्बन्धी चर्चा में भाग लिया है। जिस तरह से चर्चा हुई उसको देखते हुए मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दे की सराहना करता हूं कि नागालैंड को बनाये रखने के लिए चुनाव करवाने की आवश्यकता है। मैं इस आम राय से सहमत हूं। लेकिन महोदय, जब मुख्य मंत्री ने राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की सलाह दी तब ऐसी परिस्थिति में सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय लिया था। आपको इस बात की सराहना करनी चाहिए। काम चलाऊ सरकार को चलाने के लिए कई मंत्रियों की जरूरत होती है, उनमें से एक बड़ी संख्या में मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया था। इस परिस्थिति में इस वर्ष 2 अप्रैल को सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा था।

[श्री एम० एम० जैकब]

महोदय, जब वहां राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया तो हमें राज्य में 141 करोड़ रुपये का बजट घाटा बिरासत में मिला था तथा उसके अतिरिक्त 90 करोड़ रुपये के बकाया बिलों का भुगतान भी किया जाना शेष था। मेरे माननीय मित्र डा० जयन्त रंगपी उन बकाया बिलों की बात कर रहे थे जिनका भुगतान किया जाना शेष था। उस समय, 90 करोड़ रुपये के बकाया बिल लम्बित थे। राष्ट्रपति शासन के बाद ये भुगतान होने शुरू हो गये हैं तथा घाटा भी पूरा किया जा रहा है।

एक अन्य पहलू भी है। मैं आपका ध्यान उस समय की गम्भीर बातों की ओर दिलाना चाहता हूं जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इससे हमें यह पता चला है कि विदेशी नागरिकों सहित कुछ आवांछनीय तत्व राज्य में घुस आये हैं तथा 'नागा विजिल' नामक प्रतिबंधित संगठन में शामिल हो गये हैं। ऐसा लगता है कि राज्य प्रशासन में निहित कुछ शक्तियों के संरक्षण से नागालैंड में इन आवांछनीय तत्वों का कार्य जारी है। इसलिए हमने यह बात भांप ली कि ऐसे संगठनों का, जिनका मुख्यालय लंदन में है, राज्य में होना तथा लोगों के बीच काम करना तथा उनके द्वारा शेष भारत के विरूद्ध पृथकतावाद तथा घृणा का जहर फैलाना अन्ततः हमें एक खतरनाक स्थिति में पहुंचा देगा। इसलिए हमने दो विदेशियों तथा उनके साथी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जिन पर कानून के अन्तर्गत अभी कार्यवाही की जा रही है। वे जेल में हैं। इसके पश्चात् कानून तथा व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए बयान में यह उल्लेख किया गया था। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वहां विद्रोह समाप्त हो गया है। अभी भी विद्रोह समाप्त नहीं हुआ है। नागालैंड में विद्रोह को समाप्त करने के लिए हमें गम्भीर प्रयत्न करने होंगे। एन. एस. सी. एन. जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में कई भूमिगत उग्रवादी गुटों के मूल एजेन्सियों के लिए एक कड़ी है, उसकी जड़ें नागालैंड में हैं और उसकी शाखाएँ पूर्वोत्तर की विभिन्न भागों में फैली हुई हैं। हमें इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं कि एन. एस. सी. एन. के विद्रोही सीमा के उस पार से मयनमार (वर्मा) तथा बंगलादेश से अपनी कार्यवाही का संचालन करते हैं। जब हमने मयनमार सरकार से यह मामला उठाया तो उन्होंने ऐसे प्रशिक्षण कैम्प होने की जानकारी से इन्कार किया जहां उग्रवादियों और खाड़कूओं को प्रशिक्षण दिया जाता है लेकिन बंगलादेश सरकार ने इस मामले पर गौर करने का वचन दिया है और यदि दूसरी ओर की सीमा के घने जंगलों में प्रशिक्षण कैम्प चल रहा है तो वे उन प्रशिक्षण कैम्पों को अपने देश से हटाने अथवा समाप्त करने में सहयोग देंगे। इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हमें कदम-कदम पर ढूंढना होगा।

देश की सीमा के उस पार से भारी मात्रा में हथियारों की तस्करी हो रही थी। हांलाकि यह पूरी तरह से रोकी नहीं जा सकी है, फिर भी हमें विश्वास है कि नशीली दवाओं एवं गोले-बारूद तथा हथियारों की तस्करी को काफी हद तक रोका जा रहा है। हम अपने अर्द्ध-सैनिक बलों के माध्यम से इन गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा पर चौकसी बढ़ा रहे हैं।

जब हमने राष्ट्रपति शासन लागू किया उस समय राज्य में काफी भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिसकी जानकारी जनता को थी यही कारण है कि लोगों ने नागालैंड में राष्ट्रपति-शासन लागू किये जाने की घोषणा का उस समय स्वागत किया था। (व्यवधान)

श्री हरिकिशोर सिंह (शिवहर) : इस बात के क्या प्रमाण हैं कि लोगों ने इसका स्वागत किया है ? आप वहां चुनाव क्यों नहीं करवाते है ? क्या आपने मत-संग्रह करवाया था ? कृपया हमें आश्वासन दें कि यह अन्तिम मौका होगा जब वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ायी जा रही है। (व्यवधान)

श्री एम. एम. जैकब : जिन प्रमाणों की हमें जानकारी है, वे उस क्षेत्र के अखबारों की रिपोर्ट से संबंधित है। (व्यवधान)

श्री हरिकिशोर सिंह : आप चुनाव से डरते क्यों हैं ? (व्यवधान)

श्री एम०एम० जैकब : बिना पर्याप्त कारण के सरकारी राजस्व में रुपये निकाले जाने की घटना सहित अन्य कई गम्भीर प्रशासनिक चूकें प्रकाश में आई हैं। इन सारी बातों की जांच हो रही है और तत्कालीन मुख्य सचिव के विरुद्ध मामला अब सी०बी०आई० के हाथों में है। मुकदमें की कार्यवाही आगे जारी है। भ्रष्टाचार के कई मामलों की जांच चल रही है और नई सरकार इनके विरुद्ध कड़े कदम उठा रही है। नागालैंड का प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा, कि भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने में पर्याप्त प्रगति हुई है।

मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा। हमारे विरोधी भी इस बात से सहमत होंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नागालैंड के सभी जिलों में खाद्य-सामग्री उपलब्ध है। एक बहस का मुद्दा यह हो सकता है कि मुद्रा के परिचालन में कमी आ जाने के कारण लोगों के पास जब पैसा ही नहीं है, तो जिले के गोदामों में खाद्यान्न उपलब्ध होने का उपयोग ही क्या है। यह एक दूसरा मुद्दा है। लोगों की क्रय-शक्ति में सुधार लाने हेतु हमें उनके लिए अधिक काम, रोजगार और अवसर तलाशने होंगे। ऐसा करना जरूरी है और सरकार उस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। फिर भी, कुल मिलाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भारी सुधार हुआ है।

विभिन्न पहलुओं से प्रशासनिक वातावरण में भी पूर्णतया बदलाव आया है। तो भी मैं छः महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की स्वीकृति इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि हमारे संविधान में छः महीने से कम की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन बढाने का प्रावधान ही नहीं है। लेकिन हमारी मंशा छः महीने की अवधि तक चुनाव टालने की नहीं है। जितनी जल्दी हो सके हम नागालैण्ड में चुनाव करवाना चाहते हैं। हम उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि खास-खास क्षेत्रों में और विभिन्न स्तरों पर सामान्य स्थिति बहाल हो सके।

नागालैण्ड से आने वाले लोग उस तरफ बैठे हुए माननीय सदस्यगण भी जिन्होंने नागालैण्ड पर अपने भाषण दिए है इस बात से सहमत होंगे कि पूर्वोत्तर, विशेष रूप से नागालैण्ड में मानसून अक्टूबर तक चलेगा। वहां पक्की सड़कें नहीं हैं, सिर्फ कच्चे रास्ते हैं। मानसून आने पर सड़के पूर्णतया पानी में विलीन हो जाती हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए कम से कम संतोष-जनक यातायात व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। मानसून के बाद यातायात व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित करने के लिए हमें कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है। तब अक्टूबर, नवम्बर महीनों के दौरान राज्य में फसल काटने का मौसम आ जाता है। अतः या तो दो अक्टूबर से पहले हम चुनाव करवा लें जो कि मानसून और अन्य कठिनाइयों को देखते हुए संभव नहीं है, या फिर

[श्री एम० एम० जैकब]

राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ा दें इसलिए हम छः महीने की स्वीकृति ले रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके, हम चुनाव करवा लें।

मुझे आशा है कि वहां बढ़ रहे विद्रोह की स्थिति सहित जिसे हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई भागों में हम इसे दबाने में सफल भी हुए हैं, अन्य बातों को जिनका हमने जिक्र किया है, माननीय सदस्य सहमत होंगे। वहाँ इन दिनों कोई हत्या की घटना नहीं हुई है जबकि छः महीने पहले दीमापुर में जिसे एक व्यापारिक क्षेत्र माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में बाहर के लोग रहते हैं, आये दिन अपहरण, जबरन वसूली और हत्या की घटनाएं होती रहती थी, वहां अब ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा है। पूरा क्षेत्र शांत है।

यह सही है कि उग्रवादियों और विद्रोहियों के विरुद्ध राज्य में अभियान चला रहे अर्द्ध-सैनिक बलों एवं पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि अर्द्ध-सैनिक बल एवं पुलिसकर्मी वहां उग्रवाद एवं विद्रोह को दबाने का बहुत ही प्रशंसनीय और बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो किन्हीं खास क्षेत्रों में उग्रवादियों के द्वारा अर्द्ध-सैनिक बलों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाई से हम अवगत हैं। पर्याप्त सावधानी के साथ हम अर्द्ध-सैनिक बलों को पूरी सुरक्षा देने हेतु तैयार हैं। हम तो यह देखना चाहते हैं कि नागालैंड के लोग जो कि भले और शान्तप्रिय लोग हैं लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता का सुख भोगते हुए भारत जैसे महान देश का एक अंग बने रहें।

मेरा अनुरोध है कि सभा राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की अवधि की पुष्टि करे और प्रस्ताव को मंजूरी दे।

**डा. जयन्त रंगपी** (स्वशासी जिला) : जहां तक चुनावी-प्रक्रिया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाने जैसी लघु-अवधि आधारित उपायों का सम्बन्ध है, उन्हें मैं समझ सकता हूं, किन्तु मेरा कहना है कि चुनाव करवा लेने और भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान चलाने मात्र से ही नागा-समस्या का समाधान नहीं हो जायेगा। यह समस्या एक लोकप्रिय सरकार का गठन हो जाने के बाद भी बनी रहेगी।

6.00 म०प०

हमने अपने विगत के अनुभवों में एक विचित्र बात देखी है कि वहाँ यद्यपि दशकों से विद्रोह का दौर चल रहा है लेकिन फिर भी चुनाव के समय कुल मिलाकर स्थिति काफी शान्तिपूर्ण रहती है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां विद्रोह की स्थिति नहीं है, चुनावों के दौरान काफी हिंसा-पात होती है। लेकिन नागालैंड और मिजोरम में चुनाव करवाने में कुछ भी समस्या नहीं होती है। मेरी राय में चुनाव करवाना महज एक अल्पकालिक कदम है। इससे नागा-समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने जा रहा है। मैं भारत सरकार एवं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि नागा समस्या का स्थायी रूप से समाधान करने हेतु उनके पास कौन सी योजना प्रस्तावित है, वहां कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है और इस बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है।

**श्री एम. एम. जैकब** : हम नागालैंड में ऐसे किसी भी व्यक्ति से जिसे भारत का संविधान स्वीकार्य हो, किसी भी सीमा तक बात-चीत करने को तैयार हैं। यहां तक कि ऐसे उग्रवादियों या विद्रोहियों से भी जो कि इस महान देश की संवैधानिक बाध्यता को स्वीकार करते हुए वार्त्ता

टेबल तक आने को तैयार हों, मिलने को सरकार तैयार है। राज्य में शान्ति और समृद्धि लाने के लिए हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी बातें करने को तैयार हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं सांविधिक संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा नागालैंड के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 2अप्रैल, 1992 को जारी की गई उद्घोषणा को 2 अक्तूबर, 1992 से छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

6.02 म०प०

## आधे घन्टे की चर्चा

### आवश्यक वस्तुओं के मूल्य और उनकी उपलब्धता के बारे में

**[अनुवाद]**

**प्रो. के.वी. थामस** (एरणाकुलम) : कई वस्तुओं, खासकर चावल, गेहूं, खाद्य तेल और जीवन-रक्षक औषधियों आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है। माननीय मन्त्री, श्री कमालुद्दीन ने 7-5-1992 को राज्य-सभा में उत्तर देते हुए यह तथ्य स्वयं स्वीकार किया था कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। मैं अकेली दिल्ली में, अप्रैल 1991 और अप्रैल 1992 के बीच, आवश्यक वस्तुओं के थोक एवं खुदरा दोनों मूल्यों के अन्तर के बारे में बताना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री के सूचनार्थ इनके प्रतिशत में आये अन्तर के बारे में भी बताऊँगा। अप्रैल 1991 में चावल का थोक एवं खुदरा मूल्य क्रमश: 483 रुपये प्रति क्विंटल और 6 रुपये प्रति किलो था, जो कि 3 अप्रैल 1992 में बढ़कर 564 रुपये प्रति क्विंटल और 7 रुपये प्रति किलो हो गया। इनका प्रतिशत अन्तर 16.8 है। इसी प्रकार गेहूं का अप्रैल 1991 ओर अप्रैल 1992 में थोक-मूल्य क्रमश: 303 रुपये और 389 रुपये प्रति क्विंटल था। यह प्रतिशत अन्तर 28.4 था। मिर्च का अप्रैल 1991 और अप्रैल 1992 में थोक-मूल्य क्रमश: 2975 और 5100 रुपये प्रति क्विंटल था। इसका प्रतिशत: अन्तर 71.4 था। मिर्च सोने जितनी मंहगी हो गई है। शादी में केरल में लड़कियों को कुछ सोने के गहने चढ़ाये जाते हैं। आजकल लोग कहने लगे हैं कि सोने के बदले मिर्च दी जानी चाहिए, क्योंकि वह सोने से ज्यादा मूल्यवान हो चुकी है।

मैं सिर्फ राजधानी में ही वस्तुओं के मूल्य और मूल्यों में आये अन्तर को ही बताऊंगा। मेरे पास एक तालिका है। दिल्ली के विभिन्न बाजारों में एक ही वस्तु के अलग-अलग मूल्य हैं।

| वस्तु | सुपर बाजार | केन्द्रीय बाजार | बंगाली मार्केट |
|---|---|---|---|
| चावल परमल ! कि.ग्रा. | 6.75 | 6.55 | 9.50 |
| | (तीन रुपये का अन्तर है) | | |
| चीनी | 10.20 | 10.20 | 11.00 |
| हमाम साबुन | 5.15 | 5.10 | 5.25 |

[प्रो. के. वी. थामस]

इस प्रकार अलग-अलग बाजारों में अलग-अलग मूल्य हैं। यहां तक कि एक ही बाजार की विभिन्न दुकानों में अलग-अलग मूल्य देखने में आए हैं। अतः माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न यह है कि वह यह बताएं कि वह इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मूल्यों को पिछले साल के स्तर तक नीचे लाया जाये, लेकिन कम से इन्हें स्थिर करें या इन्हें बढ़ने से रोकें। दूसरी बात यह है कि एक ही नगर में मूल्यों के बीच इतना अन्तर क्यों है ? इस सम्बन्ध में वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं। आपातकाल अर्थात 1975-77 के दौरान सभी अनाज की दुकानों और खुदरा दुकानों के सामने एक सूची लगी होती थी जिनमें वस्तुओं के स्टाक और मूल्य अंकित रहते थे।

आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही के सम्बम्ध में अलग-अलग राय हो सकती है, किन्तु लोगों ने इस बात की प्रशंसा की थी। इससे लोग स्टाक और मूल्यों की स्थिति के बारे में आश्वस्त रहते थे। राज्य सरकारों की सहायता से यह चीज अभी भी की जा सकती है। मैं जानता हूं कि यह चीज अकेले केन्द्र सरकार के द्वारा नहीं की जा सकती है, इसमें राज्य सरकारों की सहायता की आवश्यकता है। इस बात पर आप जोर क्यों नहीं देते हैं कि सभी थोक एवं खुदरा दुकानों में स्टाक एवं मूल्यों की सूची अंकित रहनी चाहिए ?

महोदय, मैं आपका ध्यान जीवन-रक्षक औषधियों के बढ़ते हुए मूल्यों की ओर भी दिलाना चाहता हूं। यह बात अविश्वसनीय लगती है कि विटामिन 'ए' का मूल्य बढ़ चुका है। दूसरे बाजारों में इसकी कमी भी हो गई है। मधुमेह के रोगियों द्वारा उपयोग की जाने वाली इंसुलिन इंजेक्शन की कीमत एक माह के अन्दर 17 रुपये से बढ़कर 27 रुपये प्रति वायल हो चुकी है। तपेदिक के रोगियों के लिए 'रिमाटेसिड' नामक टेबलेट आती है। इसकी चार गोलियों का मूल्य 12 रुपये से बढ़कर 19 रुपये हो गया है।

इसी प्रकार एम्पीसीलिन इन्जेक्शन जो डेढ़ से दो रुपए में आता था, अब बढ़कर चार रुपये पच्चीस पैसे में आता है।

एरिथ्रोमाइसिन एन्टीबायोटिक की 10 गोलियों का मूल्य 12 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गया है।

दवाओं के दाम बढ़ाने की खातिर दवा बनाने वाली कंपनियां दवाओं का नाम बदल दिया करती हैं। खांसी के लिए 'बैनाड्रिल एक्सपैक्टोरैन्ट' का उदाहरण लीजिए। इसकी कीमत 5 रुपये 25 पैसे थी। अब उन्होंने खांसी की शर्बत से 'एक्सपैक्टोरैन्ट' शब्द को हटा दिया है और अब यह एक साधारण खांसी की दवा हो गई है और उन्होंने इसकी कीमत बढ़ाकर 16.15 रुपये कर दी है।

ग्लाइकोडिन की कीमत पहले 14.25 रुपये थी और अब यह बढ़कर 27.40 रुपये हो गई है। साधारण श्वास यंत्र की कीमत 45 रुपये थी और एक महीने के भीतर इसकी कीमत बढ़कर 65 रुपये हो गई है।

आप इस बारे में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? इस मुद्दे पर हमने अनेकों पत्र भेजे थे। मैं जानता हूं कि यह मामला केवल आपके मंत्रालय के अन्तर्गत ही नहीं आता है।

लेकिन आप अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं ताकि इस देश में आम आदमी जीवन रक्षक दवायें उपयुक्त मूल्य पर ले सकें। अब लोग डॉक्टर के पास जाते हुए घबराते हैं। प्रत्येक डाक्टर की फीस अलग-अलग है। इसलिए इस देश के लोग घबराते हैं क्योंकि उन्हें दवायें आसानी से नहीं मिल सकती हैं। क्या आप कम से कम कुछ दवाओं जैसे कि विटामिन आदि की पूर्ति उपयुक्त कीमतों पर कुछ सहकारी दुकानों आदि के माध्यम से कर सकते हैं। आप इन दवाओं की पूर्ति के लिए कोई न कोई प्रबंध कर सकते हैं।

आपने स्वयं 14 मई, 1992 को राज्य सभा में वक्तव्य दिया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया है और इसका विस्तार दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में भी किया गया है ताकि समाज के कमजोर वर्गों के लोग इसका लाभ उठा सकें। इस उद्देश्य से पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत देश में 1000 खंडों का चयन किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चावल तथा गेहूं का आबंटन 1990-91 के दौरान 182.10 लाख टन से बढ़ाकर 1991-92 के दौरान 217.79 लाख टन कर दिया गया है। सरकार ने अगस्त 1991 से सितम्बर 1992 तक राज्यों तथा संघ राज क्षेत्रों के आवंटन में लेवी को चीनी के मासिक आबंटन में 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि की घोषणा की थी। इतना आवंटन आपने किया है, आपने आबंटन में वृद्धि की है, फिर भी चावल, चीनी और गेहूं की कीमतों में 70 प्रतिशत तक वृद्धि हुई हैं। आप इस बारे में क्या कार्रवाही करने जा रहे हैं?

इसी तरह से आपने कहा है कि आप जमाखोरों तथा काला बाजारियों के विरुद्ध आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत कार्यवाही तेज कर दी गई हैं इसके परिणाम स्वरूप 3 महीने की अवधि के दौरान अर्थात् 1-1-92 से 30-4-92 तक 29,193 छापे मारे गए, 1131 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 1548 व्यक्तियों पर मुकद्मा दर्ज किया गया, 64 व्यक्तियों को दोषी पाया गया और 5.10 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया गया। इसके क्या परिणाम निकले? इसका अर्थ है कि आपके द्वारा की गई कार्यवाही का कोई परिणाम नहीं निकला। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आपको इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने में राज्य सरकारों की सहायता लेनी चाहिए। मैं जानता हूं कि कुछ राज्य ऐसा करने के अनिच्छुक हैं, लेकिन आपको उन्हें समझाना होगा ताकि एक वर्ष के भीतर आपने जो उपाय किए हैं—हमें खुशी है कि आपने कार्यवाही की है – उनके अच्छे परिणाम लोगों तक पहुंच जायें।

केरल एक ऐसा राज्य है जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। अपनी प्रणाली पर दृष्टि डाले तो पायेंगे कि हमारे राज्य में 13,150 राशन की दुकानें, 3,500 स्टोर 80 चलते-फिरते स्टोर हैं; लेकिन, फिर भी हमें और स्टोरों की आवश्यकता है। प्रति वर्ष हमें 45 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। इसमें से 18 लाख टन चावल की पूर्ति केन्द्र करता है। 7 लाख टन चावल राज्य में ही पैदा किया जाता है फिर भी हमें लगभग 20 लाख टन चावल की आवश्यकता है।

केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिलने वाले चावल का मूल्य प्रति किलो 3.40 रुपये है जबकि खुले बाजार में इसका मूल्य 7-8 रुपये है। इसी प्रकार हमें कच्चे चावल की बजाए सेला चावल की आवश्यकता है। केरल के लोग सेला चावल पसन्द करते हैं। पिछले वर्ष आपने कुल आबंटन का 60 से 70 प्रतिशत सेला चावल दिया था। मंत्री श्री महोदय से मेरा अनुरोध है

[प्रो. के. वी. थामस]

कि इस राज्य को शत-प्रतिशत सेला चावल का ही आबंटन किया जाए। हम केवल सेला चावल का ही उपयोग करते हैं।

जहां तक कि खाद्य तेल का सम्बन्ध है, केरल में सिर्फ नारियल तेल का ही उत्पादन होता है। यह अधिकांशतः अथवा उद्योगों द्वारा उत्पादित होता है और इसका मूल्य 50 रुपये किलो के करीब है। इसलिए आम आदमी इसका उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए इसके स्थान पर उसे पामोलीन तेल का प्रयोग करना पड़ता है। आपने 4,000 मीट्रिक टन का आबंटन किया है। लेकिन अभी तक वह हमें नहीं मिला है। अगले 30 दिनों के बाद हमारा राष्ट्रीय पर्व ओणम् आने वाला है। हमारा अनुरोध है कि हमें इस पामोलीन तेल की 5,000 मीट्रिक टन आपूर्ति, कलकत्ता स्टाक से कराई जाये। कलकत्ता स्टाक से किसी ने आपूर्ति नहीं की है। हालांकि इसे अन्य राज्यों को आवंटित किया गया है फिर भी उन राज्यों ने वहां से पूर्ति नहीं ली है। हम वहां उपलब्ध स्टाक से आपूर्ति लेने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे हमें उक्त स्टाक में से 5,000 मीट्रिक टन आबंटित करें।

मेरा अनुरोध है कि सरकार को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए और राज्य सरकार की मदद से आवश्यक वस्तुओं दवाओं, लाइसेंस दवाओं के मूल्यों का प्रचार किया जाए ताकि लोग जान सकें कि वे किस मूल्य पर उपलब्ध हैं।

तब कही कम से कम दिल्ली जैसे शहर में एक से दूसरे बाजार में मूल्यों में भिन्नता नहीं होगी। हो सकता है, एक ही विभिन्न दुकानों पर बाजार मूल्यों में भिन्नता हो।

इन सब बातों को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे कड़ी कार्यवाही करें ताकि इस देश के लोग यह महसूस कर सकें कि उन्हें आवश्यक वस्तुएँ उपयुक्त मूल्य पर मिलें।

मुद्रा स्फीति की दर जैसी अन्य गणनाएँ दो अंकों से एक अंक पर आ गई है, यह एक भिन्न बात है। लोग इस बात में इच्छुक नहीं हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप इसे 16.5 से 8.5 तक नीचे लाये हैं। यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन एक आम आदमी इन आंकड़ों में इच्छुक नहीं है। वह यह जानने के इच्छुक हैं कि उसे किस मूल्य पर गेहूँ मिलता है, उसे किस मूल्य पर चावल मिलता है, उसे किस कीमत पर खाद्य तेल उपलब्ध होता है, उसे किस कीमत पर मिर्च मिलती है तथा उन्हें किस कीमत पर आवश्यक वस्तुएँ मिलती हैं।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे कड़ी कार्यवाही करें ताकि जनता को यह सब वस्तुएँ आसानी से उपलब्ध हो जायें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब, स्पष्टीकरण। डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय।

**[हिन्दी]**

**डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जो वर्षों की स्थिति अभी भी असामान्य बनी हुई है, जिन में अकाल की स्थिति थी वहां अकाल की छाया पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। इसको दृष्टिगत रखते हुए क्या उन्होंने अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्र में अभाव को स्थिति को देखते हुए कुछ नए कदम उठाने की पेशकश की है अथवा नहीं ? खाद्यान्न की हालत क्या है ?

मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण आपने पिछले दिसम्बर में सस्ते दामों पर गेहूं बेचा और आप महंगे दामों पर गेहूं खरीदने जा रहे हैं, उसका आयात करने जा रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, कि आप किसानों को जो प्रक्योरमेंट प्राइस है वह तो आप अत्यन्त कम दे रहे हैं जब कि आयात में खरीदी का भाव आपका बहुत अधिक है। यदि आपने किसानों को इतना दिया होता तो शायद आपको आयात करने की आवश्यकता न होती। मैं एक ससाचार-पत्र में छपे इस समाचार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है।

[अनुवाद]

"आज भारत में गेहूं का वसूली मूल्य 280 रु० प्रति क्विंटल है लेकिन बाजार मूल्य 350 रु० है। गेहूं के लिए 350 रु० देने की बजाए सरकार आयातित गेहूं के लिए 450 रु० प्रति क्विंटल देने के लिए तैयार है। इसका अर्थ है उच्च कीमत।

अब मैं इसके साथ ही दूसरी एक बात जानना चाहूंगा क्योंकि मैं विस्तार में, भाषण में जाना नहीं चाहता। आप तेल का आयात कर रहे हैं आपने नेशनल डेरी डेवेलपमेंट बोर्ड को कितना खाद्य तेल आयात करने में कितनी विदेशी मुद्रा इसमें लगेगी, इस खाद्य तेल के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि जिस राज्य से मैं आता हूं वह राज्य सोयाबीन राज्य कहा जाता है वैसे उसको संक्षेप में सोया राज्य कह सकते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा सोयाबीन पैदा होता है और अधिक उत्पादन की बहुत ज्यादा संभावना है। यदि सोयाबीन उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन दें तो शायद तेल का आयात न करना पड़े।

राजस्थान में भी यह कार्य शुरू हुआ है और वहां पर काफी मात्रा में सोयाबीन पैदा किया जाने लगा है यदि आप किसानों को प्रोत्साहित करें और किसानों को ठीक से मूल्य दें तो मैं नहीं समझता कि एन डी डी बी के माध्यम से या किसी प्रकार से या अन्यथा भी, जो आप आज तेल आयात करने जा रहे हैं वह तेल आयात करने की आवश्यकता पड़े।

आज आप खाद्य तेल का भी आयात करने जा रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि जो तेल आप आयात करने जा रहे है, क्या कुछ आयात कर लिया है, यदि हां तो उसकी मात्रा कितनी है और उसमें से कितना तेल आप प्राप्त कर चुके हैं और कितना आप प्राप्त करने जा रहे हैं? ठीक इसी प्रकार से गेहूं का मामला है, इसके बारे मे भी जानना चाहूंगा। कृपया वस्तु स्थिति से अवगत करायें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और गंभीर बात की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में लोग मोटा अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का आदि खाते हैं, आज उस मक्का का दाम भी 7-8 रुपए किलो हो गया है, गेहूं होगा 5 रुपए किलो, लेकिन गरीब, आदिवासियों के खाने का मोटा अनाज आज 7-8 रुपए प्रति किलो प्राप्त हो रहा है, यह उसके लिए काफी मंहगा है। पहाड़ी, आदिवासी, दुर्गम क्षेत्रों में जहां पर मोटा अनाज खाया जाता है, उसकी भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात कही गई है, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पूर्व सिक्किम और दार्जिलिंग की तरफ गया था, वहां पर लोगों ने बताया कि सार्वजनिक वितरण

[डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय]

प्रणाली की दुकानों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वहां पर पहुंचने वाली वस्तु का रास्ते का खर्च इतना होता है उसे सम्बन्धित ले जाने आप परिवहन खर्च कम देते हैं, इसलिए भी ये सुविधाएं वहां तक पहुंचने में कठिनाई होती है। इसी तरह से राज्य सरकारों द्वारा जितनी मात्रा में वस्तुओं की मांग की जाती है, उसकी आपूर्ति भी उतनी मात्रा में नहीं की जाती हैं और वस्तुओं की कमी बनी रहती है। इसी तरह से शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों का भेद आपने बनाया हुआ है, हम यह नहीं कहते कि आप शहरी क्षेत्रों में कम दीजिए लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्र में वस्तुएं मिलनी चाहिए। चीनी ग्रामीण क्षेत्रों में 300 ग्राम और शहरी क्षेत्रों में एक किलो दी जाती है, यह जो इस प्रणाली की असमानता है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए, मैं चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए।

इसी तरह से आपने कहा कि हम चीजों के भाव घटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि चीजों के भावों में निरन्तर वृद्धि की ओर जा रहे हैं, छलांगें मार रहे हैं। चीनी 9 रुपए से 11 रुपए प्रति किलो हो गई है, अरहर की दाल किसको तुअर की दाल भी कहते हैं 13 रुपए से बढ़ कर 18 रुपए प्रति किलो हो गई है, बासमती की बात छोड़ दीजिए, वह तो 30-40 रुपए प्रति किलो होगा, लेकिन मोटे चावल का भाव भी आज 10 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, इस तरह से चीजों के दामों की वृद्धि को रोकने में आप असमर्थ रहे हैं।.....प्राइस इंडेक्स को आप देखिए किस तरह से बढ़ रहा हैं। रेट आप इन्फ्लेशन को अप्रैल 91 में 12.2 परसेंट था वह गत सितम्बर में 15.7 परसेन्ट पर पहुंच गया था और वह बढ़ कर 16.2 परसेंट तक पहुंच गया है। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि.....प्राइस इंडेक्स कन्ट्रोल में नहीं है और इसमें सुधार लाने में आप असमर्थ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस दिशा में आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न क्या है।

आज स्थिति यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसकी आपने निरन्तर दुहाई दी है, प्रचार किया है, जिससे सामान्य व्यक्ति की कठिनाई दूर होनी चाहिए जनता को राहत मिलनी चाहिए, वह काम नहीं हो सका है भारतीय किसानों को आप वह कीमत नहीं दे सकते जो बाहर के किसानों को देने जा रहे हैं। यदि आप वही कीमत भारतीय किसानों को देने को तैयार हों तो यहां पर अनाज की कमी न हो। इसी तरह से मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि का उत्पादन बढ़ाने के लिए यदि किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए तो खाद्य तेलों की हमारे यहां कमी न हो, उनका आयात न करना पड़े। हालांकि यह प्रोत्साहक दाम की बात कृषि विभाग से संबंधित हो सकता है, लेकिन इसको भी इस विषय से अलग नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि आदिवासी, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए सरकार क्या कोई विशेष व्यवस्था करने जा रही है, ताकि ऐसे दुर्गम स्थानों पर आवश्यक वस्तुएं हो सकें। जैसा कि मैंने सिक्किम और दार्जिलिंग झाबुआ या बस्तर जैसे क्षेत्रों आदि के बारे में बताया कि वहां के लोगों का कहना है कि आवश्यक वस्तुएं उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्राप्त नहीं होती हैं और इसी तरह से राज्य सरकारों की भी यही शिकायत है कि पर्याप्त मात्रा में उनको सामान उपलब्ध नहीं कराया जाता है। मध्य प्रदेश की बात मैं बताना चाहता हूं कि केरोसिन की मांग की गई तो बताया गया कि इतना केरोसिन नहीं है, डीजल की मांग की गई तो बताया गया कि इतना डीजल नहीं है, गेहूं की भी यही स्थिति है, चीनी को भी यही

स्थिति है और इसके परिणामस्वरूप आपूर्ति सामान्य रूप से नहीं हो पाती और आप कहते हैं कि यह राज्य सरकार का काम है व्यवस्था करें। आप राज्य सरकारों को दोष का भागी मत बनाइए बल्कि आप पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं को उपलब्ध कराइए और इस प्रणाली में सुधार कीजिए।

होर्डिंग के बारे में लम्बे-चौड़े आंकड़े आपने दिए हैं। आपने कहा है कि होर्डिंग बन्द कर रहे हैं आपने कई लोगों को पकड़ा है किन्तु दण्ड का ऐसा प्रावधान आपने किया है कि ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं, पकड़े जाने वाले लोगों के आंकड़े भी आपने दिए हैं, विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में। किन्तु दण्ड कितनों को मिला। उनके बचने का कारण क्या है? मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं लेकिन कानूनों में इतनी शिथिलता है कि जिनको आप बन्द करते हैं वे दूसरे दिन ही उठकर बाहर आ जाते हैं। होर्डिंग चालू है। उसको बन्द करने की दृष्टि से क्या आप कानूनों को और सख्त बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। मैं इन प्रश्नों का स्पैसिफिक निश्चयात्मक और स्पष्ट उत्तर आपसे चाहूंगा।

[अनुवाद]

**श्री राम नाईक** (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं कुछेक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न है कि थोक मूल्यों पर निगरानी की जाती है। जब यह थोक मूल्यों पर की जाती है, तो उपभोक्ता को खुदरा मूल्य देने पड़ते हैं और थोक मूल्यों तथा खुदरा मूल्यों में व्यापक अन्तर है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करेगी जिससे खुदरा मूल्य उपयुक्त रूप से प्रतिबिम्बित हो सकें और क्या सरकार की यह व्यवस्था हमेशा के लिए खुली प्रणाली कायम रहेगी।

दूसरा, कांग्रेस के घोषणा-पत्र में कहा गया था कि 100 दिनों के अन्दर वे मूल्यों में कमी लायेंगे, लेकिन मूल्यों को वापस नहीं लाया गया। यहां तक कि वे स्थिर भी नहीं हैं ..... (व्यवधान)।

[हिन्दी]

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद)** : यह पुरानी बात हो गई है।

**श्री राम नाईक** : आपने ही यह बात बताई हुई है।

[अनुवाद]

आप इस बात को भूल सकते हैं लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं। इसलिए राष्ट्र को जो भी आश्वासन आपने दिए हैं, आपको वे याद दिलाए गए होंगे और यह हमारा भी कर्त्तव्य है। यदि आप कहते हैं कि आपने एक वर्ष पहले जो आश्वासन दिए थे उसे याद नहीं किया जाए, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हम आपको उस संबंध में याद दिलाना चाहेंगे।

महोदय, न केवल कीमतें ही अस्थिर हैं बल्कि कीमतों की वृद्धि पर कोई प्रभावी नियंत्रण भी नहीं है। इसलिए, मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए क्या कर रही है।

तीसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार जनजातीय क्षेत्रों तक नहीं हुआ है। मैं उत्तर मुम्बई का प्रतिनिधि हूं। संभवतः यह महसूस किया जा सकता है कि यह पूर्णतः शहरी

[श्री राम नाईक]

निर्वाचन क्षेत्र है। लेकिन यहां 'पत्थर' जनजातीय विधान सभा क्षेत्र भी है। पिछले तीन महीनों से लोगों को देय राशन की वस्तुओं में से 50 प्रतिशत वस्तुयें भी नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करने जा रही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुयें जनजातीय क्षेत्रों तथा शहरों तक भी पहुंचें। मुम्बई में किसी प्रकार का कृषि उत्पादन नहीं होता, अत: यह स्वयं में एक उत्कृष्ट शहर है। वहां भी पिछले वर्ष की पूर्ति का 40 प्रतिशत ही पूर्ति की गई। अत: न तो आप शहरों को ही वस्तुओं की पूर्ति कर रहे हैं और न ही जनजातीय क्षेत्रों की पूर्ति कर रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि वह विशेषकर कि उन क्षेत्रों के बारे में क्या करने जा रहे हैं जहां पर कोई उत्पादन नहीं होता है। यह सुनिश्चित करना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि दिल्ली, मुम्बई इत्यादि जैसे बड़े शहरों में इस प्रणाली के अन्तर्गत उपयुक्त पूर्ति की जाए। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि वे मुम्बई के सम्बन्ध में तथा जनजातीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे हैं ?

चौथा मुद्दा, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि वेतनभोगी लोगों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मँहगाई भत्ता दिया जाता है। वह मूल्य सूचकांक बाजार में विद्यमान वास्तविक मूल्यों को प्रतिबिम्बित नहीं करता है। इसलिए व्यापारी संगठनों के सभी वर्गों से यह निरन्तर मांग की जा रही है कि महत्वपूर्ण मदों की जांच करने के लिए मूल्य सूचकांक को नए सिरे से बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि खुदरा बाजार के मूल्य, मूल्य सूचकांक में प्रतिबिम्बित हों ताकि कर्मचारियों को बिना मांग किए मंहगाई भत्ता मिल सके। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि वे वेतनभोगी कर्मचारियों को दिए जाने वाले मँहगाई भत्ते के आधार पर मूल्य सूचकांक को नए सिरे से बनाने के संबंध में क्या करने जा रहे हैं ?

मैं माननीय मन्त्री से इन चार मुद्दों के बारे में जानकारी चाहता हूं।

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) : महोदय, मैं भी चार अथवा पाँच विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं भी कीमतों को नियंत्रित न कर पाने के संबंध में सरकार की असफलता पर चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्त्ता सदस्य ने कुछ तथ्यों का उल्लेख कर यह दर्शाया है कि इस संबंध में जो विवरण-पत्र सरकार द्वारा बनाया गया है, वह यह दर्शाता है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 16 सप्ताहों के दौरान कीमतों में केवल 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5.6 प्रतिशत थी। यह सही नहीं है।

इस वक्तव्य पर मेरे पूर्ववर्ती वक्ता श्री थामस ने भली-भांति अपने विचार किए थे, जिन्होंने इस चर्चा को शुरू किया था। इसलिए, मैं इस मामले पर अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा।

महोदय, मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है और इसके कारणों पर मैं आज चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इस चर्चा के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है और मैं समझता हूं कि सभा को भी विश्वास है और सरकार भी इस बात से सहमत है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी ढंग से काम करने से मूल्य वृद्धि से पीड़ित लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल जायेगी, लेकिन इस काम में भी सरकार असफल रही है।

महोदय, मुझे यह कहने की अनुमति दें कि इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली निम्न समस्याओं का सामना कर रही है :

**कम वसूली** : पिछले वर्ष की वसूली की तुलना में इस वर्ष कम वसूली हुई है। सुरक्षित भंडार में कमी आई है और मैं कहता हूं कि ऐसा खाद्यान्नों विशेषकर चावल और गेहूं के निर्यात करने संबंधी सरकार के अनुचित निर्णय के कारण ही हुआ है। महोदय, राज्य सरकारों से निरन्तर यह शिकायतें आ रही थीं कि सरकार का चाहे कोई भी राजनैतिक स्वरूप हो, राज्यों को वितरित किये जाने वाली लगभग सभी वस्तुओं की आपूर्ति में कमी रही है, जिसकी आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से होनी चाहिये।

चौथी समस्या यह है कि विभिन्न वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सीमित रूप से शामिल किया गया है और उनके वितरण की अपर्याप्त व्यवस्था है विशेषकर पर्वतीय-मरुस्थलीय और दुर्गम क्षेत्रों में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावशाली रूप से काम करने के मार्ग में ये मुख्य अवरोध है। सरकार से मेरा यह एक सरल प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की इस मूल समस्या के समाधान के लिए आपने आज तक विशिष्ट कदम उठाये हैं ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ के इस निर्णय की जानकारी है कि वे हड़ताल करने का निर्णय ले चुके हैं जिससे सम्पूर्ण देश में चावल और गेहूं जैसे खाद्यान्नों के व्यापार के सामान्य माध्यम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मुझे खाद्यान्न व्यापारियों के मांगों की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है ? सार्वजनिक वितरण प्रणाली इससे इस रूप में भारी प्रभावित होगी कि और अधिक अपक्रय की आवश्यकता होगी और सामान्य व्यापार में विघटन होगा। इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

तीसरा मुद्दा यह है कि निर्यात-आयात संरूप बहुत असामान्य लगता है। आप निर्यात करते हैं और आयात भी करते हैं। यह आरोप लगाया गया है कि तुलनात्मक रूप से निर्यात कम मूल्य पर हुआ है। उसके साथ-साथ यह शिकायतें भी की जा रही हैं कि तुलनात्मक रूप से आयात अधिक मूल्य पर हुआ है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या उनके मंत्रालय से इस संबंध में परामर्श किया गया था और क्या वाणिज्य मंत्रालय ने 'व्यापार' को विश्वास में लिया था ? क्या उस विभाग को, जो खाद्य का कार्यभार देखता है, यह जानकारी है कि खाद्यान्नों का निर्यात हो रहा है ? क्या आप से इस बात के लिए सलाह ली गई थी कि निर्यात करने की अनुमति दी जानी चाहिए ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आपने भी आयात करने की सिफारिश की थी। मुझे इस बात पर खेद है कि मैंने वह टिप्पणी की थी कि इस संबंध में आपसे सलाह नहीं ली गई थी। और आपको विश्वास में नहीं लिया गया था, हालांकि आपके पास उस विभाग का चार्ज है जो राष्ट्र को खाद्यान्न प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अतः मैं इस निर्यात-आयात संरूप के विषय में सब कुछ जानना चाहता हूं।

महोदय, मेरा अन्तिम मुद्दा यह है कि बिक्री मूल्यों में वृद्धि हुई है। सरकार ने खाद्य राज-सहायता को कम करने का निर्णय लिया है। वास्तव में, मुझे और इस सभा के कई माननीय सदस्यों को यह आशंका है कि गेहूं, चावल आदि के मूल्यों को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। क्या मैं यह जान सकता हूं कि हमारे देश की जनता की व्यथा को देखते हुए क्या सरकार सभा को इस बात का आश्वासन देगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों के बिक्री मूल्य को और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं होगा ? यदि माननीय मंत्री जी मेरे सभी मुद्दों का जवाब देंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी।

[श्री चित्त बसु]

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि स्पष्टीकरण मांगते हुए उन्होंने कुछ मुद्दे मेरे सामने रखे। ऐसा मुश्किल से शायद ही कोई सत्र हो, जिसमें हमने मूल्यों के संबंध में चर्चा न की हो। माननीय सदस्य श्री थामस ने मेरे वक्तव्यों का उल्लेख राज्यसभा में भी किया था। उन्होंने अप्रैल और सप्रैल पूर्व से संबंधित आंकड़े भी दिये हैं। जब हम मूल्यों की चर्चा कर रहे हैं तो हमें बस बात पर सहमत होना चाहिये और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमारा समाज गतिहीन समाज नहीं है। अर्थ व्यवस्था सदैव गतिशील रहती है और मूल्यों में थोड़ी बहुत वृद्धि न्यायोचित है। अब मूल्यों में वृद्धि के प्रश्न पर बात की जाये। मूल्यों में वृद्धि को आंकने के लिए एकमात्र मापदण्ड मुद्रास्फीति की दर है जिससे कि मूल्यों में वृद्धि होती है।

महोदय, यदि हम 1990 से पिछले ढाई वर्ष अथवा तीन वर्ष के दौरान वस्तुओं की मूल्य संरचना देखेंगे या हम 1988 की स्थिति को देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि वर्ष 1987 में हमारे यहां भयंकर सूखा पड़ा था, जिसके कारण मूल्यों में थोड़ी बहुत वृद्धि स्वाभाविक थी और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए बेईमान व्यापारियों ने मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि कर दी थी तथा यह प्रवृत्ति अभी भी जारी है। इस दौरान हमारे प्रयास यही रहे हैं कि इस प्रवृत्ति पर किसी तरह काबू पाया जाये। हम यह देखना चाहते थे कि मूल्य वृद्धि पर काबू पाया जाये और यदि मूल्य में वृद्धि हो तो वह स्वाभाविक हो। वृद्धि अस्वाभाविक न हो। इसके कई कारण हैं। मैं नहीं जानता कि इन सब बातों के बारे में कहने के लिए मैं कितना समय लूंगा। समस्या यह है कि जब भी मूल्यों के इस पक्ष की ओर देखते हैं तो हमें इसके कई कारकों को भी देखना पड़ता है।

**श्री चित्त बसु** (बारासाट) : मूल्यों को कम कीजिये।

**श्री कमालुद्दीन अहमद** : मैं सबसे पहले मूल्यों को नियंत्रित करने, कम से कम इस प्रवृत्ति पर काबू पाने के संबंध में बात कर रहा हूं।

हमें विभिन्न कारकों पर ध्यान देना पड़ता है। मैं विशेषकर खाद्यान्न की बात कर रहा हूं, जो सामान्यतः मूल्य वृद्धि को निर्धारित करने का आधार है क्योंकि खाद्यान्न पदार्थों में वृद्धि होने से अन्य वस्तुओं की मूल्य वृद्धि प्रभावित होती है।

यदि हम इस खाद्यान्न के विषय को देखें तो हमें यह मालूम होगा कि हमने खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त की है। हमारा उत्पादन 1700 लाख टन से भी अधिक हुआ हैं। इसके आधार पर कुछ समय के लिए मूल्य भी ठीक रहा। जब उत्पादन एक विन्दु पर आकर रुक गया तब समस्या उत्पन्न हुई। एक ओर तो हम अपनी जनसंख्या को 6 करोड़ प्रतिवर्ष बढ़ा रहे हैं। यह कोई साधारण सी बात नहीं है और इसके साथ हमारी आवश्यकताएँ भी बढ़ने लगी हैं। जलवायु की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। यह कोई स्वतः उत्पन्न स्थिति नहीं है कि हम हर वर्ष एक निश्चित दर पर वर्षा की अपेक्षा करें। कभी कम, कभी अधिक वर्षा होती थी। ऐसी और अन्य परिस्थितियां भी थीं जो कुल मिलाकर उत्पादन को प्रभावित कर रही थीं। हमने यह अनुमान लगाया था कि खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 1760 या 1770 लाख टन के करीब होगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उत्पादन कम था। जैसी अपेक्षा थी, मानसून वैसा नहीं रहा। यद्यपि अनुत्पादन क्षेत्रों में मानसून अच्छा था, फिर भी उत्पादन क्षेत्र में भुखमरी थी। अच्छी वर्षा नहीं हुई थी।

मेरे माननीय मित्र ने मोटे अनाज का उल्लेख किया है। यदि आप इसका एक पहलू देखें तो मैं मानता हूं कि इसके मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसका क्या कारण है? इसका यह कारण है कि पहले हमारे देश में इसका उत्पादन 330 लाख टन था, परन्तु इस वर्ष 270 लाख टन उत्पादन ही हुआ है। बिना किसी की गलती के 60 लाख टन उत्पादन कम हुआ। यह सब कुछ जलवायु की परिस्थिति के कारण हुआ है। जब हम मूल्यों की बात करते हैं और मूल्यों का निर्धारण करते हैं तब हमें इन कारकों को ध्यान में रखना पड़ता है।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि पिछले कुछ महीनों के दौरान मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारणों में खाद्य उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि न होना, चालू वित्तीय वर्ष में गेहूं तथा चावल की खरीद कम होना, दालों तथा खाद्य तेलों की मांग तथा आपूर्ति में क्रमशः 20 लाख टन तथा 70 लाख टन का अन्तर होना, सब्जियों की आपूर्ति कम होना और ज्वार, बाजरा, रागी, मकई, जौ आदि मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होना शामिल है। खरीफ उत्पादन से मोटे अनाजों का मूल्य भी बढ़ गया। यह कहना ठीक नहीं है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होना सार्थक है और इसलिए सम्पूर्ण मूल्य वृद्धि के लिए वह उत्तरदायी है। 29 चुनी हुई आवश्यक वस्तुयें, जिनका दर थोक मूल्य सूचकांक में 23 प्रतिशत से अधिक है, का योगदान 9.3 प्रतिशत के कुल मुद्रास्फीति दर में केवल 305 प्रतिशत ही है। (व्यवधान) अब, मुद्रास्फीति दर घट कर एक अंक में आ गई है। हमारा यह प्रयास है कि आगे भी ऐसा उपाय किया जाये, जिससे मुद्रास्फीति दर और भी घटने लगे।

**श्री राम नाईक** : क्या मूल्यों में कमी होना सम्भव है?

**श्री कमालुद्दीन अहमद** : श्री रामनाईक जी ने जिस मुद्दे का जिक्र किया था, मैं उसी थोक मूल्य के सूचकांक और उपभोक्ता के मूल्य सूचकांक के बारे में यह कहना चाहता हूं कि थोक मूल्य के सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य के सूचकांक के बीच थोड़ा सा अन्तर है। मैं आपको उसके आंकड़े दूंगा। यदि हम जनवरी 1992 से जून 1992 के आंकड़े लें—आंकड़े मेरे पास हैं—जनवरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 228 था; फरवरी में 229 था; मार्च में भी 229 ही था; अप्रैल में 231 था; मई में 234 था; जून में 236 था और जनवरी से जून तक 3.5 से थोड़ा-बहुत कम-ज्यादा रहा था।

**श्री राम नाईक** : क्या मूल्यों में वृद्धि नहीं हो रही है? इस आंकड़े के अनुसार मूल्यों में वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन क्या यह सच है? यही तो हम जानना चाहते हैं। कृपया यह बात ध्यान में रखिए कि आप हमें वह आश्वासन दे रहे हैं कि केवल एक प्वाइंट या दो प्वाइंट वृद्धि हुई है। लेकिन जब हम बाजार जाते हैं, तब मूल्यों में कितनी वृद्धि होती है, यह हमें देखना है।

**श्री चित्त बसु** : मूल्यों में वृद्धि 100 प्रतिशत से अधिक होती है।

**श्री कमालुद्दीन अहमद** : मैंने दूसरे दिन भी कहा था कि फुटकर मूल्य में अन्तर होता ही है। यहां तक कि एक ही नगर में एक जैसा मूल्य नहीं हो सकता। अतः उदाहरण के लिए, यहां पर गेहूं की कीमत, तथा त्रिवेन्द्रम तथा मुम्बई में अलग-अलग होती है। यहां तक कि दिल्ली के संबंध में भी मेरे माननीय मित्र श्री थामस जी ने मूल्यों के बारे में कुछ कहा था। वह सुपर बाजार, केन्द्रीय भण्डार और बंगाली मार्किट के मूल्यों को बता रहे थे। मूल्यों में जरूर अन्तर रहेगा। दूसरे दिन भी, आपने यह मामला उठाया था।

[श्री कमालुद्दीन अहमद]

आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यदि थोक विक्रय मूल्यों की बात करें, तो जनवरी में यह सूचकांक 215·3, फरवरी में 216·4, मार्च में 217·7 अप्रैल में 219·5, मई में 221·6 और जून में 221·8 था, इस प्रकार थोक विक्रय मूल्यों में 3.2 का विचलन रहा और आज विचलन 3·51 है। अतः मैं नहीं समझता हूं कि थोक विक्रय मूल्य और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कोई भारी अन्तर है। (व्यवधान)

**श्री राम नाईक** : ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल्य सूचकांक निर्धारित करने वाली उपयुक्त वस्तुएं शामिल नहीं हैं, इसलिए यह प्रतिबिम्बित नहीं हुआ है। (व्यवधान)

**श्री चित्त बसु** : कुछ भी हो, प्रतिदिन की वृद्धि के संबंध में आंकड़ों को ठीक ढंग से नहीं दर्शाया गया है। यह कहते हुए मुझे खेद है, इसके सिवाय मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

**श्री कमालुद्दीन अहमद** : जो प्रश्न आपने उठाए हैं, मैंने उन सभी को ध्यान से सुन लिया है। मैं एक-एक कर उनका उत्तर दूंगा।

अब आपने समीक्षा करने और सभी वस्तुओं को बदलने का प्रश्न उठाया है, मैं इस मामले को वित्त मन्त्रालय के साथ उठाऊंगा, देखें क्या होता है। मैं एक बात मानता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें यथार्थवादी बनना होगा, कुछ छिपाने या दबाने का कोई प्रश्न नहीं है। हमें इस मामले में बहुत ही यथार्थवादी होना होगा, मैं इस मामले को उठाऊंगा जैसा कि आपने सुझाव दिया है।

माननीय सदस्य श्री थॉमस जी ने कीमतों का उल्लेख किया है। मैंने कहा है कि यह कीमतें अप्रैल या उससे पहले की हैं। उसके बाद उन्होंने आबंटनों के बारे में कुछ कहा है। मेरा अनुरोध है कि केरल राज्य को अन्य राज्यों की तुलना में उसके हक से कई अधिक मिल रहा है। खाद्य तेलों के संबंध में उस राज्य को अधिकतम आबंटन किया गया है। हम खाद्य तेलों का नियमित रूप से आयात नहीं कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा की समस्या के कारण हम उतनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात नहीं कर पाए हैं, जितना कि हम करना चाहते थे। पूरे वर्ष में हमने लगभग 1·5 लाख टन तेल का आयात किया है। इसमें से कुछ मात्रा में तेल का आयात राज्यों ने स्वयं ही किया है, कुछ मात्रा में तेल का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया गया है और उसे वितरित भी कर दिया गया है, इस वर्ष हम कितनी मात्रा में तेल का आयात करेंगे, अभी मैं यह कह नहीं सकता हूं, क्योंकि यह अनेक बातों पर निर्भर करता है। इसमें मूल्य घटक भी शामिल है। हमारे स्थानीय तेल की कीमतें काफी नीचे आ गई हैं। मूंगफली के तेल, सरसों के तेल और अन्य तेलों की कीमतें काफी नीचे आ गई हैं।

**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** (मंदसौर) : क्या कोई अनुमान है ?

**श्री कमालुद्दीन अहमद** : कीमतें हर रोज उद्धृत की जाती हैं। आप कीमतें देख सकते हैं। समाचार पत्रों में खुदरा मूल्य भी दिए जाते हैं और बाजार से प्राप्त सूचनाओं की यह कीमतें दी जाती हैं। हमें हर रोज दस आवश्यक वस्तुओं के बारे में सूचनाएं मिलती हैं। हम कीमतों पर निगरानी रखे हुए हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि स्वदेशी खाद्य तेलों की कीमतें काफी नीचे आ गई हैं। हमें देखना होगा कि जो खाद्य तेल हम मलयेशिया से आयात करेंगे, क्या वह हमारे लिए स्वदेशी तेल की कीमतों की तुलना में साध्य होगा। ये बातें हैं जिनके बारे में, मैं

अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूँ कि हम कितना आयात करेंगे और हमें कितना आयात करना चाहिए।

श्री थॉमस ने कहा कि चावल का आबंटन अधिक होना चाहिए। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि खाद्य मंत्रालय जो खाद्यान्नों का आबंटन करता है उसके इस बारे में व्यापक मानदन्ड हैं कि पिछले वर्ष कितना आबंटन हुआ था, आबंटन में कितनी वृद्धि की जानी है, जरूरत कितनी है और इससे अधिक यह कि केन्द्रीय मूल में खाद्यान्नों का कितना भण्डार उपलब्ध है। इन मामलों पर निर्णय लेते समय खाद्य मंत्रालय इन सब बातों को ध्यान में रखता है।

खुदरा विक्रेताओं को कीमतें अंकित करने के लिए कहने के संबंध में मैं यह नहीं कह सकता हूं कि इस विशाल देश में कितने लाख दुकानदार हैं। कीमतें अंकित करना बहुत कठिन होगा, हालांकि पैकेट बन्द सामान के लिए नियम हैं कि उन पर मूल्य भी अंकित होना चाहिए, जिससे दुकानदारों को पैकेट पर उनकी कीमत अंकित करनी होती है और उसका प्रचार भी करना होता है।

**प्रो० के. वी. थामस** (एरणाकुलम) : हम केरल में ऐसा कर रहे हैं।

**श्री कमालुद्दीन अहमद** : यह बहुत अच्छी बात है। यह एक उदाहरण होगा।

**प्रो० के. वी. थामस** : परन्तु दिल्ली में अलग-अलग बाजारों में कीमतों में काफी अन्तर है।

**श्री कमालुद्दीन अहमद** : आप इसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसको नियन्त्रित करने के लिए आपके पास कोई प्रक्रिया या तन्त्र नहीं है आप कीमतों में अन्तर को नियन्त्रित नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि हम उस बाजार में जाएँ जहाँ हमें वस्तुएं सस्ती मिलें।

डा० पाण्डेय ने मुद्रास्फीति के बारे में कुछ मामले उठाए हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि मुद्रास्फीति 9·28 तक गिर गई है। यह और गिर सकती है। पिछले दो वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुद्रास्फीति की दर दो अंकों से मिलकर एक अंक में आई है। हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम कीमतों को नियन्त्रित रखने के लिए अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं रखेंगे। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं।

आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा है कि एन.डी.डी.बी. को कितनी विदेशी मुद्रा की अनुमति दी गई है, इस संबंध में मेरे पास अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। परन्तु इस संबंध में आप कृषि मंत्रालय से पूछ सकते हैं, क्योंकि एन.डी.डी.बी. उसी के अधीन है और वह आपको सभी आवश्यक जानकारी दे सकेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। हमारे देश में कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भरपूर उपयोग होता देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं उन राज्यों का नाम नहीं लूंगा, यह सभी जानते हैं। आपने केवल अपने राज्य का हवाला दिया है। मैं केवल इतना अनुरोध करूंगा कि मैं आपको इस संबंध में आंकड़े भेजूंगा कि आपके राज्य को कितना खाद्यान्न आबंटित किया गया था, उन्होंने कितना खाद्यान्न गोदामों से उठा लिया है और राज्य सरकार के पास कितना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करने के लिए मैं पहली बार दो माह पूर्व ग्वालियर गया था, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि नई दुकानें खोलने, जाली राशन कार्डों को रद्द करने नए कार्ड जारी करने, दरवाजे पर वितरण (डोर

[श्री कमालुद्दीन अहमद]

डिलीवरी) के संबंध में हमें दिये गये आंकड़ों में इन चीजों को तैयार करने में, उन्होंने केवल मध्यप्रदेश को ही शामिल नहीं किया है बल्कि सभी राज्यों को इसमें शामिल किया है। इसके बाद पूरी प्रणाली की समीक्षा की गई और अब तक लगभग 79 प्रतिशत कार्यान्वयन संबंधी कार्य हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि अगले दो-तीन महीनों में पूरी प्रणाली को पूर्णतः नया रूप दे दिया जाएगा।

जैसा कि माननीय सदस्य श्री चित्त बसु ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कारगर संचालन व्यवस्था भी मूल्यों को नियंत्रित करने में हमारी सहायता करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनी, प्रधानमन्त्री जी ने घोषणा की थी, कि हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ऐसा बनाना होगा कि उसका लाभ सबसे गरीब लोगों तक पहुंच सके। मुख्य-मंत्रियों के साथ अनेक बैठकें हुई है। सार्वजनिक वितरण सलाहकार परिषद की भी बैठक हुई और अनेक बातों पर विचार किया गया। अन्ततः जरूरतमंद लोगों का पता लगाने और उन्हें खोज निकालने का एक अत्यन्त वैज्ञानिक तरीका ढूंढ निकाला गया। हमने सोचा कि पिछड़ेपन की मूल समस्या क्षेत्र से संबंधित है। **(व्यवधान)**

अतः गरीबी का सम्बन्ध काफी हद तक क्षेत्र के पिछड़ेपन से है। हमें पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाना होगा। पिछड़े क्षेत्रों का पता लगा लेने पर गरीब लोगों का पता स्वभाविक रूप से लग जाएगा यह मानदण्ड अपनाया गया था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस पद्धति को अपनाने से हमने देश की लगभग 20 प्रतिशत आवादी को इसमें शामिल कर लिया है।

इन 1700 खण्डों में लगभग 19 करोड़ लोग रह रहे हैं। हमने उन लोगों तक पहुँचने के प्रयास शुरू कर दिये हैं। माननीय सदस्य ने आदिवासियों और पर्वतीय क्षेत्रों का मुद्दा उठाया था। हमने राज्यों से पूछा है कि उन्हें दरवाजे पर वितरण (डोर डिलीवरी) में क्या कठिनाई है, क्या वह कोई वाहन चाहते हैं। हम उन्हें वाहन सहायता देने के इच्छुक हैं।

इससे पहले एक योजना भी जिसमें राज्यों को, उनके अनुरोध पर प्रत्येक वाहन के लिए दो लाख रुपए दिए जाते थे, जिसमें 25 प्रतिशत राशि राज सहायता के रूप में होती थी। अब प्रधानमन्त्री जी ने इस राशि को 4 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। अब दो लाख रुपए की बजाए प्रत्येक वाहन के लिए चार लाख रुपए दिए जा रहे हैं और इसके राजसहायता भाग को भी 25 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत तक कर दिया गया है। यह केवल यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि इन वाहनों के माध्यम से राज्य सरकारें उन गरीब लोगों तक पहुँच सकें, जिन तक वह अभी तक नहीं पहुँच पाई हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि आपके राज्य की सरकार ने भी यह सहायता दिए जाने का अनुरोध किया है और उस पर गौर किया जा रहा हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यह सहायता उन तक पहुंचेगी, हम समझते हैं कि इस तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाया जा सकता है।

श्री राम नाईक ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के आदिवासी वर्ग के बारे में बात की। मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या इस क्षेत्र को उन 1700 खण्डों में शामिल किया गया है या नहीं। यदि इसे उन 1700 खण्डों में शामिल कर दिया गया है, तो हमारे मार्गनिर्देश और हमारा प्रयास यह

सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक परिवार को कम से कम 20 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाए। यह हमारा न्यूनतम मानदन्ड है, ऐसा नहीं है कि केवल इन छह वस्तुओं का ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरण किया जाए। हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वह इस प्रणाली में जितनी मदों को शामिल करना चाहें कर सकते हैं। परन्तु जहां तक केन्द्र का संबंध है, हमने उनसे कहा है कि हम इन छह मदों का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चाहते हैं और हम इनकी आपूर्ति करेंगे।

मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सलाहकार परिषद की बैठक हुई थी और सभी राज्यों के नागरिक आपूर्ति मन्त्री जिसके सदस्य थे और हमने सभी बातों की समीक्षा कर ली है। मैंने व्यक्तिगत रूप से पूरे देश का दौरा किया है और मैंने सभी राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने की प्रक्रिया की समीक्षा कर ली है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि उन्होंने इस पर कार्य करना आरम्भ कर दिया है और इस काम में उन्होंने लगभग 70 प्रतिशत से अधिक सफलता हासिल कर ली है।

मुम्बई नगर को अधिक आपूर्तियों के बारे में मैं आपको तथ्यात्मक और वास्तविक स्थिति बता रहा हूं। महाराष्ट्र से जब कभी ऐसे अनुरोध प्राप्त होते हैं तो हम इस बात को ध्यान में रखते है कि मुम्बई महाराष्ट्र में है और हम मुम्बई की आवश्यकताओं को भी जानते हैं।

7.00 म० प०

हमें मुम्बई का आकार भी मालूम है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा राज्य सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते रहे हैं।

श्री चित्त बसु ने कुछ प्रश्न उठाए हैं। मैं समझता हूं कि मुझे सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। उन्होंने कम वसूली का प्रश्न उठाया है। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता जैसा कि मैंने इस वर्ष और पिछले वर्ष कई बार अनुरोध किया है कि वसूली हमारे लक्ष्यों और हमारी उम्मीदों से काफी कम थी। परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं यह भी महसूस करता हूं कि अनेक राज्यों को पश्चिम बंगाल द्वारा अपनाई गई तकनीकियों को सीखना चाहिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए उनका अनुकरण करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले पश्चिम बंगाल को उत्तरप्रदेश और हिमाचल प्रदेश से आलू मंगाना पड़ता था, परन्तु आज वह आलू के मामले में न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि आलू बाहर भी भेज रहा है। ऐसी ही बात चावल के मामले में भी है आबादी और क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम बंगाल लगभग आंध्रप्रदेश के बराबर है। अब चावल के उत्पादन में भी राज्य आंध्रप्रदेश के बराबर पहुंच गया है। मैं समझता हूं कि उसका चावल उत्पादन आंध्र प्रदेश से अधिक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल में प्रत्येक वर्ष 110 लाख टन चावल का उत्पादन हो रहा है।

परन्तु वसूली के बारे में उसका निष्पादन क्या है? उनकी वसूली उल्लेखनीय नहीं है। जहां तक पश्चिम बंगाल को गेहूं और चावल के आवंटन का प्रश्न है, वह हमेशा होता है। मुझे खेद नहीं है कि मैंने आवंटन किए हैं। मैं केवल श्री चित्त बसु के ध्यान में यह ला रहा हूं कि इसके बावजूद कि वे बिल्कुल भी खरीद नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार उनको गेहूं और चावल आवंटित करने का प्रयास कर रही है।

**श्री चित्त बसु :** चूंकि आपने हम पर आरोप लगाया है, कृपया मेरी बात सुनिए।

**श्री कमालुद्दीन अहमद** : यह कोई आरोप नहीं है। वास्तव में मैंने दूसरे राज्यों से निवेदन किया है कि वह आप का अनुकरण करें और आप से सीखें।

**श्री चित्त बसु** : राज्य सरकार खरीद कर रही है, हालांकि हो सकता है कि खरीद की मात्रा अधिक न हो। हो सकता है पश्चिम बंगाल आपके सहयोग के बिना, अपने लोगों को खिलाने में, आत्म-निर्भर बन चुका हो। परन्तु आप इस बात को समझें कि चार लाख एकड़ भूमि पर पटसन की खेती की जाने लगी है। इस ऐतिहासिक तथ्य पर भी गौर करना आवश्यक है। जिस जमीन पर धान की खेती की जाती थी उस पर पटसन की खेती की जाने लगी है ताकि पटसन मिलों को कच्चा माल सप्लाई किया जा सके जो कि पश्चिम बंगाल की विशेषता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आवंटित समय केवल आधा घंटा है। परन्तु उसके अलावा आपने आधा घंटा और ले लिया है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

**श्री कमालुद्दीन अहमद** : फसलों को पलटने की यह समस्या, केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं है। पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, और बहुत से अन्य राज्यों में भी पारम्परिक फसलें अब नहीं उगाई जाती। मध्य प्रदेश में मोटे अनाज का उत्पादन नहीं हो रहा है। उन्होंने सोयाबीन का उत्पादन आरम्भ कर दिया है। आन्ध्र प्रदेश और हरियाणा में, एक बहुत बड़े क्षेत्र में सूरजमुखी की फसल उगाई जा रही है। निःसन्देह यह अधिक लाभकारी होगी। और यह भी एक स्वागत योग्य कदम है।

**श्री सैयद मसूदल हुसैन** : मैं माननीय मंत्री को बताना चाहूँगा, कि पश्चिम बंगाल में 4.85 लाख मिट्रिक टन गेहूं की पैदावार हुई है जबकि आन्ध्र प्रदेश में 17 लाख टन की पैदावार हुई है।

**श्री कमालुद्दीन अहमद** : आपको यह भी नोट करना चाहिए, कि आन्ध्र प्रदेश ने 35 लाख टन चावल की खरीद की है। इस पक्ष को भी देखा जाना चाहिए। श्री चित्त बसु ने एक और बात कही है कि आवटंन तो होता है, परन्तु कभी-कभी अनाज की आपूर्ति कम जाती है। भारतीय खाद्य निगम के आगे कुछ वास्तविक समस्याएं हैं। मैं वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत सरल है, परन्तु तथ्यात्मक स्थिति यह है कि उनकी कुछ वास्तविक समस्याएँ हैं, उनको रेक नहीं मिलते। कभी-कभी, रेलवे को भारतीय खाद्य निगम को देने के लिए रेक नहीं मिलते। फिर, हड़ताल आदि की समस्या आती है यही समस्याएँ हैं, जिनके कारण उन्हें कभी-कभी माल उपलब्ध कराने में कुछ कठिनाई होती है। कहीं पर कुछ कमी हो सकती हैं, परन्तु इसे सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता।

तत्पश्चात्, महोदय, गेहूं के आयात और निर्यात का प्रश्न आता है। मेरे विचार में, मैंने कल सारी स्थिति विस्तारपूर्वक स्पष्ट कर दी थी। आज भी खाद्य मन्त्री की ओर से मैंने एक बहुत विस्तृत वक्तव्य दिया है। मैंने गेहूं के आयात और निर्यात के बारे में सब कुछ बहुत स्पष्ट कर दिया है।

निर्गम मूल्य के बारे में श्री चित्त बसु ने कुछ कहा है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, बजट में खाद्यान्न पर राज सहायता की राशि संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली समेत 2750 करोड़ रुपये है जैसा कि मैंने कल कहा था। बजट इस राज सहायता का भार कितना वहन कर सकता है और राजसहायता कितनी होनी चाहिए? आज की स्थिति से राजसहायता उपलब्ध है, और सरकार उस भार का वहन कर रही है। इस वर्ष खरीद मूल्य में बढ़ोत्तरी के कारण, खाद्य

निगम पर खरीदे गए गेहूं पर 55 या 60 पैसे प्रति किलो की दर से अतिरिक्त भार पड़ा है। इस विषय को खाद्य मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय को सुलझाना होगा।

जहां तक सरकार का संबंध है, मूल्य वृद्धि रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और हम मूल्यों पर नजर भी रख रहे हैं। मूल्यों से सम्बन्धित एक मन्त्रि-मण्डलीय समिति है जिसके प्रमुख वित्त मन्त्री हैं। इसके अलावा सरकार के सम्बन्धित सचिवों की भी एक समिति है। हम आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का पता लगाते हैं और फिर हम इस रुझान को रोकने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आवश्यक वस्तु अधिनियम है। इस अधिनियम को लागू किया जाता है। जहां तक राज्य सरकारों का प्रश्न है, राज्यों के सम्बन्धित अभिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं कि वस्तुओं की जमाखोरी न हो मैंने वह आंकड़े कई बार दिए हैं। मैं तत्सम्बन्धी आंकड़े पुनः दे सकता हूं, परन्तु अब वह आवश्यक नहीं है। समय-समय पर हम कृषि और कृषि पर आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहन देते रहते हैं। फिर उस पर नजर रखी जाती है। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण को युक्ति-संगत बना रहे हैं। हम जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही कर रहे हैं। मोटे तौर पर हम ये तीन चार कदम उठा रहे हैं। परन्तु मैं केवल आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी प्रकार से मूल्य वृद्धि की इस प्रवृत्ति को रोक सकें।

**अध्यक्ष महोदय** : सभा, सोमवार, 17 अगस्त, 1992 को 11.00 म०पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

7.09 म०प०

**तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 17 अगस्त, 1992/26 श्रावण, 1914 (शक) के ग्यारह म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।**

पी०एल०एस०—48/15/27/92 (एन०)
250

© 1992 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के लिए 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित ।

